राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या 5

गुरुवार, दिनांक 12-3-1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, कृषि, नियुक्ति, सहकारिता पशुपालन, गृह, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य, जन सम्पर्क विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री बाड़दार।

चांदपोल दरवाजे के बाहर निर्वाण मार्ग के पास की जमीन का बेचान।

71. **श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवा-महल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर नगर में चांदपोल दरवाजे के बाहर निर्वाण मार्ग पर जनाने शफाखाने के पास जो सड़क का फुटपाथ था वह नगर विकास न्यास ने बेच दिया है या लीज अथवा किराये पर दे दिया है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भूमि खुले रूप में नीलाम की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस भूमि को बेचे जाने से या लीज पर दिये जाने से नगर विकास न्यास को कितनी आय हुई है, और किस व्यक्ति को किन शर्तों पर बेची गई है, अथवा लीज पर दी गई है और क्या कोई लिखा-पढ़ी कराई गई है ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज चिद) : (1) जी नहीं। कोई फुटपाथ की भूमि नहीं दी गई है। श्री कृष्ण कन्हैया पुत्र जगन्नाथ को एक वर्ष के लिये दिनांक 3-1-70 से 2-1-71 तक 37 पैसा प्रतिवर्गगज प्रतिवर्ष की दर से किराये पर दी गई है।

Page No 2

(श्री मुल्कराज थिंद)

(2) जी नहीं। प्रार्थी ने अपना पुराना कब्जा दिखाया था अतः किराये पर दी गई।

(3) प्रश्नोत्तर एक से स्पष्ट है। एक वर्ष पर दिये गये इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न यह था कि क्या जमीन लीज पर दी गई या बेची गई। सरकार द्वारा कहा गया कि कोई भूमि नहीं दी गई। साथ ही यह भी कह दिया एक वर्ष के लिये किराये पर दी है यह उत्तर में विरोधाभास क्यों ?

श्री मुल्कराज थिंद : माननीय सदस्य ने पूछा है कि नीलाम द्वारा दी गई या नहीं मैंने निवेदन किया है एक साल के लिये किराये पर दी गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लीज और किराये में क्या फर्क है आप मुझे यही समझा दीजिये।

श्री मुल्कराज थिंद : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस भूमि पर दस साल का कब्जा उसने शो किया है। रेकार्ड के आधार पर उसने दस साल का कब्जा शो किया है। उसको कहा गया इसकी रसीदें भी पेश करें। उसने रसीदें भी दिखाई हैं। फिर भी हमने उसके लिए तहसीलदार को जांच के लिये कहा है। जांच करने के बाद अगर कुछ गलती पायी गई तो एक्शन लेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने उसका दस साल का कब्जा मान लिया है क्या ? जयपुर नगर के प्रति जिस प्रकार का आपका रुख बनता जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर आने दीजिये। उसके बाद निष्कर्ष निकालिये।

श्री मुल्कराज थिंद : दस साल की रसीदें बताकर उसने किराये पर शो किया है। श्रीकिशन ने यह किराया किसी के मार्फत दिया जाना बताया है। दूसरे व्यक्ति द्वारा किराया दिया गया है। एक साल पर किराया देने के बावजूद भी हमने यु.आई.टी. द्वारा जांच की है कि आया रसीदें मार्फत नौकर के या किसी अन्य व्यक्ति से दिलाई है। उसकी जांच होने के बाद सही स्थिति के बारे में फैसला किया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने फुटपाथ की जमीन किस आधार पर दी है ? आपने फुटपाथ को दस साल के लिये किराये पर दिया है आप क्या यहीं के लोगों के चलने के लिये फुटपाथ भी रखना नहीं चाहते ? आप जयपुर शहर को बरबाद करने पर तुले हुए हैं। आप फुटपाथ को एक साल के लिये किस आधार पर किराये पर दे रहे हैं ?

श्री मुल्कराज थिंद : फुटपाथ की जगह अलग है यह अनुमानतः 888 वर्ग गज भूमि है उसके लिये इस व्यक्ति ने कहा कि मेरा इस पर दस साल का कब्जा है इसलिये यह भूमि मुझे एलॉट की जाय। उसकी इस प्रकार की दरख्वास्त आने पर उससे रसीदें मांगी गई उसने जो रसीदें दी उन रसीदों के आधार पर उसको एक साल के लिये किराये पर दी गई। मैं माननीय सदस्य को

(श्री मुल्कराज सिंह)

जानकारी के लिये कह दूं कि उसका रेकार्ड मंगाकर मैंने देखा है रसीदें उस व्यक्ति के नाम से नहीं है। तहसीलदार को उस जांच के लिये नियुक्त कर दिया। 3-1-70 को किराये पर दिया जाता है उसके बाद 3-3-70 को एक व्यक्ति आपत्ति उठाता है कि उस भूमि पर मेरा कब्जा है, उस आधार पर जांच करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच कौन कर रहा है ?

श्री मुल्कराज सिंह : तहसीलदार।

श्री अध्यक्ष : कब आदेश दिये ?

श्री मुल्कराज सिंह : कल ही।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री मुल्कराज सिंह : एक महीने के अन्दर-अन्दर इसको देख लिया जायेगा।

श्री दुर्गालाल बादृदार : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह निराधार है। हॉस्पिटल के पास फुटपाथ की 15 फुट जमीन है जो फुटपाथ के लिये है। केबिनेट के मिनिस्टर खुद जाकर देख लें। सड़कों पर थड़ियां लगा रखी हैं लोगों को आने जाने के लिये रास्ता नहीं है, आज जयपुर नगर की हालत आपने ऐसी खराब कर रखी है आने जाने के रास्ते नहीं हैं। एक तरफ थड़ियां हटाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ फुटपाथ की जमीन को किराये पर दे दी जाती है। इसके लिये स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री मुल्कराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये किस संदर्भ में फर्मा रहे हैं कि हम जयपुर का क्या करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर दूं.....

श्री दुर्गालाल बादृदार : आप जयपुर को तबाह करना चाहते हैं।

श्री मुल्कराज सिंह : आप इस बात को मानेंगे कि फुटपाथ की जो जगह है उस को साफ करके सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। इससे जयपुर की सुन्दरता बढ़ रही है.....

श्री अध्यक्ष : आप फुटपाथ पर आ जाइये। ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या यह तह बाजारी के माफिक दिया गया है या लीज रेन्ट पर दिया गया है ?

श्री मुल्कराज सिंह : लीज रेन्ट पर दिया गया है, 37 पैसे प्रतिगज, एक साल के लिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ओमदत्त भाटी।

कृषि स्नातकों को भूमि एवं औजार

72. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने कृषि स्नातकों तथा कृषि इंजीनियरों को राजस्थान नहर पर 25 बीघा जमीन किफायत से देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनों को कितनी २ भूमि आज तक खेती करने के लिये दी गई है। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओमदत्त भाटी)

(2) यह जमीन उपरोक्त इंजीनियरों को किस भाव से प्रति बीघा दी एवं दूसरे लोगों की जैसे किसान इत्यादि को किस भाव से दी जाती है ?

(3) क्या इन ग्रेजुएट्स को कृषि औजार खरीदने के लिये ऋण भी दिया गया यदि हाँ, तो किस ब्याज पर व कुल कितनी रकम दी गई ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : जी हां, राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेरोजगार कृषि स्नातकों एवं कृषि इंजीनियरों को 200 मुरब्बा भूमि (5000 बीघा) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में निम्न शर्तों पर आवंटित किया जाय :—

(1) आरक्षित मूल्य पर बेरोजगार कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों को एक एक मुरब्बा भूमि आवंटित की जा सकती है। इस भूमि के मूल्य का चुकारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के वर्गों को आवंटित किये जाने वाले नियमों के अनुसार किश्तों में लिया जावेगा।

(2) सिवाय बैंक एवं वित्त निगम से कृषि कार्य हेतु ऋण लेने के अतिरिक्त इस भूमि का ये व्यक्ति बेचान, हस्तान्तरण बंधक (मोर्टगेज) नहीं कर सकेंगे और नहीं सब-लेट कर सकेंगे।

(3) जब कभी भी कोई आवंटित व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेगा तो उस अवस्था में उससे सरकार द्वारा दी गई भूमिपुनर्ग्रहण कर ली जायेगी एवं आंवटित भूमि के, भूमि के मूल्य के प्रति चुकाई गई किश्तें, संबंधित व्यक्ति को वापस लौटा दी जावेगी, किन्तु उस भूमि के विकास हेतु किये गये व्ययों की कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं कि गई है। राजस्व उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना सरकारी भूमि आवंटित विक्रय) नियम 1967 में उक्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार आवश्यक प्रावधान करने हेतु संशोधन जारी किया जाना है।

(2) इसका उत्तर अंश (1) में अंकित है।

(3) जी नहीं ट्रेक्टर के लिये ऋण सहकारी भूमि बन्धक बैंक तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा आवश्यकता व क्षमता अनुसार दिया जारहा है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई सूची नहीं आई है। अब मैं सप्लीमेंटरी कैसे पूछूं ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : राजस्थान में कितने कृषि स्नातक बेकार हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : मुझे सूची नहीं दी गई है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: क्या सूची देना आवश्यक है इस प्रश्न में ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : सूची देना आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रश्न।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान में कितने कृषि स्नातक बेकार हैं ?

श्री हरिसिंह : इस को अलग से पूछ लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास कोई फीगर होगी तभी यह निर्णय आपने लिया है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या यह भूमि कृषि स्नातकों को एलोटमेंट कमेटी के द्वारा दी जायेगी वा कलेक्टर के द्वारा दी जावेगी।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र का यह प्रश्न है। वहां पर कलेक्टर द्वारा आवंटन करने का प्रश्न नहीं है। वहां जो एलॉटिंग ओथोरिटिज हैं, उस प्रोजेक्ट एरिया की, उनके माध्यम से, इसका आवंटन होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार ने कृषि भूमि आवंटन करने हेतु भूमि की कोई सीमा निश्चित की है? जमीन की एम. आर. की है?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): राजस्थान सरकार ने जो कृषि-स्नातक बेरोजगार हैं उनकी कोई सूची छपवा करके तैयार करने का कोई कदम उठाया है?

श्री शोभाराम : जिन कृषि स्नातकों के लिये भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उनकी सूची हमारे पास है और जिनके प्रार्थना-पत्र नहीं आये हैं उनकी सूची हमारे पास नहीं है। हमारे पास यद्यपि जो एग्रीकल्चर इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं, जो इस वर्ष पास हुए हैं, उनकी सूची हमारे पास है।

श्री रामनारायण चौधरी : कितने प्रार्थना-पत्र आपके पास आये हैं?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कोई 100-125 के बीच में हैं। पूरी जानकारी तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : यह बड़ा अहम सवाल है। मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठल प्रसाद?

सरप्लस कर्मचारियों की नियुक्तियां

73. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेशानुसार किस-किस विभाग के कितने कितने कर्मचारी सरप्लस घोषित किये जाने के कारण सेवा मुक्त किये गये हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इनके पुनर्वास के संबंध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है अथवा करने जारही है।

उपमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) इनके पुनर्वास के लिये सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों इत्यादि को निर्देश कर दिया है कि भविष्य की नई नियुक्तियों में इनको प्राथमिकता दी जावे।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : जो व्यक्ति सरप्लस घोषित किये गये हैं, उनके लिये कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड किया गया था और उसके अनुसार इनको सरप्लस घोषित किया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री आईदानसिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कोई क्राइटेरिया बनाया गया या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला गया और उसके रूल्स अलग से बनाये गये और उसके अनुसार उनको सरप्लस घोषित किया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रशासनिक आदेश के जरिये, इकोनोमिक मेजर्स के तहत इनको सरप्लस घोषित किया गया है। कितने इस प्रकार से सरप्लस होंगे इसकी सूची हरेक विभाग ने इकोनोमिक मेजर्स के तहत तैयार की है और उसके अनुसार सरप्लस घोषित किया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या इस प्रकार की कोई सूची राज्य सरकार के पास है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसमें जो पोस्ट इकोनोमी के अन्दर एक तरह से आगई, और जो उस पद पर काम कर रहा है, उसको एक बार तो सरप्लस डिक्लेअर किया गया है लेकिन उसके बाद जिनकी साल भर के ऊपर की सर्विस है उन को एब्जार्ब कर लिया गया है। अभी आप को जो सूची दी गई है उसको देखने से मालूम होगा कि कुल मिलाकर 216 व्यक्तियों का प्रश्न बाकी रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 8-9 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सरप्लस घोषित किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरप्लस घोषित हुए होंगे। लेकिन उनको बाद में एब्जार्ब कर लिया गया होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 20 साल की जिसकी सर्विस है उसको भी सरप्लस कर दिया गया है, मैं उसका नाम तो यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तियों को भी सरप्लस घोषित कर दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा है, जो पद अब नहीं रहा है और जो उस पद पर काम कर रहा है उसको एक बार तो सरप्लस डिक्लेअर करना होगा। उसके बाद उसको एब्जार्ब किया गया है ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से नहीं होगी। वह 216 वालों की सूची में हो तो मुझे पता नहीं है। परन्तु उसका आल्टरनेटिव पोस्टिंग कर दिया जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको बताना चाहता हूं कि शिवकिशन जोशी, झुंझुनूं का निवासी, इन्डस्ट्री विभाग में एल. डी. सी. था, नौ साल की सर्विस थी, दो साल से सरप्लस घोषित कर रखा है। अभी तक वापिस काम पर कहीं नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। सहकारी मंत्रीजी के उत्तर पढ़ने पर :

अश्रव्य

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, क्या यह स्थिति है…

श्री अध्यक्ष : सहकारी मन्त्रीजी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरे लिये तो नम्बर ही नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। सहकारी मन्त्री। वापिस पढ़िये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : क्या यह स्थिति है कि सीनियर आदमियों को सरप्लस किया गया है और जूनियर उनसे ऊपर बैठे हैं।

जिला जालोर की सहकारी समितियां

74. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर में कितनी सहकारी समितियां सहकारी बैंक की डिफॉल्टर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों के कितने सदस्य सहकारी बैंक के डाइरेक्टर्स हैं ?

सहकारी मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) जिला जालोर में केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर से दिये गये ऋण से 176 सहकारी समितियां डिफॉल्टर हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उपरोक्त डिफॉल्टर सहकारी समितियों में से 2 सहकारी समितियों के प्रतिनिधि बैंक के डाइरेक्टर हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री आईदानसिंह : जो सूची मुझे दी गई है, उसे मैं तो नहीं पढ़ सकता। खैर, जो भी है।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : यह सूची समाजवादी है। किसी पेज की टाइप की स्याही तो बहुत तेज है किसी की बिलकुल ही फीकी है। समाजवाद आपका ऐसा ही है।

श्री आईदानसिंह : मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो दो सहकारी समितियों के डाइरेक्टर हैं क्या वे नियमानुसार गलत नहीं हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : आज के नियमों के अनुसार जो समितियां डिफाल्टर होती हैं उनके मेम्बरों में से जो मेम्बर डिफाल्टर नहीं होता है वे बैंक के डाइरेक्टर हो सकते हैं।

श्री आईदानसिंह : आपके सहकारी नियम 34/4 के अनुसार जो सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं उनके मेम्बर डाईरेक्टर नहीं हो सकते, क्या यह सही नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : इसमें जो दो डाइरेक्टर उम्मेदाबाद ग्राम सहकारी समिति श्री रामदत्त शर्मा और प्रभुनारायण हैं ये डिफाल्टर नहीं हैं।

श्री आईदानसिंह : नया कानून कब लागू हुआ !

श्री अमृतलाल यादव : नये कानून का सवाल नहीं है। कोई सोसाइटी डिफाल्टर

Page No 8

(श्री अमृतलाल यादव)

हो गई तो इसी बिना पर मेम्बर डिफाल्टर नहीं हो सकता। डिफाल्टर वह हो सकता है जिसने कर्जा लिया हो पर लौटाया नहीं हो। 100 मेम्बरों ने कर्जा लिया 50 उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा चुका दिया अब चाहे वह समिति डिफाल्टर हो गई हो पर जिन्होंने अपना कर्जा चुका दिया वे डिफॉल्टर नहीं हो सकते। वे डाइरेक्टर हो सकते हैं और ऐसे ही ये दो हैं।

बीकानेर जिले में आई.सी.डी. की योजना

75. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में आई. सी. डी. की योजना लागू की गई है उसके अन्तर्गत स्कन्धपालों के कितने व किस किस गांवों में सेन्टर खोले गये हैं तथा बाकी कितने सेन्टर कब तक चालू करने की योजना है।

(2) इस साल कितने नये स्कन्ध पालों को प्रशिक्षण दिया गया है ? इनको कब तक राज्य सेवा में कार्य दे दिया जावेगा ?

(3) इस योजना के अन्तर्गत 1967 से 1969 तक की अवधि में सफलता कैसी रही है ? क्या 1968 तक सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ?

(4) सघन पशु विकास योजना में डेरी के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में प्रतिदिन कितनी बढ़ोतरी हुई है ?

उपमंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) सूची संलग्न है।

(2) इस वर्ष 74 स्कन्ध पालों को प्रशिक्षण दिया गया है। नये केन्द्र खुलने पर ही उन्हें राज्य सेवा में लेना सम्भव हो सकेगा।

(3) लगातार अकाल रहने से आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। सन् 1969 तक सफलता के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अकाल की स्थिति पैदा हो जाने के कारण सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(सूची सरकार से प्राप्त नहीं हुई)

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द बंद ?

रतनगढ़ थाने में दर्ज हत्या का मामला

76. **श्री लाभचन्द बंद** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तारीख 15 दिसम्बर सन् 1967 को जेसिया नाम के हरिजन की हत्या रतनगढ़ थाने में हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने उसे आत्महत्या का केस बताया ?

(3) क्या यह भी सही है कि रतनगढ़ के सिविल जज महोदय ने मौके पर जाकर गवाहों के बयान लेकर, डाक्टरी मुआयना कराकर हत्या का केस रजिस्टर्ड करवाया ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस-अधिकारियों ने अपने बचाव के लिये मृत व्यक्ति का सम्बन्धी, फूसा नामक हरिजन को जो कि उसी हवालात में बन्द था, पर हत्या का जुर्म लगाया ?

(श्री लाभचन्द बैद)

(5) क्या यह भी सही है कि जनता की शिकायत पर राज्य सरकार ने गुप्तचर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फूसा के इकबाली बयान पर जांच करवाई और जांच कर फूसा को निर्दोष साबित किया ?

(6) क्या यह सही है कि सरदारशहर का थानेदार मूलचन्द व एक सिपाही मृतक को राजलदेसर तफतीश के लिये 14 दिसम्बर को ले गये तथा उसी रात को 10.30 की गाड़ी से वापिस रतनगढ़ लाकर हवालात में बन्द करवाया ?

(7) क्या यह सही है कि मृतक को रात को 11 बजे हवालात में बन्द किया गया था तब उसके पास तौलिया नहीं था और सरदारशहर के थानेदार के साथ वाले सिपाही ने भी साफ बयान दिया कि मृतक के पास तौलिया नहीं था ?

(8) क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस अब तक हत्यारे की तलाश कर पाई या नहीं ?

राज्य मंत्री गृह, (श्री हीरालाल देवपुरा)
(1) जेसिया की मृत्यु थाना रतनगढ़ में हुई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) एक केस फूसिया के खिलाफ ह. द. 302 थाना रतनगढ़ पर दर्ज हुआ था।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) जी हां।

(8) तफतीश जारी है शीघ्र ही चालान पेश किया जायेगा।

श्री लाभचन्द बैद : आत्महत्या का केस किस आधार पर पुलिस ने बनाया था ? क्या डाक्टरी रिपोर्ट ऐसी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस ने बनाया था। पर दूसरे ही दिन मजिस्ट्रेट जांच करने मौके पर गये तो उन्होंने पाया कि यह आत्महत्या का केस नहीं हो सकता। संदिग्ध मर्डर है।

श्री लाभचन्द बैद : क्या डाक्टरी रिपोर्ट ऐसी थी कि जिससे आत्महत्या प्रकट होती हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले ही मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दे दी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ था और रिपोर्ट से आत्महत्या का केस नहीं बनता था ? या बनता था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सुसाइड का केस नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो दामोदरलालजी ने कह दिया कि मत फंसो इसमें। जवाब दे दो। मैं पूछ रहा हूं कि इस व्यक्ति का पोस्ट मार्टम हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हुआ था।

Page No 10

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री दामोदरलाल व्यास के कुछ कहने पर) आप बैठे बैठे मत बोलिये। खड़े खड़े बोलिये। अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये डांटा था।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे बोलें तो सुनिये ही मत आप।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोस्टमार्टम किस दिन हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसी दिन हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाक्टरी रिपोर्ट आई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आई है। पर इसके पहले ही दूसरे दिन मोर्निंग में मजिस्ट्रेट ने देख कर सरकम्स्टेन्शिल इवीडेन्सेज पर आत्महत्या का केस नहीं हो सकता यह तय किया। इस पर 302 का सन्देह होता था इसलिये उसकी सी.आई.डी. से जांच कराई गई और उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने आत्महत्या का केस होना बताया था, तफतीश जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोस्टमार्टम 302 के पहले हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ओन दी सेम डे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कैसे हो सकता है ? सवाल ही नहीं खड़ा होता। क्या मजिस्ट्रेट ने इन्क्वेस्ट रिपोर्ट पेश की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने बता दिया था कि मौके पर जाकर देखा और आत्महत्या का केस होना नहीं जंचा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं स्पेसिफिक पूछता हूं। इसमें दिक्कत की बात क्या है ? क्या इन्क्वेस्ट रिपोर्ट दी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसको ?

श्री हीरालाल देवपुरा : डी.एम. को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तारीख ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस वक्त नहीं है। देख कर बता सकूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 302 का केस रजिस्टर करने से पहले दी या बाद में।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसी के आधार पर हुआ। साथ-साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोस्टमार्टम उसके बाद हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले हो चुका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काज आफ डैथ क्या लिखा था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सस्पेक्टेड था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 302 का केस किसके खिलाफ दर्ज किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : फूस्या के खिलाफ।

श्री लाभचन्द वैद : फूस्या के खिलाफ 302 का केस दर्ज बताते हैं क्या वह इस केस से सम्बन्धित था ? किस घटना से सम्बन्धित था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : फूस्या के खिलाफ 302 के केस में वह एन्गेज्ड था, मुलजिम था। उसी हवालात में बन्द था, उसके खिलाफ केस दर्ज किया।

श्री अध्यक्ष : एन्क्वेस्ट रिपोर्ट आई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है। थाने में एक हरिजन की 67 में हत्या कर दी जावे। केस सुसाइड का बना दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : पोस्टमार्टम के बाद मर्डर हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सो मच कनफ्यूज्ड।

श्री हीरालाल देवपुरा : केस दिसम्बर 68 का है।

श्री लाभचन्द बैद : नहीं नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने पहले प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में जी हां कहा है। क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों ने इसमें गलती की ? गलत जांच की गई ? शिकायत करने पर जब मामला सामने आया तो दूसरे के खिलाफ 302 का केस बना दिया ? यह हालत है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सी.आई.डी. से जांच करवाई गई।

श्री अध्यक्ष : पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिजल्ट क्या है ? स्पेसिफिक है मर्डर का इन्टरप्रिटेशन और होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाक्टर की भी गड़बड़ी है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर है क्या ? हम भी जानना चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय उपलब्ध है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काज आफ डैथ क्या लिखा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ... "In our opinion the death is due to Asphyxia".

श्री अध्यक्ष : Strangulation.

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना): दम घुट कर मरा है। मुट्ठियों की क्या हालत थी ?

श्री अध्यक्ष : वह छोड़िये। मर्डर किस आधार पर लिया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जो सरकम्स्टेन्शल एवीडेन्स थी जो बांडी पाई गई थी उसके गले में एक टावल का फन्दा लगा था। लेकिन वह फन्दा ऐसा था कि मजिस्ट्रट ने रिपोर्ट बनाई कि इससे इस प्रकार डैथ नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : फिर किस प्रकार से डैथ हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : डैथ का मैंने बताया।

श्री अध्यक्ष : नो, नो।

Page No 12

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, विटनेस से मालूम हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दो इन्टर-प्रिटेशन हो सकते हैं या तो फन्दा डाला या मारा गया या खुद ने फन्दा लगाया। ऐवि-डेन्स क्या है ?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : 174 की रिपोर्ट के अन्दर जब लाश का मुआयना किया होगा तो देखा होगा कैसी हालत थी, मुट्ठी बन्द थी या खुली थी, आंखें बन्द थीं या खुली थीं, टट्टी निकली हुई थी या क्या ? किस प्रकार के हालात थे ?

श्री अध्यक्ष : कामन सिम्पटम्स थे। स्ट्रेंग्यूलेशन खुद करे। Throttling by one self and throttling by another.

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं जब वह हवा-लात में बन्द था तो और भी मुल्जिम उसके साथ बन्द थे क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरे मुल्जिम उसके साथ थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सारे मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चालान के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिसम्बर 1967 में थाने में हवालात में जान से उसे मार डाला। पुलिस इससे सम्बन्धित है। 302 का केस रजिस्टर किया वह भी झूठा। पुलिस के व्यक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब जाकर जांच करके दुबारा किया गया है। आज तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : फिर मेहतर का मामला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, भाषण नहीं हो।

(श्री देवीदत्त गाड़िया बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

माननीय सदस्य भाषण नहीं करें ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। थानेदार इस प्रकार की हत्या कर दे और अब तक गिरफ्तार नहीं हो यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ....थानेदार और पुलिस के कर्मचारियों को तुरन्त निल-म्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह प्रोसी-क्यूशन स्टोरी क्या है ताकि पता लग जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो मुल्जिम चोरी के मामले में गिरफ्तार किये गये थे उनकी जांच पड़ताल की जा रही थी और थाने में लेजाया गया था। पुलिस की कस्टडी में बन्द थे। नेक्स्ट डे मोर्निंग में मुल्जिम हवालात में मरा हुआ पाया गया। यह स्पष्ट मैंने निवेदन किया है। पुलिस

Page No 13

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अधिकारियों का चालान किया जायगा। गिरफ्तार और चालान के आदेश दे दिये गये हैं। यह बात साफ है कि उनका चालान होगा और निलम्बित भी किये जायेंगे।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सी. आई. डी. ने जो जांच की और जो तथ्य सामने आये उसका क्या है?

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम और सवाल पूछना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लें, मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन्तोषजनक जवाब देंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, सन्तोषजनक।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत प्रश्न हैं। जो सी. आई. डी. ने जांच की उसकी क्या रिपोर्ट है? प्रारम्भ में रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई? केस का प्रोसीक्यूशन कब किया गया? दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब कार्यवाही की गई, केस रजिस्टर कब किया गया, गिरफ्तारी के आदेश कब दिये गये, मुल्जिम कब से फरार है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई आदि अनेकानेक सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं।

एक माननीय सदस्य : तौलिया किसका था, कहां से आया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब चाहें तो इसे आज रख लीजिये और चाहें तो कल जवाब दिलवा दीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : मुकदमे के अन्दर सी. आई. डी. द्वारा इन्वेस्टीगेशन किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने सदन से अर्ज किया है कि यह इन्वेस्टीगेशन सी. आई. डी. ने किया है। सी. आई. डी. को जब ट्रान्सफर किया गया तब गवर्नमेंट के ध्यान में आया। गवर्नमेंट सी. आई. डी. के जो वहां के इन्चार्ज हैं उन्होंने 302 का मुकदमा बनाया। सी. आई. डी. ने तफतीश की। पुलिस के कर्मचारी जो तैनात थे उन्होंने उस मुकदमे के फेक्ट्स बताये। जो हवालात में बन्द थे उन्होंने शहादत दी। उसके अलावा डॉ० की शहादत थी कि कोई ऊपर इन्ज्यूरी नहीं मिली। टावल उस हवालात में कैसे पहुंचा, क्योंकि टावल वहां था नहीं। टावल उस मुल्जिम का था या उसे दिया गया यह पता नहीं। पुलिस के जो 5-6 अफसरान थे उनके खिलाफ 201 और 302 के मुकद्मे कायम किये गये और सी. आई. डी. ने चालान करने का फैसला कर लिया चालान हो जायगा और 21-12-68 को तफतीश दी गई जो 23-12-68 को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट कब दी?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साल भर से दबाकर बैठे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं जितने मुलजिमान थे जितनों पर केस बना क्या उनको सबको गिरफ्तार कर लिया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जवाब दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं दिया गया है। हम जवाब चाहते हैं इस बात का।

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं दिया गया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक बार और दिलवा दिया जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास : यों कहिए फिर। जवाब यह दिया जा चुका है कि उनके खिलाफ चालान पेश करने का आॅर्डर सी. आई. डी. से हो चुका है। गिरफ्तार किये जाकर अदालत में पेश कर दिये जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल को टालने की कोशिश मत करो। गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चालान ?

श्री अध्यक्ष : नहीं किया गया है। उत्तर दे दिया गया है। गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे अभी तक सर्विस में हैं, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, पुलिस में बैठ कर हत्या करते हैं और थाने में वह हत्या की जाती है, जवाब दीजिये उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? सर्विस से सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : वे सस्पेन्ड भी होंगे और गिरफ्तार भी होंगे।

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : हरिजन की हत्या कर दी जाय··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री दुर्गालाल बादृदार : ·· क्या इन व्यक्तियों के खिलाफ चालान के और गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान में यह उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा कि एक हरिजन की हत्या थाने में कर दी जाय और फिर झूंठा केस बनाया जाय स्यूसाइड करने का। ढाई साल बाद तक पुलिस अफसरों के खिलाफ तफतीश नहीं की जाय, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, कोई ऐक्शन अभी तक नहीं लिया गया···

श्री अध्यक्ष : यह आश्वासन दे दिया गया है सस्पेन्ड कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हकूमत किस काम की है ? उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया गया, उनका चालान नहीं किया गया। गृह मंत्री किस बात के हो आप ? तनख्वाह लेते हो सरकार से और चुनाव की तैयारी करते हो। मैं समझता हूं इससे ज्यादा···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात को न भूलें ········

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ····सरकारी सेवाओं में रहते हैं और हत्या करते हैं थाने में ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री देवीदत्त गाड़िया : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। बहुत ज्यादा समय इस पर हो गया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

इस पर काफी समय निकल गया है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य बोलते रहे)।

स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समय का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय। उसके लिये क्या करना है ? अगर भविष्य में ऐसी घटना फिर होती है तो उसके लिये क्या करना है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस विधान सभा में विरोधी पक्ष में कांग्रेसी होते तो इस प्रश्न पर जूते चलते।

(शोरगुल, अश्रव्य)

हरिजन मारा जाय, थाने में मारा जाय इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको शर्म नहीं आती। सारे राजस्थान के हत्यारों को और गुनहगारों को पनाह देने वाले ये गृह मंत्री हैं········

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करके उन्हें उल्टे आश्रय दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(व्यवधान व शोरगुल)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर दोनों (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल व देवीदत्त गाड़िया) एक साथ नहीं बोलें। एक दल के एक साथ दो माननीय सदस्य न बोलें।

(भारी शोरगुल)

आर्डर, आर्डर-माननीय सदस्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हत्या करनाXXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया: उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिन से पैसे की बोछार होती है गृह मंत्रीजी उनको पनाह देते हैं.....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया :XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(भारी शोरगुल व व्यवधान)

श्री रोशनलाल : हम लोग नहीं देवेंगे यों हल्ला करने से,

श्री देवीदत्त गाड़िया :XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय आर्डर प्लीज नैक्स्ट। श्री भगवानदास शास्त्री

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, थानेदार कहां हैXXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि जिन कर्मचारियों के संबंध में आपने चालान भेजा है उनको निलम्बित क्यों नहीं किया आपने ? इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, तफतीश के अन्दर चालान के आर्डर्स कल ही हुए हैं और कल ही उनको निलम्बित करने के आर्डर्स भी हुए हैं और अब और गिरफ्तारी होकर चालान होगा।

श्री हीराभाई : कौनसी तारीख से निलम्बित कर रखा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की मन्शा साफ नहीं है। सरकार लीपापोती करना चाहती है। गृह मंत्रीजी अगर इन्साफ करना चाहें तो फ्लोर आफ दी हाउस पर आश्वासन देना चाहिए कि इसके अन्दर लीपापोती नहीं होगी और गुनहगारों को सजा देने की व्यवस्था होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इसमें कोई रियायत नहीं होगी।

XXXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीन साल तक क्या किया फिर आपने। XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या गृह मंत्रीजी बतायेंगे कि सबसे पहले दिन किस तारीख को राज्य सरकार या एस० पी० को या अन्य इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को इस बात की जानकारी मिली कि यह मर्डर हुआ है इसमें यह थानेदार दोषी है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी तारीख बताई थी कि जिस तारीख को सी० आई० डी० को ट्रान्सफर हुआ। राज्य सरकार के पास अखबार की कटिंग से खबर आई और उसी दिन केस को सी०आई०डी० में दे दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी को किसी भी तरह पहली बार इसकी कब जानकारी मिली कि सब इन्सपेक्टर इस मर्डर केस का दोषी है!

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता था कि 15 दिसम्बर, 67 को यह घटना है तो क्या इस बारे में राज्य सरकार यह बतायेगी कि क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इस मामले में चालान करने के बारे में अनावश्यकतौर पर देरी हुई है और क्या इस देरी को उचित समझती है? जिन्होंने देरी की, उनके खिलाफ क्या सरकार एक्शन लेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अनावश्यकतौर पर देरी नहीं की गयी है और यह मुकद्दमा जैसा उलझा हुआ है मैं अध्यक्ष महोदय को खुद को फाइल चेम्बर में पेश करने को तैयार हूं। अगर आप चाहें तो देख लें कि यह मामला कितना उलझा हुआ है। उस उलझन में इस मुकदमे को बनाया गया है इसमें देरी नहीं की गयी है और रियायत बिलकुल नहीं की गयी है और जैसा कि अर्ज किया कि चालान करने का और सस्पेन्शन के आर्डर्स दे दिये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तारीख बता दें जिस रोज सरकार के पास रिपोर्ट आई।

श्री लाभचन्द बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने नहीं देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से कितने पूछे गये है।

श्री लाभचन्द बैद : मैंने बिलकुल नहीं पूछा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि यह केस बहुत उलझा हुआ है। यह दो तीन आदमियों का केस है। हवालात में ताला बन्द है, पुलिस का सिपाही पहरे पर है और 12 और 5 के बीच में हत्या होती है। इस केस को उलझा हुआ बताते हैं तो बाहर जो अपराध होते हैं तो उनको कैसे देख पायेंगे?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नैक्स्ट, श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, 77।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर आधे घन्टे का विवाद अलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट 77।

स्टाल को-आपरेटिव सोसाइटी के अधिकार में बनी दुकानें

77. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान के जिलाधीशों को एवं नगर विकास न्यास के अध्यक्षों को सूचित किया गया है कि स्टाल को-आपरेटिव सोसाइटी के अधिकार में जो भी दुकानें आदि हैं, उन्हें शीघ्र ही नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित किया जावे ? यदि हां, तो ऐसे आदेश किन किन नगरों में भेजे गये हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जयपुर एवं जोधपुर नगरों में ऐसे आदेश नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो अजमेर के स्टेशन पर बनी सुन्दर दुकानों के संबंध में ऐसे आदेश क्यों जारी किये गये हैं ?

उप-मंत्री, नगर विकास न्यास (श्री मुल्क राज थिंद): (1) जी नहीं। (2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे आदेश किसी भी न्यास को जारी नहीं किये गये हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है कि इस एग्रीमेंट की अवधि 31-3-79 को पूरी होने वाली है ?

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह 48 में भारत सरकार ने बसाने के लिए स्टाल दी थी। राज्य सरकार के आदेशों द्वारा जो स्टाल हैं वह वेस्ट हो गयी नगर विकास न्यास में और उसके आधार पर नगर विकास न्यास ने सोसाइटी को निवेदन किया कि जो भारत सरकार एग्रीमेंट करना चाहती है वह आकर कीजिये। उनके तीन-चार बार लिखने के बाद सोसाइटी वाले नहीं आये तो यू० आई० टी० ने राज्य सरकार को लिखा। राज्य सरकार ने 27-12-69 को आदेश दिया है कि इस मामले को जल्दी निपटाया जावे।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जो स्टाल्स को-आपरेटिव सोसाइटी है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ऐसा माननीय मंत्री महोदय कहते हैं तो मैं सदन की मेज पर रखता हूं कि सोसाइटी वालों ने 6-12-69 को जवाब दिया है : "To,

The chairman
Urban Improvement Trust,
Ajmer.

I respectfully submit that this has reference to your letter No. IT/VI-B/cabin/3F/4982 dated 28-10-69........

Secretary, Ajmer."

उसके बाद मैं जवाब दिया वह मैं सदन की मेज पर रखता हूं। उन्होंने साफ लिखा है कि हमने तय कर दिया है कि 1.12 पैसे जो

Page No 19

(श्री भगवानदास शास्त्री)

आप जमीन की रेन्ट लेते हैं उसको अगर बढ़ाना चाहें तो उसमें आप 20 परसेन्ट बढ़ाकर हमसे ले लीजिये। बाकी जब तक 1979 नहीं आया है तब तक हमसे हैंड-ओवर नहीं करा सकते और इस पर कोई रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स लागू नहीं होते हैं। क्योंकि विस्थापित हैं और 49 से वह बैठे हुए हैं। यह सही है कि मलवा की रकम शरणार्थियों ने खुद खर्च करके बनाया है।

श्री मुल्कराज थिंद : मैंने निवेदन किया कि यू० आई० टी० ने जानकारी दी है उसके आधार पर हमारी राज्य सरकार ने 27-12-69 को ये आदेश दिये हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाये क्योंकि यह 48 से शरणार्थियों को बसाने का था। जो माननीय सदस्य ने और जानकारी दी है मैं उसको प्राप्त करके इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोयल।

मुख्य मंत्री सहायता कोष

78. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष का निर्माण कब किया गया ?

(2) इसमें अब तक कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ ? कृपया वर्षवार आंकड़े देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इसमें राजस्थान के बाहर से भी पैसा जमा हुआ है ? अगर हां, तो कितना-कितना ? वर्षवार आंकड़े देने का कष्ट करें।

(4) 68 व 69 के वर्ष में अब तक अकाल सहायता के निमित्त कितना रुपया राजस्थान व बाहर से जमा हुआ ?

(5) अब तक इसमें से राशि कबकब कितनी-कितनी व किस-किस कार्य पर व्यय की गई ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) (1) राजस्थान मुख्य-मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष का निर्माण अक्तूबर, 1968 में किया गया है।

(2) उक्त कोष में नवम्बर, 1969 के अन्त तक राजस्थान एवं भारत के विभिन्न भागों से कुल रु० 45,00,003-95 न०पै० की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्षवार सूची (क) संलग्न कर प्रेषित की गई है।

(3) जी हां, उक्त कोष में राजस्थान से बाहर के प्रदेशों से भी रु० 11,13,413-64 न० पै० की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्षवार सूची (ख) संलग्न है।

(4) प्रश्न का उत्तर आइटम (2) व (3) में दिया जा चुका है।

(5) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में एकत्रित धनराशि में से अब तक (28-2-70) तक कुल रु० 34,08 033-35 की धनराशि अकाल एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ स्वीकृत की गई है। सूची (ग) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 20

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह खण्ड (4) के अन्दर आपने उत्तर दिया है•••

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। यह जो प्रश्न पूछा गया है उसमें सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है तो इसके मायने यह है कि मंत्रीप्रवर से जो उत्तर दिलाया गया है उसके द्वारा सदन को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। सूची प्रश्नकर्ता को दे दी है उससे पूरे सदन की कार्यव ही नहीं माना जाना चाहिए कि उत्तर (ख) में दे दिया गया है या सूची (ब) में दे दिया गया है। इसलिए पूरा उत्तर करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑडर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे प्रश्न के खण्ड•••

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष-जी, मेरे इस प्रश्न पर क्या व्यवस्था रही ?

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था नहीं। प्रश्नोत्तरकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। यह जानकारी का प्रश्न है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो क्या इसको अव्यवस्था माना जाय ? क्या आप इसको पसन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था नहीं तो क्या अव्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : आप समझ लें। आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बड़ी भयावह स्थिति है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न के खण्ड (4) में यह उत्तर दिया है कि राजस्थान के बाहर से भी पैसा प्राप्त हुआ है तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राजस्थान के बाहर से जो पैसा आया है उसमें से कितना रुपया स्वयं मुख्य मंत्रीजी जाकर लेकर आये हैं और कितना रुपया ऐसा है जो वहां से जयपुर में प्राप्त हुआ है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके डिटेल्स इसमें नहीं है क्योंकि प्रश्न में यह पूछा गया है कि बाहर से कितना रुपया जमा हुआ है और यहां राजस्थान में कितना जमा हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : महाराष्ट्र से जो पैसा प्राप्त हुआ है तो क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि नैनमल से कितना रुपया राजस्थान सरकार को इस कोष में प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग से प्रश्न होते हुए भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इस कोष के अन्दर एक भी पैसा उसका नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह दूसरा कोष है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : नैनमल के साथ होटल में मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री-जी ने फोटो खिचवाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितना रुपया जमा हुआ है इसका जवाब दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गड़बड़ घोटाला कोष में कितना है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री अकाल सहायता कोष में नहीं आया है वह गड़बड़ घोटाला कोष में आया है।

गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : वह आपके यहां घुसा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस अकाल सहायता कोष के लिए सन् 68 व 69 में मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं ने बम्बई और कलकत्ता की विशेष रूप से बार-बार यात्राएं की हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं। अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बंगाल की आपने अनेक बार यात्राएं की हैं उस समय में जो रुपया जमा हुआ है यह कुल मिलाकर सन् 69 में 1,029 रुपया है। इससे ज्यादा तो आपके किराये भाड़े में ही खर्च हो गया है। आप वहां पर अकाल सहायता कोष में रुपया इकट्ठा करने गये थे या शादी विवाह में गये थे ? मेरे पास तस्वीरें हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां बताइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ज्यादातर खासतौर से बाहर कलकत्ता, बम्बई और कुछ जगह जो मैं दौरे पर गया था तो चन्दा एकत्रित करने का भी उसमें क्रम था। बम्बई में खासतौर से गौ सेवा संघ वालों ने और राजस्थान रिलीफ सोसाइटी नाम की संस्था है उनकी तरफ से बहुत से आयोजन थे और जो भी धनराशि वहां पर बहुत सी एकत्रित की गई वह ज्यादातर इन संस्थाओं के पास में ही रही है। उसी प्रकार से कलकत्ते में जो धनराशि एकत्रित हुई है उसमें ज्यादातर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी जो वहां पर काम करती थी उस क्षेत्र में उसके पास गई है। उन लोगों का मुख्य प्रयोजन इसके बारे में यह रहता था कि एक वातावरण बनाकर वहां की संस्थाओं के जरिये खास-तौर से गायों के क्षेत्र में जो काम कर रही है उनके लिये किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में रजाइयां, कम्बल या बनियान और गर्म कपड़े बांटने के लिये राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था और रुपया भी दिया गया था परन्तु वह दूसरों के द्वारा क्यों बांटी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सही है कि स्पीकर महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं फिर यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से एक लाख और दुबारा 53,270 रुपये महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर के माध्यम से रजाइयां बनाई हैं, बंटवाई गई हैं और भुगतान करने का क्या सवाल खड़ा होता है ?

Page No 22

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह से समस्यायें सामने आई थीं तो इन समस्याओं के सामने आने की वजह से इन संगठनों के जरिये रजाइयां बनवाकर जल्दी से जल्दी उन स्थानों को भेजी गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का दफ्तर यहां जयपुर में है और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसमें अकाल सहायता मन्त्री, वित्त मन्त्री, जन-प्रतिनिधि हैं और उनका एक संगठन राजस्थान भर में है। इस सुसंगठित संस्था के माध्यम से रजाइयां न बंटवा कर यह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से इसको चलाया गया है जिनकी कोई ब्रान्च राजस्थान में नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस वक्त जल्दी से जल्दी किसी प्रकार से बनवाई गई हैं और महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर के माध्यम से बनवाई गई हैं और बनवा कर जहां जहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना आवश्यक था वहां पर पहुंचाई गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके द्वारा बनवाया गया है या वितरण का काम भी इनके जरिये किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वितरण करने का काम जिला अधिकारियों और दूसरों के जरिये कराया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में रजाइयां नहीं बनी है उन्होंने ठेके से बनवाई हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मसला है।

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे संबंध नहीं है। अकाल सहायता कोष के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आठ रुपये की रजाइयां 18 रुपये में बन रही हैं...

श्री अध्यक्ष : आरर्ड प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इन्कन्वीनियन्स हो रही है।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो इन्कन्वीनियन्स नहीं हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Because the General Manager happens to be the son-in-law of the Chief Minister, so I must be debarred from asking the question.

श्री अध्यक्ष : I don't know about it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You know already about it. And you now so many things that even I do not know.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि महालक्ष्मी मिल्स...

Page No 23

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात हुई कि जब कभी भी मुख्य मन्त्री के रिश्तेदारों का मामला आता है आसन उठ खड़ा होगा।

श्री अध्यक्ष : आप ख्वामख्वाह आरोप लगा रहे हैं। आसन बैठा हुआ है। आसन को जब कभी भी इन्क्रीमिनेट कर देते हैं और फल निकालते हैं उस पर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो महालक्ष्मी मिल्स से रजाइयां बनवाई गई हैं और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से बनवाई गईं हैं उन दोनों की रेट एक थी। जल्दी से जल्दी उनको बनवाने का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : श्री कृषि मन्त्री।

पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के उपयुक्त फसलों के लिए तैयार किये गये बीज

79. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा एवं जलवायु के उपयुक्त फसल मूंग, मोठ, तिल, बाजरा और गंवार के संकर बीज तैयार किये गये हैं जो कि कम समय और कम वर्षा में भी फसल दे सकें ?

(2) यदि हां तो बायतु और बालोतरा (जिला बाड़मेर) पंचायत समिति क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में ऐसे बीज कहां कहां और कितनी मात्रा में वितरित किये गये ?

(3) यदि नहीं तो क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ऐसे बीज तैयार करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है अथवा विचार है।

(4) क्या इन फसलों के अतिरिक्त अन्य कृषि फसलें ऐसी ही जलवायु और भूमि पर अन्य देशों में उगाई जाती हैं ?

(5) क्या कूरी और चणा जैसे मोटे अनाज जो 10-20 वर्षों पूर्व प्रचलित था पुनः प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन पर अनुसन्धान किया जा रहा है अथवा किये जाने का कार्यक्रम है ?

उपमन्त्री कृषि (श्री हरीसिंह) : (1) उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए संकर बाजरा का बीज तैयार किया जा चुका है जिसका वितरण इस क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से बराबर हो रहा है। और अन्य फसलों जैसे मूंग, मोठ, तिल व गंवार पर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है।

(2) पंचायत समिति बायतू और बालोतरा में संकर बीजों का पिछले तीन वर्षों में जो वितरण किया गया है उसकी तालिका संलग्न है।

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अधिक उपज देने वाले मूंग, मोठ, तिल व गंवार के बीज तैयार करने का कार्यक्रम है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

(5) चने के ऊपर अनुसन्धान कार्य चल रहा है। कूरी पर कोई अनुसन्धान आरम्भ नहीं किया गया है।

(सूची सरकार से प्राप्त नहीं हुई)

Page No 24

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि संकर बाजरे की जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। वर्षा कम है, वहां 3 वर्षों में बाजरे का क्या परिणाम सामने आया है?

दूसरा प्रश्न यह है कि भाग 5 में बताया है कि कूरी पर अनुसन्धान कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री हरीसिंह : उसमें कोई विशेष फूड वैल्यू नहीं है। इसमें जहां हाई ब्रिड का सवाल है, वह संकर बाजरे के द्वारा उस एरिया को किया जाना चाहिए। इसका बराबर प्रयत्न किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : परिणाम क्या रहा है?

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के इलाके में लाल बाजरे की खेती हो रही है। उसमें फूड वैल्यू कम है। उससे तो वह अच्छा रहेगा।

श्री हरीसिंह : कूरी पर कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है। वह कम फूड वैल्यू के अन्दर आता है। फसल अच्छी हो सकती है। इसकी फूडवैल्यू के सम्बन्ध में रिसर्च इन्स्टीट्यूट में देख रहे है। इसी तरह से सुमेरपुर में जो इस तरह की फूड ग्रेन्स हैं उन पर कार्य चालू है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : संकर बाजरे का क्या परिणाम रहा है?

श्री हरिसिंह : जोधपुर जिले में 69-70 में 13500 एकड़ में बाजरा किया गया। जैसलमेर में 4609 एकड़। उसकी डिमांड भी बढ़ रही है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो एरिया बताया है। संकर बाजरा अफेक्टेड एरिया में हो सकता है? वह ज्यादा से ज्यादा सिंचित किया गया था या असिंचित था?

श्री हरिसिंह : हाईब्रिड में जितना ज्यादा पानी देना पड़ता है, वह ठीक परिणाम नहीं आ सका है। वैसे जहां असिंचित है और जहां कम रैनफाल है, वहां नहीं हो सकता है।

श्री दिग्विजयसिंह : इस तरह तो जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया है, आपके बाजरे के बजाय कूरी में पानी कम चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : कूरी पर 70-71 में अनुसंधान कर लेंगे। जो परिणाम होंगे बता देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, कूरी की खेती राजस्थान में इतनी पुरानी चली आ रही है। आप अनुसंधान की बात चला रहे हैं। उस पर क्यों नहीं ध्यान दीजिये। अनुसंधान की आवश्यकता क्या है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नेता महोदय ने अभी प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले ही प्रश्न समाप्त हो गये हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं तो प्रश्न उठाता हूं। इस सदन में यह व्यवस्था रही है कि प्रश्नोत्तर काल 1 घण्टे का होता है। लेकिन 57½ मिनट में समाप्त कर दिया है। विरोधी दल के नेता का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे याद है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप सदन में 5 मिनट नहीं 6 मिनट लेट पधारे थे।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट लग गया है। आप सदन का और समय खराब कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप बिना हल चलाए कूरी की खेती कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे दें कृषि मंत्रीजी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह खेती हमेशा से होती रही है। आपको पता नहीं है।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 26 जिले हैं। 26 जिलों में बहुतसी फसलें हैं रबी और खरीफ की फसलें इसलिए सब खाद्यान्नों पर अनुसन्धान नहीं हो पाय। है कूरी पर अनुसंधान के लिए अगले वर्ष 70-71 में कर लिया जाएगा और जो परिणाम होंगे, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : Rose is burning and Niroes are fiddling आप कब तो सुविधा करेंगे। अब करेंगे या कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन

95. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में देश की आजादी के लिये लड़ने वाले कितने राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा मासिक पैन्शन के रूप में सहायता दी जा रही है उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा सिंचाई एरिया में राजनैतिक पीड़ित होने के कारण मुरब्बे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले में व किस-किस व्यक्ति को कब-कब और कितने दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

भूतपूर्व जोधपुर रियासत के सैनिक

96. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भूतपूर्व रियासत जोधपुर में सरदार इन्फेन्ट्री से जिन जाट सैनिकों को तत्कालीन राजाशाही सरकार ने राजद्रोही कह कर सैनिक सेवा से हटाया गया था, उनको राजनैतिक पीड़ित माना जाने हेतु कोई निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि निर्णय नहीं हुआ है तो कब तक इस पर निर्णय होगा ? इस सम्बन्ध में जो भी मांग या प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है, उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अध्यक्ष, राजस्थान अवकाश प्राप्त सैनिक संघ का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया था कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के सरदार इन्फेन्ट्री के जिन सैनिकों को तत्कालीन सरकार ने हटा दिया था, उन्हे राजनैतिक पीड़ित मानना सम्भव नहीं, क्योंकि वे राजनैतिक पीड़ित सहायता नियमों के अन्तर्गत नहीं आते। अब यह विषय पुनः सरकार के विचाराधीन है। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले

97. श्री देवीदत्त गाड़िया (दारां): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान में सन् 1966-67 से 69-70 में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं ? उनमें से कितने निलम्बित व बरखास्त किये गये तथा कितनों के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्मे चल रहे हैं, तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध कितने समय से जांच चल रही है ?

(स्थगित किया गया)

राष्ट्रीय त्यौहारों पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराना

98. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोई सरपंच, प्रधान जन-प्रतिनिधि व नागरिक 26 जनवरी व 15 अगस्त के राष्ट्रीय त्योहारों पर अपने मकान, जीप, कार व बैल गाड़ी पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकता है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त त्यौहारों के दिनों में किसी व्यक्ति को अपनी जीप, कार व मकान आदि पर झंडा लगाने से रोका गया ? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें सरकार के पास पहुंची ?

उत्तर

26 जनवरी व 15 अगस्त के राष्ट्रीय त्यौहारों पर सरपंच, प्रधान, जन प्रतिनिधि व नागरिक अपने मकानों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, परन्तु उपरोक्त अवसरों पर जीप, कार इत्यादि पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते। इस नियम की अवहेलना करने की कोई शिकायत राज्य के समक्ष अब तक नहीं आई है।

Page No 27

मंत्रियों की ऐच्छिक अनुदान की राशि

99. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान के मन्त्रियों ने ऐच्छिक अनुदान की मद में कितनी कितनी रकम प्राप्त की ?

(2) क्या इस रकम के व्यय का हिसाब एकाउन्टेन्ट जनरल को दिया जाता है ?

(3) अब तक गत पांच वर्षों में किस-किस मन्त्री ने यह रकम किस प्रकार खर्च की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान के मंत्रियों को ऐच्छिक अनुदान की जो राशि आवंटित की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(2) जी हां।

(3) मंत्रियों द्वारा प्रसारित की गई व्यक्ति। संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सुपरिन्टेन्डेन्ट बागात के विरुद्ध कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल

100. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर में 1965-66 में सुपरिन्टेन्डेन्ट बागात श्री लक्ष्मीधर बृजवासी के विरुद्ध एक कर्मचारी ने भूखहड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठने वाले निर्मल कुमार को यह आश्वासन दिया था कि वह आरोपों की पूर्ण जांच करायेगी ?

(3) क्या यह जांच पूरी हो गई है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं किन्तु जांच कराई गई थी।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा एवं विभागीय जांच कराई गई कोई दोषी नहीं पाया गया।

अधिशाषी व सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची

101. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची अलग अलग से दोनों प्रकार के अभियन्ताओं की ता० 1-1-62 को किस क्रम से की एवं क्या इस वरिष्ठता क्रम में बाद में परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस व्यक्ति के लिये ?

(2) दिनांक 1-1-65 से कब-कब किन अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ताओं को

(श्री रामसिंह कुड़ी)

पदोन्नत किया गया है ? तारीख 1-1-65 1-1-66, 1-1-67 व 1-1-68 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूचियां सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-62 को सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशाषी अभियन्ता की वरिष्ठता सूची क्रमश 'अ' व 'ब' संलग्न है। 28-5-65 को परिवर्तन किया गया। श्री इन्द्रदत्त भार्गव जो पहले क्रम संख्या 6 पर थे वे क्रम संख्या 8 पर आ गये।

(2) दिनांक 1-1-65 से अब तक जो अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया उनकी सूची क्रमशः 'स' एवं 'द' संलग्न है। अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची, दिनांक 1-1-65 के बाद की सूची 'प' संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

लालसोट तहसील में बिनोरी नहर पर पुल की स्वीकृति

102. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि लालसोट तहसील मे बिनोरी (दक्षिण सागर बांध) की नहर पर पुल बंधवाने की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

(स्थगित किया गया)

घाटोली ग्राम पुलिस स्टेशन

103. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) घाटोली ग्राम से पुलिस स्टेशन भालता कब एवं किसलिये बदला गया था ?

(2) क्या यह सही है कि भालता ग्राम में आवागमन का कोई साधन नहीं है, पक्की रोड़ नहीं है और लोगों को रिपोर्ट लिखाने जाने में बड़ी परेशानी होती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि घाटोली एवं उसके आस-पास के पचासों ग्रामवासी यह चाहते हैं कि उक्त थाना पुनः घाटोली भेजा जावे और इसी आशय की पुष्टि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, अकलेरा, एस. पी., झालावाड़ एवं डी. आई. जी. ने भी की है ?

(4) जनता की सहूलियत के लिये व्यवस्था एवं कानून की उचित पालना के लिये भी उक्त पुलिस स्टेशन को बदलने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ ने 1958 में भालता ग्राम में एक नया थाना स्थापित करने की सिफारिश की थी क्योंकि भालता ग्राम मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित है और वहां थाना होने से मध्यप्रदेश के जरायम पेशा

(श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा)

लोगों का आना जाना चैक किया जा सकता है। एस० पी० की इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एन्क्वायरी सब-कमेटी सन् 1962 की सिफारिश पर, राज्य सरकार के आदेश से सन् 1962 में पुलिस थाना ग्राम घाटोली से ग्राम भालता में बदला गया था।

(2) ग्राम भालता फेयर वेदर रोड से जुड़ा हुआ है।

(3) ग्राम वासियों की ओर से तो कोई मांग इस प्रकार की राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झालावाड़ ने पुलिस महानिरीक्षक जी को दिनांक 24-1-70 को जरूर घाटोली में भी थाना कायम करने की सिफारिश की है।

(4) पुलिस महानिरीक्षक जी से सिफारिश प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

छुआछूत निवारण कानून के तहत दर्ज मामले

101. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के हर जिले में सन् 69 में कितने केस छुआछूत निवारण कानून की तहत दर्ज हुए उनमें से कितने अदालतों को भेजे गये, कितनों में सजाएं हुई व कितने खारिज हुए? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि पुलिस छुआछूत सम्बन्धी केस दर्ज नहीं करती है और करती है तो केस को इतना कमजोर बनाकर अदालत को देती है कि वह अक्सर खारिज हो जाते हैं?

(स्थगित किया गया)

गलता में डूबकर मरने की घटनाएं

105. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के धार्मिक स्थान गलता में हर साल कितने आदमी डूब कर मरते हैं? गत पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इस स्थान पर होने वाली मौतों को रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के धार्मिक स्थान गलता में 1965 में 2, 66 में 1, 67 में 7, 68 में 6, 1969 में 6, आदमी डूब कर मरे हैं।

(2) गलता में स्नान का धार्मिक महत्व है और यह सार्वजनिक स्थान भी है। जहां किसी का जाना रोका नहीं जा सकता। अतः ऐसे स्थान पर आने जाने से किसी को रोकने हेतु कोई विशेष योजना बनाना संभव नहीं है।

कृषि यंत्रालय जयपुर को कलकत्ता की फर्म द्वारा अलाट किया गया कोटा

106. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि यंत्रालय जयपुर को एग्रीकल्चर कोटा कन्ट्रोल आइरन एण्ड स्टील,

Page No 30

(श्री श्रवणलाल)

कलकत्ता द्वारा किस-किस वर्ष में किस-किस किस्म का कितना कितना कोटा एलॉट हुआ था और उसका वितरण किस-किस एजेन्सी के द्वारा कब-कब, कितना-कितना किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कोटे में से कृषि यंत्रालय जयपुर ने किस-किस वर्ष में कितना-कितना आइरन एण्ड स्टील किस-किस कीमत पर खरीदा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कोटे में से किस-किस वर्ष में कितना-कितना किस-किस कार्य में लिया गया है ? प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना शेष रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. कृषि यंत्रालय जयपुर को आइरन एण्ड स्टील का कोटा कलकत्ता की फर्म द्वारा निम्न प्रकार से अलाट हुआ था।

वर्ष	किस्म	कोटा सर्टीफिकेट नं०	मात्रा
65-66	(i) कोल्ड रोल्ड शीट 1.6 मि.मि. मोटी विभिन्न साइज की	एस.आर./स्क्रेप/11/ए. 14	लगभग 16.48 टन
	(ii) ,,	(म) 65-5740/दि० 19-8-65 एस आर./स्क्रेप/11/ए-14	,,
		(म) 56/6553 दिनांक 23-9-65	
66-67	(i) प्लेट 7 मि.मि. से 10 मि.मि. मोटी विभिन्न साइज की।	एस. आर./स्क्रेप/13/ए 14 (म)/66-6715 दि० 28 8-66	लगभग 25 टन
	(ii) बी.पी. शीट 16-20 गेज	आर. जे/1/120029 दि० 24-8-66	122 टन
	(iii) 8 मि.मि. से कम मोटाई की प्लेट	,,	41 टन

(कृषि मन्त्री)

67-68 (iv) बी.पी. शीट 16 गेज एवं इससे ज्यादा — ए. एल./190/स्टेट/67-68 दि० 6-12.67 — 150 टन

इसका विवरण निम्न प्रकार किया गया

नाम एजेन्सी	वर्ष	किस्म	मात्रा
(i) मैसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड कं० एस.एम. एस. हाइवे, जयपुर	1966	कोल्ड रोल्ड शीट 1·6 मि०मि० मोटी विभिन्न साइज की	92·96 टन
(ii) राधाबल्लभ एंड सन्स त्रिपोलिया बजार, जयपुर	1966	बी.पी. शीट 16 से 20 गेज	122 टन
(iii) ,,		8 मि.मि. से कम मोटाई की प्लेट	41 टन
(iv) मैसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड कं० नं० एस० एम० एस० हाइवे, जयपुर	1967	प्लेट 7 मि.मि. से मोटी विभिन्न साइज की	25 टन
(v) राधा बल्लभ एण्ड सन्स त्रिपोलिया बजार, जयपुर	1968	बी. पी शीट 16 गेज व इससे ज्यादा	150 टन

2. कृषि मंत्रालय द्वारा निम्न प्रकार से आइरन एवं स्टील खरीदा गया था :—

वर्ष	किस्म	मात्रा खरीदी गई	दर
जुलाई, 1966	कोल्ड रोल्ड शीट 1.6 मि.मि. मोटी विभिन्न साइज की	1 वैगन	यह सारा सामान जे. पी. सी. II कॉलम के दरों पर खरीदा गया था
अगस्त, 1966	,,	1 वैगन (24 टन)	
अप्रेल, 1967	,,	1 वैगन (24 टन)	

Page No 32

(कृषि मन्त्री)

मई, 1967	कोल्ड रोल्ड शीट 1,6 मी.मी. मोटी विभिन्न साइज की	1 वैगन (24 टन)
मार्च, 1967	8 मि.मि. से कम मोटाई की प्लेट	21 टन
जनवरी, 1968	7 मि.मि. से 10 मि.मि. मोटाई की प्लेट विभिन्न साइज की	25.135 टन
नवम्बर, 1968	8 मि.मि. से कम मोटाई की प्लेट	10 टन
दिसम्बर, 1968	,,	10 टन

3. उपरोक्त सामान को उन्नत कृषि यन्त्रों के निर्माण के लिये लिया गया। प्रत्येक वर्ष में कितना कितना कार्य में लिया गया व कितना कितना शेष रहा इस की सूची (ब) पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

काश्तकारों को दिये गये ट्रैक्टर

107. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सन् 1968 में कुल कितने काश्तकारों को ट्रेक्टर दिये गये हैं ? ये ट्रेक्टर किन किन जिलों के किस किस गांव के रहने वाले काश्तकारों को दिये गये हैं जिन काश्तकारों को दिये गए हैं उनका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, आय के विवरण आदि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ट्रेक्टरों को लेने के लिए काफी तादाद में काश्तकारों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं ? यदि हां, तो प्रस्तुत किये हुए प्रार्थना-पत्रों की संख्या, प्रार्थी के नाम, जाति, पिता का नाम, निवास स्थान के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्रों के नम्बरों की रद्दोबदल करने की काफी शिकायतें काश्तकारों की ओर से आई। यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें की गई व किसके द्वारा ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान केनाल पर अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का आवंटन

108. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल पर अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को आवंटन हेतु एक लाख एकड़ जमीन सुरक्षित रखी थी ?

Page No 33

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) यदि हां, तो उक्त जमीन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया नाम वार सूची सदन में रखें।

(3) उक्त आवेदन-पत्रों में कितने मन्जूर किये गए और कितने निरस्त किए गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) आवेदन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख कौन सी थी।

(5) क्या अनुसूचित जाति के प्रार्थी अब भी प्रार्थना-पत्र पेश कर सकते है ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक

109. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बांसवाड़ा सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक ने कब से कार्य आरम्भ किया व प्रारम्भ से 1968-69 तक इस बैंक द्वारा कुल कितना लेनदेन हुआ ? वर्षवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की नियमित वसूली नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो ऋणी समितियों, व्यक्तियों की सूची प्रथम ऋण लेने की तिथि व वर्तमान बकाया के तथा अन्तिम किश्त जो जमा कराई गई के दिनांक सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस बैंक का दर्जा धीरे धीरे घटता जा रहा है ? यदि नहीं तो विगत 5 वर्षों में इसकी गणना किस किस श्रेणी के बैंकों में की जाती रही है ? वर्तमान में किस किस श्रेणी में गिना गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं व सरकार द्वारा इसे स्तर पर लाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सहकारिता मन्त्री :— सूचना एकत्रित की जा रही हैं। प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रखी जावेगी।

(स्थगित किया गया)

रैयत टैनेन्ट कलेक्टिव फार्मिंग सहकारी समिति

110. श्री **पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) ग्राम बीजापुर, तहसील बाली की रयत टेनेन्ट कलैक्टिव फार्मिग सहकारी समिति के अधिकार में कितनी भूमि है ?

(2) उक्त सहकारी समिति के अवसायन के आदेश किस किस तारीख को हुए और अवसायक को चार्ज किस तारीख को मिला ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा उक्त भूमि का अनधिकृत रूप से कब्जा रखने एवं लाभ उठाए जाने सम्बन्धी कोई शिकायत ए०आर०, पाली को अथवा सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(श्री पृथ्वीसिंह)

(4) क्या सरकार उक्त भूमि का आवण्टन बीजापुर के भूमिहीन काश्तकारों अथवा सहकारी समिति के भूमिहीन सदस्यों को करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो आवन्टन कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) बीजापुर रैयत (टीनेन्ट) कृषि सहकारी समिति लि० के अधिकार में 216 बीघा 4 विस्वा जमीन है।

(2) उक्त सहकारी समिति के अवसायक के आदेश दिनांक 3-5-67 को हुए थे, अवसायक को समिति के रेकार्ड का चार्ज नहीं मिल पाया था, बल्कि समिति की मिडियस का चार्ज पुलिस की मदद से अवसायक ने दिनांक 4-3-69 को अपने अधिकार में लिया ।

(3) जी हां, उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई । इस पर सहायक रजिस्ट्रार द्वारा संबन्धित निरीक्षक कृषि से इस बारे में जांच कराई गई जांच के दौरान पाया गया कि समिति के कुछ सदस्यों ने जमीन को काबिले काश्त बनाने के लिए करीबन 4 ट्रक लकड़ी काटी थी समिति के सदस्य की रमजान के अधिकार से हैं। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि इस लकड़ी को जब भी जहां भी मांगा जायेगा, पेश कर दिया जायेगा । समिति की जमीन अवसायक द्वारा अपने कब्जे से ली जाकर स्थानीय सरपंच को सुपुर्दनामा करके सारी जमीन फसल सहित उन्हे सौंप दी गई थी एवम् सल की निगरानी के लिये एक चौकीदार की नियुक्ति करदी गई थी । अध्यक्ष द्वारा जबरन फसल काटने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा चुकी हैं ।

(4) उक्त समिति ने जब पुनर्जीवित होने की मांग की हैं । जिस पर अवसायक की रिपोर्ट चाही गई । अवसायक ने समिति के पुनर्जीवित करने के पत्रादि पेश कर दिये हैं तथा अब समिति पुनर्जीवित हो चुकी हैं तथा समिति को तब निर्धारित प्रबन्धकारिणी को चार्ज दिलाया जा चुका है । अतः भूमि के फिर से आवंटन का प्रश्न ही उठता ।

झालावाड़ भूमि बन्धक बैंक द्वारा कृषकों को ऋण

111. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :

(1) झालावाड़ भूमि बन्धक बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी राशि कृषकों के ऋण के रूप में दी गई है ? तहसीलदार अथवा पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि बैंक कार्यालय में लोगों की सैकड़ों दरख्वास्तें विचारधीन है किन्तु उन्हें ऋण प्राप्त नहीं होता ?

(3) क्या यह सत्य है कि बैंक में प्रोपर्टी असेसमेन्ट आफिसर नहीं है इसलिये कागजात तैयार होने में विलम्ब होता है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कृषकों को पटवारी एवं कानूनगो आदि से खाते की नकल प्राप्त करने में 50), 50) रुपया व्यय करना पड़ता है ?

Page No 35

(श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा)

(5) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समितियों से तकावी वितरण की समाप्ति के उपरान्त जिले में 100 कुओं का भी भूमि बन्धक बैंक के ऋण द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ भूमि विकास बैंक द्वारा अब तक 561 कृषकों को 1366225 रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई है तहसील वार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) बैंक में अब तक 66 पत्रिकाएं विचाराधीन हैं जिन पर नियमानुसार जांच या अन्य कार्यवाही चल रही है।

(3) विभाग द्वारा भूमि मूल्यांकन अधिकारी की सेवाऐ बैंक में उपलब्ध है।

(4) विभाग या बैंक को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(5) पंचायत समितियों से तकावी वितरण समाप्त होने के पश्चात बैंक द्वारा 184 नये कुओं के निर्माण हेतु तथा 65 पुरानें कुओं की मरम्मत हेतु कुआ वितरण किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बीकानेर जिले की कृषि सहकारी समितियां

112. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) बीकानेर जिले के किस किस गांव में कितनी कृषि सहकारी समितियां गठित की गई ? इनके पदाधिकारियों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या बीकानेर जिले में किसी कृषि सहकारी समिति को खेती के लिये कोई ट्रेक्टर आदि दिया गया है ? यदि हां, तो किस समिति को दिया है व कितने ? सूची सदन की मेज पर रखनें की कृपा करें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 5 सहकारी कृषि समितियां हैं। इनके नामों की सूचना व पदाधिकारियों के नामों की सूचना परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समितियों का रजिस्ट्रेशन

113. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में केकड़ी व केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं और किस किस ग्राम में हैं ? उनका रजिस्ट्रेशन कब कब हुआ और उनके अध्यक्ष और सचिव कौन कौन हैं ? पूर्ण विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों की निजी पूंजी कितनी हैं और राज्य सरकार का ऋण कितना है ? सन् 1969-70 के आंकड़े सदन में रखें।

Page No 36

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(3) उक्त सहकारी समितियों में से कितनी लिक्विडेट हो चुकी हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनका रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त सहकारी समितियों का रेकार्ड किसने गायब किया और उसके ऊपर डिपार्टमेन्ट की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के केकड़ी व केकड़ी पंचायत समिति में 117 सहकारी समितियां हैं। इन सहकारी समितियों का जिस नम्बर व तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है व इनमें जो जो अध्यक्ष सचिव हैं, के बारे में सूचना (परिशिष्ट 'क') संलग्न हैं।

(2) इन सहकारी समितियों की निजी पूंजी 7,33,985) रुपये हैं। इन समितियों दर राज्य सरकार का ऋण 65,350) रुपये है तथा वर्ष 69-70 अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(3) इन सहकारी समितियों में से केवल 17 सहकारी समितियां अवसायन में है। जिनकी नामवार सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) इस क्षेत्र में केवल 9 ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनका रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। इन समितियों में से 6 समितियां तो अजमेर राज्य के समय से ही रजिस्टर्ड हैं और सब अवसायन में हैं। रेकार्ड के अभाव में यह भी मालूम नहीं हो सका है कि इनके पदाधिकारी कौन हैं जिनको अनुपलब्ध रेकार्ड के लिये जिम्मेदार ठहराया जासके। इनके बारे में पुराने रेकार्ड से जानकारी करने की कोशिश की जारही है। शेष 3 समितियां 1958 में रजिस्टर हुई थीं वो भी अवसायन में लाई जा चुकी हैं तथा अनुपलब्ध रेकार्ड की जिम्मेदारी कायम करने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आर्थिक सहयोग

114. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार किस किस होम्योपैथिक चिकित्सालयों को कितना कितना आर्थिक सहयोग दे रही है ?

(2) राज्य सरकार कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय चला रही है और कितने नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(3) राज्य सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण आदि कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या नीति अपना ली है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(4) बाड़मेर होम्योपैथिक चिकित्सालय के अनुदान आवेदन-पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

Page No 37

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार 8 होम्योपैथिक चिकित्सालय चला रही है जिसकी कि सूची संलग्न है, सरकार के पास सतासर चूरू में जनता की मांग होम्यपैथिक चिकित्सालय की प्रार्थना पर प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(3) भवन निर्माण क्षमता की ओर से प्रयत्न किये जाकर विभाग को दिये जाने हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में अर्थ संकीर-णता के कारण कोई पृथक प्रावधान नहीं रखा गया है।

(4) होम्योपैथिक औषधालय बाड़मेर नामक संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में माइन संख्या के क्रम में सम्मिलित करते हुये अस्थायी स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र केकड़ी की चार दिवारी पर खर्च

115. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र केकड़ी के कार्यालय के चारों ओर थोहर की जो चार दिवारी करवाई गई उस पर कुल कितना रुपया लगा ? क्या उक्त थोहर को कटवा कर लाने व उसको लगवाने के रुपये का भुगतान कर दिया गया ? अगर नहीं तो क्यों ? उक्त रुपये का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

थोहरकी चार दिवारी लगवाने में कुल 80/– रुपये खर्च हुए हैं जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवेक्षक केकड़ी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी। उक्त मामला जांच के लिए जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, अजमेर के कार्यालय में विचाराधीन है और जांच पूर्ण होने के पश्चात उक्त राशि का 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जावेगा।

राज्य में पशुओं की मृत्यु

116. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1968-69 तथा सन् 1969-70 में अकाल के कारण कितने पशु मरे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर राजकीय दुग्ध डेरी फार्म की बकाया

117. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर राजकीय दुग्ध डेरी फार्म द्वारा वितरण किए जाने वाले दूध व मक्खन आदि की रकम लोगों में बाकी है ?

(2) यदि हां, तो सन् 67-68, 68-69 एवं 69-70 में किस किस व्यक्ति व

Page No 38

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

विभागीय कर्मचारी पर कितना-कितना रुपया दूध व मक्खन आदि का बाकी रहा और कब-कब कितना कितना रुपया जमा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ऊन क्रय-विक्रय संबंधी रिपोर्ट

118. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि निदेशक, भेड़ व ऊन से दूसरे प्रान्तीय सरकारों ने राजस्थान में चल रहे ऊन क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगी थी ? यदि हां, तो कौन कौनसी प्रान्तीय सरकारों ने कब कब और उनको क्या क्या रिपोर्ट दी गई ? उक्त रिपोर्टों की प्रतियें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी नगर पालिका द्वारा जीप का क्रय

119. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले की केकड़ी नगरपालिका द्वारा जीप कब और कितने में खरीदी गई, उसको खरीदने हेतु कौन-कौन जयपुर गए, कितना-कितना यात्रा भत्ता उठाया और किस प्रस्ताव के तहत गये ? प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका केकड़ी को जीप खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

(3) जीप खरीदी गई उसी दिन जीप के नये पार्ट्स क्या-क्या खरीदे गए और कितने के खरीदे गए ? क्या पार्ट्स खरीदने का भी बोर्ड से प्रस्ताव था ? अगर हां तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जीप खरीदने की राज्य सरकार से स्वीकृति लेली गई थी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) दिनांक 20-6-69 तक जीप कितने माइल चल चुकी थी और दिनांक 31-12-69 तक कितनी चली ?

(6) क्या जीप को सार्वजनिक या व्यक्तिगत कार्य हेतु देने के लिए किसी प्रकार के नियम बने हुए हैं ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(7) जीप सार्वजनिक कार्य हेतु किस-किस को कब कब दी गई और उनसे क्या क्या चार्ज किया गया ?

(8) दि. 31-12-69 तक जीप पर कुल नये पार्ट्स, टूटफूट, मरम्मत और पैट्रोल आदि का कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जीप दिनांक 10-4-69 को 6,700 रुपयों में खरीदी गई। जीप खरीदने के लिए

(उत्तर)

जो व्यक्ति जयपुर गए और यात्रा भत्ता उठाया उसकी सूचना निम्न प्रकार है।—

नाम व्यक्ति जो जयपुर गया	यात्रा भते की रकम
श्री बृजकिशोर शर्मा, अध्यक्ष	27/90
श्री धनराज भंवर, सदस्य	27/90
श्री गणेश तेली, ,,	27/90
श्री देवीलाल बुराखिया, सदस्य	कुछ नहीं
श्री मुकुटबिहारी, लेखापाल	23/60
श्री मोहम्मद सद्दीक, मिस्त्री	14/80
कुल ..	122/10

प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव दिनांक 11-2-69 द्वारा आवश्यकता समझ कर खरीद की गई थी।

(3) जी हां, 487.25 पैसे के पार्ट्स खरीदे गये। पार्ट्स की सूची संलग्न है।

जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं राशि 20,000/- हजार से कम होने से जिलाधीश से स्वीकृति ले ली गई थी।

(5) दिनांक 20-6-69 तक 2951 मील 00 चली और इसके बाद दिनांक 10-12-69 तक 1410 किलोमीटर चली।

दिनांक 10-12-69 से जिलाधीश, अजमेर के आदेशानुसार जीप पंचायत चुनाव हेतु एवं अकाल सहायता कार्य हेतु सब-डिविजनल ऑफिसर, केकड़ी के कार्यालय में भेज दी गई।

(6) जी नहीं।

(7) सूचना संलग्न है।

(8) दिनांक 31-12-69 तक जीप पर कुल नये पार्ट्स, टूट-फूट, मरम्मत और पेट्रोल आदि पर 3780/30 पैसा खर्चा हुआ है।

सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सरकार द्वारा नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को अनुदान

120. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार ने किन-किन नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को किस-किस काम के लिए कितना-कितना अनुदान व कर्जा गत पांच सालों में दिया है और क्या वह समय पर उन्हीं कामों में खर्च किया गया है जिनके लिए दिया गया था? यदि हां, तो क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिए हैं या बाकी है? यदि बाकी है तो किस में और कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया।)

कृषि उपज चूंगी

121. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का इरादा है कि कृषकों द्वारा अपनी उपज बेचने के लिये मण्डियों में लाने पर जो नगरपालिकाएं चूंगी कर वसूल कर रही हैं उसको समाप्त किया जाये ? यदि हां तो यह कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान के अलावा कई दूसरे प्रान्तों में कृषि उपज चूंगी वसूल नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रान्तों में और कब-कबसे ?

उत्तर

(1) प्रश्न विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने चुंगी कर को समाप्त कर उसके बजाय टर्न ओवर टैक्स वसूल करने के संबंध में विधान सभा में विधेयक पेश कर दिया है।

(2) जानकारी प्राप्त नहीं है।

नगर सुधार न्यासों में अनुसूचित जाति के सदस्य

122. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने, नगर सुधार न्यास हैं ? इनमें से अनुसूचित जाति के व्यक्ति किन किन न्यासों में सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

(2) क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट अपलिफ्ट यूनियन की बीकानेर शाखा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा जयपुर से पार्लियामेन्ट्री कमेटी के समक्ष किए गए प्रतिनिधित्व पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1970 से राज्य सरकार के समस्त नगर सुधार न्यासों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो मनोनयन किन कारणों के आधार पर नहीं किया गया ? क्या सरकार का निकट भविष्य में मनोनयन करने का विचार है ?

(3) क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों की योजना व गैर योजना क्षेत्र में भूमि आवन्टनार्थ आरक्षित रखने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? क्या यह प्रतिशत न्यास के हर प्रकार के भूमि के आवन्टन पर लागू होता है ?

(4) क्या नगर सुधार न्यास बीकानेर की आवासीय व्यावसायिक भूखण्डों के आवन्टन व विक्रय की जयनारायण व्यास नगर व मुक्ताप्रसाद नगर योजना शार्दुलगंज योजना मोर्डन मार्केट स्कीम व स्टेन्डर्ड प्लॉट्स में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि जयनारायण व मुक्ताप्रसाद योजना नगर सुधार न्यास बीकानेर की विभिन्न श्रेणियों में भूखण्डों की संख्या अधिक व आवेदकों की संख्या कम होने के कारण अनुसूचित जातीय व्यक्तियों की भी जबरन कोर्ट में से एलाटमेन्ट किया गया जबकि अन्य सभी स्कीमों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(6) नगर सुधार न्यास बीकानेर में कुल कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि रामेश्वर पुत्र खेमाराम मेघवाल बीकानेर को जिला एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति का होने के कारण व सक्षम होने के कारण न्यास में 1½ माह की अवधि के लिए क्लर्क का कार्य कराने के बाद हटा दिया गया ? जबकि न्यास में रिटायर्ड कर्मचारी कार्य कर रहे हैं क्या उनके लिये विशेष स्वीकृति ली गई या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल ग्यारह नगर सुधार न्यास हैं जिनमें अलवर व चित्तौड़ में अनुसूचित जाति के सदस्य मनोनीत हैं।

(2) जी हां। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 में अनुसूचित जन जाति के एक सदस्य को नगर न्यास में मनोनीत करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। नगर न्यास अलवर व चित्तौड़ में अनुसूचित जाति का एक सदस्य मनोनीत है।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जन जाति के लोगों को प्रत्येक योजना में से 15 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। जी नहीं।

(4) जी नहीं। भूखण्ड केवल आवास हेतु ही आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों में से आरक्षित किये जाते हैं।

(5) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की इच्छानुसार इन योजनाओं में उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर ही उन्हें भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई है।

(6) नगर सुधार न्यास बीकानेर में सिर्फ एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी कार्य कर रहा है। श्री रामेश्वर मेघवाल को दैनिक वर्क चार्ज की हैसियत से रखा था। अन्य दैनिक वर्क चार्ज कर्मचारियों की तरह इन्हें भी कार्य समाप्त होने का पट्टा दिया गया था। परमानेन्ट स्ट्रैंथ में कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी इस समय नगर न्यास बीकानेर में नियुक्त नहीं किया हुआ है। विशेष स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम चौथ का बरवाड़ा में पानी की समस्या

123. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के ग्राम चौथ का बरवाड़ा में हर साल कुओं का पानी सूख जाता है जिसमें पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है ?

(2) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की योजना है ? अगर है, तो क्या और उसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कुओं में पानी की आवक क्षमता ग्रीष्म ऋतु में प्रायः कम हो जाती है। पीने के पानी की कोई गम्भीर समस्या नहीं पैदा होती है।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) इस ग्राम के लिए पम्प एवं टैंक योजना बनाई जा रही है। योजना बन जाने के पश्चात धनराशि की उपलब्धि पर इस का कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

नागौर स्थित डैह में वाटर वर्क्स की योजना

124. श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ): क्या जल-प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला नागौर स्थित डैह में वाटर वर्क्स की योजना बनी थी? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई और इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है?

उत्तर

जी हां, योजना का कार्य पूर्ण किया जा कर योजना से जल वितरण 1 सितम्बर सन् 1969 से शुरू किया जा चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) श्री मनोहर सिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने मांडलगढ़ क्षेत्र (जिला भीलवाड़ा) के जेतपुर, रूप तलाई, महुआ, पोकरन, सुलतानपुरा, मेघपुरा, देवली की नून, देवगढ़, तख्तजी का खेड़ा, मुकन्दगढ़, घोलेरा या घालेरा, कावरी, गमपुरा, गुलजी का खेड़ा, गाड़िया, मांगटला, रलायता, आदि गांवों में ओलावृष्टि, से हुई क्षति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में आज सम्बन्धित मंत्री द्वारा सदन में वक्तव्य दिया जायेगा और इस विषय को भी उसमें सम्मिलित किया जाने के लिए सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन कर दिया गया है।

(2) श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें ग्राम पंचायत विचून के सरपंच द्वारा विचून व बांसड़ा के पहाड़ों पर खड़े पेड़ों को कटवाने का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री देवीदत्त गाड़िया (बुरासिया) सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में केकड़ी नगरपालिका बोर्ड द्वारा अधिक गृह कर लगाए जाकर वसूल करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(4) श्री विजय सिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्तावों में मकराना से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को पास पोर्ट मिलने में अधिक समय लगने व अधिक बाधाओं के कारण नागरिकों में असंतोष फैलने आदि का उल्लेख किया है।

यह विषय केन्द्रीय सरकार का है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव में मेरे नाम का उल्लेख किया है। वह तो मैंने दिया ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष: मैं समाप्त तो नहीं कर पाया हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैंने तो स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : खड़े खड़े । आप भी खड़े खड़े कहें । मैं भी खड़ा खड़ा कहूं । कोई सीमा तो हो जाय इसकी !

(5) श्री विजय सिंह मकराना, श्री गोरधन सोनी, श्री रामसिंह कुड़ी व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है उसमें डीडवाना में हुए प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाल कर जनता से जबरन चन्दा वसूल करने की बात कही गई हैं ।

(6) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जिला बांसवाड़ा - के समस्त तहसील क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में सरकार द्वारा पक्षपात करने का उल्लेख किया गया है ।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजकीय वूलन मिल्स बीकानेर के मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे । इनके अतिरिक्त यह विषय बजट पर होने वाले सामान्य वादविवाद तथा मांगों पर बहस के दौरान उठाये जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं इन मामलों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री शिवनाथसिंह व श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय का वातावरण पिछले कुछ समय से बिगड़ जाने तथा छात्रों को अपनी पढ़ाई चालू रखने व परीक्षाओं में बैठने में रुकावट हो जाना बतलाया गया है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य दिया जाय ।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित और दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में बीकानेर म्युनिसिपेलिटी कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने का नोटिस देने का उल्लेख किया है ।

(2) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले के किसानों के साथ दिनांक 3-2-70 से 4 मार्च, तक पुलिस द्वारा लाठियों से पिटाई करने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इसके अलावा राज्य सरकार से दो स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है । वे इस प्रकार हैं :—

(1) श्री देवीदत्त गांड़िया, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री लक्ष्मण तानीवाल व श्री विट्ठल

(श्री अध्यक्ष)

प्रसाद शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा झालावाड़ में दिनांक 14-2-70 को स्थानीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों पर किए गए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक 10 मार्च, 70 को दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें झालावाड़ में पूरी तरह से शान्ति हो जाना बतलाया गया है तथा सुरक्षा व लड़कों की हिफाजत के ख्याल से स्कूल को बन्द किया जाना बतलाया गया है।

(2) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में जिसकी सूचना श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी और जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्रशिक्षण योजना को समाप्त करने से है, यह कहा गया है कि प्रशिक्षण के कार्य को राज्य सरकार महत्वपूर्ण मानती है और जो तीन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं उनमें दो केन्द्र और बढ़ा दिए गए हैं। साथ में यह भी बतलाया गया है कि प्रशिक्षण व्यय में मितव्ययता करने की दृष्टि से संघ को दिया जाने वाला उक्त अनुदान आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द कर दिया गया है।

राज्य सरकार के उपरोक्त उत्तर की दृष्टि में इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया, जो उन पर अश्रु गैस का प्रयोग किया गया, उस बारे में⋯

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में सरकार द्वारा जो अत्याचार किया गया है⋯

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, इसके⋯

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके सम्बन्ध में सरकार से जानकारी चाही गई है⋯

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी झालावाड़ में⋯

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें राज्य सरकार क्या जानकारी देगी। गंगानगर में अध्यक्ष महोदय, अत्याचार किया गया है⋯

श्री देवीदत्त गाड़िया : विद्यार्थियों के कॉलेजों की पढ़ाई रुकी हुई है। वहां के एम. पी., वहां के थानेदार और वहां के कलेक्टर⋯

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दी जा चुकी है, माननीय सदस्य। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चर्चा नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं⋯

श्री अध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा शिरोधार्य है⋯

श्री अध्यक्ष : आज आज्ञा भी मैं नहीं देता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जो आदेश जारी किया वह शिरोधार्य है⋯

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : बातचीत भी नहीं होगी संकेत भी नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आकर्षित ध्यान मेरा नहीं होता, राज्य सरकार का होता है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष : मेरा माध्यम इस वक्त छोड़ दीजिये।

श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट): मैंने जो बांसवाड़ा जिले के अकालग्रस्त क्षेत्र के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके लिये आपने कहा है कि वह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है --

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अकाल सहायता...

श्री विठ्ठल भाई : जब कि वहां पर आदिवासी भूखे मर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य !

श्री विठ्ठल भाई : अगर उसको आप अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानते हैं और उस पर हम मौन रहे तो हमारा विधान सभा में रहने से क्या फायदा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री विठ्ठल भाई : उसको आपने लोक महत्व का प्रश्न नहीं माना है × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य...

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के अंदर जो विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया गया ...

श्री अध्यक्ष : कोई वक्तव्य नहीं। कोई भाषण नहीं। स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं किया जाय। आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की तानाशाही कब तक चलती रहेगी ?

श्री रामप्रसाद बोहरा :× × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामप्रसाद बोहरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय आर्डर प्लीज।

श्री विठ्ठल भाई : माननीय मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया है और वह वहां की स्थिति को देख चुके हैं। उन्होंने आदिवासियों की स्थिति को देखा है.... × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री विठ्ठल भाई : ×××

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष । स्थान ग्रहण करें ।

श्री विट्ठल भाई : xxx

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें ।

श्री विट्ठल भाई : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय

श्री विट्ठल भाई : xxx

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें । अंकित नहीं किया जा रहा है आपका भाषण ।

श्री विट्ठल भाई : xxx

श्री अध्यक्ष : अहंकार विमुढात्मा कर्ता· मूइति मन्यते ।

श्री विट्ठल भाई : xxx

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण अंकित नहीं किया जा रहा है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री विट्ठल भाई : XXX

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्य और बाकी हैं । आप भी साथ बोल लीजिये ।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय आपका भाषण भी वह अंकित नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप मत करना । मेरे भाषण का सवाल नहीं है ।

श्री विट्ठल भाई : फिर हम यहां पर किस लिए आये हैं, इस विधान सभा ···

श्री अध्यक्ष : बस कीजिये । स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : इनका दर्द तो सुनना चाहिये ।

श्री विट्ठल भाई : आप हर एक बात को टाल रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विट्ठल भाई : वहां आदिवासी लोग भूखे मर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । स्थान । स्थान । स्थान !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सीधी सादी सी बात थी । माननीय सदस्य केवल यह चाहते हैं आपके माध्यम से...

(शोर गुल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानूं या इनकी मानूं ।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष अपने पैरों पर हैं ।

श्री विट्ठल भाई : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय ।

श्री विट्ठल भाई : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिये । बैठिये ।

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : इसकी भी कोई सीमा होती है।

श्री विजय सिंह : प्रजातंत्र है ही नहीं। यह जनतंत्र का मन्दिर नहीं है।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं ...

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हुआ हूं। व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप कब तक खड़े रहेंगे ?

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : आप खड़े रहें। हम उसके बारे में क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हो गये, मुकुट बिहारी लाल जी You are an Advocate, who knows the laws, who knows the rules-a reputed advocate.

स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत हमदर्दी है। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े होते हैं और बैठते नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप खड़े खड़े सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, माननीय आर्य !

ओला वृष्टि पर अकाल सहायता मंत्री का वक्तव्य !

श्री हीरा भाई : एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री विट्ठल भाई : [xxx]

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : झालावाड़ में आज भी बिल्कुल शांति नहीं है। मैं कहता हूं कि आप झालावाड़ में जाकर देखिये...

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है। आपका बोलना फिजूल है।

श्री विजयसिंह : भले ही अंकित नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां पर भी एक आदमी बैठता है, जिसके धैर्य का प्रश्न रहता है। यह सदन के हित में है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मैंने व्यवस्था दे दी है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में यदि आप कोई एडिशनल फेक्ट देकर कन्विन्स करें तो मैं ओपन हूं। जैसा कल एक माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य उधर बैठें हुए हैं, उन्होंने कुछ कहा। मैंने उसका नोट लिया। अब माननीय आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं ...

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 48

श्री अध्यक्ष : मत जानिये । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जो व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं, यह जानकारी चाहता हूं, क्या सरकार···

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसिन्द) : यह अव्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ···को यह जानकारी है···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले के अन्दर, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य :
XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिये । बैठिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस तरह चुप नहीं रह सकता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरी बात सुनें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । अंकित नहीं किया जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : XX+

श्री अध्यक्ष : अब सदन क्या आदेश देता है मुझे ?

श्री हीराभाई : XXX

श्री अध्यक्ष : अरे एक से तो निबटने दो ।

आर्डर, आर्डर···

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अंकित नहीं किया जाय, माननीय सदस्य । मैं आपको नाम से पुकारता हूं, श्री रामचन्द्र आर्य । माननीय सदस्य श्री आर्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

(शोरो गुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे, शोरो गुल)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 49

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से पुकारता हूं आपको। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य मैं आशा करता हूं कि अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : × ×

श्री विजयसिंह : × ×

(शोरोगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक।

श्री रामचन्द्र आर्य : × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको सदन छोड़ने की...

आर्डर आर्डर आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : इनको सस्पेन्ड करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप तो यही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्री।

श्री हीरा भाई : व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री विट्ठल : आपका हुक्म मान लिया।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष...××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय

श्री हीराभाई : × ×

श्री अध्यक्ष : कोई भाषण अंकित नहीं किया जाय।

श्री हीराभाई : × ×

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण अंकित नहीं किया जा रहा है।

श्री हीराभाई :××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई :××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ××

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : ××

श्री अध्यक्ष : उसका वक्तव्य दिया जा रहा है, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : ××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय आर्य।

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य दिला रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने बजे देंगे?

श्री अध्यक्ष : पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : (शोरगुल अश्रव्य)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस तरह सदन की कार्यवाही चलना असम्भव है। मैं चाहता हूं कि आप सहयोग दें नहीं तो मैं आखिरी कदम लेता हूं इस प्रश्न पर।

स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामप्रसाद बोहरा : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं किया जाय।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री बोहरा, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। श्री बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा श्री बिट्ठल प्रसाद : (दोनों साथ साथ बोलते रहे शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, झालावाड़ के प्रश्न से जनता में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गई है, सरकार ने तो कह दिया कि वहां शान्ति है परन्तु वहां के विद्यार्थी विक्षुब्ध और उद्विग्न हैं, वहां जिस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, उनसे जनता और विद्यार्थियों में बड़ा आतंक छाया हुआ है....

श्री अध्यक्ष : I take a note of it.

अकाल सहायता मन्त्री

श्री हीराभाई : अगर मेरी बात गलत हो और मन्त्री....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप नहीं बैठेंगे ? माननीय सदस्य, अंकित नहीं किया जाय, आर्डर आर्डर...

श्री हीराभाई : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर...

श्री हीराभाई : XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीराभाई : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय इनको बोलने दिया जाय।

श्री हीराभाई : XXX

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ मेरा विनम्र निवेदन है कि जो माननीय सदस्य कुशलगढ़ और बागीडोरा से आये हैं, उन्होंने बांसवाड़ा की स्थिति के सम्बन्ध में जो मुद्दा उठाया है, उस विषय में मन्त्री महोदय से उत्तर दिलाने की व्यवस्था करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सदस्य उस प्रश्न पर बड़े उग्र हैं, उनकी भावना के साथ मेरी सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : उग्रता के साथ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री रामसिंह कुड़ी : सहकारी परिषद् के बारे में मामला है उसमें 78 व्यक्ति...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें....

श्री हीरा भाई : और....

श्री रामसिंह कुड़ी : (दोनों साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह : 78 व्यक्तियों को....

(शोरोगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री बिट्ठल : XXX

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित नहीं किया जाय।

श्री विजयसिंह : XXX

श्री बिट्ठल भाई : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कल परसों तक भी उत्तर देने की व्यवस्था होगी तो बड़ा उत्तम होगा, माननीय सदस्य इस प्रश्न पर बड़े उग्र हैं, उनके साथ मेरी सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : आप तो एक बार पहले सहानुभूति प्रकट कर चुके हैं, अब दुबारा क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : XXX

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय, कुछ भी अंकित नहीं किया जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, अंकित नहीं किया जाय, आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल XX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। श्री मुकुटबिहारी लाल के पुनः खड़े होने पर अब क्या बात रह गई ? आपसे तो कम से कम यह एक्स्पेक्ट नहीं किया जा सकता।

आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

शान्त शान्त, स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : अकाल राहत मंत्री कोई जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री जवाब दें।

श्री हीराभाई : बांसवाड़ा में अकाल घोषित नहीं किया है। हमारे एरिया की अकाल सहायता मंत्री कभी बात नहीं बतायेंगे। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि वहां वह स्थिति को देखकर आए हैं। 50 प्रतिशत लोग बेकार है..

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हीराभाई : उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री हीराभाई : ×××

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस व्यक्ति से अपील कराएं ताकि आप इस बारे में कोई नोट लेने को तैयार हो जायं, क्योंकि विरोधी दल के नेता की बात आपने मानी नहीं, हमारी बात मानने को आप तैयार नहीं हैं, भैरोंसिंहजी सदन में उपस्थित नहीं हैं दुर्भाग्य से, मैं सतीशचन्द्रजी के माध्यम से अपील करता हूं आपसे अपील करता हूं कि वक्तव्य दिलाने के लिए राजी हो जायं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं निवेदन कर दूं कि आदिवासी क्षेत्र की मुश्किलों और वहां की गरीबी को मैं जानता हूं और पहले जब कभी फसल नहीं हुई, तो वहां पर अकाल के काम भी काफी तादाद में शुरू किए, अकाल घोषित करने का एक प्रोसीजर है। कलेक्टर से रिपोर्ट आती है, उस आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अकाल घोषित किया जाता है। इस बार कुशलगढ़ क्षेत्र में करीब 50 इन्च वर्षा हुई हैं और पीपलखूंट में 50 इन्च के आस पास हुई है। फसलें खराब होने की रिपोर्ट नहीं आई। ऐसी हालत में अकाल घोषित कर देना, केवल यहां पर खड़ा होकर, मेरे लिये संभव नहीं है।

श्री बिट्ठल भाई : जो भी पटवारियों की रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट कलेक्टर और तहसीलदार की है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि जहां दो फसली जमीन है, जहां दो फसलें पकती हैं वहां अकाल माना गया लेकिन जहां पहाड़ी इलाका है 50-50 इन्च वर्षा हुई और मिट्टी भी नहीं रही वहां एक फसल भी नहीं पकी, वहां अकाल नहीं माना। पटवारी ने गलत रिपोर्ट दी है। मुख्य मंत्रीजी, आदिवासियों के हिमायती हैं, आप जरा सोचें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री बिट्ठलभाई : मेरे साथ आप चलें, दौरा करें, उनसे पूछें, हम कोई अकाल के लिए झगड़ा नहीं करते लेकिन आप एक चीज भी नहीं करें··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रबी की फसल भी गिरदावरी हो रही है और दूसरी फसल भी फेल्यूर होगी तो रिपोर्ट होगी।

श्री बिट्ठलभाई : पीपलखूंट में कोई रबी है नहीं। पहाड़ी जमीन है, लोग भूखों मर रहे हैं और आप उलट पुलट जवाब दे रहे हैं, जो अधूरे काम हैं, उनको तो पूरा करायें।

श्री हीराभाई : मुख्य मंत्री ने कहा कि 50 इन्च पानी पड़ा लेकिन वहां पर 60 इन्च पानी पड़ा, 65 इन्च पानी पड़ा लगातार दो महीने तक फसल बोने नहीं दी। 4–6 आने फसल हुई, एक फसली जमीन है, वहां पर 60 इन्च तक पानी पड़ा। बाद में पटवारियों पर सिर्फ वहां के तहसीलदार और एस०डी०ओ० के प्रशासन के दबाव से बकाया वसूली के कारण, उन्होंने उत्पादन

××× श्री अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीराभाई)

माना है, वहां एक फसल है, रबी फसल का कोई सवाल नहीं, रबी की फसल 3 साल से स्वप्न में भी लोग नहीं जानते हैं। जहां कुएं हैं वहां रबी की फसल हैं...

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री हीराभाई : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ में 50 इन्च व पीपलखूंट में 45 इन्च पानी पड़ा। वह ठीक है लेकिन उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कब ठंडे काल की स्थिति होती है। अगर 10-12 इन्च पानी गिरा, फिर 10-12 इन्च गिर गया, फिर साफ हो गया तो ठण्डा काल माना गया है। तो वहां अतिवृष्टि हो गई है और मौके पर वृष्टि नहीं हुई है तो सरकार के लिए शोभनीय होगा अगर वह गम्भीरता पूर्वक विचार करके इस बारे में कोई न कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तो माननीय सदस्यों की उग्रता कुछ हद तक शान्त हो सकेगी। जो कुछ मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसके साथ मेरी सहानुभूति है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बांसवाड़ा में गहन गिरदावरी में गढ़ी व मुखिया पंचायत समिति में दुष्काल घोषित हुआ, वहां रिलीफ के काम जारी हैं लेकिन जैसे कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया ठीक है मैं मानता हूं कि पानी जरूर बरसा कुशलगढ़ और पीपलखूंट में लेकिन आदिवासियों की सही स्थिति क्या है कि पानी भी बरसा, एक फसली जहां जमीन है, बहुतों को अनाज नहीं मिलता है तो मजदूरी चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरे काम हैं, भले पीपलखूंट में हों या घाटोल में हों। या बांसवाड़ा तहसील में हों, उनको आरंभ कर काम पर लगाना चाहिये और माही पर 2 करोड़ रुपये खर्च हो गया है लेकिन माही पर नींव का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। माही का काम आरम्भ किया जाय, पीपलखूंट घाटोल एवं बांसवाड़ा के मजदूरों को सब को माही पर काम में लगाया जाय और आदिवासियों को मजदूरी दी जाय, वे लोग मजदूरी चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अकाल सहायता मंत्री।

श्री बिट्ठल भाई : अगर ठीक जवाब नहीं मिला तो गंगानगर जैसा आन्दोलन बांसवाड़ा में भी होगा और फिर बिल पास करायेंगे पुलिस के लिये पैसे के लिये। आदिवासी भूखों मर रहे हैं, वे आन्दोलन करेंगे। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : अभी बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है इसलिए उनको काम मिल सके, यह अलग प्रश्न है। लेकिन अभी भी पीपलखूंट मेड़ पर जो अधूरा काम था, चालू किया गया है। प्रतापगढ़ बढ़ादरा रोड पर काम चालू करवाया है और कुशलगढ़ में बांध पर और माही पर तेजी से काम चालू करने

× × × श्री अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे जो वहां मजदूरी करना चाहें वह कर सकें।

श्री बिट्ठल भाई : कम से कम पीपलखूंट क्षेत्र में 70–80 हजार रुपये खर्च किये तालाबों पर, आप उन तालाबों को पूरा तो करायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आदिवासी क्षेत्रों में अगर पुराने तालाब बाकी रह गए हैं, तो उन क्षेत्रों में कुछ कर सकें, इस बारे में कुछ प्रयत्न करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : थैंक यू।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री।

शासकीय वक्तव्य-ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति संबंधी

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में सदन के 11 माननीय सदस्यों ने 7 स्थगन प्रस्तावों के जरिये, व एक माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये, कुछ मुद्दों को उठाया है जिनका उत्तर इस प्रकार है:—

राज्य के विभिन्न भागों में जनवरी व फरवरी के तीसरे व चौथे सप्ताह में व इस माह के पिछले सप्ताह में व इस सप्ताह में जो ओलावृष्टि हुई है। उससे काफी मात्रा में रबी की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है।

अभी तक ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन जिलाधीशगण से प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें इस बात के आदेश दे दिए गए हैं कि वे इस क्षति के लिए विशेष गिरदावरी कराकर एक सप्ताह में अपना विस्तृत प्रतिवेदन भेजें। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, वह जिलेवार निम्न प्रकार है:—

	प्रभावित ग्रामों की संख्या
अजमेर	28
भीलवाड़ा	33
बूंदी	50
डूंगरपुर	30
जयपुर	276
झुंझुनूं	1
कोटा	200
सवाई माधोपुर	125
टोंक	220
कुल	963

राज्य सरकार ने ओला वृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार करके प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये निम्न प्रकार की व्यवस्था करने के आदेश दिये है :—

(1) जिला बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के जिलाधीशगणों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे उन ग्रामों में जहां रबी की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, वहां परीक्षण सहायता कार्य अविलम्ब चालू कर दें।

(२) ओला वृष्टि से प्रभावित जिलों में वितरण करने हेतु 10 लाख रु० की ब्याज मुक्त तकावी भी स्वीकृत कर दी गई है जिसकी सूचना जिलाधीशगण को तार

(श्री परसराम मदेरणा)

द्वारा भेज दी गई है। यह तकावी व्याज मुक्त है एवं इसके वितरण के सम्बन्ध में अधिकतम सीमायें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :

श्री मनोहरसिंह मेहता : भीलवाड़ा का नाम ही नहीं लिया।

श्री परशराम मदेरणा : (अ) जिन कृषकों की जमीन 1 बीघा तक हो एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी है उन्हें 100) रु०

(ब) जिन कृषकों की जमीन 2 बीघा तक है एवं वह क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें 200) रु०

(स) इसके पश्चात् प्रति अतिरिक्त क्षतिग्रस्त बीघा पर 50) रु० परन्तु किसी भी दशा में तकावी 500) से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में से 1 लाख रु० की राशि निःशुल्क सहायता के रूप में भी देने का निश्चय किया गया है। इस सहायता का वितरण निम्न आधार पर किया जायगा।

(अ) इसका वितरण ऐसे काश्तकारों को होगा, जिनके पास दो एकड़ या इससे कम जमीन है, एवं ओलावृष्टि अथवा असामयिक वृष्टि से फसल खराब हो गई है व परिणामस्वरूप कृषक आजीविकाहीन हो गये है।

(ब) सहायता की यह राशि 250) रु० तक एक मुश्त हो सकती है।

जिला सवाई माधोपुर में निष्क्रमण पर आई हुई मवेशी को काफी नुकसान हुआ है। वहां के जिलाधीश को यह आदेश दिये गये हैं कि वे इस मवेशी को निष्क्रमण के निर्धारित मार्ग पर पहुंचाने के लिये नया मार्ग स्थापित करके उन पर चारा एवं पशुपालकों के लिये आटा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। इस प्रकार उन्हें जो सुविधा दी जायेगी वह निर्धारित मार्ग पर जाने वाली मवेशियों को मिलने वाली सुविधा के बराबर होगी। ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को इस प्रकार अविलम्ब सहायता देने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर दिया गया है। जिलाधीशगण से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जब पूरी स्थिति सामने आ जायेगी, तो और आवश्यक राहत व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जायेगी।

(12.43 म०प०)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : भीलवाड़ा का नाम नहीं आया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री देवोदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी ने राहत के नाम पर दस लाख रुपये की सहायता दिये जाने की घोषणा की है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक व अन्य जिलों में जिनके अन्दर हजारों किसानों की खड़ी हजारों एकड़ की फसल समूलतः नष्ट हो गयी, उन किसानों के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

साथ-साथ उन गांवो में जो रहने वाले किसान हैं और किसानों के साथ रहने वाले मजदूर हैं।......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में कहे। यही कह दीजिये कि अपर्याप्त राशि है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग जो किसानों के यहां नौकरी करते हैं उन किसानों की फसल नष्ट हो जाने से वे लोग भूखों मर रहे हैं क्योंकि उनका एक मात्र यही जरिया था। इतना ही नहीं, माननीय मंत्रीजी ने दो सौ गांवों को ही ओला वृष्टि से प्रभावित बताया, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कोटा के अन्दर अटरू तहसील है, उसके 32 गांव, बारां के 50 गांव, किशनगढ के 75 गांव, शाहबाद के 40 गांव और मांगरोल के 32 गांव इस प्रकार 215 गांव तो इन तहसीलों के हैं बाकी, इटावा, दी गोद और लाडपुरा, उनके भी जहां तक मेरी जानकारी है करीब 75 गांव इस प्रकार के है और इस प्रकार करीब 300 गांव कोटा जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित हैं।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी, कोटा जिले के किसानों ने रबी फसल की चम्बल और पार्वती कैनाल से सिचाई की, अपनी फसल को अच्छी करने के लिये सौ सौ रुपयों का खाद एक एक बीघे में डाला हजारों रुपया खर्च किया और फसल तैयार की, खाद बीज उधार लाकर डाला और समूलतः उनकी फसल नष्ट हो गयी और वे बर्बाद हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पांच मिनिट तो बोलने दीजिये।

उपाध्यक्षजी, इस प्रकार से खलियान में जुवार पड़ी हुई थी। वह इस ओला वृष्टि से समूलतः नष्ट हो गई। अकाल पीड़ित क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर के लोग शाहबाद गये थे उनके मवेशी मर गये। कई व्यक्ति भी मर गये। किसानों की वहां मवेशी मर गई और इस प्रकार से करोड़ों रुपयों का नुकसान कोटा जिले के किसानों का हुआ है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन इलाकों में ओला वृष्टि हुई है 18 और 25 फरवरी को भयंकर ओलावृष्टि हुई है और इससे पूर्व जनवरी में भी ओलावृष्टि हुई है, इस कारण उन इलाकों के किसान बिलकुल बर्बाद हो गये हैं इसलिये पहले तो उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित करें। इसके साथ साथ उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि लगान और पानी की पिलाई जो की गई थी वह माफ होनी चाहिये। किसान बर्बाद हो जाने के कारण किसी प्रकार का सरकारी, अर्ध सहकारी और सहकारी समितियों का कर्जा देने में असमर्थ हैं इसलिये जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी और सहकारी समितियों के कर्ज हैं उनकी वसूली स्थगित कर दी जाय और उन पर लगाने वाला ब्याज माफ किया जाय और वह नहीं लगना चाहिये। इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि उस इलाके के किसानों को, उस गांव के रहने वाले मजदूरों और अनुसुचित जाति

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और जन जाति के तबकों के लिये सस्ते अनाज की दूकानें गांव गांव में खोली जानी चाहिये और साथ साथ अकाल राहत के कार्य निश्चित रूप से खोले जाने चाहिये। दस लाख की सहायता जो सरकार ने घोषित की है वह बिलकुल ही पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से सरकार ने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में 57 करोड़ रुपया खर्च किया है, इस क्षेत्र में भी ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गयी है उस अनुपात में अकाल राहत कार्य खोले जायं और अनुसुचित जाति और जन जाति के लोगों को साढे बारह रुपया प्रति माह अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है, मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास एक बीघा दो बीघा, तीन बीघा, पांच बीघा और सात बीघा जमीन हो, जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग थे जो इसी पर निर्भर रहते थे, उनके पास उद्योग धन्धे नहीं है, उन लोगों को जिन्दा रखने के लिये, भूख से न मर जाय इसलिये उनको भी साढे बारह रुपया राहत और आधा कर्जे के रूप में दिया जाय।

उस किसान की दर्द भरी बात को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चारे की बड़ी समस्या है। किसान का एक मात्र जो पशुधन है उसको मरने से बचाने के लिये चारे की व्यवस्था करे और उन इलाकों को अभावग्रस्त शीघ्रातिशीघ्र घोषित करें, लगान आदि माफ करें।

यह कहते हुए कि मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख रुपया अपने कोष से दिया है मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि यह एक मखौल होगा। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी तहसील के फतहपुर गांव में 2।। हजार एकड़ में गेहूं की फसल थी। पांच छः फुट ऊंची 2 फसल थी दस दस पन्द्रह बीघे का अनाज पैदा होता लेकिन इस ओलावृष्टि के कारण समूल नष्ट हो गया। वह सरकारी कर्जा कैसे देगा और बोहरे का कर्जा भी कैसे चुकायेगा, और खायगा क्या? इतनी बड़ी समस्या है। अकेले बारां तहसील में सात करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। नहरी क्षेत्र है, पिलाई होती है नहर से। किशनगढ़ का इलाका आदिवासी इलाका है।

जिले के किसान बड़े गरीब हैं, जो फसलें उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार की थी वह सारी फसल बरबाद हो गई है। शाहाबाद तहसील के 115 गांवों की फसल नष्ट हो गई है।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हुं कि ओला-वृष्टि से प्रभावित गांवो को जिले की तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया जाय। इसकी आप शीघ्र घोषणा करें। लगान सरचार्ज पानी की पिलाई वहां की माफ की जाय। और जो सरकार का कर्जा है उसकी वसूली स्थगित करें और उस पर व्याज भी न लें। और इसके साथ साथ सारे जिलों की रिपोर्ट व जिलाधीश से जल्दी से जल्दी मंगवा लें और वहां के जन प्रतिनिधियों के साथ मिल कर इस समस्या पर विचार करें और अकाल राहत के काम तुरन्त खोलें।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि भूखा मरता इन्सान अपने सामने तड़फते हुए बच्चों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की मरते नहीं देख सकेगा इसलिये यहां की स्थिति भी बाड़मेर, जैसलमेर जिले के लोगों ने अकाल से पीड़ित होने के कारण, वहां की जनता ने जिस प्रकार का आन्दोलन किया जिलाधीश और एस० डी० एम० के कार्यालयों को घेर लिया वही स्थिति यहां भी न बन जाय। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप समय रहते इस बात का ध्यान रक्खें और इन इलाकों को अभावग्रस्त घोषित कर और अकाल राहत के काम खोलें। सरचार्ज, पानी पिलाई आदि माफ करें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु०): उपाध्यक्ष महोदय, जो अकाल राहत मंत्री जी ने ओलावृष्टि के कारण क्षति ग्रस्त हुए स्थानों के लिये जो सहानुभूति बतायी है वह बहुत कम है। आज उस जगह का काश्तकार बेकार बैठा हुआ है। एक बीघा वाले को 100 रुपया देने का निश्चय किया गया वह 100 रुपये में आने वाले दस महीनों तक अपना गुजारा कर लेगा। आखिर वह दस महीने तक क्या करेगा ? दस महीने के बाद जाकर कहीं उसको अनाज के दर्शन होंगे। इसके साथ साथ सारे गांवों की फसल नष्ट होगई है इसके कारण काश्तकार मजदूर जो है वह कहा जायगा। इसलिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जहां जहां भी इस प्रकार से नुकसान हुआ है वहां के क्षेत्र को आप अभावग्रस्त घोषित करें और जितनी भी सरकार की वसूलयां है उनको स्थगित कर दे राजस्व, सरचार्ज और पानी की पिलाई वसूल न करें इनको माफ करें और अकाल राहत कार्य खोलें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सवाई माधोपुर के गांव ओलावृष्टि से ग्रसित बताये उनकी संख्या आपने 125 बतायी है वह मेरे ख्याल से गलत है। कृपया आप स्पष्ट करें कि 9 तारीख को सवाई माधोपुर जिले में पुन: ओले पड़े क्या इसमें उनकी संख्या भी शामिल है ? इस 9 तारीख की ओलावृष्टि से सारा सवाई माधोपुर जिला ही ग्रस्त रहा है ? इसमें कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें आठ आने से लेकर शत प्रतिशत फसल खराब हो गई है। इन 125 गांवों की जो संख्या आपने दी है उनमें सैकड़ों की संख्या में वे किसान हैं जो किसान के सांझे में काम करते थे, जब किसान की फसल बरबाद हो गई तो बेचारे इन खेतीहर मजदूरों को वे क्या दे सकेंगे। इस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है कि जिसमें फसल का पता तक नहीं लगता। जहां कमर और छाती तक अनाज खड़ा था इस ओलावृष्टि के बाद उसका एक पत्ता भी नजर नहीं आता। खेत में सिर्फ बुवाई के निशान रह गये हैं इस कदर ओलावृष्टि हुई है। वहां की स्थिति इतनी भयावह है कि सब किसान अपना सिर माथे पे हाथ रख कर रो रहे हैं। उनको जो आपने तत्काल सहायता देने की घोषणा की है वह अपर्याप्त है। आपने एक बीघा वाले को 100 रु० दो बीघा वाले को 200 रुपया और किसी भी सूरत में 500 रुपये से अधिक की तकाबी नहीं दी जायगी यह जो निर्णय लिया है यह बिल्कुल अपर्याप्त है। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके घर में पच्चीस आदमी हैं खाने वाले जिनके पास पचास साठ बीघा जमीन थी जिनके हजार हजार मन गल्ला होता था व

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। खास तौर से यह जो सहायता आपने देने का निर्णय किया इस सहायता से जो खेतीहर मजदूर हैं, सीर में काश्त करने वाले मजदूर हैं आपने उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, न कोई जमीन उनके नाम है। ऐसी हालत में जो काश्तकार के ऊपर आश्रित रहता था आज उसके पास खुद के पास खाने को नहीं है तो वह अपने सीर वाले को क्या देगा ? इनको किसी प्रकार से राज्य सरकार भी राहत पहुंचाने वाली नहीं है। आप इस प्रकार का प्रावधान करिये जिस खेतीहर मजदूर ने काश्तकार के शामिल खेती की है, उसको जो नुक्सान हुआ है उनको आप किसी न किसी प्रकार राहत दें तो यह बहुत ही उत्तम होगा।

उपाध्यक्षजी, मुख्य मन्त्रीजी के कोष से एक लाख रुपये का तत्काल सहायता देने का जो निर्णय किया है उसमें भी आपने तय किया है कि 250 से अधिक की सहायता नहीं दी जायगी। यह जो राशि आपने निर्धारित की है वह इस नुक्सान को देखते हुए बहुत ही कम है इस बारे में जो कुछ माननीय सदस्य श्री देवीदत्त गाड़िया ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। काश्तकार जब अधिक अन्न का उत्पादन करता है आप उस पर अनेक प्रकार की लाग बाग लगाते हैं, वह बेचारा बिना हिचकिचाहट के उसको देता है। इस स्थिति में आज जब उस पर मुसीबत आई है, आज जब उसका खाने-पीने का साधन ही समाप्त हो गया है तो इस मुसीबत में हमें पूरा सहयोग और सहायता दिया जाना चाहिये। आज उसके पास अनाज तक नहीं रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं। और इन लोगों को सस्ता अनाज मुहैया किया जाय।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि उस इलाके में पशुओं के चरने के लिये बिल्कुल चारा नहीं रहा है। चारे की भीषण समस्या उन लोगों के सामने है। मवेशी बिना चारे के मर रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है सवाई माधोपुर के जंगलों में जो कूप हैं वहां काफी चारा है उन कूप्स में जो चारा है वह वहां के मवेशियों के लिए मुहैया किया जाय। स्टेट टाइम में भी इन इलाकों में जब इस तरह की स्थिति आ जाती थी इनमें चराई का इन्तजाम होता था, अतः इन कूपों में मवेशियों को चराने की इजाजत दी जावे।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि राहत के काम खोले जावें वरना जो यह छोटी सी सहायता दी जा रही है, वह नाकाफी है। किसानों के लिये राहत के काम खोले जावें ताकि मजदूरों को रोजी मिल सके और अपना जीवन-निर्वाह वे अच्छी प्रकार कर सकें।

(1 म० प०)

मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन के पास कपड़े नहीं हैं और जो बिल्कुल ही तबाह हो गये हैं और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको खाने को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। जो उनको देखने के लिये जाते हैं वे इन मजदूरों को सहायता अपने पास से देकर जाते हैं। वहां बहुत ही भयानक स्थिति है।

इसके अतिरिक्त कई किसानों ने कर्जा लेकर, सिक्यूरिटी देकर पंपिंग सेट लिये हैं। बॉण्डस् भर कर, सिक्यूरिटी देकर कि

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बिजली की खपत इतनी कर देंगे, पंप लगाये हैं, लेकिन उनकी यह सब आशा हाथ से निकल गई है और किसान हाथ पर हाथ धर कर बैठ गये हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है कि जो इलैक्ट्रिसिटी के चार्जेज हैं, जो उन्होंने कन्जूम की है उसकी वसूली अभी मुलतवी की जावे और साथ ही साथ में यह जो फेमिन है, ओलावृष्टि हुई है और उस में जो गांव बर्बाद हुए हैं उसमें से मुश्किल से 15–20 गांव बच पाये हैं। अगर राज्य सरकार चारे की व्यवस्था करने की कोशिश करे और वहां के आस पास के गांवों में जो अतिरिक्त फॉडर हैं, वह खरीद कर वहां की पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर देने की व्यवस्था कर दे तो किसानों को सस्ती रेट पर चारा मुहैया हो सकेगा और उनकी जो मवेशी बच गई है वह जिन्दा रह सकेगी। यदि सरकार यह चारा दो रुपया प्रति क्विटल घाटा देकर भी किसानों को दे तो उनको सस्ता चारा मिल जायेगा और किसानों को राहत मिलेगी। राहत कार्य कर वहां के किसान अपना भरण पोषण भी कर लेंगे और पशुओं को भी बचा लेंगे। मैंने स्वयं खण्डार तहसील में जाकर इन पशुओं को देखा है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की वहां कम से कम 20 हजार मवेशी गायें वगैरह थीं, और उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह जो ओलावृष्टि हुई उससे ये गायें जो जंगल में बिलकुल खुले में खड़ी थीं, तो मवेशी के ढेर के ढेर लग गये। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इन मवेशियों के जो मालिक हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी नस्ल की ये गायें हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उनको सहायता मिलना वाजिब है। जिस समय यह ओलावृष्टि हुई वह रात का समय था, दिन में यह होती तो आदमी के आदमी खेत रह जाते, मर जाते। इसलिये इस मामले में आप जिस तरह से भी चाहें सहायता अवश्य करें। मुझे भय है कि जैसा पहले सरकार ने इस क्षेत्र में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खोले जाने का एलान किया था और फिर एक भी राहत कार्य वहां नहीं खोला गया, कहीं ऐसा ही इस बार न किया जाय। यहां यह कह दिया गया कि वहां पर मजदूर काम पर नहीं आते हैं। राज्य के आंकड़े यह बताते है कि वहां नवम्बर में अकाल पड़ा था और घोषित भी किया गया था लेकिन राहत कार्य खोले मार्च के आखिर में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह अलग विषय है। आर्डर प्लीज़।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पुनः अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस लीपा-पोती को, इस भेद भाव को सहायता के कार्य में, जो एक मानवता का कार्य है, नहीं बरतना चाहिए। मुझे आशा है आप इस पर गहराई से चिन्तन कर ध्यान देंगे और इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत कार्य मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जिन जिलों में ओलावृष्टि से विनाश हुआ है क्या वहां के जिलाधीशों ने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राहत कार्य खोलने के बारे में, लगान, टैक्स का रेमीशन करने के बारे में कोई रिकमण्डेशन की है और राज्य सरकार ने उस पर विचार किया है ? यह मैं पहले जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सब का उत्तर साथ ही हो जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हों वे पहले पूछ लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में भी····

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो ओलावृष्टि के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है उसमें सवाई माधोपुर के अन्दर जो ओलावृष्टि जिस भयंकर रूप से हुई है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोई नई बात हो तो कुछ कह दीजिये, जो पहले आ चुकी है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं लूंगा जो कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां रखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जिला बैकवर्ड है और वहां की जनता गरीब है जिनमें अधिकतर आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो कि मुख्यतः खेती पर ही निर्भर करते हैं, चाहे वह बंटाई के रूप में हो या और तरह से वे अपनी फसलों पर आस लगाये बैठे थे कि हमारी फसल सुन्दर फसल हुई है और हमारा गुजारा अच्छी तरह हो जायगा, इसी आशा पर वे मजदूर लोग जी रहे थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रकोप हुआ है कि जिसके लिए जिस जमीन पर वह काश्त करते हैं या मजदूरी करते हैं या बंटाई में काश्त करते हैं, उस जमीन का मालिक भी उनको उनकी मेहनत के लिए कोई सहायता नहीं करने वाला है क्योंकि यह एक देवी प्रकोप है और वह जमीन का मालिक ही बनकर रह गया है। तो इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिये बंटाई करते हैं अथवा दूसरी प्रकार से काम करते है, जिनका जीवन-निर्वाह खेती पर था और जो ओलावृष्टि के कारण असहाय हो गये हैं, उनके लिए लगान माफ होना चाहिये। उनकी जो मवेशी थी, कुछ मवेशी बाहर से भी आई थी, उनका भी नुकशान हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर लगान माफ होना चाहिए और उनके लिये सस्ती अनाज की दुकानें खोली जानी चाहिये। वहां पर कई गांवों में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें पास सुबह खाने के लिए है तो शाम के लिये नहीं है और अगर शाम को खाने के लिये है तो सुबह खाने के लिए नहीं है। उनके लिए सस्ती अनाज की दुकानें खोलनी चाहिये और फ्री राशन देना चाहिये।

इसके अलावा वहां पर जिन लोगों ने लोन्स ले रखें है, चाहे वे तकावी के लोन्स हो, चाहें इन्जन खरीदने के लिये हों, चाहे पम्पिग सेट के लिये ले रखे हों, उन लोन की किश्त को भी एक साल तक वसूल नहीं करना चाहिये।

इसके साथ साथ वहां पर काम खोलने चाहिये जैसे अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में खोले गये

(श्री श्रवण लाल)

हैं, चाहे रिलीफ का कार्य हो चाहे वह अन्य का काम हो ताकि जिस प्रकार का वहां पर भयंकर प्रकोप आया है, तो वे लोग उन कार्यों पर जाकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां पर लगान के अलावा, जो लोगों ने अमुक तरह से कोई कर्जा ले रखा हो, चाहे वह भूमि बंधक बैंक से ले रखा हो चाहे दूसरी तरह से, उस कर्जे की किश्त की वसूली भी स्थगित कर देनी चाहिये। इसके साथ साथ वहां पर जो मवेशी हैं उनकी, जो कि अच्छी मवेशी हैं, सुन्दर मवेशी हैं और जिस मवेशी के ऊपर वहां के आदमियों का जीवन निर्वाह है, उस मवेशी के लिए चारे की व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक डिपो खोलने चाहिये जिससे कि वहां पर मवेशी का पालन पोषण हो सके और वे लोग अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वाह कर सकें।

इसके साथ साथ वहां पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिनके लिए हमारी सरकार इस गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर अनेक प्रकार के ऐलान करती चली जा रही हैं, उन लोगों के लिए जो कि झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे परिवार जिनके मकान ओलावृष्टि के कारण ढ़ह गये हैं, जो कि बेघर हो गये हैं हवा और ओलावृष्टि के कारण, उन लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। उनके लिए मकान की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें।

इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय को एक प्रार्थना और करूंगा कि जैसा कि आपने कहा है कि आटा भिजवा रहे हैं। पहले भी हमारे यहां अकालग्रस्त एरियाज घोषित की गई थी लेकिन वहां पर एक साल के बाद भी कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया गया। तो जिस प्रकार से आप अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद भी कोई सहायता कार्य न खोलें, इस प्रकार की बात वहां पर नहीं करें, और वहां पर जल्दी से जल्दी राहत कार्य खोले जायें जिससे जनता को वहां पर राहत पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई भाषण नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी ध्यान रखूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में ओलावृष्टि के कारण तीस गांव वाले तो बिलकुल ही चौपट हो गये हैं। मेरी आप से यह प्रार्थना है कि जो मदद आप देना चाहें वह उनको दीजिये लेकिन आप कम से कम इतना जरूर कर दीजिये कि जो लगान है वह मुल्तवी कर दिया जावे और जो वसूल कर लिया गया है उसको अगले साल में मुजरा कर लिया जाय, इसकी व्यवस्था आप करा दें। हमें आपकी भी सहायता नहीं चाहिए और न हम इस तरह से उनकी आदत बिगाड़ना चाहते हैं। यह हमारे लोगों के स्वाभिमान के विपरीत है। आप दूसरी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। वहां पर एक तालाब है, और नदी है उस पर आप एनीकट बन्धवा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दें तो लोगों को राहत मिलेगी। इससे आस-पास के लोगों को काम मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुलानिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो, तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। जयपुर जिले में 276 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। एक तो यह जानकारी करना चाहता हूं कि ये 276 गांव किन किन तहसीलों में घोषित किये गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ओलावृष्टि के सम्बन्ध में कहिये।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, यह ओलावृष्टि दो दफे हुई है। पहली तो 25 फरवरी को और दूसरी 9 मार्च को। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इससे करीब 2000 गांव जयपुर जिले के नष्ट हो गये हैं। इन गांवों में ओलावृष्टि से भयंकर नुक्शान हुआ है और जो आदेश दिये हैं उसके अनुसार आपने 276 गांव ही बताये हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसकी सर्वे करावें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पिछली साल अकाल था, उस वर्ष जितने गांवों में अकाल था। उनके लिये आपने यहां यह घोषणा की थी कि उनसे लगान नहीं लिया जायेगा, फलां फलां राहत दी जायेगी, यह राज्य सरकार द्वारा ऐलान किया गया था। परन्तु मैं यह सदन को वह बताना चाहता हूं कि यह सारे का सारा लगान राज्य सरकार ने वसूल कर लिया है और जहां जहां अकाल राहत कार्य खोले जाने चाहिये थे वे वहां नहीं खोले गये हैं। यह सौतेला व्यवहार आपने जयपुर जिले के साथ किया है। यह पिछले साल की बात आपको बता रहा हूं और अगर इसी तरह से इस वर्ष जयपुर जिले के साथ व्यवहार किया गया तो मैं यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि जयपुर जिला इस बार इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां 100 प्रतिशत नुक्शान हुआ है वहां भी पटवारी लोग कलेक्टर और तहसीलदार के दबाव में 50 प्रतिशत से कम की रिपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी की रिपोर्ट को बेस नहीं मानना चाहिये। वहां पंचायत समिति है, उसका प्रधान है, सरपंच हैं, उस क्षेत्र का एम. एल. ए. है। इसके लिये पंचायत समिति की रिपोर्ट ली जानी चाहिये। पटवारी की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। पटवारी लोग अपनी मनमानी करते हैं। वे गलत ढंग से रिपोर्ट करते हैं। जिसको पटवारी नमाना चाहते हैं उसकी ज्यादा करते हैं। इस बात की रोजाना शिकायत होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पटवारी रिपोर्ट को बेस नहीं माना जाना चाहिये। वहां पंचायत समिति के प्रधान हैं, पंचायतों के सरपंच हैं·········

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये, माननीद सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : उनके द्वारा जांच रिपोर्ट ली जाये यह मेरा सुझाव है। इसके साथ साथ सह निवेदन है कि जिन गांवों के अन्दर यह रिपोर्ट आई है उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाये और जितने भी गांवों की लिस्ट आपके पास है उनमें ईमानदारी के साथ काम किया जाये और लोगों को राहत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूलाल करोल ।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जो ओलावृष्टि हुई है, उसमें माननीय सदस्य ने 2,000 गांव प्रभावित हुए हैं, यह बताया है, वह गलत है ।

श्री लादूराम सुलानियां : आपको इस बात की जानकारी नहीं है । आपने गांवों में जाकर नहीं देखा है ।

श्री नाथूलाल करोल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई है, उनको मैंने जाकर देखा है । दूदू, फागी तहसील के गांवों को देखा है वहां फसलें साफ हो गई हैं । चाकसू के अन्दर 9 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई है, उससे वहां के गांवो की फसलें भी चौपट हो गई हैं । बस्सी तहसील में भी 9 मार्च को जो अलावृष्टि हुई उसमें उसके 30-35 गांवों में फसलें साफ हो गई हैं । शाहपुरा तहसील के गांवों में भी फसलों को नुक्सान हुआ है । सांगानेर तहसील और बगरू की साइड के गांवों में भी 9 मार्च की ओलावृष्टि से नुक्सान हुआ है । और बाकी की तहसीलों में कुछ नुक्सान हुआ है वह रुपये में चार आना, तीन आना के करीब है लेकिन इन गांवों के अन्दर जो नुक्सान हुआ वह 50, 75 फीसदी नुक्सान हुआ है । इसलिए मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने यह प्रावधान रखा है । जिन गांवों में ओलावृष्टि के कारण नुक्सान हुआ है उन गांवों के किसानों को जिनके एक बीघा है 100 रु०, दो बीघा या ज्यादा इस तरह 500 रुपये तक की तकाबी लॉन के रूप में देना तय किया है । मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही कम है । इन गांवों के लोग काफी कमजोर और गरीब हैं । उनकी फसलें खराब होगई हैं और तीन तीन साल से वे अकाल का मुकाबला कर रहे हैं और जो लगान छोड़ा हुआ था वह इस बार जयपुर जिलाधीश ने उनसे वसूल कर लिया है । इसलिए अब उनके पास कुछ नहीं रहा है इसलिये आप तकाबी की राशि को बढ़ा दीजिये इससे लोगों को राहत मिलेगी ....

दूसरा जो आपने फर्माया कि 250 रु० तक एड देंगे, यह रकम ज्यादा करें तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि रेमिशन आफ लैंड रेवेन्यू तो आप कर नहीं सकते ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : कर सकते हैं, कर सकते है

श्री नाथूलाल करोल : जब तीन साल तक अकाल पड़े तब कर सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : ज्यादा नुक्सान हो तो कर सकते हैं ।

श्री नाथूलाल करोल : वह भी कर लें तो बहुत अच्छा हो ।

श्री लादूराम सुलानियां : करोल साहब की जानकरी के लिए कह दूं कि तीन चार सौ की बात करते हैं, आप मेरे साथ चलिये, शत प्रतिशत नुक्सान हुआ है और आप कहते है कि जानकारी नहीं है । मैं आपको सूची पेश कर सकता हूं । मेरे क्षेत्र में 600 गाँव अकालग्रस्त हुए हैं । माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, करोल साहब जानते हैं नहीं, दौरा करते हैं नहीं, यह तो हमको मालूम है जिन्होंने गांव गांव देखा है ।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष, आंकड़े क्या कहते हैं यह तो मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, वे तो कलेक्टर के द्वारा ही आयेंगे। 600 से अधिक गांव ऐसे नहीं हैं जहां ओलावृष्टि हुई है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्यों नहीं हो सकते, यह तो बतलाइये।

श्री नाथूलाल करोल : लेकिन आपने तो दो हजार गांव बतलाये। आप गलत जानकारी देते हैं सदन को।

श्री लादूराम सुलानिया : बिल्कुल सही जानकारी है। आप या मंत्री महोदय मेरे साथ चलें, मैं दो हजार गांव बतलाऊंगा, नहीं तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। या तो फिर आप इस्तीफा दें या मंत्री महोदय इस्तीफा दें। बोलिये क्या कहते हो? मैंने सदन को बिल्कुल सही जानकारी दी है, दो हजार गांवों में ओलावृष्टि हुई है। आप जानकारी कर लें और पता लगा लें।

श्री नाथूलाल करोल : पटवारी की रिपोर्ट तहसील द्वारा कलेक्टर ऑफिस में आ गई होगी।

श्री लादूराम सुलानिया : (बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है कि रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू हो तो सबसे बढ़िया, दूसरा यह जो सहकारी समितियों से कर्जा वगैरह हैं, और यह लैंड रेवेन्यू जो है वह माफ कर दीजिये। मेरी अर्ज यह है कि आपने जो पैसा रखा है तकावी लोन्स का और एड का, इनकी तादाद बढ़ावें।

दूसरी बात यह है कि राहत कार्य जो हैं वे खोल देने चाहियें, सस्ते राशन की दूकानें और चारे की व्यवस्था करनी चाहिये, बस इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : मंत्री महोदय की बात का यह मतलब होता है कि कोई ......

(श्री लादूराम सुलानिया और श्री नाथूलाल करोल की आपस में बातचीत)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातें न करें।

श्री लादूराम सुलानिया : (श्री नाथूलाल करोल से) कुछ शर्म नहीं आती।

श्री नाथूलाल करोल : किसको शर्म नहीं आती?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या मतलब हुआ इसका?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (कांग्रेस बेंचेज से) स्वतंत्र पार्टी के दो सदस्य लड़ रहे हैं और आप इसका आनन्द ले रहे हैं?

श्री लादूराम सुलानिया : यह तो हमारी लड़ाई स्वार्थ की है।

श्री फूलचन्द बाफणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले के गांव सोदरु से लेकर कीरवा, चांगवा आदि गांव हैं, जो सड़क

(श्री फूलचन्द बाफणा)

सुमेरपुर से पाली जाती है उस सड़क के दोनों ओर तीन चार मील इधर उधर की तरफ प्रायः आठ मील की पट्टी के पूरे के पूरे गांवों में ओलावृष्टि हुई है। ढाई सौ ग्राम से पांच-पांच सौ ग्राम के ओले गिरे हैं। ऐसा कभी पढ़ने को भी नहीं मिला, लेकिन कभी देखने को जरूर मिले। कई आदमियों के सर पर लगे हैं, और इस प्रकार से फसल की तो बात ही क्या है फसल तो बिल्कुल ही नष्ट हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी खेत में गए कि नहीं ?

श्री फूलचन्द बाफणा : मैं गया हूं तभी तो कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फसलों का नुकसान हुआ यह देखा कि नहीं ?

श्री फूलचन्द बाफणा : 18 फरवरी की बात है जब ओलावृष्टि हुई थी।

जिले में ऐसे प्रायः 85 गांव हैं। और जो मैं गांव बता रहा हूं उनमें तो शत प्रतिशत बरबादी हो गई हैं। सीदरु, सांडेलाव, चांचोड़ी, मांडल, केनपुरा, बोरामी, कीरवा चांगवा खूणी का गुड़ा इन नौ गांवों में तो शत प्रतिशत फसलें बरबाद हो गई हैं। इस तरह से भयंकर ओलावृष्टि हुई कि गिरे हुए ओले चार पांच रोज तक नहीं पिघल सके। पांचवे रोज तो फालना पर कोई टोकरी भर कर लाया था। तो यह प्रकृति का प्रकोप है जैसे आग लग जावे या बाढ़ आ जावे आदि। इस प्रकृति प्रकोप से जीवन यापन भी इन गांवों के लोगों का मुश्किल हो गया है। गत वर्ष भी वहां अकाल था, इस वर्ष भी अकाल है। थोड़ा बहुत भी पानी जिन किन्ही के कुओं में था उन लोगों ने महनत करके कुछ बोया था वह भी इससे साफ हो गया। तो आज जो स्थिति है उसे इस हिसाब से नापा जावे कि आदमी भी जिन्दा रह सकेगा या नहीं। आप यह मत देखिये कि 25 तीस पर्सेन्ट मदद दे दें। आप कलेक्टर से बराबर रिपोर्ट मंगाइये आप पटवारी को कहिये कि गांव गांव में घूमे और देखकर रिपोर्ट करे। प्रायः वे बैठे बैठे ही रिपोर्ट कर देते हैं इसलिये उनकी रिपोर्ट गलत आती हैं। उपजिलाधीश के कैडर के आदमी को वहां भेजिये आप। इसमें दो तहसीलें आती हैं पाली और बाली की। आपको जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो सारा मामला साफ हो जावेगा। आप यह भी देखें कि आदमी कहीं भूख से मर नहीं जावे इसलिये राहत कार्य जल्दी प्रारंभ करें। जैसे भूसंरक्षण का काम है, खेतों की मेड़ बनाने का हैं। ये काम आइन्दा बरसात में भी काम आ जावेंगे। इसके अलावा और भी काम हैं। सस्ते चारे गल्ले की दुकानें भी खोलें। और कलेक्टर को आप टेलीफोन पर कन्टेक्ट करने की कृपा करें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आप सौ दो सो की तकावी देगें इसके बजाय यदि आप 250) की मुफ्त सहायता देने जा रहे हैं तो इसे 500) कर दें तो अधिक अच्छा होगा। तकावी में तो अगले साल चुकाने की समस्या आ जावेगी, जो चुका नहीं पावेंगे। वैसे भी उनको इस साल का और अगले साल का दोनों का काम चलाना होगा। इसलिये यह नहीं देकर 500 रुपये की मुफ्त सहायता तत्काल कर दें तो उपयोगी रहेगा।

जिन गांवों में आप टेस्ट वर्क चलाना चाहते हैं उसके लिये यह भी स्पष्ट कर दें

(श्री दिग्विजयसिंह)

कि कितने दिनों तक चलावेंगे । और जिन लोगों को आप ने 250 देने की घोषणा की है उनको इन टेस्ट वर्क के काम पर आने से रोकेंगे तो नहीं इस पर भी प्रकाश डालें ।

फिर ओलावृष्टि से भयंकर क्षति हुई हैं उसमें आप जो सस्पेन्शन करने जावेंगे उसके बजाय कम्प्लीट रेमिशन करें । काश्तकार की फसल नहीं होती तो बात दूसरी थी । पर आज उसकी फसल बहुत ठीक थी, पर अब एक दाना नहीं रहा तो ऐसी सूरत में अगर अगले साल वसूली होगी तो उनके सामने तो अकाल की समस्या सी पैदा हो जावेगी । इसलिये कम्प्लीट रेमिशन दे दें । कारण, राज्य की बकाया भी देनी होगी और कर्जा भी देना होगा । तो आठ आना से जिसका अधिक नुकसान हुआ हो उसको कम्प्लीट रेमिशन कर दें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर । उस रोज बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि इस पर भाषण नहीं होंगे । केवल सवाल पूछे जावेंगे और उनके उत्तर मन्त्री महोदय दे देंगे एक घंटा से ऊपर हो गया हैं

श्री उपाध्यक्ष : कार्य-संचालन के नियमों में ही यह आया हुआ है । इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कहें या न कहें अन्तर नहीं पड़ता कोई ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जबर्दस्ती कहें तो बात दूसरी है······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय को जबर्दस्ती कहते हैं आप ?

श्री श्रवणलाल : डिबेट में टाइम नहीं मिलेगा······

श्री गिरधारीलाल व्यास : XXXX

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्स्पंज किया जाय ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं शब्द वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत ही संक्षेप में कहें क्योंकि समय काफी हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल्ड आउट । नाइस रूलिंग ।

एक माननीय सदस्य : ग्यारह सौ मुफ्त में मिलते हैं ।

श्री चुन्नीलाल जेलया खण्डार : सवाई माधोपुर जिले के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि ऐसी भयंकर ओलावृष्टि हुई, यहां तक कि 24 घंटों तक वह ओला नहीं पिघला । मैंने देखा है । ऐसा लगता है कि यहां फसल बोई भी थी या नहीं । तो सरकार ने जो रिलीफ की राशि तय की है वह बहुत कम है । जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा तकाबी नहीं देकर 500 रुपया अनुदान के रूप में दिया जावे तो कुछ राहत मिल सकती है । सस्ते गल्ले की दुकानें भी पंचायत हैड क्वार्टर पर खोलनी चाहिये और राहत कार्यों में उन लोगों को भी राहत और काम मिलना चाहिये ताकि उनको साल भर तक जीवन निर्वाह का साधन मिल सके । जमीन का लगान भी माफ कर दिया जावे, यह भी मेरी प्रार्थना है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री महोदय ने

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही मे निकाले गये ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अकाल के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया मुझे खेद हैं कि सरकार आज भी इस गम्भीर स्थिति में किसान को राहत पहुंचाने के बजाय वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। यह ओलावृष्टि छ:मील लम्बी चौड़ी-पट्टी सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी पर होती हुई मध्यप्रदेश में घुस गई है। राज्य सरकार कहती है जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगाई है। यह कोरा बहाना है जिलाधीशों से रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। जहां ओले पड़े हैं वहां समूची फसल नष्ट हो चुकी है। वहां प्रसेन्टेज का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। ओलावृष्टि के कारण शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। दाना तक ढूंढने का प्रश्न नहीं है। चारा भी नहीं रह गया है। इससे तीन नुकसान हुए है। एक तो खातेदार मर गया, दूसरा हाली बटाईदार समाप्त होगये। उनको बांटा नहीं मिलने वाला है और तीसरा पशु के लिये चारा उपलब्ध हो सकता था वह सम्भावना भी समाप्त हो गई।

आज चारे की समस्या है, अनाज की समस्या है, जो भूमिहीन किसान हैं उनको पेट भरने की समस्या है। तीन प्रकार की मार है। जो सरकार ने घोषणा की 11 लाख की और एक लाख की एफ। मैं कहता हूं अकेले कोटा जिले में ही 250 गांवों की फसलें नष्ट हुई हैं। 10 लाख कोटा जिले को दे दिये जायं जो किसान प्रभावित हुए हैं क्या आपकी ओर से जो तकावी या ऋण दिये जाने वाला है उसमें अगली फसल पर उनको खड़ा करने के लिये पर्याप्त होगा ? इसलिये मेरा निवेदन है सरकार को कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। यह मानकर चलें कि खेती नष्ट हो चुकी है। अब यह देखने की बात है किन किन के खेतों को नुकसान हुआ है, कौन कौन खातेदार इस नुकसान से प्रभावित हुये हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पर्याप्त मात्रा में इसके लिये धनराशि उपलब्ध करनी चाहियें और अभी से ही कौन कौन से क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोले जायं, यह तय कर लिया जाना चाहिये ताकि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। इस पर अभी से ध्यान देना होगा।

जहां तक मुझे सूचना मिली है जिलाधीश महोदय, अकाल राहत कार्य खोलने की रिपोर्ट दे चुके हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसे तहसील दीगोद है, मुझे पूरी तरह जानकारी है एक सड़क सुलतानपुर से मंडावा और मंडावा से गुडादीप जाती है, इस सड़क का अकाल राहत के तहत सुझाव दिया है। जितने कार्य अकाल राहत में खोले जाने चाहियें वे सारे इस राज्य सरकार को भेज दिये हैं। यह विधान सभा का सत्र चले इसी में राज्य सरकार को अपना निर्णय ले लेना चाहिये। अभी से ही अकाल राहत की दृष्टि से, धनराशि की दृष्टि से और तकावी की दृष्टि से राज्य सरकार को मान लेना चाहिये और इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस समय तकाबी का समुचित प्रावधान करें। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि जो कोआंपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें कुछ नियमों में बाधा है। पुराना ऋण नहीं चुका दिया जाय नेक्स्ट नहीं दिया जाय। इस तरह के सरकारी समितियों में जो रूल्स हैं उसको इस साल रिलेक्स करना आवश्यक है, जो पुराने हैं उनको स्थगित किया जाय और नये ऋण

Page No 69

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उनको दिये जायं ताकि वे फसल खड़ी कर सकें ।

तीसरा, कोटा इरीगेटेड एरिया है इसलिये यह इरिगेटेड एरिया खरीफ की समुचित फसल पैदा कर सके तो इरीगेशन डिपार्टमेंट खरीफ की फसल के लिये दो पानी या तीन पानी दे ताकि आने वाले समय को वे निकाल सकें अगला जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है इसमें यह आवश्यक है कि राजनैतिक आधार नहीं होना चाहिये । कौनसा किसान अधिक प्रभावित है उनको समुचित मात्रा में रिलीफ मिलना चाहिये । जितना पैसा इसके लिये एलोकेट किया है वह पैसा डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट देना चाहिये न कि राज्य सरकार की दया पर रहना चाहिये ।

कोटा में 300 गांव प्रभावित हुये हैं । जो भी तकावी के लिये ऋण देना चाहते हैं वह डिस्ट्रिक्ट के डिसपोजल पर हो । अकाल राहत का जितना रुपया एडवान्स करना चाहते हैं वह डिस्ट्रिक्ट वाइज हो । ऐसा न हो कि राजनैतिक आधार पर किया जायं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को स्टेप्स लेने चाहियें । आज इस प्रकार की सूचना दी गई है वह पर्याप्त नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस सत्र के मध्य में राज्य सरकार सारे निर्णय दे और उन निर्णयों के आधार पर रेमीशन करें क्योंकि इस फसल का मरा हुआ किसान पांच साल तक नहीं खड़ा हो सकेगा वह एक ऐसी मार है । इरिगेशन के लिये नया बीज दिया है उनको उन्नत करने के लिये किसान अपना सब कुछ उधार लेकर लगा रहा है इतनी अधिक मार हुई है कि पांच साल तक किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा आपका लगान सस्पेन्ड करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको रेमीशन देना होगा इसके अलावा उसको तकावी की पूरी व्यवस्था करनी होगी । कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स को रिलेक्स करना होगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें । मैं किसान की बात नहीं करता जो भूमिहीन किसान हैं और अधिकांश में अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति के हैं उन लोगों पर ध्यान देकर अकाल राहतकार्य अधिक से अधिक खुलवाने होंगे । आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वह नाकाफी हैं । आपको पूरे डिटेल में इसी सत्र में करना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत मंत्री जी ।

श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है । कोई नई बात हो तो कह दीजिये वरना उसी ओलावृष्टि को दोहराना उचित नहीं है ।

श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार का निर्णय आपने बताया मेरा इतना सा ही संशोधन है कि किसान जो ढाई सौ रुपये का अनुदान के रूप में जो देना तय किया है इसके अन्दर इस किसान को जितना नुकसान हुआ है वह, मेरे ख्याल से, आपके जो सरकारी कर्मचारी पटवारी, तहसीलदार कोई भी हो न तो सही आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं और न ही समय पर उनको पैसा मिल सकता है इसलिये मेरा सुझाव है जिन किसानों को जितने

(श्री सुवालाल चौधरी)

क्षेत्र में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वह अतिवृष्टि से नुकसान घोषित किया जाता है। इस ओलावृष्टि से किसान की यह हालत हो गई है कि 6 महीने का जो कुछ साधन उसके पास था, पैसा था, खाद था वह सारा खर्च कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उनकी इस प्रकार की हालत हो गई है जैसे थाली में रोटी परोस दी गई हो और वह कोई छीन लेता है, ऐसी हालत हुई है। उसके लिये मेरा सुझाव है जिस क्षेत्र में, जिस जमीन में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उस किसान को लगान का 20 गुणा, 30 गुणा पैसा सरकार की नीति निर्धारित करके अनुदान के रूप में दिया जाय। सरकार ने जो तकावी देने की घोषणा की है इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वह गल्ला खरीदेंगे या चारा खरीदेंगे ? उसको पूरा नहीं पड़ेगा और तकावी के बारे में जो तय किया है जितनी उसको आवश्यकता है वह उसके लिए बिलकुल कम है। इससे किसानों को लाभ नहीं मिल सकता है।

दूसरे आपने कहा है कि पटवारी गश्त गिरदावरी करेगा और गिरदावरी पेश करेगा ...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सुवालाल चौधरी : इसमें काफी समय लगेगा इसलिए कलेक्टर की जो प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी है उसके आधार पर सरकार को शीघ्रातिशीघ्र काम खोलने चाहिए। उनको अनुदान देने की व्यवस्था है यह शीघ्रतिशीघ्र करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री मजलिस खां (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जिन जिन जिलों मे ओलावृष्टि हुई उनके नाम बताये हैं। लेकिन उसमें भरतपुर का नाम ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय की सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि भरतपुर की कामां तहसील में नोगावां, खेचाता, समदारा, बामनी ऐसे 17 गांवों में ओलावृष्टि हुई है और फसलें नष्ट हो गयी हैं और जहां सरसों कटने के बाद पैरों में पड़ी थी वह सारी की सारी सड़ गयी है। भरतपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। वहां पर खरीफ की फसल भी खराब हो चुकी थी और अभी तक जो ओलावृष्टि हुई है उससे भरतपुर की जनता के ऊपर और किसानों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों की गुजर के लिए अकाल राहत कार्य अवश्य खोले जाने चाहिए और भरतपुर को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि भरतपुर को आमतौर से राजस्थान सरकार ऐसा जिला मानकर चलती है...

श्री उपाध्यक्ष : 1। रुपये या 1।। रुपये में मजदूर आ जायेंगे ?

श्री मजलिस खां : हां, मजदूर मिल जायेंगे। जब किसानों के पास फसल होती है तब नहीं मिलते। जब फसल ही नहीं है तो दूसरा काम और है ही क्या ? तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय भरतपुर को नहीं भूलें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने कहा वह सही है लेकिन वास्तव में भरतपुर, कुम्हेर और कामां में ओले पड़े हैं और मैं नहीं कहता कि हमारे

(श्री नत्थीसिंह)

यहां काम खोले जायें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जिनकी हालत यह हो गयी है कि उनमें कुछ भी नहीं रहा। वहां 11 रुपये पर काम करने के लिए आयें उसके लिए तो मैं जरूरत नहीं समझता लेकिन सरकार को तीन बातों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो किसानों को रेमिशन दें और लगान माफ करें। दूसरे सहकारी समिति के कानून आप जानते नहीं। अभाव भी घोषित कर दिया तो मीडियम टर्म हो जायेगा इसमें दिक्कत नहीं है। यह तो जल्दी अभावग्रस्त घोषित कर दें। लेकिन सरकार कि दिक्कत है लि सालभर लग जाता है इसलिए किसानों को जो फायदा मिलना होता है को-ऑपरेटिव सोसाइटी से वह नहीं मिलता। सालभर तक घोषित नहीं करते। अगर आप जल्दी से जल्दी घोषित कर दें तो यह तो तीन साल का ऋण हो जायेगा और नयी साल के लिए नया ऋण मिल जायेगा। उसके साथ ही साथ उन इलाकों में जहां अतिवृष्टि हुई है और ओलावृष्टि हुई है वहां सस्ते गल्ले की अनाज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यह सही है कि माननीय सदस्य की गलती है कि जो भरतपुर जिले को भूल जाते हैं। आप उधर से इधर आ जाओ फिर भूलेंगे नहीं। भूलते हैं तो आपकी गलती से और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत मंत्री !

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे यहां पर उठाये। उन्होंने यह बात कही कि इटावा, दीगोद और लाडपुरा में ज्यादा नुकसान हुआ है। आज सुबह ही वायरलैस से मैंने बात की है और इस साल दीगोद, बारां, किशनगंज और शाहबाद यह 4 तहसीलें हैं जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है इटावा के लिए मैंने अभी 11 बजकर 50 मिनट पर कलेक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इटावा के कुछ गांवों में नुकसान हुआ है। लाडपुरा के लिए उन्होंने नहीं बताया लेकिन कलेक्टर की फाइनल रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के पास नहीं पहुंची है। आज ही मैंने आदेश दिये हैं कि विस्तृत रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजने की व्यवस्था करें। कलेक्टर को भी दो तीन दिन पहले इसका आदेश दे दिया गया है। रबी की गिरदावरी चल रही है लेकिन जिन गांवों में ओलावृष्टि से क्षति हुई है वहां पर स्पेशल गिरदावरी कराके राज्य सरकार के पास पूरी खरीफ का स्टेटमेंट और उसकी फाइनल रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर पहुंच जायें, ऐसे आदेश मैंने दिये हैं।

यहां पर यह भी कहा गया बारां से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कि 200 गांव ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं लेकिन 300 के लगभग हुए हैं। मेरी सूचना है, जो मैंने वायरलैस से प्राप्त की है, उसमें 200 गांवों का ही कहा गया है लेकिन जिन्सवार गिरदावरी कर रहे हैं और कितने गांवों को नुकसान पहुंचा है उसकी पूरी सूची आयेगी उस समय सही स्थिति सामने आयेगी।

यहां पर यह कहा गया कि मवेशी मर गए। यह सही है कि 4 जिलों में मवेशी मरे हैं जिनकी संख्या कोई 11 हजार है और इसमें से 10 हजार के आसपास तो भेड़ें और बकरियें हैं और बाकी 1 हजार के

(श्री परसराम मदेरणा)

लगभग बैल और गायें मरी हैं और उसमें ज्यादातर मवेशी माइग्रेटेड हैं। इस समय में यह मामला राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सामने विचाराधीन है और निर्णय लेकर उनको राहत पहुंचाने की कार्यवाही की जायेगी।

लगान की वसूली के संबंध में कहा गया। जहां तक इसका प्रश्न है इसके अन्दर राज्य सरकार शीघ्र ही आदेश दे देगी कि लगान की वसूली नहीं की जाये। विस्तृत रिपोर्ट के आने के बाद ही उस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

साथ ही दूसरे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है और जहां जहां नुकसान हुआ है वहां के दूसरे लोन और तकावी रोक दी जाये। मैं यह मामला मंत्री-मण्डल के सामने प्रस्तुत करूंगा और उस पर निर्णय लेने के बाद में सूचित कर दूंगा। साथ ही मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोलने के बारे में राज्य सरकार के आदेश हैं कि खासकर के उन गांवों में जहां ओलावृष्टि से ज्यादा क्षति हुई है सरकार वायरलैस के जरिये आदेश दे देगी कि वहां पर सस्ते गल्ले की दुकान दो दिन के भीतर भीतर खोल दी जायें।

यहां पर 12½ रुपये देने वाली बात भी कही गयी और टैस्ट वर्क्स खोले जाने की भी बात कही गयी। तो टैस्ट वर्क्स खोले जायें उसके आदेश कलेक्टर को दे दिये हैं। कौनसी सड़क के लिये उन्होंने प्रस्ताव भेजा है या नहीं विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वह सही नहीं है और रिपोर्ट कोई प्राप्त नहीं हुई है।

यहां पर चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फण्ड के बारे में बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह उन काश्तकारों को दिया जा रहा है जो बहुत गरीब हैं और जिनके पास केवल सिंचित भूमि 2 एकड़ के आस-पास है और जो आर्थिक हालत में गरीब हैं उनको इस फण्ड में से लेने का प्रश्न है। सबको देने का प्रश्न नहीं है। दूसरों को रिलीफ और टेस्ट वर्क खोलने को राज्य सरकार की तजवीज है।

केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्व वसूली को रोकने के बारे में कहा। उसको रोक दिया जायेगा ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : लगान, सरचार्ज, पानी की पिलाई सब माफ होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर देने दें।

श्री परसराम मदेरणा : केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राजस्व वसूली के बारे में कहा तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक रोक दी जायेगी। टैस्ट वर्क्स खोलने के आदेश दे दिये गये हैं और जल्दी ही कलेक्टर को कह दिया है या तो उन्होंने खोल दिये हैं या फिर एक दो रोज में खोल दिये जायेंगे।

यहां पर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

9-3-70 को ओलें पड़े। तो 9-3-70 को तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ओले पड़े हैं।

(1.46 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

चाकसू, सवाई माधोपुर और भी 32 गांवों में ओलावृष्टि हुई है और ये गांव उससे प्रभावित हुए थे। उन 32 में से 21 गांवों में 9-3-70 को वापिस ओलावृष्टि रिपोट हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि जब कभी ओलावृष्टि होती है उसके लिए राज्य सरकार ने मापदण्ड निर्धारित किया है उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है और की जा रही है।

जमीन के हिस्सेदारों के बारे में कहा। उनकी स्थिति बड़ी विषम हो गई है। जहां राजस्थान में दस, बारह हजार गांव हैं वहां भी हिस्सेदार होते हैं। हम कभी कम्पन्सेशन हिस्सेदारों को नहीं देते हैं। नेचुरल केलेमिटी में जितनी राहत दी जानी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था और दूसरी चीजें है उस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं।

दूसरी बात उन्होंने चारे के संबंध में कही। उसकी स्थिति खराब है या नहीं यह फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा। यदि व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उस पर विचार किया जावेगा। लगान की माफी के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि लैण्ड रेवेन्यू का सस्पेन्शन नहीं बल्कि रेमिशन किया जाना चाहिए। आप स्वयं जानते हैं, माननीय सदस्य कानून से परिचित हैं कि रेमिशन और सस्पेन्शन की टैनेन्सी एक्ट की धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। जब तक फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं हो मैं नहीं कह सकता.......

श्री मजलिस खां : आप आश्वासन तो दें कि सेन्ट परसेन्ट जहां फसल खराब है वहां रेमिशन देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं दे सकता।

श्री मजलिस खां : तो जहां 75 परसेन्ट से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां आप रेमिशन देंगे, ऐसा तो कहें।

श्री परसराम मदेरणा : रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेमिशन करता है। वह ऐग्री होगा या नहीं मुझे पता नहीं इसलिए मैं उन्हीं आश्वासनों को देना चाहूंगा कि जिसके लिए राज्य सरकार राजी हो जाये।

यहां पर दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के सम्बन्ध में कही गई है। मैं कोई आश्वासन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में कि जिन काश्तकारों की फसलों को नुकसान हुआ है और उनकी उत्पादन की क्षमता गिर गई है, नहीं दे सकता हूं। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में उनके बारे में क्या होगा इस मामले को मैं मंत्रिमण्डल के समक्ष ले जाऊंगा।

यहां माइग्रेटिंग कैटल्स की बात सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है और उस पर निर्णय लेने के बाद मैं स्वयं जो है माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

जहां तक टेस्ट वर्क आरम्भ करने का प्रश्न है राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

और पिछले साल भी आदेश दिये थे। अब पूरा ध्यान रखा जायगा कि टेस्ट वर्क जल्दी से जल्दी खोल दिये जायं और जो कुछ भी मजदूरी वहां पर निर्धारित है उस मजदूरी के ऊपर लोग आते हैं या नहीं आते हैं यह माननीय सदस्य के सोचने की है, लेकिन इस साल किसी तरह की टाल-मटौल नहीं होगी जिससे आप यह कहें कि टेस्ट वर्क नहीं खोले जाते हैं। उसके लिए आदेश दे दिये हैं और राहत विभाग इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि इस साल पिछले साल की तरह राहत कार्य नहीं खोले जायं। कितने लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए आते हैं यह वहां की स्थिति पर निर्भर करता है।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रेमिशन की बात कही थी तो मैं उसका जवाब दे चुका हूं। हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने सभी प्रकार के तकावी लोन पोस्टपोन करने की बात कही है। यह मामला मैं राज्य सरकार के सामने ले जाऊंगा, लेकिन जहां तक लैण्ड रेवेन्यू का सवाल है मैं इस बात का तो सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू की वसूली तो स्थगित कर दी जायगी और बाकी के लोन्स की वसूली का सवाल मैं राज्य सरकार के समक्ष, मंत्री मण्डल के सामने ले जाऊंगा और जो निर्णय होगा उससे सदन को सूचित कर दूंगा।

जहां तक टेस्ट वर्क खोलने का प्रश्न है इसके आदेश दे दिये हैं और मैं समझता हूं कि वहां पर टेस्ट वर्क जल्दी से जल्दी खोले जायेंगे।

जहां पर मकानों को नुकसान हुआ है वहां पर फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार किये जाने की बात है।

बाकी के माइग्रेटिंग कैटल्स के सम्बन्ध में जो माइग्रेटेड कैटल्स हैं वे मर गये हैं उनके लिए आटे की व्यवस्था के लिए कहा गया है तो इसका उल्लेख मैं अपने स्टेटमेंट में कर चुका हूं। ओलावृष्टि से जहां इस प्रकार का नुकसान हुआ है वहां पर आटे की व्यवस्था की जायगी।

मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : मांडलगढ़ से

श्री परसराम मदेरणा : मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि उनके जिले में टेस्ट वर्क खोले जायं। टेस्ट वर्क खोले जाने के लिए आदेश नहीं दिये हैं, यह बात सही है। वह इसलिये नहीं दिये हैं कि भीलवाड़े जिले का काफी बड़ा हिस्सा अकालग्रस्त है इसलिए वहां पर मजदूरी के अवसर उपलब्ध हैं जैसा कि अभी आपने कहा है कि वे गांव इन्टीरियर में हैं ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे क्षेत्र में बिल्कुल ही अकाल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहियें। आज इस प्रकार के आदेश जिलाधीश भीलवाड़ा को दिये गये हैं कि इन गांवों में राहत कार्य खोल दिये जायं ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत धन्यवाद

श्री परसराम मदेरणा : फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने और जमुआरामगढ़

(श्री परसराम मदेरणा)

से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है, हजार और दो हजार गांव की बात वे कह रहे थे तो इस सम्बन्ध में तो मैं डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जिलाधीश को आदेश दे रखे हैं कि स्पेशल गिरदावरी कर दी जाय और स्पेशल गिरदावरी की जो कुछ रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आयेगी उसी के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

इसी प्रकार से यह कहा गया है कि पटवारी की रिपोर्ट को आधार नहीं माना जाय और दूसरे सरपंच और पंचायत समिति से रिपोर्ट ली जाय, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि रेवेन्यू विभाग के इस प्रकार के कानून हैं कि जो गिरदावरी होगी वह पटवारी के मारफत ही होगी, लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन दूंगा कि जो गिरदावरी ओलावृष्टि के सम्बन्ध में होगी उसके सम्बन्ध में जिलाधीश जयपुर को इस प्रकार के आदेश देंगे कि उनके पास जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं वे जल्दी से जल्दी जाकर इस मामले को देखें कि कहीं पटवारी गड़बड़ी तो नहीं करते हैं और इस क्षति का सही असेसमेंट हो सके।

जमुआरामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि 9-3-70 को वहां पर ओले गिरे, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सरकार के जो नियम हैं तकावी ऋणों की व्यवस्था के बारे में उनमें यह है कि वह छोटे काश्तकारों के लिए किये गये है, लेकिन उत्पादन नहीं होने की वजह से राज्य सरकार अकालग्रस्त इलाके के घोषित होने के बाद वहां पर बराबर काम चालू रखेगी ...

(1.55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रेमिशन ऑफ लैण्ड रेवेन्यू के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अभी तक राज्य सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है कि पाली जिले के अन्दर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। मैंने जिलाधीश को वायरलैस के जरिये से सूचना दी है और इसकी रिपोर्ट मांगी है। मुझे बताया गया है कि सांण्डेराव के आसपास के इलाके में ओलावृष्टि की वजह से नुकशान हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं मौके पर जाकर असेसमेंट करें और स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर जो वहां पर क्षति पहुंची है उसके लिए वहां पर उसी प्रकार से राहत दी जायगी जिस तरह से राहत दूसरे इलाकों में जो असेसमेंट के बाद उस सम्बन्ध में क्या स्थिति है उतनी दी जायगी। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं पाली के सम्बन्ध में कि पाली के पूरे जिले में इस साल 3-4 गांवों को छोड़ कर अकाल है और पूरा जिला ही अकालग्रस्त है और वहां पर रिलीफ वर्क चल रहे हैं और उन रिलीफ वर्क्स के अन्दर रोजगार उपलब्ध हैं और ये केवल खरीफ की फसल वालों के लिए ही नहीं रखे हैं लेकिन चाहे रबी की काश्त करने वाले काश्तकार वहां पर काम पर जाना चाहते हैं तो रोक नहीं है। इसलिए वहां पर रोजगार के अवसर आज भी उपलब्ध हैं।

यहां पर उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है, 100 रु०

(श्री परसराम मदेरणा)

एक बीघे वाले की बात कही है, दो बीघे वालों को 200 की बात कही और मैक्जीमम लिमिट 500 की राशि रखी है और 500 रुपये हर आदमी को दे दें मुफ्त ब्याज तकाबी पर, लेकिन तकाबी एलॉट करने के अन्दर छोटे काश्तकारों को ज्यादा दे देंगे और वे रबी नहीं कर सकेंगे तो उन पर बोझ बढ़ जायगा। इसलिए रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इसलिए जो पूर्व में राजस्थान सरकार का निर्णय है और जिस तरह से पहले देते आये हैं उसी तरह से तकाबी दिये जाने से गरीब काश्तकारों को हित होगा।

टेस्ट वर्क कब तक खोले जायेंगे इसके बारे में आदेश दिये हैं कलेक्टर्स को जहां कहीं भी इस तरह की ओलावृष्टि हुई हो या अनावृष्टि हुई हो तो वहां पर टेस्ट वर्क का डिस्क्रीशन कलेक्टर के पास में रखा है ताकि कलेक्टर इन्टेरिम पीरियड में फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं आ जाय तब तक टेस्ट वर्क खोलकर लोगों को रिलीफ दे सकें। इसलिए कलेक्टर्स को आदेश दे दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी टेस्ट वर्क खोल दिये जायेंगे।

यहां पर सस्पेन्शन और रेमिशन के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाने की कोशिश की है उनका उत्तर मैं दे चुका हूं। यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है लगान की माफी के सम्बन्ध में और दूसरी तकाबी दिये जाने के सम्बन्ध में कहा है। उसके लिए मैं कह चुका हूं। इस तरह कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि जिलाधीश ने रिपोर्ट दे दी है तो इसके बारे में मैं पूर्व में भी निवेदन किया है कि जिलाधीश ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। इस चीज को ही मैं यहां नहीं रख रहा हूं। वहां पर जनवरी में भी क्षति हुई है फरवरी में भी क्षति हुई है उनकी भी रिपोर्ट कलेक्टर से नहीं आई है। यह बात मैंने स्वयं ने कलेक्टर से पूछी थी वहां पर जनवरी में भी क्षति हुई थी और आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी तो उन्होंने कहा कि गिरदावरी हो रही है और जल्दी ही वे फाइनल रिपोर्ट भेज देंगे। टेस्ट वर्क चालू करने की बात उनके डिस्क्रीशन पर छोड़ दी गई है। इसलिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

अनाज के सम्बन्ध में भी कहा गया है तो उसके बारे में यानी अनाज की दुकानें खोलने के बारे में दो राय नहीं है। सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के आदेश दे दिये जायंगे और मिनिमम रिलीफ के लिए आदेश दे दिये हैं। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद में पूरा असेसमेंट होगा और पूरा असेसमेंट होने में यह नहीं है कि 10 लाख रुपया जो तकाबी वितरण के लिए दिये गये हैं अलग-अलग जिलों को तो उतने ही रहेंगे। अलग अलग जिलों को देने के सम्बन्ध में यह है कि मैं समझता हूं कि आपके यहां 3 लाख की राशि दी गई है 10 लाख में से कोटा जिले में। इसी तरह से दूसरे जिलों को दी गई है। 10 लाख तो इस समय मुकर्रर एडहाक खर्चा है। एसेसमेंट की पूरी पोजीशन जब राज्य सरकार के सामने होगी और वितरण करने की आवश्यकता होगी तो और धनराशि कलेक्टर्स को दे दी जायगी। आपने कहा कि किस तरह से वितरण होगा तो पूरी राशि कलेक्टर के डिसपोजल पर रख दी है और कौन से एरिया में कितना वितरण करेंगे यह

(श्री परसराम मदेरणा)

वे वहां गांव की स्थिति को देखते हुए कि किस गांव में 50 पर्सेन्ट खराबा है, किस में 60 पर्सेन्ट और किस में 70 पर्सेन्ट है तो उस हिसाब से करेंगे। जिस आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसको पहले मिलना चाहिए।

यहां पर एक बात ऋण स्थगित किये जाने के बारे में कही गई है तो यह मामला मैं मन्त्री मण्डल में ले जाऊंगा। पूरे कोटा जिले में खरीफ की फसल को भी पानी दिया जाना चाहिए तो इस मामले में मैं बातचीत करूंगा इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि आया उनके पास पानी ज्यादा है कि नहीं और वे पानी दे सकते हैं या नहीं। मैं आफ हैण्ड कोई रिप्लाई नहीं दे सकता।

(2 म. प.)

वह दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मन्त्री जी ! यह सब के लिए है या जहां जहां इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं वहां मिलेगा ? सारे दृष्टिकोण की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दिग्विजयसिंह : सब को दिलाने की बात करें।

श्री परसराम मदेरणा : सभी को दिलाने की बात कर रहे हैं। कोटा में तो बहुत बड़े तालाब हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मन्त्रीजी को सुनें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : गरीब आदमी जो अभावग्रस्त हैं, उनको पहले रिलीफ देना चाहिए। अनुदान केवल गरीब आदमियों के लिए है। जिसने कर्जा लिया है जो बिलकुल गरीब हैं, बुरी तरह से आर्थिक स्थिति खराब है और जिनको इमिजिएट सहायता की आवश्यकता है उनको चीफ मिनिस्टर्स फण्ड में से सहायता दी गई है।

कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उसके बारे में कलेक्टर भरतपुर ने कोई सूचना नहीं दी है। राज्य सरकार इस बारे में सूचित भी करेगी कि उन्होंने यह राज्य सरकार की जानकारी में क्यों नहीं लाये हैं। मैं समझता हूं कि यह नेग्लीजेंस की बात है। और जो दूसरी जगह हैं....

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या साढ़े 12½ रुपया देना उचित है ? जो गरीब पिछड़े, हरिजन और आदिवासी लोग हैं। अकाल क्षेत्र में, जिनको अनुदान के रूप में दिया, इसके लिए क्या कहना है ? दूसरे लगान माफ करने के लिए केबिनेट में लाने के लिए कहा है। रिलीफ, लगान, सरचार्ज यह तीनों चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पर कर्जा है, उनकी वसूली स्थगित की जायगी और सूद नहीं लगाया जाएगा। तो क्या नया लोन उनको नहीं दिया जाएगा ?

श्री लादूराम सुलानियां : मैं केवल इतनी ही जानकारी चाहता हूं, चाकसू तहसील में ग्राम सेजड़ा में पिछली मीटिंग में....

(श्री लादूराम सुलानिया)

जिलाधीश को अकाल राहत के ऋण में 50 हजार रु० दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप के भाषण में यह बात नहीं आई है।

श्री लादूराम सुलानियां : मैंने अर्ज किया है। आप प्रोसीडिंग देख लें। मैंने कहा है वह रुपया कहां गया है ? हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार नहीं होगा !!

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। इतनी चर्चा हुई उसके बाद फिर उसकी शुरूआत हो जाएगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मवेशियों का मामला है। चारे की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आप कृपया यह स्पष्ट करने की मेहरबानी करें कि चारे का इन्तजाम करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं। मवेशियों का मनुष्य से ज्यादा प्रश्न है। मनुष्य तो कहीं से ले आएंगे लेकिन मवेशियों की समस्या कठिन है। जो आस पड़ोस जंगल हैं उनमें व्यवस्था कर दी जाए। इस बारे में स्पष्ट करने की कृपा करें। दूसरे, मैं टैस्ट वर्क के बारे में कह रहा था। इसके अतिरिक्त ऐसे काश्तकार, जिनकी काश्त बरबाद हुई है, उनमें ऐसे काश्तकार भी हैं जिनको आधी फसल मिलती है, जिनके नाम खातेदारी में नहीं हैं। अगर मान लें कि खातेदारी में उनकी जमीन नहीं है तो ऐसे किसानों को जरूर रिलीफ मिलनी चाहिए। आधे बांट में फसल बरबाद होने पर उनको कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। यह किस डेफिनीशन में आने वाले हैं। आप मुख्यमन्त्री कोष से ऐसे व्यक्तियों को राहत देने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने जो बातें पूछी हैं उनका उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं यहां पर प्रशासनिक मामले तय हों। तो यहां ऐसे मामले तय नहीं होते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि जयपुर जिले में सौतेला व्यवहार है। जयपुर जिले में 20 वर्क्स कैम्प खोले हैं। 10 हजार मजदूर से ज्यादा नहीं हुए। यहां सौतेले व्यवहार की बात नहीं हुई है। जो अकाल-ग्रस्त हैं वहां अकाल के सहायता कैम्प खोले गये हैं। यहां पर भी रिपोर्ट आने पर कार्य होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की आठ तहसीलों में ओलावृष्टि हुई है। पिछली साल का उदाहरण दिया तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि पचास हजार रुपये जो अकाल राहत के लिए खजाने से निकाले थे वह कहां गये ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : आप आयन्दा मत करना, पहले जो कर लिया, जैसा कर

(श्री लादूराम सुलानिया)

लिया वह ठीक है। लेकिन यह तो आश्वासन दीजिये कि जो रुपया खजाने से लिया है उसके बंटवारे का क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या किया ? बंटवारा किया।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो जो बातें उठाई हैं उनका उत्तर नहीं दिया गया है।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री पुखराज कालानी।

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जन-लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1967-68 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन के कृषि विभाग, पशु-पालन व पशु चिकित्सा विभाग, दुग्ध वितरण योजना, कृषि अभियान्त्रिक मण्डल तथा राजस्थान भू-जल मंडल से सम्बन्धित पैराओं पर समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ! श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर अमलगमेटेड बिजली कम्पनी, जब से भारत स्वतन्त्र हुआ, 1947 में तब से लेकर आज तक अजमेर के नागरिकों के लिए जैसे पुराना ब्रिटिश राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रवेश करने के बाद जब क्विट इंडिया आन्दोलन पूज्य बापू और पूरी जनता ने उठाया तब उनको भारत छोड़ना पड़ा—आज भी उसी तरह बनी हुई है। यह दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद जो आजादी का स्वप्न साकार हुआ वह सम्पूर्ण भारत के लिए था लेकिन अजमेर की जनता के लिए 1947 से लेकर आज तक अजमेर अमलगमेटेड कम्पनी के मालिक वो वैसे गुजरात के निवासी हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में रह रहे हैं और उन्होंने 1947 से लेकर आज तक अजमेर की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिस समय तक उनका अजमेर में प्रवास है उस समय तक, मेरा विश्वास है, उनका ऐसा षड़यंत्र है कि उच्च उच्च अधिकारियों और उच्च राज्य स्तर के किसी भी व्यक्ति को वह अपने कब्जे में ले सकते हैं। उन्होंने 1961 में जब 10 का एग्रीमेंट किया था, उसकी मियाद 1971 में समाप्त होने जा रही है। 1965 में इस कम्पनी ने घरू रोशनी के लिए जो चौतीस पैसे युनिट की दर थी उसको सैंतीस पैसे किया। अजमेर की जनता सभ्य है, कास्मोपोलिटन सीटी है अजमेर, इसलिए वहां किसी ने विरोध नहीं किया। न किसी राजनैतिक दल, जो उस समय थे, भले ही वह सत्ता में हो या नहीं हो लेकिन इन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं उलम्भा नहीं देना चाहता। लेकिन आज अजमेर की स्थिति यह है कि बढ़ती हुई बिजली की दर को उन्हें सहन करना पड़ रहा है। जो लास्ट जनवरी में पेम्फलेट छापा है, उसके अनुसार सैंतीस पैसे की जगह चालीस पैसे किया गया है। इस संबंध में हमारा प्रतिनिधि मण्डल अजमेर के जिलाधीश से मिला। उन्होंने एक महीने के लिए इस दर को रोकने के लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने सैंतीस पैसे की जगह चालीस पैसे

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सिर्फ घरू काम के अन्दर आने वाली बिजली के लिए रोके। लेकिन आज घरों में हीटर और फ्रिज का उपयोग भी बढ़ गया है। इसलिए मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम समाजवाद की घोषणा करते हैं, समाजवाद की बम्बई के अन्दर दुहाई देते हैं, और समाजवादी सिद्धांत के आधार पर जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं, जो छोटे स्कूटर चालक हैं, जो छोटे टैक्सी चालक हैं उनके लिए माननीया प्रधान मंत्री का स्थान सदा के लिए खुला है और वह आकर अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। खैर, आप समाजवाद की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मैं अजमेर की इस बिजली कंपनी के संबंध में बिल्कुल आंकड़ों के साथ यह कहता हूं कि इस बिजली कम्पनी में चार लाख रुपये की बचत है प्रत्येक मास, और इनको जो अड़तालीस लाख प्रतिवर्ष फायदा होता है लेकिन इनकी जो सौराष्ट्र के अन्दर बिजली कम्पनी है, उसको और इसको मिला कर यह अजमेर बिजली कम्पनी को घाटे की कम्पनी का रूप देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली कम्पनी से इतनी आय और बचत होने के बाद भी इनको कोई सन्तोष नहीं हुआ। इसलिए आये दिन यह सीधे हाथ से बिल्कुल न खाकर उलटे हाथ से रूमाल लगा कर मुंह में खाते हैं—इस बात को हम कभी पचाने को तैयार नहीं है। यह व्यापार है, ठीक है, मैं इसको प्रांतीय भावना से नहीं लेना चाहता, लेकिन इन्होंने प्रांतीय भावना डाली है। जब गुजरात हमारे इन्द्रा गुट में नहीं था और गप्पा गुट में था तो गुजरात सरकार ने वेजिटेबल आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह घृणित बात की ओर मैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को अत्यन्त घृणित भावना मानता हूं। मैं इस भावना का नहीं हूं। मैं इस भावना को मानता हूं कि अगर वह अपने को गुजरात समझते हैं तो गुजरात में चले जायं। लेकिन राज्य सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि इस संबंध में कार्यवाही करे। इन्होंने दोनों कम्पनी को मिला कर जो चार लाख की अजमेर की बिजली कम्पनी को सब खर्च निकाल कर बचत होती है, उसका एडजस्टमेंट करके सरकार के सामने कहा है कि हमें घाटा है, इसलिए हम जनता के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली कम्पनी सरकार के एक एजेन्ट के रूप में काम करती है। बिजली सरकार की है और सरकार उनको बिजली आठ पैसे पर युनिट के करीबन देती है, उसके बाद भी वह सैंतीस पैसे पर युनिट लेते हैं और सरचार्ज लगने के बाद में वह सैंतीस पैसे करीब 44 पैसे आकर पड़ता है, तो भी इस कम्पनी के जो मालिक हैं वह असंतुष्ट हैं, उनको सन्तोष नहीं हुआ है और इस बिजली कम्पनी ने तीन पैसे की निजी व्यापार, रेडियो, पंखे, सिनेमा घर, क्लब, कार्यालय, रेल्वे कार्यालय, पाठशालायें, एक्स-रे मशीन आदि आदि में जो बिजली खर्च होती है और जगह जगह जो व्यापार और बिजनेसमैन हैं उनके बिजली के खर्च पर बढ़ोत्तरी की है। आप शायद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि किसी को नीचे और ऊपर देखने को बात नहीं है, आज घरेलू उपयोग में जो बिजली काम में आती है तो घरों के अन्दर आज फ्रिज भी हैं और किसी के पास हीटर भी हैं, हरएक आदमी आज स्पेशली अलग से प्राइवेट मीटर लगा कर अलग से उनकी रीडिंग नहीं दे

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सकता है। ऐसी स्थिति में जबकि इस बिजली कम्पनी को जो बिजली दे रहे हैं उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा नहीं रहे हैं, उसके भाव बढ़ा नहीं रहे हैं, राज्य सरकार उनको बाध्य नहीं कर रही है तो भी यह बिजली कम्पनी, जो एक एजेन्ट के रूप में है वह जनता को सुविधायें देने के बजाय असुविधायें दे रही है, और भावों में बढ़ोत्तरी करती रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिजली कम्पनी में सरचार्ज आदि के बारे में भी घोटाला है। यह कम्पनी कहती है कि हमारी कम्पनी में घाटा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप अगर इसमें घाटा भी मानते हो तो भी एक रेटिंग कमेटी नियुक्त की जाय। वह कमेटी निश्चित रूप से यह निर्णय देगी कि यह जो सरचार्ज बढ़ाते हैं वह कमाई के लिए, इन्कम के लिए बढ़ाते हैं न कि घाटे की पूर्ति के लिए। मेरा निवेदन है कि इस रेटिंग कमेटी की सिफारिश के बाद में इस बिजली कम्पनी की पोल खुल जायेगी। मैं यह विश्वास से कहता हूं।

इस बिजली कम्पनी की अजमेर के अन्दर जो व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व आपको याद होगा, एक साल पूर्व पड़ाव स्थित आइल मिल-एक गरीब व्यक्ति की है। एक एम. आर. व्यास जो हैं वह असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं, वह अजमेर में विनाश करते रहे हैं। उसने दस या छः किलोवाट बिजली अन्डर ग्राउन्ड तरीके से स्ट्रीट लाइन के खम्भे से बिजली लेकर हाई पावर की मशीनरी को चलाने की कार्यवाही की। उससे अजमेर का सर्वनाश हो जाता। उसके कारण अजमेर बरबाद होने वाला था। वह तो जिलाधीश सावधान था। उसने टेलीफोन किया उसने इंजीनियर से कहा कि तुम सम्भालो, कुछ भी हो। उस पर फायर ब्रिगेड भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्योंकि उसने अन्डर ग्राउन्ड तरीके से हाई पावर मशीन के लिए बिजली ले ली थी। उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर को मजबूर करना पड़ा और उसको कोर्ट के सामने ले जाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी कम्पनी की आपको एक और स्थिति बताऊं। आज अजमेर के अन्दर जो नगर परिषद है, जिसके अन्दर जनता का पैसा है, उस नगर परिषद में 36 वार्ड हैं। आप अच्छी तरह से अजमेर में घूमें तो आपको मालूम होगा कि वहां इतना अच्छा उसने इन्तजाम किया है, इतनी ट्यूब लाइट लगी हुई हैं कि वह ट्यूब लाइट सड़क को चमन करती हैं। लेकिन यह बिजली कम्पनी क्या करती है कि एक का कनेक्शन मिला देती है दूसरे का नहीं, जिससे एक रॉड तो जलती है और दूसरी नहीं। इसी प्रकार कम से कम एक तिहाई, अजमेर शहर के तीसरे भाग में बिजली बन्द रहती है। कभी एक वार्ड से दस वार्ड तक की बिजली बन्द कर देते हैं तो कभी दूसरे दिन दूसरे एरिया में बन्द कर देते हैं, और तीसरे दिन और एरिया में बन्द कर देते हैं, और पूरा पेमेन्ट लेते हैं, और जो भोले-भाले आपके लोग हैं उनको फंसा लेते हैं। जब अजमेर में चुनी हुई नगर परिषद थी तो वहां नगर परिषद के लोग एक एक वार्ड में जाकर, एक एक घर और एक एक गली में जाकर योजना के अनुसार जितनी बिजली उनको दी जानी चाहिए थी उसको वेरीफाई करके उनको पैसा दिया जाता था, बाकी का नहीं दिया जाता था, परन्तु आज वहां हालांकि

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सरकार का राज्य है, प्रशासक वहां मौजूद हैं, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं। जहां 45 पार्षद वहां शहर में थे, वहां दो तीन इन्स्पेक्टर सारे शहर की बिजली को चैक करें यह मुझे संभव नहीं लगता। आज इस बिजली कम्पनी के कारनामों से अजमेर शहर की जनता तंग आ चुकी है। आज से सवा साल पहले एक्स रे के कमरे में काम करने वाली एक चपरासिन एक्स रे मशीन के हाथ लगाते ही समाप्त हो गई, शायद उसका नाम भंवरी बाई था। आज इस बिजली कम्पनी की व्यवस्था तो यह है कि अगर बाजार में टिन शेड के आगे बच्चे बैठ जायं और टिन शेड के किसी खम्भे के हाथ लगा दें तो करेंट के झटके से समाप्त हो सकते हैं। अजमेर के किसी भी भाग में जायं चाहे पश्चिम में जायं चाहे पूर्व के हिस्सों में जायं वहां अगर 100 वाट का बल्ब लगाया गया है तो केवल 20 वाट की लाइट मिलेगी। एग्रीमेंट के अनुसार, नियमों के अनुसार बिजली कम्पनी की ओर से कोई व्यवस्था अजमेर में नहीं है। दुर्भाग्य से उनको आदमी के जीवन की कोई पर्वाह नहीं है, करेंट से कोई भी आदमी मर जाय उनको इसकी कोई चिन्ता नहीं है। अजमेर एक सभ्य शहर है, बस उसको लूटना मात्र इनका काम है। इस कम्पनी ने 47 से आज तक अजमेर शहर की बुरी तरह से लूट की है। बाहर से आने वाला यह व्यापारी आज पदमपति हो गया है। मैं नहीं कहता कि महाराष्ट्र से इसको धकेला गया, मैं नहीं कहता कि आसाम से इसको धकेला गया पर जहां तक गुजरात और राजस्थान का सवाल है चाहे कोई आपत्ति का समय हो, संकट का समय हो, इनको कोई परवाह नहीं, इनके कर्मचारी इनसे खुश नहीं हैं, कर्मचारी चाहते हैं कि किसी तरह से हम राजस्थान सरकार के कर्मचारी बनें। 4 लाख रुपया माहवार आमदनी होने पर भी यह कम्पनी अपने कर्मचारियों के बोनस में रोड़े अटकाती है। कर्मचारियों से उनके कार्यकाल से अधिक समय तक काम लिया जाता है। कोई कर्मचारी इससे खुश नहीं है। नजदीक से नजदीक तीन गज की दूरी पर लाइन देनी चाहिये पर यह दूर से लाते हुए किसी की छत के ऊपर से लाकर पाइप लगाते हैं, मतलब यह है कि यह कम्पनी हर तरह से अजमेर की जनता को लूटने की कार्यवाही करती है। आज अजमेर की जनता इस कम्पनी की लूट से तंग आ चुकी है। हमें इस अजमेर की बिजली कम्पनी से कोई सुविधा नहीं है। उसकी ओर से अजमेर की जनता को कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आराम नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां आज सरकार समाजवाद और राष्ट्रीयकरण की घोषणा करके छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगाती है वहां पर आज इस अजमेर की बिजली कम्पनी को 4 लाख रुपया प्रतिमास इन्कम होता है, उसके इन्कम टैक्स के लिये कोई कारगर एन्क्वायरी नहीं की जाती। एक इन्कम टैक्स की इन्क्वायरी आई, पर व्यासजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करे तो वे ऐसा जादू करते हैं, मनमोहक दृश्य दिखा कर उसको वश में कर लेते हैं, जैसे आसाम से ताण्डव नृत्य करने के लिये 3 लड़कियां आई थीं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके उच्च से उच्च अधिकारियों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है।

शायद इस सदन में 62 से पहले भी इस बिजली कम्पनी के प्रति रोष और

(श्री भगवानदास शास्त्री)

निराशा प्रकट की गई थी। उसके बाद भी इस पर सदन में चर्चा चली पर राज्य सरकार के द्वारा आज तक इस मोनोपोली को खत्म करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज भी वह अपनी मोनोपोली के द्वारा अजमेर का 48 लाख रुपया सालाना हजम कर रहा है। अजमेर के नागरिक इस कम्पनी से तंग आ चुके हैं। अजमेर में ज्यादातर मध्यम वर्ग के बाबू लोग रहते हैं, दो सौ, तीन सौ रुपया तनख्वाह पाने वाले और इस बिजली का बिल देखें, वे लोग बड़े तंग हैं इस कम्पनी से, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, पेमेंट कर दो तो भी कनेक्शन काट देते हैं। इस पर तो मैं विशेष नहीं कहना चाहता, किसी व्यक्ति के साथ इल्लीगल कार्यवाही कम्पनी करती है तो वह उसके लिये कानूनी कार्यवाही कर सकता है। पर इस बिजली कम्पनी ने अजमेर में जो दुर्व्यवस्था कर रखी है, उसके सम्बन्ध में मैंने तथ्य सदन के समक्ष रखे।

अन्त में मैं बिजली मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस कम्पनी के दिमाग में कालिमा है, बेईमानी है, यह जनता को चूसना चाहती है, वह 71 तक वहां ठहरेगी पर अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य को आमदनी हो, आप कहते है कि टैक्स नहीं मिलते, तकावी वापिस नहीं आती है, हमारे राज्य के पास भिन्न भिन्न प्रकार के टक्सों की रकम आती नहीं है, तो मैं कहता हूं कि यह तो बिल्कुल क्लियर कमाई है, एकदम कैश कमाई है, इस कमाई को आपको नहीं छोड़ना चाहिये। इसके लिये आज ही राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की जाय कि इस कम्पनी को आज राज्य सरकार अपने हाथ में लेती है, आज से इस कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं है, आज से ही इस कम्पनी का अस्तित्व खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे अपने हाथ में ले ले जिससे कि राजस्थान राज्य का भविष्य उज्ज्वल हो। आज उस कम्पनी को 48 लाख रुपया सालाना आमदनी है, हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी इस पर कन्ट्रोल करेंगे तो इससे राज्य सरकार को काफी लाभ मिलेगा, बड़ी अच्छी आमदनी होगी और इन आततायियों से जिनके दिल में जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, कोई सहृदयता नहीं, अपितु निर्दयता का व्यवहार है, उससे अजमेर की जनता को राहत मिलेगी राज्य सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि इस प्राइवेट कम्पनी से अजमेर के नागरिकों की जान छुड़ा कर राहत दे। यही मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

डॉ० अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर दूं। अजमेर की बिजली कम्पनी के अत्याचारों के बारे में शास्त्रीजी ने आंकड़ों सहित पूरा हाल बता दिया है। मैं सदन का अधिक समय उन बातों का पिष्ट-पेषण करके नहीं लेना चाहता। जहां तक मुझे मालूम है, शास्त्रीजी ने तो आंकड़े रखे कि उसे 4 लाख रुपया प्रतिमास की आमदनी है, उसके सम्बन्ध में मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि इस कम्पनी को 4 लाख रुपया प्रतिमास की आमदनी होती है, पर वह कम्पनी एकाउन्टस की जगलरी से गलत हिसाब बता कर जनता को धोखा दे रही है, और सरकार को धोखा दे रही है। इतनी बड़ी आमदनी यह कम्पनी अजमेर से कर रही है फिर भी बिजली की व्यवस्था अजमेर में बिलकुल असंतोषजनक है। करीब 6 8 महिने पहले अजमेर के एक

(डॉ० अम्बालाल)

अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता ने अनशन किया था, माननीया बहिन प्रभा मिश्राजी गई थीं, और मैं भी भूखहड़ताल तुड़वाने में शामिल था। उस समय प्रभाजी ने कहा था कि मेरी उच्च स्तर पर मंत्रियों से बातचीत हो गई है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जायेगा पर वहां कुछ नहीं हो रहा है। इस कम्पनी के जितने कर्मचारी हैं, सभी असंतुष्ट हैं, उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि यह राष्ट्रीयकरण का युग है, सो काल्ड राष्ट्रीयकरण, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है तो इस अजमेर की बिजली कम्पनी को सरकार अपने हाथ में ले ले, और अजमेर के लोगों को बिजली की उचित सप्लाई करे जिससे अजमेर की जनता की भी जेब नहीं कटे और सरकार के टैक्स की भी चोरी नहीं हो। इस कम्पनी को राज्य सरकार अगर हाथ में ले लेती है तो इससे अच्छी आमदनी सरकार को हो सकती है।

इसके अलावा मैं निवेदन कर दूं कि अजमेर की इस बिजली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने से पहले इसकी एन्क्वायरी करवायें कि इस कम्पनी ने 24 वर्षों में कितना अनाप-शनाप कमाया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनके एकाउन्ट्स में भी सभी जगह फाल्स एन्ट्रीज हैं। अतः इसके लिये एन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाय जिसमें इस सदन के भी कुछ माननीय सदस्य हों, एकाउन्ट्स के एक्सपर्ट हों, जिससे कि ब्लैक का, चोर बाजारी का, टैक्स की चोरी का आरोप इस कम्पनी पर लगाया जाता है, वह प्रकट होगा।

मेरे खयाल से आयकर की चोरी भी उसके सामने आ जायगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके पहले तो इसके लिए कमीशन मुकर्रर करें, और उसके बाद सरकार इसको टेक ओवर कर ले। कीमतें बढ़ती जाती हैं, आजकल बिजली की आवश्यकता बहुत है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बढ़ते हैं वैसे ये दर बढ़ाते जाते हैं जिसका मैं विरोध करता हूं। इसलिये मैं शास्त्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन है कि कृपा करके कमीशन मुकर्रर कर लें, सारी आय स्क्रूटीनाइज की जाय। दूसरा, सरकार ओवर कर लें, चाहे कितना ही समय बाकी है, कहते हैं कि 5-6 महीने बाकी हैं। कृपा करके लोगों के कल्याण के लिये, लोगों के आराम के लिये एकदम टेक अप कर लें और इनके एकाउन्ट्स को देखें कि कितनी आयकर की चोरी की है।

श्री पृथ्वीसिंह : एक मिनट मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं कोई सरकारी व्यापार का समर्थक नहीं हूं परन्तु शास्त्रीजी व डॉक्टर साहब ने जिस ढंग से अजमेर पावर हाउस के बारे में, उस कम्पनी के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको देखते हुए, मुझे भी यह विश्वास हो गया है, कि वहां जनता को वाकई कष्ट है, वह कम्पनी वाकई शोषण कर रही है, अनाप-शनाप दुरुपयोग करके जनता का खून चूस रही है। इसी प्रकार अजमेर के अलावा माऊंट आबू व आबू रोड में भी कुछ

(श्री पृथ्वी सिंह)

कम्पनियों को ठेका दिया गया है जो भी इसी ढंग से शोषण कर रही हैं। तो उन सब कारणों को देखते हुए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि उनका राष्ट्रीयकरण तुरंत किया जाय, और अब आपके सामने दिक्कत पेश आएगी कि एग्रीमेंट हुआ है उसमें टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स हैं. उनकी वजह से राष्ट्रीयकरण समय से पहले नहीं हो सकता, तो जिस प्रकार आप अध्यादेश और कानून बनाकर बैंकों और दूसरी कई कंपनियों, बस कंपनियों का जिस ढंग से राष्ट्रीयकरण करते हैं, उसी ढंग से आप इसके लिए भी अध्यादेश या कानून बनाकर राष्ट्रीयकरण का तुरंत कदम उठायें। जिससे राज्य के अन्दर सबको एक जैसा मौका मिले और बराबर फायदा मिले, समान वितरण हो, ताकि सरकार को, जैसा बता रहे हैं कि महीने में 4 लाख रुपयों का कंपनी को लाभ होता है, वह विद्युत् मंडल को मिले जो कि घाटे में जा रहा है। तो इन सारी बातों को देखकर अजमेर के अलावा जहां कहीं कंपनियां चल रही हैं उनका तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाय।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री विद्युत्) : अजमेर अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का लाइसेंस तत्कालीन मुख्य आयुक्त अजमेर मेरवाड़ा द्वारा विद्युत् अधिनियम 1910 की धारा (3) के अन्तर्गत आदेश संख्या 217 सी दिनांक 19-1-28 को स्वीकृत किया गया था। लाइसेंस की शर्त 13 के अन्तर्गत तथा भारतीय विद्युत् अधिनियम 1910 की धारा 7 (1) के तहत कम्पनी के खरीदने के विकल्प को लाइसेंस की अवधि के पहले तीस वर्ष पश्चात लागू करना होता था और उसके पश्चात् लाइसेंस की मियाद प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात् खत्म होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पहले का लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो माननीय सदस्यों ने कहा, उसका कोई असर नहीं ?

श्री खेतसिंह : इन्होंने जो पॉइंट्स उठाये हैं, वह सब बता रहा हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उस सब पर बोलें।

श्री खेतसिंह : इस प्रकार प्राथमिक लाइसेन्स की अवधि दिनांक 18-1-58 को समाप्त हुई जिसके संबंध में भारत सरकार ने अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही इसको ले लेने का नोटिस दे दिया था, परंतु हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जब इस संबंध में कंपनी ने केस दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटेरिम स्टे ऑर्डर दिनांक 17-1-58 को जारी हुआ। तत्पश्चात् कंपनी व विद्युत्मंडल के बीच दिनांक 12-4-61 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार लाइसेन्स की मियाद 31-3-71 तक बढ़ा दी गई, और उसमें यह भी समझौता हुआ कि लाइसेन्सी अपनी दरें विद्युत् मंडल की दरों से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। इसके बाद 14-4-61 को कंपनी व राज्य सरकार के बीच एक एग्रीमेन्ट और हुआ जिसमें राज्य सरकार ने भी लाइसेंस की अवधि भी लाइसेन्स की अवधि 31-3-71 तक बढ़ा दी और दोनों ओर से बिना नोटिस जारी किए यह कंपनी 31-3-71 के बाद ले ली जाने की शर्त रखी। इसका मतलब यह हुआ कि ता० 31-3-71 की मध्यरात्रि को स्वतः ही

Page No 86

(श्री खेतसिंह)

कंपनी को विद्युत् मंडल द्वारा ले लिया जायगा।

जहां तक कंपनी की दरों का समय समय पर बढ़ाने का सवाल है, वह हर लाइसेन्सी कंपनी द्वारा विद्युत् (रसद) अधिनियम 1948 के परिशिष्ट 6 के अंतर्गत की जाती है।

इस कंपनी ने अपने नोटिस संख्या ए० जे०एम० जी। 68, दिनांक 27-1-68 को उपरोक्त परिशिष्ट 6 के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य सरकार को बिजली की दरों में वृद्धि करने हेतु 60 दिन का नोटिस दिया, परंतु राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ 1(37) विद्युत्. 68, दिनांक 30 अप्रेल 1968 द्वारा कंपनी को प्रस्तावित दरों में वृद्धि को उपयुक्त नहीं समझ कर अपनी असहमति का सूचना भेजी।

कंपनी ने फिर दूसरा नोटिस उपरोक्त परिशिष्ट 6 के अनुसार राज्य सरकार व विद्युत् मंडल को अपने पत्र संख्या ए०जे० जी० 3। 69, दिनांक 26 नवम्बर, 1969 द्वारा 60 दिन की अवधि की मियाद के बाद दरों में वृद्धि करने की सूचना भेजी। इस पर भी राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ 1 (37) विद्युत् 68 दिनांक 22-1-70 द्वारा कंपनी को निम्न तथ्यों पर दर न बढ़ाने के लिए लिखा :—

(1) विद्युत् मंडल व कंपनी के बीच 12-4-61 को हुए अनुबंध के अनुसार कंपनी अपने उपभोक्ताओं से विद्युत् मंडल के टेरिफ की दरों से अधिक दर उसी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करेगी।

(2) बिजली रसद नियम 1968 के परिशिष्ट 6 के क्लाज 1 के 5 वां प्रोविजो के अन्तर्गत कंपनी को विद्युत् सप्लाई पर मिनिमम चार्जेज लगाने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा

इन दरों में वृद्धि कंपनी द्वारा फरवरी 1970 से लागू करने के लिए लिखा। लेकिन राज्य सरकार ने फिर लिख दिया कि आप इन दरों को नहीं बढ़ा सकते और मालूम हुआ कि कंपनी ने फरवरी में दरें नहीं बढ़ाई। इसी बीच कंपनी ने फिर अपनी उक्त प्रस्तावित दरों की वृद्धि में संशोधन कर राज्य सरकार को सूचित किया जिसमें कंपनी ने यह बताया कि अब उसकी दरें विद्युत् मंडल की दरों के बराबर हैं।

दिनांक 11—3-70 को कंपनी के रेजिडेन्ट इंजिनियर से टेलीफोन पर जानकारी करने पर मालूम हुआ कि अब कंपनी चाहती है कि मार्च के अंदर जो बिल्स दिये जायं उनके अंदर जो विद्युत् मंडल की दरें हैं उनके अनुसार ही वह दरें लागू कर दें। इस सिलसिले में विचार विमर्श किया जा रहा है और कंपनी को लिख दिया जायगा कि आप दरें न बढ़ायें।

श्री बरकतुल्ला खां (विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कंपनी की शिकायतें काफी समय से चल रही हैं और शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि यह कंपनी उनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, और प्लान के अंदर रुपए का इंतजाम कर लिया है, और राज्य सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसको अपने हाथ में ले लिया जांय।

(श्री बरकतुल्ला खां)

सन् 1961 के अंदर जो कान्ट्रैक्ट हुआ था और जो अन्डरस्टैंडिंग हुई थी वह थी कि 31-3-71 को बगैर कुछ नोटिस दिए हुए, सरकार इस कंपनी को अपने हाथ में ले लेगी। मुझे इस बारे में कुछ शंका थी और मैं समझता था कि टैक्निकल बातों में हम न फंसे। इसलिए नोटिस देना अच्छा है या नहीं, इस सारे केस को मैंने श्री दफ्तरी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पास भेजा है, और आशा करता हूं कि दो तीन दिन के अंदर उनकी राय आजायगी, और राय आने के बाद राय देखकर, उसको समझकर, उस पर अमल करना चाहते हैं। मै आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कंपनी ने जिस तरीके की हरकतें की हैं उसके बाद सरकार खुद महसूस करती है कि इस कंपनी को आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि अजमेर वालों के साथ अन्याय करे। वह अपना मुनाफा कमाती रहे लेकिन जो बरताव किया है वह बुरा है सब तरीके से।

आज जो रेटिंग कमेटी की चर्चा है, मैं काफी समय से सोच रहा था, इस बारे में चर्चा भी मैंने की और बातचीत भी की है। मैं मानता हूं कि रेटिंग कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, यह चीज पहले से ही मेरे दिमाग में है और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी ओर से हम हर कोशिश करेंगे कि कंपनी की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। एक्सप्लॉयटेशन उस समय तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि कंपनी का सरकार टेकओवर न कर ले चूंकि तमाम कोशिशों के बावजूद कभी वह रेट बढ़ाती है, फिर हम उसको लिखते हैं और फिर रोक देती है और फिर कोई तरीका निकाल लेती है। इस तरह से अजमेर के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती। किस प्रकार से इस कम्पनी को टेक ओवर किया जाय इसके लिये राजस्थान विद्युत् मंडल ने एकाउन्टस बना लिये हैं कि अगर विद्युत् मंडल इसको टेक ओवर करता है तो दस साल में जाकर कितना फायदा होता है। जहां पब्लिक की शिकायतें दूर होती हैं तो राजस्थान विद्युत् मंडल को आर्थिक लाभ भी मिलता है। मैं कन्वीन्स्ड हूं कि इस कम्पनी को इसकी मियाद खत्म होने पर टेक ओवर कर लें।

श्री भगवान दास शास्त्री : मार्च से रेट बढ़ाने वाले हैं रेट्स वह नहीं बढ़ेंगी क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : उनके साथ जो हमने एग्रीमेन्ट किया था उनमें यह था कि राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से अधिक दरें वह नहीं बढ़ायेगी। यह कॉन्ट्रैक्ट 61 में हुआ किया गया था और फैसला किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट में जो परमीशन दी है, मैं चाहता था कि यह सवाल यहां न उठता तो अच्छा था। खैर, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो दरें हैं उससे अधिक नहीं बढ़ा सकती यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ कर लिया था। हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि इससे अधिक दरें न बढ़ा सकें। आज दरें बढ़ती हैं तो गवर्नमेन्ट अपना माइंड एप्लाई करे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन एक जानकारी करना चाहता हूं। अजमेर अमलगेमेटेड

(श्री भैरोंसिंह)

इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी कई कम्पनियों का समूह है। मैंने इसकी बैलेन्स शीट को देखी है और उससे पता लगता है कि जहां तक अजमेर को बिजली सप्लाई करने का सवाल है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बल्क सप्लाई लेने का सवाल आता है तो निश्चित रूप से यह कम्पनी प्रॉफिट में चलती है और वह प्रॉफिट भी 15 परसेन्ट से ऊपर है। यदि प्रॉफिट 15 परसेन्ट से ऊपर आता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के मातहत रेट्स को रिड्यूस करने का सवाल आता है न कि उनको बढ़ाने का। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि रेटिंग कमेटी एपॉइन्ट की जावेगी। वह क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। अपनी मर्जी से कर नहीं सकता था। उसने कानून के विपरीत रेट्स बढ़ाने की कोशिश की। रेटिंग कमेटी का सवाल नहीं है। कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरा, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनी को टेक ओवर करने का और न करने का सवाल दूर रखें, पहले स्टेट लेवल पर इस प्रकार की कम्पनी की बेलेन्स शीट की जांच की जानी चाहिये और यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि लॉस को इन्फ्लेट तो नहीं करती है और दूसरी कम्पनीज के घाटे को इसमें लेने की चेष्टा तो नहीं करती है? राज्य सरकार ने टेक ओवर के इश्यू पर विचार किया है, सरकार इस पर भी विचार करे जिससे न केवल राज्य सरकार को ही फायदा होगा जनता को भी राहत मिलेगी।

इसने रेट्स पहले बढ़ायी थी। उस वक्त की सरकार ने यह आदेश दिया था कि पेमेन्ट कराया जायगा जो अधिक पैसा इसने लिया है उसका। दस बारह लाख रुपया ऐसा है जो कन्ज्यूमर्स को रिफण्ड करना चाहिये था जो आज तक उनको रिफण्ड नहीं किया और आज तक यह कम्पनी कहती रही कि कन्ज्यूमर्स नहीं मिलते हैं। मैं पिछली दफा अजमेर गया था तो मैंने कहा था कि यदि यह कहा जाता है कम्पनी के द्वारा कि कन्ज्यूमर्स नहीं मिल रहे हैं तो एक नोटिस इस कम्पनी को दिया जाना चाहिये, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और तीसरा राज्य सरकार को दिया जाना चाहिये कन्ज्यूमर्स की ओर से जिससे इसका यह क्लेम भी न रहेगा कि कन्ज्यूमर्स नहीं मिल रहे हैं।

मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि इस कम्पनी ने रूल्स का वायोलेशन करके दस बारह लाख रुपये की रकम रोक रखी है जो कि कन्ज्यूमर्स को रिफण्ड की जानी चाहिये थी यह कह कर कि कन्ज्यूमर्स नहीं मिल रहे हैं, वह रकम उसको रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। कन्ज्यूमर्स नहीं मिलते हैं तो उसका फायदा वह नहीं उठा सकता। सरकार को वह पूंजी अपने पास लेनी चाहिये। इससे सरकार को दस बारह लाख का लाभ होगा और कन्ज्यूमर्स का इन्ट्रेस्ट होगा तो वह रकम वापिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी ले सकेंगे।

इलेक्ट्रिसिटी और सरचार्ज पर भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज और सरचार्ज वसूल कर जिस प्रकार गलत ढंग से अर्न किया है और वह रकम राज्य सरकार को जमा नहीं करायी। ऐसी स्थिति कुछ है। इसको टेक ओवर करने के साथ-साथ रूल्स का वायोलेशन और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया है उसकी एन्क्वायरी करके जितना ऐक्शन लिया जा सकता है वह लिया जाना चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यह कम्पनी कई बार सरकार के शिकन्जों से निकली है। इसको टेकओवर करने का प्रश्न पैदा होता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह कम्पनी जाती है, क्योंकि इसने डेलीबरेटली कुछ क्लाजेज एग्रीमेन्ट में रखवा रखे हैं और उससे वह बचने की कोशिश करती है। उपमंत्री महोदय यह स्टेटमेन्ट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इन्टेरिम स्टे मिला था, वह सुप्रीम कोर्ट से नहीं हाई कार्ट से मिला था और कम्पनी हार गयी तो सुप्रीम कोर्ट में गयी थी। स्टे ऑर्डर के कारण केस वापिस नहीं लिया है। उपमंत्रीजी की जानकारी है उस सीमा तक इसको दुरुस्त कर लें।

श्री खेतसिंह : कर लिया।

श्री बरकतुल्ला खां : भाई भैरोंसिंहजी ने जिन बातों का कहा उन मुद्दों पर सरकार का पूरा ध्यान है और मैं यह यकीन दिलाता हूं कि सही तरीके से पूरा करने की कोशिश की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

आय व्ययक पर अग्रेतर विचार

श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री महोदय के लोकतन्त्रीय समाजवाद की बात कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ दिनों पहले जनसंघ के माननीय अध्यक्ष श्री गुमानमलजी लोढ़ा का स्टेटमेन्ट निकला था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 1,376 मतों को टेम्पर करके राजस्थान में लोकतन्त्र की हत्या की गयी। उसके बदले में एक स्टेटमेन्ट प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री फूलचन्द जैन का निकला। उन्होंने सारी बातों पर लीपा-पोती करके यह बताया कि यह काण्ड हुआ है उसमें नाथूरामजी मिर्धा दोषी नहीं हैं।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir

Can we discuss the person who is not a member of this House and who is not present in this House ?

श्री भैरोंसिंह : कोई भी चोर और डाकू इस हाउस में नहीं आता है लेकिन चोर और डाकू के बारे में यहां चर्चा करते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : चोर डाकू का सवाल नहीं है, परसन का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे तो आखिर किस पर चर्चा होगी यहां पर ?

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर)

श्री गोरधन सोनी : उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया और कहा कि नाथूरामजी दोषी नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जिद्द पर नहीं हूं। मेरी निगाह में मिर्धा दोषी हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फसला दिया है...

श्री भैरोंसिंह : सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्जोनरेट नहीं किया है और न हाई कोर्ट ने किया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सुप्रीम कोर्ट ने नाथूरामजी को दोषी नहीं माना है।

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर्स पास किये थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने दूर नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट ने दोषी माना है।

श्री पी० के० चौधरी : जिस बेसिस पर था उसको उड़ा दिया है। हाई कोर्ट का यह था That it was not with the connivance ... .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। आप जब डिबेट में हिस्सा लें उस वक्त अपनी बात कह सकते हैं इस वक्त नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको चिढ़ इसलिए लग रही है कि ऐसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नीचे वे प्रधान मन्त्री हैं।

श्री गोरधन सोनी : यह जरूर लिखा है। हमने नहीं कहा है यह तो दाऊलाल तहसीलदार ने खुद ने इसको कबूल किया है। इस व्यक्ति पर जिस प्रकार से दबाव डाला गया और जिस प्रकार से स्टेटमेण्ट दिलवाया गया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इतना होने पर भी इसका वित्त मन्त्री के भाषण में कुछ जिक्र नहीं किया गया। इस तरह से जो लोकतन्त्र बदनाम होगया, जिसकी हत्या हुई है उस मामले में जांच की जानी चाहिये। मैं पी० के० चौधरी एवं श्री जैन से पूछना चाहता हूं क्या महामन्त्री होने के नाते उनकी ड्यूटी नहीं थी कि जहां उनके अनुकूल स्टेटमेण्ट में वहां जो इस प्रकार का जालसाजी का काण्ड हुआ है उसकी जांच के लिये कहा जाता और इसमें दोषी पाने वालों को सजा दी जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री ने किस प्रकार से लोकतन्त्र की हत्या करने वालों को बचाने का प्रयत्न किया मैं कांग्रेस के विधायक एवं उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कभी उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए? लोकतन्त्र की जो मत पत्रों की जालसाजी करके हत्या की गई क्या आपने उसकी जांच की मांग की? उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं वे समाजवाद और लोकतन्त्र की बातें तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी इनमें आस्था नहीं है। अगर आस्था होती तो इस प्रकार की बात नहीं होती इतने गम्भीर मामले को इस तरह से नहीं टालती। इस बारे में मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता चुनाव क्षेत्र से मैं जीत कर आया उसके बाद यह पिटीशन दायर कर दी उसके कारण मैं इस बारे में प्रकाश नहीं डाल सका क्योंकि यह अन्डर जुडिशियल (सब-जुडिस) था मैं निवेदन करना चाहूंगा काउण्टिंग के समय नाथूराम मिर्धा दो दिन तक वहां रहे और एक कहानी तैयार की कि फलां फलां स्टेशन पर बण्डलों की अदला बदली हुई। चार एडवोकेट्स को प्रभावित करके उनसे झूठी गवाही दिलवाई कि ये बण्डल इधर-उधर हो गये। दो प्रधानों को प्रभावित करके हाई कोर्ट के सामने झूठे बयान दिलवाये। मैं वहां मौजूद था किसी प्रकार से भी वोटों के मिलने की बात नहीं हुई उन्होंने वोटों के

(श्री गोरधन सोनी)

मिलने की शिकायत भी नहीं की, काउण्टिंग के दौरान नहीं की। दो दिन तक काउण्टिंग के समय तक वे रहे। मैंने उसी समय मेरे खिलाफ अन्याय होता देखा कि मेरे ज्यादा वोट रिजेक्ट किये जा रहे थे उसके बारे में मैंने इलेक्शन कमिशनर श्री सक्सेना को शिकायत की, श्री सेन वर्मा को शिकायत की और मेरी सुनवाई हुई। दूसरी तरफ राजस्थान के फूड मिनिस्टर के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा था उनके पन्द्रह सौ वोट रिजेक्ट किये जा रहे थे और उन्होंने शिकायत नहीं की यह कोई मानने लायक बात हो सकती है ? उन्होंने कलेक्टर को नहीं कहा, इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें साजिश थी इसलिये उस समय बिल्कुल चुप रहा गया और एक कहानी बना कर मेरे खिलाफ 22 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेअर हुआ और 1 तारीख को चुनाव पिटीशन दायर कर दी। काउण्टिंग के समय जब वे मौजूद थे उस समय बण्डलों के इधर उधर होने की बात नहीं कही जब उनको पता चल गया कि वोट टेम्पर कर दिये गये हैं तो उसके बाद में पिटीशन कर दी। पिटीशन का कोई आधार नहीं था।

(2.55 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इस तरह से सही दृष्टिकोण से सोचा जाय तो आप इस आरोप से उनको बचा नहीं सकते। वोट जो टेम्पर किये गये उसमें उनका हाथ था....

श्री मूलचन्द डागा : सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी नहीं माना है। जब जजमेण्ट हो गया है तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिये। आप यदि जनतन्त्र में विश्वास करते हैं तो आप लोग बराबर चार्ज लगाये जाते हैं जब कि वे चार्जेज साबित नहीं हो सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो श्री नाथूरामजी मिर्धा को केन्द्र में भिजवा दीजिये और वहां अध्यक्ष बनवा दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : सुप्रीम कोर्ट ने नाथूरामजी मिर्धा पर कोई चार्ज नहीं लगाया है। आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट का आदर करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अन्तर्गत नीचे की कोर्ट का जो फैसला है वह सेट असाइड नहीं होता है वह माना जाता है। हाई कोर्ट ने उनको दोषी माना है वोटों में हेरफेर की जालसाजी की.........

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं कहा कि इनको कोई कनाइवेन्स थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके पापों का घड़ा भर गया है वह तो फूटेगा ही।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो कोई पाप ही नहीं करते और न करने के आदी हैं। हमारे पाप तो पैदा होते ही नहीं।

श्री बालसिंह सोढा : यह आपको कब से ब्रह्म ज्ञान हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : ये हारे हुए लोग जो होते हैं वे यों ही कहते रहते हैं। हाई कोर्ट ने कोई दोष नहीं लगाया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस पर।

श्री गोरधन सोनी : मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं हाई कोर्ट में लोगों को झूठी गवाही देने के लिए क्या जुल्म ज्यादती की ? डागाजी हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं उसके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस घृणित तरीके से आप लोगों ने वोटों को टेम्पर किया और उसके लिये किस प्रकार से हर गवाह को टेम्पर करने का प्रयत्न किया गया, उन पर दबाव डाला गया ताकि वे सही बात न कहें। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक तहसीलदार बेचारे को····

श्री पी. के. चौधरी : सुप्रीम कोर्ट ने आपके वकील द्वारा दाऊदयाल के जो बयान करवाये उसको कण्डेम किया है।

श्री गोरधन सोनी : उसके बारे में किसी प्रकार के स्ट्रिक्चर्स नहीं दिये गये। यह आपका कहना सत्यता से परे है। जो दाऊलाल माथुर ने सही सही बात कही वही बात टेप रेकार्ड में है। श्री दाऊलाल माथुर 20 मार्च को, सभापति महोदय, तारीख कुछ इधर-उधर हो सकती है, चीफ मिनिस्टर व वित्त मंत्री महोदय ने सरकिट हाउस में बुलवाया। वहां पर सुखदेव आर्य के सामने उसको दबाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हें नाथूरामजी के पक्ष में गवाही देना चाहिये। वित्त मंत्री जी ने माथुर से सारी बात सी. एम. के नाम पर कही यह बात मुझे श्री दाऊलाल माथुर ने बतलायीं।

सभापति महोदय, इसका किस्सा बहुत लम्बा है एक नहीं कई गवाहों को दबाया गया और कहा गया कि सही मत बोलो और गवाही देने मत जाओ। यह बड़ी शर्मनाक बात है। मेरे 1376 वोटों को टेम्पर किया गया। नाथूरामजी ने चार एडवोकेट्स से यह कहलवा दिया कि वोटों के बण्डल स्टेशन पर इधर से उधर मिल गये। उनसे जान बूझकर झूंठ बुलवाया गया। मैं जो बात सही है वही कह रहा हूं। इस तरह से जो लोकतन्त्र के साथ मजाक हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये तो लोकतन्त्र के हत्यारे हैं।

श्री गोरधन सोनी : यह सब सुखदेव आर्य ने कराया है ···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : येन केन प्रकारेण ये चाहते हैं कि उनको भी किसी तरह से विधान सभा में लाया जाय लेकिन हारे हुओं को पांच वर्ष तक विधान सभा में आने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : महारावल साहब, ये तो यह चाहते हैं कि चाहे लोकतन्त्र की हत्या हो इनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, ये येन केन प्रकारेण ऊंचे पदों पर बने रहें। इस वर्ष गान्धी शताब्दी वर्ष में गान्धीजी की जयन्ती न मनाकर नाथूरामजी की जयन्ती मनानी चाहिये।

(3 म० प०)

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है। किसको प्रेसिडेन्ट बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, इसका सम्बन्ध इस बहस से नहीं है। You should withdraw these inferences about income-tax and those things.

श्री विजयसिंह : We have every right to say that ...

श्री पी. के. चौधरी : इस तरह से आप किसी पार्टी के किसी सम्माननीय मेम्बर को गिराने की चेष्टा करेंगे तो हम भी करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप से ऐसी आशा नहीं थी । मतपत्रों में जालसाजी कराने वाला किसी संस्था का प्रेसीडेन्ट हो उसका सेक्रेटरी पी. के. चौधरी हो यह शोभा नहीं देता । उनको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री गोरधन सोनी : उनमें अन्तरात्मा की आवाज आती तो अच्छा होता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अन्तरात्मा के नीचे पेट की आवाज भी तो है ।

श्री हीरा भाई : ये इस तरह से नाथूरामजी को बिलकुल खत्म करना चाहते हैं ।

श्री गोरधन सोनी : जिस समय हमने शिकायतें कीं, भ्रष्टाचार की बात कही, चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायत की, लोगों को अनुचित ढंग से, उन गडबड़ियां करने वालों को लाभ पहुंचाया है । मैं निवेदन करूं कि मैं मेड़ता क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं । मेरी इन सारी शिकायतों में से एक शिकायत का जवाब नहीं मिला ।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर । अपने नियमों में प्रावधान है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : किसके खिलाफ कहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके खिलाफ आरोप लगाये हैं ? बताइये ।

श्री मूलचन्द डागा : वे कानून से परिचित हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप नाम लें । किसके खिलाफ कहा ?

श्री मूलचन्द डागा : छींटाकशी किसी के खिलाफ करने से लाभ नहीं होता, जो सदन में बैठते नहीं ।

श्री गोरधन सोनी : यह तो लोकतन्त्र की रक्षा करने का सवाल है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कहेंगे मसानी साहब के खिलाफ क्यों कहा, अगर हम उनके खिलाफ कहेंगे तो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डागाजी चाहते हैं कि नाथूरामजी की रगड़ाई हो ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : सभापतिजी, मामला बिलकुल साफ है । वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट को आधार बनाकर बोल रहे हैं । आपके खिलाफ जो जजमेन्ट है, और आपने जो जो खुराफातें की हैं, तो उनके बारे में हम बोलना चाहें तो बोलेंगे । आप उनका जवाब देना । अगर मैंने या आपने अनड्यू इन्फलुएन्स के जरिये सरकारी अधिकारियों के जरिये करप्शन की बातें की हैं और उन पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन्स दिये हैं और सदन में जो हमारे सदस्य हैं उनके चरित्र के बारे में, कण्डक्ट के बारे में

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

अन्वेषण किया जावे, प्रश्न खड़े किये जावें तो यह भी लाया जा सकता है। इसमें कोई ऐतराज जैसी बात नहीं है। यह सार्वजनिक प्रश्न है। इनके बारे में चर्चा होनी ही चाहिये।

श्री विजयसिंह : नाथूरामजी के बारे में क्या क्या कहा है। वैसे तो कहा ही नहीं है।

श्री सभापति : आप जनरेलाइज करें। एक दो व्यक्तियों के खिलाफ ही न कहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नीतियों की चर्चा के समय व्यक्तियों की चर्चा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सभापति महोदय, एक गम्भीर प्रश्न है। क्या उपाध्यक्ष महोदय, द्वारा दिये गये रूलिंग को सभापति ओवर रूल कर सकते हैं।

श्री सभापति : डिप्टी स्पीकर ने कह दिया है वह ठीक है। ये जनरेलाइज कर सकते हैं न कि एक ही व्यक्ति पर सेन्ट्रेलाइज करें।

श्री भैरोंसिंह : तो आपका मतलब यह है कि केवल नाथूरामजी का ही नाम नहीं लिया जावे सुखदेव मिर्धा या रामधन, दाऊदयाल इन सबके नाम लेकर इसको जनरेलाइज किया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : 272 में साफ है। जब कि नियमों में मना है तो आप ख्वामख्वाह नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाथूरामजी आपसे राय नहीं लेंगे।

श्री गोरधन सोनी : डागा साहब की तो आदत हो गई है। डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं डागा साहब से कहूंगा कि बजट भाषण में पेज नं० 17 पर देखें। उसमें कहा गया है कि सरकार का लोकतान्त्रिक व्यवस्था में दृढ़ विश्वास है। मैं यह कहने जा रहा था कि जिसकी इतनी शिकायतें हुई . . .

श्री भैरोंसिंह : (श्री बिशम्भरनाथ जोशी के खड़े होने पर) आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किताब तो उल्टी रखी है। (अल्प विराम के अनन्तर) उन्होंने तो मजाक में कह दिया। आप सचमुच में ही खड़े हो गये ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं रूल 273/75 की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं वह बजट से किसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है। वह इर्रेलेवेन्सी की तारीफ में आता है। 275 के तहत आपको पॉवर है कि आप माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करके स्पीच डिसकन्टीन्यू भी कर सकते हैं। सदन का एक एक क्षण कीमती है। बजट पर बहस हो रही है तो आर्थिक नीतियों का विश्लेषण होना चाहिये अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के बारे में भी कहें तो ठीक है। पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो मामला बजट से ताल्लुक नहीं रखता हो उसका

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

जिक्र करें तो यह ठीक नहीं है। मैं आपका ध्यान रूल 273 की तरफ दिलाना चाहता हूं :—

"Rule 273 : Procedure regarding allegation against a person. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

"Rule 275 : Irrelevance or repetition.... The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech."

अब आपने कहा श्री जैन साहब के बारे में। फिर कहा श्री नाथूरामजी के बारे में वे नम्बर आफ ईयर्स तक इस सदन के मेम्बर रहे हैं तो थोड़ी सी कर्टसी और रिगार्ड तो दिखाइये। ऐसा ही सवाल जब यहां पर पैदा हुआ था दूसरे माननीय सदस्यों को कहा गया कि सदन के सदस्य थे आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं इसलिये कुछ कहने के लिए सावधानी रखनी चाहिये वे भी सदन के सदस्य रहे हैं। इसलिए भी वह कर्टसी के एन्टाइटल्ड हैं। जो कुछ रिमार्क्स दिये गये बाई नेम नाथूरामजी मिर्धा को रेफर किया। दूसरे जो सीनियर मेम्बर हैं चोर और डाकू की बात भी कहते हैं तो बाई कम्पलीकेशन वाट इज इट मीन? I am very sorry for this type of expression.

इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : By implication what does it mean?

श्री विजयसिंह : Whatever he has said should be expunged.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राज्य वित्त मंत्री महोदय, का स्टेटमेंट इस तरह का है कि पांच वर्ष के नौकरों को कोई मास्टर पढ़ाता हो।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह तो आपका धन्धा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I am holding the floor. I have every right to speak.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I also have the same right.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You have had your right; when you were speaking, I was sitting and listening to you. So when I hold the floor, you should also sit and have the common sense

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

to listen to me. Otherwise you are not a democrat, you are a fascist.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैंने कम्पलीट नहीं किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है दूसरा पॉइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

जब आपने एक दफा पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है फिर दूसरी बार पॉइन्ट ऑफ आर्डर कैसे उठा सकते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैंने अपने कथन को कम्पलीट नहीं किया था।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : आप बैठ गये थे। आपकी बात दूसरे सुनें तो नैतिकता का यह नियम है और सदन की परम्परा है आप दूसरों की बात को भी सुनें। बीच में हस्तक्षेप करने का कौनसा नियम है, यह कौनसे नियम में लिखा है ? नियमों की दुहाई देते हैं, मैं कहता हूं कोई कनवेन्शन नहीं है कि बीच-बीच में हस्तक्षेप करें।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट, सभापति महोदय, लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने उन्हें बच्चा कह दिया और बुरी तरह डांट दिया यह बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह न आप रखतें है और न मैं…

एक माननीय सदस्य : एक्सपंज, एक्सपंज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The point that I wished to make is that there is no point of order in what the State Minister gets up and says. It is absolutely muddle headed thinking and complete nonsense.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : It is non-sense on the part of the Leader of the Opposition not to appreciate the rules of the House, I am constrained to say.

श्री नत्थीसिंह : हिन्दी में बोलें, अंग्रेजी में मत बोलो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Again you are doing the same thing. I am holding the floor. You must at least have the liberality to listen to me, and then you can blow up to the sky and do what you like.

The Hon. Member is just dealing with corrupt practices relating to elections. This Government professes socialism. This Government is the guardian of maintaining purity of elections. The very anti-thesis of corruption in the elections is the basis on which the Hon. speaker is speaking, and the Hon. State Minister for Finanee has not got the decency to sit down and listen to him. Fie and shame on you.

Page No 97

श्री विशम्भरनाथ जोशी : The Leader of the Opposition is again and again rising and repeating certain words that have now become a common cant.

श्री विजयसिंह : Don't disturb. Listen to him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जरूरी नहीं है कि महारावल साहब अंग्रेजी में बोलें तो आप उनकी नकल करें। नकल के लिये शक्ल चाहिए।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 275 के तहत उस समय भी यह कह दिया गया था। मिस्टर चेयरमैन, आपने स्पेसिफिक कह दिया था कि 10-15- मिनट बोलेंगे 25 मिनट बोले हैं, इसलिये अब स्पीच नहीं होनी चाहिए। आप जो भी उचित समझें रूलिंग दे दीजिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय...

श्री भैरोंसिंह : मंत्री नहीं राज्य मंत्री।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, यह रूल 273 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई है। मैं समझता हूं यह उनकी जो समझ है उससे ऊंची बात है। उनकी समझ इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती है। इसका मुझे खेद है। इस नियम में यह लिखा है—

"Any allegation of defamatory or incriminatory nature..."

इसका मतलब क्या कोई ट्रूथ स्टेटमेंट हो उसको डिफेमेटरी बोलेंगे, डिफेमेटरी किसे कहते हैं? जब झूठी बात किसी को बदनाम करने की गर्ज से रखी गई हो उसे डिफेमेटरी कहते हैं। कोई चोर, सभापति महोदय, हो और उसे कह दिया जाय चोर है यह झूंठ कहां हुई? यह डिफेमेटरी कहां हुई? रूल्स के अन्तर्गत कोई डिफेमेटरी नहीं है। इन्क्रीमीनेट्री स्टेटमेन्ट नहीं दिया जाय परन्तु......

श्री मूलचन्द डागा : "No allegation of defamatory or incriminatory nature..."

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसका मतलब स्टेटमेण्ट आफ दी ट्रुथ नहीं दिया जाय उसके अन्तर्गत एक प्रोविजो लगा हुआ है...

श्री मूलचन्द डागा : ...shall be made by a member against any person..."

श्री विजयसिंह : इनक्योरेबिल, डिसीज है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इसके लिये इसमें लिखा है, आसन को ताकत दी हुई है। वैसे अगर कोई मामला हो तो आसन फौरन रोक सकता है या ध्यान आकर्षित कर सकता है लेकिन कब? उसकी मर्यादा प्रेस्क्राइब्ड है। उसकी मर्यादा यह है—

"Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served .. ...."

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं न ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अगर इस हाऊस की डिगनिटी के खिलाफ हो या पब्लिक इन्ट्रेस्ट को सर्व करने वाला नहीं हो, इस प्रकार की बात चल रही हो तब तो रोक दीजिये कि हाऊस की डिगनिटी उससे हेम्पर होती है परन्तु जब हमारे मूलभूत अधिकार हैं जिसके ऊपर प्रजातन्त्र का ढांचा है जिसके ऊपर हम सारे संसार में सभ्य गिनने की बात कहते हैं। मत पत्रों में गड़बड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो उस हिसाब से तो ·· ···

श्री विजयसिंह : फिर तो तानाशाही होगी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : जनतन्त्र का गला कट जायगा।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, भाषण खत्म करें।

श्री मूलचन्द डागा : जो इन्टरप्रिटेशन आपने किया है। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। एक सवाल है आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने यह काम किया और इस प्रकार दोषारोपण का काम किया तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है और उनको निर्दोष साबित कर दिया है। वे दोषी नहीं है !

श्री गोरधन सोनी : ऐसा नहीं कहा है। आपने उसको पढ़ा नहीं है जजमेंट को····

श्री मूलचन्द डागा : एक बात सुनिये, आप सुनने की कोशिश नहीं करते। सभापति महोदय, एक बात साफ है सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नहीं माना। उस हालत में 273 साफ है। डिफेमेट्री और इन्क्रीमिनेट्री—"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person··· ·· "

आप उन पर दोषारोपण करते हैं जो दोषी नहीं ठहराये गये हैं, उस हालत में हाऊस की गरिमा को देखा जाना चाहिये। अगर वह ठीक बात होती और सही होती तो वाजिब थी और सुप्रीम कोर्ट की वह लाइन पढ़ते जिसमें यह माना है कि नाथूरामजी इस बात के लिए दोषी हैं। अगर वह साबित नहीं हुआ तो आप लोकतन्त्र में इस प्रकार की बात न करें। सुप्रीम कोर्ट है उसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिये। विचारों का सम्मान करना चाहिये सुप्रीम कोर्ट लोकतन्त्र पर आचरण और व्यवहार करता है और जो हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, लोकतन्त्र की वह खुली हत्या है। दोषारोपण साबित नहीं हुआ है। आप 273 की अवहेलना कर रहे हैं। लोकतन्त्र के आचरण के खिलाफ आचरण कर रहे हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हरएक जनतन्त्र राज्य में एक कोर्ट आफ लास्ट रिसोर्ट हुआ करता है और वह है लोकतन्त्र। यह जनमानस है आखिर जन-मानस की एक प्रक्रिया है— Observations on the floor of the House.

कोर्ट आफ लास्ट रिसॉर्ट जो आखिरी कोर्ट है जनतन्त्र की वह क्या फैसला करने वाली है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गोरधन सोनी : सभापति महोदय, माननीय डागा जी की आदत पड़ गई है डिस्टर्ब करने की। मैं जनतन्त्र की बात कर रहा था। मेड़ता जनसंघ ने आज से दो वर्ष पहले सुखदेव आर्य के 15 घोटालों का पर्चा निकाला था और यह पर्चा मन्त्रियों के पास भी भेजा गया था। मैंने उस पर्चे को सतर्कता आयोग के पास भी भेजा था कि इसकी जांच कराई जाय।

.... लेकिन, सभापति महोदय, आज तक इसमें से एक भी मामले की जांच नहीं हुई। क्या यही प्रजातन्त्र है? मैं पूछना चाहता हूं कि एक जनसंघ पार्टी कहती है, मैं पूछना चाहता हूं एक विधायक कहता है कि इस ढंग से घोटाले हो रहे हैं और लिखित रूप में परचे छापे जायें और जांच नहीं हो और एक विधायक की बात नहीं सुनी जाय और पार्टी की बात नहीं सुनी जाय तो व्यक्ति विशेष की बात को कौन सुनेगा? यही कह रहा हूं। क्या ऐसा ही जनतन्त्र आप दे रहे हैं? क्या इसी जनतंत्र की दुहाई देते? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अभी डागाजी ने कहा कि जब तक अपराध साबित नहीं हो तब तक नहीं कहना चाहिए। पर किसी अपराध की कोई जांच ही नहीं करे तो कैसे होगा? हम कहते हैं कि फलां ऑफिसर गड़बड़ करता है, घोटाला करता है और राज्य सरकार सुने नहीं, जांच नहीं करें तो क्या यही डेमोक्रेसी है? तो, सभापति महोदय, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब जनतन्त्र के बाद में समाजवाद की बात कहूंगा ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो स्वतन्त्र पार्टी की बात कहें समाजवाद की क्यों?

(3.21 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोरधन सोनी : इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हम समाजवाद की बातें करते हैं और आज भी देश में एयर कन्डीशन्ड मकान हैं और कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हैं। आज भी रेल्वे में फर्स्ट क्लास, सेकिण्ड क्लास और थर्ड क्लास है और एयर कन्डीशन्ड भी हैं और आप समाजवाद की बात करते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट का वकील 1500, 2000 3000 और 4000 रुपये लेता है और साधारण वकील 50-60 रुपया लेकर पांच-छः पेशियां कराता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बात करने वाले इसको नहीं देखते कि इस तरह का डिफरेन्स लोगों में चलेगा तो समाजवाद कैसे आयेगा? एक दिन के कोई 3-4 हजार ले ले और कोई पांच-छः दिन में 50-60 रुपये ले। एक आदमी एयर कन्डीशन्ड में रहे और एक फुटपाथ पर सोये तो यह कैसा समाजवाद है? ....

श्री विजयसिंह : डागाजी को तो 5 रु. ही मिलते हैं यह कौनसा समाजवाद है?

श्री गोरधन सोनी : मैं समाजवाद की बात और कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई ऑफिसर होंगे जिनको 500, 1000, 2000 या 3000 रुपये तनख्वाह के मिलते होंगे लेकिन अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले लोगों को 1 रु०, 1½ रुपया मिलता है जो कि 30 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की माहवार मजदूरी पड़ती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे

(श्री गोरधन सोनी)

निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यही समाजवाद का नमूना है कि राजस्थान के एक ऑफिसर को तो 3000 रुपये माहवार मिलें और एक व्यक्ति जो श्रम करता हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 और 6 बजे तक काम करता है उसको 30 से लेकर 45 रुपये तक माहवार के मिले, यह, उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद नहीं है। हमें इन बातों के ऊपर विचार करना चाहिए।

इसके सिवाय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो 1 रुपया, 1¼ रुपया और 1½ रुपया दिया जाता है यह भी समय पर नहीं दिया जाता है। यह भी 1½ और 2½ महीने से दिया जाता है। वह चिल्लाते हैं तो भी उनकी परवाह नहीं की जाती। मैं कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए महानुभावों से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इसके ऊपर चिन्तन करेंगे और इसके लिए उचित व्यवस्था मन्त्री महोदय से करने के लिए कहेंगे। ढंग से हम समाजवाद की बात करें और लोगों को न्याय नहीं मिले।

इसके सिवाय अकाल राहत के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। जिस ढंग का चारा हमारे नागौर जिले के पशुओं को खिलाया गया मैं ठीक कहता हूं हूं कि उसको पशु नहीं खाते। हमारे मेड़ता में चारे का एक डिपो रखा गया था और राज्य के बाहर जाने वाले जानवर वहां से जाते थे। वे लाचार थे। मुझसे चारा लेते हैं और पशुओं को देते तो पशु एक दो मुंह मारकर छोड़ देते और उसे कुम्हार लोग ले जाकर काम में लेते। और आप चाहें तो मैं चारे का सेम्पल भी यहां रख सकता हूं कि जिस प्रकार का चारा पशुओं को दिया गया। यह बड़े शर्म की बात है कि यह चारा 27 रुपये क्विटल के हिसाब से राज्य सरकार ने खरीदा है और वह पशुओं में वितरण के लिए दिया गया है। पशुओं ने उसको नहीं खाया। 5 रुपये क्विटल का चारा 27 रुपये क्विटल में लिया तो इससे राष्ट्र के धन को कितना नुकसान हुआ होगा?

श्री विजयसिंह : और यह चारा भी कई लोग खा गये।

श्री गोरधन सोनी : इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल पीड़ित क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। 16 जिलों में 70 लाख लोग प्रभावित हैं और नागौर में करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस समय 10 हजार आदमी काम पर होंगे और बाकी लोग काम के लिए तरसते हैं। लोगों को 1½ रुपया और 1¼ रुपये की मजदूरी चाहिए लेकिन वह भी नहीं मिलती। मैं बार बार कलेक्टर से आग्रह करता हूं कि सभी जगह काम खोले जायें और पांच पांच मील पर अकाल राहत कार्य खोले जायें जिससे कि मजदूर अपने पेट का पालन कर लें लेकिन राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है।

इसके साथ ही बजट के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में मितव्ययता का कहीं भी जिक्र नहीं है जिसके लिए गांधीजी सदा प्रेरणा देते थे और जिसकी आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर वित्त मंत्रीजी नये टेक्स लगाने के बदले मितव्ययता की तरफ कदम बढ़ाते तो ज्यादा उपयुक्त होता। हमें सत्यता से इन्कार

(श्री गोरधन सोनी)

नहीं करना चाहिए कि हमारा मंत्रीमण्डल काफी बड़ा है। अगर वित्त मंत्रीजी ध्यान देते और सुझाव देते तो वह संख्या कम की जा सकती थी और अकाल पीड़ित लोगों पर भार कम पड़ता और उनको राहत मिलती और वही पैसा बचाकर अकाल राहत में लगाया जा सकता था।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि समाजवाद के साथ में को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को भी काफी महत्व दिया जाता है लेकिन जिस ढंग से आज को-ऑपरेटिव, सुपर बाजार आदि में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है अगर सरकार चाहती तो इस मूवमेन्ट को बन्द कर सकती थी और इससे जो हानि हो रही है वह बचाई जा सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे देश में इनकम टैक्स का कानून है जिसके अन्तर्गत सगे भाई हैं अगर 4 भाई इकट्ठे रहते हैं तो उनको किसी तरह की छूट नहीं है। अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको 5-5 हजार की छूट से 20 हजार की छूट मिलती है। तो उपाध्यक्ष, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिनका धंधा एक है, जिनका खून से संबंध है इनकम टैक्स कानून के जरिये सरकार उनको बाध्य करती है कि अलग अलग रहे तो उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इधर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये सरकार कई तरह के लोगों को मिलाकर काम करने की प्रेरणा देती है। अनुदान के लोभ से और सहायता के लोभ से इन कामों में लोग संलग्न हो जाते हैं और पैसे का उसमें दुरुपयोग होता है। तो मैं चाहता था कि वित्त मंत्रीजी इस तरफ ध्यान देते।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समितियों के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज उनके पास कोई फंक्शन नहीं हैं लेकिन उतनी की उतनी ही पंचायत समितियां, बी० डी० ओ० और जीपें और पैसे का भारी दुरुपयोग और पक्षपात इन पंचायत समितियों में होता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर वित्त मंत्रीजी चाहते और मितव्ययता में विश्वास करते तो निश्चित रूप से पंचायत समितियों को समाप्त करने का इस बजट मे प्रावधान लाते और राजस्थान के खर्चे में इससे बहुत कमी आती।

इसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहूंगा। इस मामले में हमारे राजस्थान में बड़ी परेशानी है। जगह जगह निरतर अकाल पड़ते रहते हैं और लोगों के पास पैसे की कमी है। समाजवाद के नाम पर लोगों से टैक्स लिया जा रहा है और दान करने की प्रवृति लोगों में कम हो गयी और स्कूलों में कमरों की कमी है। सरकार जनता से कहती है कि कमरे बनवाये, पैदावार होती नहीं है और बिना किसान के सम्पन्न हुए पैसा आता नहीं और दान में मिलता नहीं। तो कोई कमरों के लिए पैसा लगाता नहीं। अभी पंचायत समिति मेड़ता ने 12 गोदाम बीज रखने के लिए बनवाये और वह गोदाम यों के यों पड़े हैं। तो इस फिजूलखर्ची की तरफ ध्यान मैं सरकार का दिलाता हूं। शिक्षा के महत्व को कम करके भी फालतू कामों में खर्च करें यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मेड़ता एक बहुत बड़ी जगह है वहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है और कई दिनों से हम मांग कर रहे हैं। वहां के बच्चों को इससे तकलीफ होती है

(श्री गोरधन सोनी)

और उनको आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है।

कई जगह पर नियमों के अनुसार कमरे बना रखे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि यहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल या सेकेण्डरी स्कूल हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पर आठवीं तक पढ़ाई है लेकिन आज तक वह नहीं हो रहा है। जहां पर जरूरत है वहां पर पैसा नहीं लगा रहे हैं।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पतालों की तरफ भी ध्यान खींचना चाहूंगा। मेड़ता क्षेत्र में अस्पताल की बड़ी कमी है। नागौर में अभी भयंकर बीमारी आई थी जो कि एक बुखार के रूप में थी और उससे लोग काफी मरे, लोग दर दर भटके लेकिन अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं लगातार तीन वर्षों से मांग कर रहा हूं कि गगराना, बग्गड़, डांगावास आदि इन जगहों में अस्पताल होना चाहिए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आज तक कहीं अस्पताल नहीं खोले गये हैं। लोग 10-10, 20-20 मील दवा के लिए जाते हैं। उन लोगों को बड़ी परेशानी है। जिस चीज से मनुष्य के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है उसकी सरकार उपेक्षा करें तो उससे बड़ी क्या बेरहमी की बात होगी।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब हमारे नागौर जिले की सड़कों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल कोई भी प्रावधान बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने नहीं रखा है। मैं मानता हूं कि अकाल राहत कार्यों में वहां पर कुछ सड़कें बन रही हैं, लेकिन जो गत साल बनीं वे अनुपयोगी रहीं। कुछ मिट्टी डाली गई, कुछ कंकड़ी इकट्ठी की गई और फिर वर्षा में वह इधर उधर हो गई और उसका उपयोग नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा जोर देता रहा हूं कि जिस पैसे को राज्य सरकार लगाये और जनता की सहूलियत के लिए खर्च करे उस पैसे को सही ढंग से लगाना चाहिए और उसका सदुपयोग होकर उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। आज तक मैंने कई बार ध्यान दिलाया पर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया।

मेड़ता तहसील में उपाध्यक्ष महोदय, गत साल एक मील की भी डामर की रोड नहीं बनी है। जो भी वहां पर सड़कों का काम चल रहा है तो वह यह है कि मिट्टी डालते हैं, लेकिन उन पर डामर नहीं होता है। आप 50 मील की जगह 10 मील ही बनायें लेकिन ऐसी बनाये कि उसका उपयोग हो सके। लेकिन वहां पर खाली मिट्टी डाल दी गई तो वह हवा में बह जायगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोगों को काम दिया जाय, लेकिन इस बात को चाहता हूं कि जो काम दिया जाय और जो पैसा लगाया जाय उसका सदुपयोग हो, सड़क भी अच्छी बने और लोगों को राहत मिले। मेड़ता में उनकी स्थिति बड़ी खराब है।

जसनगर नदी कई बरसों से पड़ी है वह अच्छी नहीं है। उसके कारण से बारिश में आवागमन में लोगों को तकलीफ होती हैं, वाहनों को तकलीफ होती है। सड़क की मरम्मत नहीं होने से सवारियों को तकलीफ होती है, गाड़ियों को तकलीफ होती है। इस तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(श्री गोरधन सोनी)

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू कि छोटी-मोटी बातों के लिए लगातार मैं दो वर्षों से कह रहा हूं कि मेड़ता से अजमेर डाइरेक्ट बस चलना चाहिए। इसमें खर्चा नहीं हैं लेकिन इस तरफ भी सरकार ध्यान नहीं देती है।

इसके साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स की दिक्कतों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सैल्स टैक्स में अनेक तरह की दिक्कतें, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हैं और समय-समय पर इसके बारे में वित्त मंत्रीजी को रिप्रेजेन्ट भी करते रहे हैं, उन्हें ज्ञापन भी देते रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है कि व्यापारी कोई जनता नहीं हैं और उनकी किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस देश में किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सभी आवश्यक हैं और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी वर्ग को तकलीफ होती है तो वह जनता की तकलीफ है और उसको सुनना चाहिए, और यदि वह सही पाई जाय तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने व्यापारियों के लिए सैल्स टैक्स के लिए टर्नओवर की सीमा बाँधी है कि किसी आदमी की 30 हजार की टर्नओवर होती है तो सैल्स टैक्स का वह नम्बर लेगा, लेकिन नाज को उससे अलग रखा है। उसके सम्बन्ध में 5 हजार ही रखा गया है। इससे क्या होता है कि इसकी गिरफ्त में छोटे छोटे आदमी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल सवा, डेढ़ रुपया किलो का गेहूं है और 80-90 पैसे किलो की बाजरी है तो एक रुपया किलो का एवरेज भाव है और 20 किलो नाज एक व्यापारी बेचता है, एक छोटा गांव का दूकानदार है वह बेचता है 7200 रु० का अनाज वह बेचता है और 7200 रुपये की टर्न ओवर के नाते उसको सैल्स टैक्स नम्बर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज्योंही सैल्स टैक्स का नम्बर लेना पड़ा कि सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर और सेल्स टैक्स ऑफिसर के जुल्म सहन करने पड़ते हैं। आये दिन नागौर जिले में सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर और सैल्स टैक्स आफिसर जुल्म करते हैं और वहां की जनता ने कई बार वित्त मन्त्रीजी को इस बारे में शिकायत की है, लेकिन वित्त मंत्रीजी ने हमेशा उसे दरगुजर करने की कोशिश की है। सैल्स टैक्स आफिसर्स का फर्ज, उपाध्यक्ष महोदय यह होता है कि कोई चीज व्यापारियों के समझ में नहीं आती है और अगर कोई टेक्निकल गलती उनसे रहती है तो यह कहें कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए और उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी राज्य सरकार की आय के स्रोत हैं और सैल्स टैक्स आफिसर उसका माध्यम है। उसकी यह नियत होना चाहिए कि व्यापारियों के साथ में अच्छे से अच्छा व्यवहार करें लेकिन सैल्स टैक्स ऑफिसर्स और सैल्स टैक्स इन्सपेक्टर गांवों में डाकुओं की तरह से जाते हैं और अनजान व्यापारियों से हर तरह से पैसा समेटने में रहते हैं। वे अपने कर्त्तव्य को नहीं पहचानते हैं। वे यह नहीं करते हैं कि यदि कोई टेक्निकल गलती है तो उसको समझाएं ताकि वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करें, लेकिन

(श्री गोरधन सोनी)

उनकी नियत यह है कि लोग उनको कुछ दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा......

श्री उपाध्यक्ष : भाषण काफी लम्बा हो गया है।

श्री गोरधन सोनी : मैं जल्दी ही 10-15 मिनिट में समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट ! सिर्फ 5 मिनिट।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आज पूरे समय आप ही बोलेंगे क्या ?

श्री गोरधन सोनी : हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े गौरव से कहा कि पापड़ हजम करने की चीज है इसलिए मैं उस पर टैक्स हटाना चाहता हूं। उनके इस कथन का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह टैक्स लगाना ही गलत था लेकिन इसको बिना सोचे-समझे ही लगा दिया और अब हटा दिया। लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस चीज से तो टैक्स नहीं हटाते हैं जिस पर से हटाना चाहिए और सेल्स टैक्स उस चीज पर से हटाया जाता है जो कि अमूमन रईस लोग खाते हैं। जो हटाया है उसको तो मैं उचित मानता हूं लेकिन सैल्स टैक्स उनको हटाना चाहिए था नाज पर से जिससे कि लोगों को राहत मिलती। जिस जनता को सवा या डेढ़ रुपया मजदूरी दी जाती है उनको इसके लिए सैल्स टैक्स देना पड़ता है तो यह अन्याय है। अनाज आम लोगों के खाने की चीज है। अच्छा होता यदि वित्त मंत्रीजी अपने और खर्चों में कटौती करके अनाज पर से सैल्स टैक्स हटा देते। इसके सिवाय यह आम लोगों के खाने की चीज है और यह दो-तीन वर्ष से चल रहा है तो यह बड़ा अन्याय है। इस पर टैक्स कम किया जाना चाहिए।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने सीमेंट और सीमेंट से बनी हुई चीजों पर कर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया है। यह भी बहुत बड़ा अन्याय है। आज सीमेंट हर किसान के काम में आता है, कुए खोदने में, टंकी बनाने में, हर तरह की नाली बनाने में काम में आता है। और भी हर व्यक्ति को सीमेंट की जरूरत होती है तो सीमेंट पर टैक्स लगाकर वित्त मंत्रीजो ने राजस्थान की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सोनीजी ! गवर्नमेंट शॉप्स पर जो नाज बिकता है उस पर सैल्स टैक्स नहीं लगता है।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय रेडीमेड कपड़ों पर भी कर लगाये हैं। रेडीमेड कपड़ा आमतौर पर गरीब लोग लेकर ही पहनते हैं कि जैसा मिले वैसा ही ले लें और पहन लें। उस पर टैक्स कायम रखना मैं उचित नहीं समझता हूं।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, होटलों पर जो टर्न ओवर पर दो पर्सेन्ट टैक्स था इसको बढ़ाकर 5 पर्सेन्ट कर दिया है। यह बड़ा अन्याय किया है। इससे तो गरीब लोग प्रभावित होंगे। जो गरीब

(श्री गोरधन सोनी)

मजदूर सड़कों पर काम करते हैं वे होटलों में खाते हैं तो उससे वे प्रभावित होंगे ।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े मेन खर्चे हैं जैसे हिन्दुस्तान का और राजस्थान का खाद्य निगम है उनमें मुनाफाखोरी बहुत बड़ी की जाती है वह बराबर अपनी कमाई करता है । अमूमन पचास रुपये क्विन्टल साठ रुपये क्विन्टल, सत्तर रुपये क्विन्टल मुनाफे पर अपना अनाज बेचता है । अभी पिचहत्तर रुपये क्विन्टल, अस्सी रुपये क्विन्टल पर लिया हुआ अनाज उसने सवा सौ रुपये क्विन्टल के भाव से बेचा था, और अब उसके बाद में एक सौ पांच रुपये क्विन्टल के भाव से बेचा है । आप कहते हैं कि व्यापारी मुनाफाखोरी करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में एक ऐसी ऐजेंसी कायम की है जो कि तीस रुपये क्विन्टल, चालीस रुपये क्विन्टल की कमाई करता है और सरकार ने इस प्रकार से उसको लेवी के द्वारा अनाज लेने की छूट दे दी है और उस अनाज पर मुनाफा कमाने की छूट देदी है । यह राजस्थान सरकार का सरासर अन्याय है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सफेद हाथी को राजस्थान की जनता पर जबरदस्ती डाला जा रहा है और इस कारण से वह मुनाफा कमा रहा है । इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए ।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यापारियों की दिक्कतों का भी जिक्र करना चाहूंगा । आज इस देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह व्यापारी वर्ग हैं । इसकी वजह है कि व्यापारी के लिए आज कई कानून कायदे हैं । 1964 में सरकार ने महसूस किया कि व्यापारी भाव बढ़ा देते हैं और इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए लाइसेंसिग आर्डर इश्यू किया गया और उसमें बहुत सी धारायें रखी गई, उसके अन्दर हिसाब मेन्टेन करने के लिए भी तरीके रखे गये । उस कारण व्यापारी बहुत परेशान हुए और उन्होंने हड़ताल तक भी की । इस पर सरकार ने उनको कुछ राहत दी है । लेकिन मेरा निवेदन है कि उन दिनों के मुकाबले में आज के दिन भाव ज्यादा हो गये हैं । अभी केन्द्रीय खाद्य मंत्री महोदय ने कहा था कि किसानों को कम कीमत नहीं मिलनी चाहिए इसलिए भाव गिरते हैं तो इस वक्त सरकार भावों को घटाने के पक्ष में नही है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तलवार व्यापारी के सिर पर ही क्यों लटकाई जाय ? आज लाइसेंसिग आर्डर के तहत हर व्यापारी को दुकान के बाहर एक पट्टी लटकानी पड़ती है भाव की, वह नहीं होती है तो इन्सपेक्टर और ऑफिसर जो एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के हैं वह उस व्यापारी का चलान कर देते हैं या फिर उससे पैसे लेकर उसको छोड़ देते हैं । मेरा निवेदन है कि इस भाव की पट्टी से क्या फायदा है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज बाजरे का भाव, ज्वार का भाव और दूसरी चीजों के भाव फिक्स नहीं हैं, जब उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है तो फिर पट्टी लगाने का क्या महत्व है । मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि इस ढंग के गलत कानून आज व्यापारी वर्ग पर लागू हैं जिससे व्यापारियों को परेशानी होती है इसलिए ऐसे कानून को सरकार को वापिस हटा लेना चाहिए ।

(श्री गोरधन सोनी)

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह सजेशन दिया है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी ही समाप्त कर देता हूं।

यह सजेशन दिया है कि मोटे अनाज पर से लाइसेंसिंग आदेश खत्म कर दिया जाय। इस आदेश को पास हुए चार महीने के करीब हो गये हैं लेकिन अभी तक यह आदेश खत्म नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार व्यापारियों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार, उनकी मन्शा के अनुसार मोटे अनाज पर से लाइसेंसिंग पद्धति को समाप्त कर देगी।

इसके बाद में सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आज चैक पोस्ट्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। राजस्थान सरकार ने कई चैक पोस्ट्स राजस्थान में बना रखी हैं। सेल्स टैक्स, जो माल बिकता है, उस पर लिया जाना चाहिए, जब कि आज जो चैक पोस्ट बनाई हुई हैं उनके द्वारा चालीस रुपये क्विन्टल के भाव की जगह अस्सी रुपये क्विन्टल का भाव किसी चीज का लगा कर उस पर सेल्स टैक्स लगा कर ले लेता है, जबकि उसके लिए व्यक्ति के पास चिट्ठी होती है, उसका बीजक होता है और लाइसेंस होता है। यह व्यापारियों के साथ अन्याय है। मैं इस ओर वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह से आज चैक पोस्ट्स पर लोग व्यापारियों के साथ अन्याय करते हैं। यह बिक्री कर है, इसको वसूल करने के लिए आप अपने स्टाफ को ईमानदार बनायें। आज बिक्री कर की चोरी नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि बिक्री कर का रिटर्न ईमानदारी से भरा जाय। लेकिन इस तरह से चैक पोस्ट बना कर व्यापारी वर्ग को तंग करना अनुचित है। यह व्यापारियों के साथ अन्याय है।

इसके सिवाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अन्य बातों का जिक्र भी करना चाहूंगा, जिन बातों में आज व्यापारियों के साथ में अच्छा वर्ताव नहीं किया जा रहा है, जैसा कि आज चने का मामला है। चने की जो बाजार की कीमत थी उससे आधे में भी चना तोलने पर भी आज तक राज्य सरकार ने चने का बाहर निर्यात करने की उन्हें पर्मीशन नहीं दी। इस पर व्यापारी चिल्लाये कि यह हमारा हक है, यह वाजिब बात है क्योंकि हमारा माल इस शर्त पर लिया गया है कि बाकी के माल की परमिट दे दी जायगी। लेकिन उनकी मांग को सरकार द्वारा माना नहीं गया। इससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे व्यापारी वर्ग जनता में नहीं है।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि मूंग और मोठ पर पांच रुपये प्रति क्विंटल लेकर निर्यात करने की इजाजत दी गई। इसके अनुसार कुछ लोगों ने परमिट ले ली और कुछ ने माल बाहर भेज दिया। लेकिन राज्य सरकार ने एक महीने के बाद में ही उसे खुला कर दिया। इस कारण जिन लोगों की परमिट रह गई, जो गाड़ियों पर इन्डेण्ट नहीं लगा सके, गाड़ियों के समय पर नहीं मिलने के कारण गाडियां नहीं मिल सकीं, उनके द्वारा राज्य सरकार के सामने क्लेम करने के बाद भी उनको आज तक सरकार ने रुपया नहीं लौटाया है। यह भी व्यापारी वर्ग के साथ

Page No 107

(श्री गोरधन सोनी)

अत्याचार हुआ है। मैं समझता हूं कि इन्साफ और न्याय की बात यह सरकार करती है तो व्यापारियों के साथ उसको न्याय करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं अपना भाषण चूंकि लम्बा नहीं करना चाहता आपकी हिदायत के अनुसार . . .

श्री उपाध्यक्ष : काफी लम्बा था भाषण!

श्री गोरधन सोनी : बहुत नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये कोई चीज नहीं रखी गई है। आज बंगाल की हालत खराब है, इसलिए कई उद्योगपति राजस्थान में आना चाहते हैं। अगर राजस्थान सरकार इस मौके का फायदा उठा कर उद्योगपतियों को कुछ राहत दे, कुछ उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे और जो राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये इन्ट्रेस्टेड हैं उनको प्रोत्साहन दे तो राजस्थान में कई उद्योग लग सकते हैं। अभी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली गया था अपनी पिटिशन के सिलसिले में, वहां मैंने देखा कि जो लेट्रिन का सामान बनता है, उसके लिए पत्थर राजस्थान के अन्दर से जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की फैक्ट्री या उद्योग राजस्थान में कई जगह लगाई जायं तो लोगों को उनसे मजदूरी मिलेगी और साथ ही साथ राजस्थान भी तरक्की करेगा। आज बिना उद्योग के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी बंगाल में हुई, वैसी ही यहां होगी।

श्री गोरधन सोनी : बंगाल में जो हुई वह अच्छी नहीं हुई। उसके भी कई कारण थे। आज भी वहां पर बहुत बुरी हालत है, जो कि देश के हित में नहीं है। जिस देश में उद्योग पनपते हैं, उसमें मजदूरों को मजदूरी मिलती है, और देश तरक्की करता है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार मेरी बातों को, जो मैंने सही ढंग से सही बातें कहीं हैं, स्वीकार करेगी, और जो गलत टैक्स लगाये हैं उनको वापिस लेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भारी भरकम, लम्बे और ऊबा देने वाले भाषण में यह शुरू में मान लिया . . .

श्री हरिवल्लभ शर्मा : रोचक बनाने की कोशिश की है।

श्री नत्थीसिंह : . . . कि उत्पादन गिरा है और प्रति व्यक्ति आय 8.52 प्रतिशत कम हुई है। लेकिन इसके लिये उन्होंने जो कारण दिया है, वह कारण उनकी पुरानी नीति के अनुसार दिया है, अपनी पुरानी नीति के अनुसार उन्होंने यह बात रखी है कि अगर कभी अकाल पड़े, सूखा पड़े तब तो इन्द्र देवता को वह दोष दे देते हैं, और अगर अच्छी स्थिति हो, अच्छी फसल हो जाय और अच्छा मानसून आ जाय तो वह इन्द्रा जी के गुण-गान करने लगते हैं। उन्होंने कहा यह जो हुआ है वह मानसून के मनमौजीपन से हुआ है। मेरी धारणा है कि यह सारी बातें जो हुई हैं यह राजस्थान सरकार की नीतिविहिन दिशा के कारण से हुई है। राजस्थान सरकार की नीतिपूर्ण दिशा होती

(श्री नत्थीसिंह)

तो आज यह हालत देखने को नहीं मिलती । मुझे इस बात की तो खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने

(3 47 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

अपने भाषण के अन्दर इस बात को तस्लीम किया है । आज की स्थिति में समाजवाद उनकी दिमागी ऐयाशी की बात लगती है क्योंकि इस सरकार ने समाजवाद की ओर कोई कदम बढ़ाया नहीं है । इसलिये वह पहली बात अपने भाषण में कहते हैं कि समाजवाद को आज वह एक मजबूरी के रूप में और आवश्यकता के रूप में मानते हैं । यदि जनता की आवश्यकता की बातें पूरी नहीं की गई तो समाज को दूसरे दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा । मुझे लगता यह है, यह बात कहने के बाद भी, महसूस करने के बाद भी वित्त मंत्रीजी के सारे बजट भाषण में तीन बातें दिखती हैं-एक तो बिल्कुल मौखिक समाजवाद को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सारे प्रसंग उनके पूंजीवादी हैं । उनके कदम लडखड़ाते हुए है और उनके विचार अस्पष्ट हैं । वह शुरू में कहते हैं कि आर्थिक नीति के सारे मामले केन्द्र के अधीन हैं, या केन्द्रीय सरकार पर निर्भर हैं । केन्द्र की सहायता के बिना राजस्थान आर्थिक रूप से किधर जायगा- यह उनको मालूम है । इसलिये ही वह बड़े जोर से इन्द्राजी का स्वागत करते हैं, इन्द्रा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, उससे देश की हवा बदलेगी । वह आशा करके चलते हैं कि शहरी सम्पत्ति की सीमा बंधेगी, जनरल इन्श्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण होगा, उसके साथ साथ भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स बन्द किये जायेंगे इससे देश के अन्दर एक नई दिशा दी जायेगी लेकिन दूसरी जगह एक दूसरा सेन्टेन्स है उसमें उन्होंने कहा है कि सम्पत्ति का जो मौलिक अधिकार है, यदि उस मौलिक अधिकार से हमारे कदम को बढ़ाने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उसमें संशोधन की बात की जाय । यह बात दिखाती है कि हमारे वित्त मंत्री स्पष्टता से घिरे हुए दिमाग से डरते हुए सारी बातें कहते हैं, नहीं तो वह 'अगर' और 'तो' शब्द नहीं लगाते । उसका कारण क्या है ? कारण साफ है, कि सम्पूर्ण बजट उनका इस बात पर आधारित है, उनका सम्पूर्ण बजट अनुमान पर आधारित है, आशा और भरोसे पर आधारित है । यह एक दिवा स्वप्न की तरह है । वह सोचते हैं कि उन्तीस करोड़ का जो घाटा है उसकी पूर्ति इन्द्राजी की दया पर मुनहस्सर है, और गैर योजना के खर्च में केन्द्र से मदद मिल गई तो यह घाटा पूरा हो जायगा, केन्द्र से मदद नहीं मिली तो यह घाटा पूरा नहीं होगा । यह बात वह जानते हैं, इसका कारण राजस्थान सरकार की दिशाहीनता है यही कारण है कि आज जो सरकार में बैठे हैं वह सब बातों के लिए केन्द्र की ओर देखते हैं । आज से कुछ समय पहले यह लोग सिंडीकेट के समर्थक थे लेकिन जब इन्द्राजी ने इनको आंखें दिखाई और बड़ी डांट दी और यह बता दिया कि वह मदद देगी नहीं और एक अकाल राहत के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कमीशन मुकर्रर करेंगे ...

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : This is all very wrong.

श्री नत्थी सिंह : अगर उनका साथ नहीं दिया तो वह बख्शेगी नहीं। मैं आपको भी नहीं बख्शूंगा। मेरे पास में आपकी सारी फाइल है....

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : आप अभी नहीं कभी भी जो कुछ मेरे खिलाफ ला सकते हो वह जरूर बतायें।

श्री रामसिंह कुड़ी : सुन तो लें।

श्री नत्थी सिंह : यहां के जो मुख्य मंत्री हैं, वह तानाशाह मुख्य मंत्री हैं, और चार मंत्री उनके जमादार हैं। आप तो चतुर्थ श्रेणी के हो इसलिए आपका बाद में नम्बर लूंगा, पहला नम्बर आपको नहीं दे सकता।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मैं आपको बराबर चैलेंज देता हूं कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं ला पायेंगे। मैं कहना चाहूंगा, मैं माननीय सदस्य को चैलेंज देता हूं कि जो कुछ भी फाइल लाये हैं उसको बतायें, मैं उसका जवाब दूंगा। जब आपको होश आये तब कहना।

श्री नत्थी सिंह : मैं आपका चलेंज स्वीकार करता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिये। मैंने आपको बताया कि आपका चौथा नम्बर है। आप चौथे नम्बर के सवार हैं, पहले नम्बर के नहीं हैं।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मैंने आपको छूट दे दी है, आप आज नहीं कभी भी....

श्री नत्थी सिंह : आप चौथे नम्बर के सवार हैं। इसलिए आपके बारे में मैं चौथे नम्बर पर कहूंगा ....

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : आप बाद में भी जो कुछ ला सकते हैं वह जरूर लाकर कहें।

श्री नत्थी सिंह : आपके बारे में मैं चौथे नम्बर पर कहूंगा, चौथा आपका नम्बर है, पहला नहीं है। मैं पहला नम्बर आपको नहीं दूंगा, भले ही आप आगे की कुर्सी पर बैठें। यह बात दूसरी है।

मैं कह रहा था, इस भाषण में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक गुलामी की भावना है, जनतंत्र की परम्परा को छोड़ने की भावना से यह कहा गया है---प्रधान मंत्री ने बड़ी कृपा करके यह मदद दे दी, प्रधान मंत्री ने बड़ी कृपा करके यह मदद दे दी। इस भाषण में तीन बार प्रधान मंत्री के समक्ष नतमस्तक हुए हैं। आखिरकार प्रधान मंत्री ने न तो अपनी जेब से दिया है, न अपने कोष से दिया है, जो कुछ भी राजस्थान को मिला है वह भारत सरकार ने दिया है। लेकिन प्रधान मंत्री से, आप खुद जानते हैं, ऐसे सहमे हुए हैं, ऐसे डरे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार से उनके मक्खन लगाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुर्सी से चिपके रहें। इसलिए भारत सरकार की बात न कह कर आप प्रधान मंत्री की बात कहते हैं, इसलिए ही समाजवाद की दुहाई देकर वित्त मंत्रीजी व्यक्तिवाद की पूजा में घुस गये हैं, इसलिए ही वह दिशाहीनता के शिकार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि सही तौर से एक कसौटी रखी है, और वह कसौटी रखी है कि आज देश में समाजवाद के प्रति उत्साह है, देश में उत्साह की नई लहर आ रही है। मेरा निवेदन है कि राजनैतिक नेताओं की अक्ल इस बात की कसौटी है—इसी कसौटी पर उत्साह की लहर को कसा गया है,

(श्री नत्थी सिंह)

परखा गया है। मेरा मानना है कि यह आपकी कसौटी है, वित्त मंत्री जी की कसौटी हैं। लेकिन असली कसौटी पर इस बजट भाषण को परखा जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अपने को अक्लमन्द समझते हैं वह अपनी कसौटी पर इस बजट भाषण को परखने पर राजनैतिक अक्ल का दिवालियापन पायेंगे। इस बजट में कौनसी बात नई कही गई है। आप कहते हैं कि समाजवाद की ओर देश के चरण बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपने किस का नाम लिया है। हम जानते हैं कि बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके पीछे अगर आपकी शुद्ध आर्थिक नीति की दृष्टि होती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका दूसरा कदम होता, यह नहीं होता कि 83 करोड़ का मुआवजा देकर आप केवल चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते बल्कि उसके साथ में जितनी विदेशी बैंक हैं, दूसरी जितनी बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाता, जिसके द्वारा कि जनता की बुनियादी मांगों को पूरा किया जा सकता था। लेकिन वह बात आपने की नहीं, क्योंकि वह केवल एक स्टण्ट था, केवल एक राजनैतिक हथियार था। नहीं तो राज्य मंत्री जी, आपको मालूम नहीं है, मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको केवल 27 अरब की पूंजी मिलेगी इन चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों से, इससे पहले 1956 और 1956 से पहले भी 65 अर की पूंजी आपको मिली है जब कि आपने इम्पीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत किया था जो कि अब स्टेट बैंक आफ इंडिया है, उसके बाद में एल. आई. सी. बनाया और इस प्रकार आपको 65 अरब रुपये प्राप्त हुए। इसके होते हुए भी आपने क्या दिया देश को? आज देश के अन्दर केवल 75 लोगों को हिन्दुस्तान की आधी सम्पत्ति का मालिक बना दिया। अब आप कहते हैं कि 27 अरब राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त करके आप देश के अन्दर समृद्धि की गंगा-जमुना बहा देंगे, देश के अन्दर समाजवाद ला देंगे— यह आपकी मन घड़न्त कल्पना है। यह कल्पना भी आपकी वैसे ही नहीं। आज देश के अन्दर जो जन-मानस जाग्रत हुआ है, वह जन-मानस आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जिसके कारण ही आपका दल टूट गया है और आज यह पता नहीं है कि तिरंगा झण्डा किसके हाथ में आये और बैल की पूंछ किसके हाथ में आये और सिर किसके हाथ में आये। इसका आपको पता नहीं है और आप जनता को भुलावा देने के लिए कहते हैं कि चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश से गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं। देश के अन्दर से गरीबी तब तक दूर नहीं हो सकती है जब तक कि आपमें दृढ़ संकल्प नहीं हो, विश्वास नहीं हो, अटूट निष्ठा नहीं हो। आप समाजवाद का नारा लगा कर गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन आप तब तक समाजवाद की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि देश के केवल 75 लोगों में हिन्दुस्तान की आधी पूंजी परिलक्षित होती है।

आज एक बात कही गई और पहले भी बड़े जोर से इस बात को कहते रहे हैं कि बम्बई अधिवेशन में 'गरीबी भगाओ' का ऐलान कर दिया है, 'बिवट पावर्टी' का नारा बम्बई में लगाया लेकिन बम्बई के समुद्र के खारी पानी का स्वाद पूरी तरह दूर नहीं हुआ था कि गोआ के अन्दर बिडला को खाद के कारखाने का लाइसेन्स दे दिया

Page No 111

(श्री नत्थी सिंह)

दूसरी ओर स्टील की कीमत बढ़ा दी और एक रात के अन्दर ही दस करोड़ का फायदा पहुंचा दिया। इसके अलावा आप प्रिवीपर्स को समाप्त करने की बात करते हैं। प्रिवीपर्स को समाप्त करने का कानून कल लायेंगे, परसों लायेंगे। हम चाहते हैं कि प्रिवीपर्स को तुरन्त बन्द कर दिया जाय। लेकिन अभी आप इसको एक राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीस वर्ष का इकट्ठा मुआवजा दे दें, कभी क्या दे दें, और इस प्रकार आज आप राजा महाराजाओं की खुशामद में लगे हुए हैं, दिस इज नाट समाजवाद आप दिशाहीन लोग हैं, आपका कोई कदम देश के अन्दर तरक्की नहीं कर सकता और यही दिशाहीनता आपके पूरे बजट भाषण में परिलक्षित होती है।

इसके अलावा भूमि सुधार के बारे में आपने जिक्र किया। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारा सीलिंग कानून को लागू करने के लिए सही और पक्का इरादा है। आज यह सीलिंग का प्रश्न ग्यारह वर्ष से चला आ रहा है। अब आप कहते हैं कि हमने कुछ छूट दे दी है। कौन सी छूट दी है ? मैं आपसे पूछता हूं पिछली बार इसी सदन में मैंने कहा था कि श्री विश्म्भर नाथ जोशी ने अनधिकृत रूप से जमीन ली है। आप कहते हैं कि पांच सौ बीघा जमीन ली है। पांच सौ बीघा नहीं, 940 बीघा जमीन ली है - यह मेरा दावा है और आपने सोलह, अठारह रुपये बीघा के हिसाब से 940 बीघा जमीन ली है। आप राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए हो, आप यह बर्दाश्त करोगे कि सीलिंग कानून लागू किया जाय ? आप तो चाहोगे कि सीलिंग कानून के अन्दर कोई न कोई लेंकूना रखा जाय जिसके कारण आपके बेटों के नाम से, आपके रिश्तेदारों के नाम से जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है वह बरकरार रहे। केवल आपने ही भूमि ली हो इस प्रकार यह बात नहीं है। आप नहीं, अनेक मंत्रियों ने ली है जिनके पुरखाओं के कभी घर में खेती का काम नहीं हुआ, वह आज खेती के फार्म रखते हैं और जमीन अपने बेटों और रिश्तेदारों के नाम से लेते हैं.....

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय सभानेत्रीजी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कहीं...

श्री नत्थीसिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर इज नोट मेन्ट फार गिविंग जानकारी।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मैं सारे सदन को जानकारी देना चाहता हूं...

श्री रामसिंह कुड़ी : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आपका पाइन्ट आफ आर्डर...

श्री रामसिंह कुड़ी : रोड़ा अटकाऊ नुक्ता है यह।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कौन से सेक्शन में उठता है।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : आपने मेरे बारे में कुछ कहा है, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन

Page No 112

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं, आप पर इल्जाम लगाया गया है तो पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के तौर पर कह सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपको एक्स्प्लेनेशन देंने का टाइम मिला जवाब देने के समय, राज्य मंत्रीजी।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : अभी चाहें तो मैं अभी देने को तैयार हूं। अभी लेना चाहें•••

श्रीमती सभानेत्री : अभी दे दीजिये।

श्री नत्थी सिंह : अभी नहीं दे सकते।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मुझे अनुमति दी है। मुझे समय दिया है।

श्री नत्थीसिंह : आप जवाब दीजिये मैं आपके जबाब की धज्जियां उड़ा दूंगा।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : यह आपकी हैसियत नहीं है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे लड़कों ने कुछ जमीन खरीदी, उसके लिए यह फर्माते हैं कि उन्होंने इतनी नहीं इतनी खरीदी। मैं एक बात कहना चाहता हूं•••

श्री नत्थी सिंह : कितनी खरीदी।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : बताता हूं। सुनिये।

श्री नत्थी सिंह : कितनी खरीदी ? सीलिंग के अन्दर खरीदी ? कितनी खरीदी, कुल मिलाकर जमीन ?

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : यह नाटक करना आप छोड़ दीजिये। सुनिये, मैं आपको क्या कह रहा हूं। यह नाटक आप बाजार में प्रदर्शित करिये।

श्री नत्थी सिंह : बाजार का काम तो आपको दे रखा है।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर !

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मैं आपको यह कह रहा हूं•••

श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर): पाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है सभापति महोदया, मैं इस सदन के अन्दर व्यवस्था को कायम करने की दृष्टि से कहता हूं कि यह कितना आगरुट हाउस है••

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर कहिये।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि सामान्य वादविवाद में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं तो नियमों के अन्तर्गत ही राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि उसे उत्तर का मौका मिल जाता है।

श्रीमती सभानेत्री : यह पॉइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : भाषण के बीच में •••• ••• –

श्री दुर्गालाल बाद्दार : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: भाषण के बीच में एक्स्प्लेनेशन का मौका देकर आप एक नई परम्परा को कायम कर रही हैं....

श्री दुर्गालाल बाद्दार : मैं मानता हूं कि राज्य मंत्रीजी राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हरएक माननीय सदस्य की शंकाओं का निवारण करने लगे...

श्रीमती सभानेत्री : मैं समझ गई आपका आशय आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : तो आप यह निर्णय कर दीजिये कि राज्य सरकार को बाद में उत्तर देने का मौका नहीं दिया जायगा।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : रूलिंग हो चुकी है।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : सरकारी उत्तर हर बहस के साथ साथ दिया जा रहा है तो फिर उत्तर के अन्दर सदन का समय जाया क्यों किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आप कर रहे हैं उससे सरकारी जवाब होता नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : पर्सनल एक्स्प्लेशन आप फिर दे दीजिये, उत्तर के समय दे दीजिये ...

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये।

श्री नत्थीसिंह : मैं दस बार आरोप लगाऊंगा तो क्या आप दस बार पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करने खड़े होंगे। मैं अभी कई और आरोप लगाऊंगा। एक ही नहीं है।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी । आप एक भी नहीं लगा सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : एक नहीं मैं बार बार आरोप लगाऊंगा।

श्री नत्थीसिंह : मेरे भाषण के समाप्त हो जाने के बाद इनको परसनल एक्स्प्लेनेशन का मौका मिल सकता है।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी I draw your attention to rule 273.

श्रीमती सभानेत्री : दोनों माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगी कि वे शान्त रहें और मेरी बात सुनें। न तो ये बाकायदा लम्बा चौड़ा एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं न लम्बा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। ये दो मिनट में अपना पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दे देंगे फिर आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : जैसा कि चेअर ने आदेश दिया है मैं कोई लम्बा चौड़ा पर्सनल एक्स्प्लेनेशन नहीं दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : आपकी तो आदत है लम्बा चौड़ा देने की, आप अपनी इस आदत को बदल ही नहीं सकते, इसलिये अभी बैठ जाओ, बाद में देना।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, बार बार मंत्री को, कोई गलत बात कहने के लिए मौका दिया जाता है तो इससे सदन का समय नष्ट होता है; और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें, दो मिनट में ही जबाब देंगे ।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : माननीय सभापति महोदया, मैं मेरे मित्र की सूचना के लिये कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा कि जो लोग कभी काश्तकार नहीं रहे, उन्होंने अब सैकड़ों बीघा जमीनें ली हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली पांच पीढ़ियों से मेरे खानदान में काश्त होती आ रही है ......

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आप 5 पीढ़ियों से काश्त करते आ रहे हैं तो एक बात बता दीजिए चड़ा किसको कहते हैं...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बीच में इन्टरप्ट न करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.): आप पांच पीढ़ी से काश्त करते आ रहे हैं तो पीनणीं किसे कहते हैं, ढाकडला किसे कहते हैं, बस यह बता दीजिये...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं कोई जबाब नहीं दूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप कह रहे हैं कि आप काश्तकार हैं तो इसका जबाब दें नहीं तो आप काश्तकार नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं कि पांच पीढ़ी से आपके यहां काश्त होती आ रही है। अगर काश्त करते आये हैं तो बता दीजिये कि पीजणी किसको कहते हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ये झूठ बोलते हैं, ये फर्जी काश्तकार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : बड़ा मजेदार शास्त्रार्थ हो रहा है।

श्री नत्थीसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि आपके दल की सरकार द्वारा नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं माननीय जोशीजी से आसन की मार्फत निवेदन करूंगा कि यदि किसी मित्र ने निराधार, बेबुनियाद बातें कही हैं तो उसका उत्तर देकर आप इनको और उत्साहित कर रहे है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस में नहीं पड़ें हम संतुष्ट हैं।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मैं जबाब दूंगा। मैं माननीय सदस्य को और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदा उच्चतम आदर्शों में विश्वास रखा है। मेरे लड़कों ने जमीन खरीदी, बाकायदा टके देकर पैसा देकर खरीदी, रजिस्टर करवाई इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है किसी का इसमें लेना देना नहीं है। मेरे लड़कों ने या मेरे खानदान के किसी आदमी ने राज्य सरकार से या किसी हुकूमत से एक इंच भूमि भी एलॉटमेंट में नहीं ली है पैसे देकर खरीदी है, बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है। बाजाब्ता कब्जा लिया है, बाजाब्ता काश्त कर रहे हैं, इसमें किसी का लेना-देना नहीं है। उसमें कोई तरह की खराबी हो, पद का दुरुपयोग हो गड़बड़ी हो, खामी हो तो सारे सदन के सदस्यों को

(श्री विश्म्भरनाथ जोशी)

चेलेंज देता हूं कि वे कोर्ट आफ ला में जाकर साबित करें और मेरी गडबड़ी साबित हो जाय तो मैं सदन की सदस्यता से स्तीफा दे दूंगा। मैं इसके लिए आपको मौका देता हूं, यदि आप कल परसों महीने दो महीने, या साल दो साल में साबित नहीं कर सके तो आपकी जिन्दगी के आखिरी दिन तक भी अगर आप साबित कर देंगे तो मैं.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तब तक आप जिन्दा रहेंगे क्या ?

श्री नत्थीसिंह : "जादू वही जो सिर चढ बोले" मैं यही तो कह रहा था। जब तक यह राज्य रहेगा, जब तक आप जैसे मंत्री रहेंगे तब तक कानून में इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार की खामियां रखी जायेंगी कि आप सिलिंग के कानून को तोड़ें, जनता भूखों मरे, आप ऐसे कानून बनवाएंगे जिनसे कोई भी गरीब जमीन नहीं ले सके, केवल पैसे वाले ही जमीन खरीद सकें, पैसे वाले ही जमीन को होर्ड कर सके। राजस्थान में ऐसे मन्त्री हैं, ऐसा मन्त्रिमण्डल है, ऐसे वित्त मन्त्री हैं, इसीलिये तो राजस्थान में सीलिंग का कानून कारगर ढंग से लागू नहीं हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात की ताईद की।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह ट्रान्जेक्शन में खाज क्या है ? आपने कहा कि कोई नुक्श हो, कोई खाज हो, यह ट्रान्जेक्शन में खाज क्या होती है ?

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : आप वकील हैं फिर भी समझे नहीं, आप समझने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी तरह की कमी आप प्रूफ कर दें कि उसमें कोई मेलाफाइडी थी, उसमें मेरा हाथ था तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मैं अपना स्तीफा दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : कमी तब तक सामने नहीं आयेगी जब तक कि यह सरकार नहीं हटेगी, ऐसे मन्त्री सरकार से नहीं हटेंगे।

श्री दुर्गालाल बाददार : कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह जमीन आपने 1100 बीघा खरीदी है ?

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : मेरे 5 लड़कों ने 500 बीघा जमीन खरीदी है। यह सवाल पूछा है आपने इसका मैंने जवाब दे दिया वरना जो सवाल आप पूछना चाहें नोटिस दे कर पूछें। जहां तक सीलिंग का सवाल है सीलिंग के कानून से अगर वह जमीन काटी जाती है तो वह चाहे आज चली जाय, मैं उसको रोकना नहीं चाहता।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्रीजी भोले हैं, भोलेपन में सब कुछ कह गये, मथुरादासजी के पास बैठकर भी कुछ नहीं सीखे। वे सब कहेंगे पर चाबते हुए कहेंगे, आप सब उगल गये। इसीलिये मैंने कहा कि आपको चौथे नम्बर में पकड़ूंगा। आपने 500 बीघा जमीन खरीदने का कहा पर मेरे पास सूचना है कि आपके लड़कों ने 500 बीघा जमीन खरीदी और आपके रिश्तेदारों ने 440 बीघा जमीन खरीदी इस तरह से कुल 940 बीघा जमीन खरीदी है आपने। और दूसरे मंत्रियों ने और जमीनें खरीदी हैं। उनके भी नाम बता दूं पर वे दिखाई नहीं देते। किसी ने जवाब

(श्री नत्थी सिंह)

बांध में जमीन ली है, किसी ने और सिंचाई की योजनाओं में जमीनें खरीद ली हैं। मंत्रिमण्डल के सभी मन्त्रियों ने जमीनें खरीदी हैं, इसलिये, तो सीलिंग का कानून 59 में पास होता है और उसे 70 में लागू करने जा रहे हैं। हरएक मंत्री में होड़ लग रही है, जमीन खरीदने की।

श्री विश्म्भर नाथ जोशी : 5 पीढ़ी से काश्तकार हैं।

श्रीमती सभानेत्री : इनको बोलने दें, इन्टरप्ट न करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सभापति महोदया, इनकी कुर्सी में स्प्रिंग है।

श्री विजयसिंह : यह फुदक मंत्री हैं। फुदक फुदक करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : जमीन खरीदने के लिये मिनिस्टर भाग रहे हैं। वे इसलिये जमीन की तरफ भाग रहें हैं कि जो काला धन अर्जित किया है उसको जमीन पर लगा दे जिससे वह सफेद हो जाय। यह खास परम्परा चल रही है काले को सफेद करने की। आपने 16 रुपया बीघा के हिसाब से खरीदी है तो किसी हरिजन से आपको 50 रुपया बीघा दिलवा दें, 100 रुपया बीघा दिलवा दें, मुझे दे दो मैं 200 रुपया बीघा का दे दूं। जोशीजी, आप उस जमीन को गरीबों के नाम पर ट्रान्सफर कर दें तो मैं कहूंगा कि अत्यन्त आदर्शवादी हैं बी. एन. जोशी। पर आप में यह करने की हिम्मत नहीं है। छूट दे रहे हैं। लूपहोल रख रहे हैं, बागातको छूट में नहीं लिया गया, मेकेनाइज्ड फार्म्स छूट में, कोआपरेटिव फार्म्स छूट में लेकिन बागात नहीं। जो जयपुर के आसपास, उदयपुर में, जोधपुर में, सब जगह जमीनों को दबा रखना चाहते हैं, सीलिंग से बचना चाहते हैं इसलिए सरकार की नीयत नहीं है इरादा नहीं है कि गरीबों को जमीन मिल जाय इसलिए वित्तमन्त्री कहते हैं कि गांधी शताब्दी वर्ष में एलान किया था कि कुछ काम करेंगे हरिजनों के लिए। एक तो इस साल सारी जमीन उनको बांटेंगे और एक 28 प्रतिशत नौकरी देंगे। इस साल आपने फैसला कर दिया कि भर्ती नहीं होगी। सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया हरिजनों को 28 प्रतिशत नौकरियां मिल गई आपके हिसाब से।

दूसरी तरफ 11,000 एकड़ आपने बांटो है भूमि हरिजनों को उसके तुरन्त बाद गंगानगर में नीलामी शुरू कर दी, जनता ने कुर्बानी देकर आपके मानस को मजबूत किया है कि नीलामियां बन्द करो। सीलिंग का कानून लागू करके गरीबों को जमीन देंगे ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसी तरह गांवों के लोगों की तरक्की करनी चाहिए।

दूसरी बात वित्तमन्त्री ने आसानी के साथ कही है कि चूंकि मानसून मनमौजी था इसलिए उत्पादन में गिरावट आई और भावों में अनिश्चितता आ गई। यह मानसून से नहीं होता है न कम या ज्यादा पैदावार से यह व्यवस्था के कारण है। एक किसान जब पैदा करता है और माल लाता है तो लुटता है और किसान को जो कारखाने का बना माल चाहिए उसकी कीमत नहीं बांधते हैं। मगर वित्तमन्त्री की हिम्मत होती तो व्यवस्था करते कारखाने के बने हुए माल के

(श्री नत्थी सिंह)

दाम बांधते। आप खेती की पैदावार के दाम बांधेंगे और बीच में अनुपात होगा कि ड्योढ़े से ज्यादा न कारखाने से बनी हुई चीज का दाम होगा न गेहूं, चावल और जौ या दूसरी चीजों का होगा। 16 प्रतिशत का जो इशारा रख दिया वह इशारा भी नहीं।

अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलना है, राजस्थान में तरक्की करनी है तो ग्राम की अर्थव्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उसके लिए जमीन और जमीन के साथ पानी चाहे नहर से आये या बन्ध से या जमीन के गर्भ से आए, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो सीधे से कहते हैं कि हम बिजली के लिए 4 हजार के बजाय 7 हजार कुंए लगा देंगे, अगली बार 10 हजार का लक्ष्य रखा है और उपमन्त्री का सर हिल रहा है। अभी झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि उपमन्त्री के खेत के लिए 5 मील लम्बी लाइन जायेगी लेकिन किसान का खेत पास में उसके लिए नहीं जायेगी। भारत की तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको फैसला करना होगा कि हम अपने सारे बजट का कम से कम 60-70 प्रतिशत बिजली व सिंचाई पर खर्च करे। मैं मानता हूं कि राजस्थान नहर के लिए पूरा पैसा भारत सरकार को देना चाहिए। इस मांग के साथ सारा विरोधी पक्ष आपके साथ है लेकिन मजबूरी है आप की, इंदिरा जी को आंख नहीं दिखा सकते, उनका यशगान करते फिर रहे हैं। मद्रास पैसा ले सकता है, केरल ले सकता है, बंगाल ले सकता है, लेकिन राजस्थान नहीं ले सकता क्योंकि जो केवल आंख के दिखाने से उठते हैं और बैठते हैं वह क्या कर सकते हैं? हिम्मत करो, कुर्सी का मोह छोड़ो, योजना बनाओ। अगर राजस्थान नहर राष्ट्रीय योजना बनाकर नहीं देंगे तो बगावत करेंगे लेकिन आप बगावत नहीं कर सकते। मैं एक तरीका आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे इस इरादे को नहीं मानते हो तो जितने संसद सदस्य हैं राजस्थान के, वह इंदिरा जी के साथ वोट नहीं करेंगे। एक धमकी के अन्दर राजस्थान नहर के लिए पैसा मिल सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते है। आप योजना बनाएं कि बिजली और पानी के लिए बजट का 60 प्रतिशत से ज्यादा खर्च करेंगे। जोशी जी के नए खेत के लिए बिजली चाहिए, 500 बीघा आप बता रहे हैं लेकिन...

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : 12 मील दूर है।

श्री नत्थी सिंह : इस साल में पहुंचेगी। लेकिन जो आपके खेत के थोड़ा ही दूर है, उसको बिजली नहीं मिलेगी। योजना बनाते हो लाभ बताया करते हो तो घाटा क्यों होता है? क्योंकि फौज है 40 की। उसका काम है इस पटवारी का ट्रान्सफर कराओ, इस चपरासी को मुअत्तिल करो। आपकी योजनाएं बेडौल हैं।

वहां पर जमीन या पानी किसान को देंगे तो आप साधन जुटाना चाहते हैं, इसमें हमारे वित्तमन्त्री एक बात कह गए कि हमें व्यावसायिक बैंकों के जरिये बहुत पैसा मिलने जा रहा हैं। कृषि फाइनेन्स कार्पोरेशन के जरिए पैसा आ रहा है, सहकारी आन्दोलन कमजोर है लेकिन फिर भी 9 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ ऋण बांट दिया

(श्री नत्थी सिंह)

है, अगली बार 18 करोड़ बांट देंगे। कभी आपने सोचा है? वित्तमन्त्री चटक मटक कर कैसे चले गए? उनको मैं बताऊं कि सहकारी आन्दोलन कमजोर क्यों है? आप व्यक्तिगत आधार पर फैसला करते हैं। सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए कभी आपने सोचा? मद्रास और महाराष्ट्र में चले जाइये। मैं तामिलनाडु गया हूं वहा विरोधी दल की सरकार है। उसने आज्ञा दे रखी है कि जितना पैसा देवस्थान या स्वायत्त शासन संस्थाओं का है वह सहकारी बैंकों में जाय, जिनके जरिए गरीब किसान के पास पहुंचे। महाराष्ट्र ने कर रखा है लेकिन राजस्थान सरकार से रिजर्व बैंक ने कहा, हमने कहा, किसानों ने मांग की लेकिन एक पैसा भी पंचायत समितियों का नही, विश्वविद्यालय का नहीं, स्वायत्त शासन संस्थाओं का नहीं। सहकारी बैंक में जमा नहीं करेंगे क्योंकि वेज एण्ड मीन्स पोजीशन खराब है लेकिन कानून पास करेंगे, वितमन्त्री आर्डर देंगे 60 पोस्टग्रेज्युएट प्रशिक्षित व्यक्तियों को निकाल दो। जिन्होंने सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए गांव गांव जाकर ट्रेनिंग दी है, शिक्षा देते हैं। आज सहकारी संघ में एक व्यक्ति ऐसा है

(4.17 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

जो वित्तमन्त्री की आंख में खटकता है क्योंकि वह उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता है। वित्तमन्त्री 60 प्रशिक्षित लोगों की गर्दन काटेंगे, 4 लाख से सब्सिडी घटाकर 2 लाख कर देंगे।

सरकार ने फैसला किया, एजूकेशन का सिस्टम ठीक नहीं तो समाप्त करना चाहते हैं, हम इन्सटीट्यूशनेलाइज करेंगे और जो बचेंगे सरकारी सेवा में रहेंगे। एक आदमी जो बी० ए० या एम० ए० पास हैं 7-7, 10-10 वर्ष से नौकरी कर रहा है जिसकी सारी उम्र निकल चुकी, कहीं और उसको नौकरी नहीं मिल सकती। माथुर साहब 60 आदमियों का गला काटना चाहते हैं। आप को सोचना चाहिए कि इन व्यवसायिक बैंकों में क्या हो रहा है? आप रिजर्व बैंकों के अधिकारियों से पूछें। गरीब किसानों से बात चीत की है। किस गरीब किसान को पैसा देते हैं? जनतन्त्र के नाम पर कलंक हैं? पंचायती राज की आपने दुर्दशा की। आज पंचायती राज के जरिए कहते हैं कि विकास करेंगे। पंचायत समितियों के के पास ग्राम सेवक को ट्रांसफर करने के सिवा और कुछ नहीं। तीन साल से चार साल उम्र बढ़ी, फिर 4 साल से 5 साल उम्र बढ़ी। आपको अपनी उम्र का खतरा है इसलिये 6 साल तक बढ़ायेंगे। यही व्यवस्था नगरपालिकाओं की करते हो। 31 अक्टूबर को आपने कानून निकाला है और आज से एक महीना पहले मैंने सुना, सरकार ने आर्डर जारी कर दिया कि 13 जिलों में किसी भी सहकारी समिति के चुनाव नहीं होंगे। यह जनतंत्र है? पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे, नगरपालिकाओं के नहीं होंगे, सहकारी समितियों के चुनाव भी नहीं फिर जनरल करिअप्पा कहते हैं कि देश में जनतंत्र की परम्पराएं नहीं चल रही हैं, कानून नहीं चल रहा है, इसलिये फौजी शासन आ जायेगा तब जवाब क्या देंगे? फौजी शासन आएगा हमारे खून पर, हमारी लाशों पर। हम जनतंत्र को बचाना चाहते

(श्री नत्थी सिंह)

है लेकिन आपकी काली करतूतें आपकी दशायें जनतंत्र की धारणा को नष्ट कर रही हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें, प्रशासक नियुक्त कर दें, बार-बार मियाद बढ़ा कर। फिर विकास की बात कहते हैं हिम्मत है. विकास की दिशा बदलना चाहते हैं तो पंचायत समितियों की जरूरत नहीं है, उन को तोड़ दीजिये। ग्राम पंचायतों को बड़ी बनाओ, रूलर बैंक बनाओ जिला परिषदों को सशक्त बनाओं क्लेक्टर का पद छोड़ दो। आई. ए. एस. को उनमें नियुक्त कर दो। और बचत करना चाहते हो तो दूसरी बात कहना चाहता हूं। जब आपके यहां स्वर्गीय सम्पूर्णानन्दजी राज्यपाल थे तो कई बार कहा कि इस गवर्नर के पद की जरूरत नहीं है। तब नहीं कर रहे थे। जो स्थिति बंगाल में हुई थी वही स्थिति यू. पी. और बिहार में हो गई है। राज्यपाल को एक कान पकड़ो चेरी जैसा बना दिया गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं इस पद को तोड़ दें। जो शासन करते हैं उनके हाथ में शासन की बागडोर होनी चाहिये। यह नहीं होगा तो जनतंत्र की हालत क्या होगी ? एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो जावेगी। गंगानगर में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई तो क्या हुआ ? कारागृह के लिए 22 लाख रुपये अतिरिक्त कल ही स्वीकार किए हैं। यह गंगानगर के सत्याग्रहियों को जेल में डालने के लिए ही तो और आन्दोलन को दवाने के लिए ही तो खर्च किए हैं। यदि देखा जाय तो गंगानगर आन्दोलन को दवाने के लिए पूरा खर्चा आया है वह एक करोड़ से कम नहीं आया है। फौज को बुलाया, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, आर. ए. सी. तैनात थी ही, मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स को बुलाया, उन पर खर्चा लगाया रोज मंत्रियों और अफसरों के दौरे होते रहे, उनका खर्चा लगाओ तो इस गंगानगर आन्दोलन में एक करोड़ का खर्चा किया।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : वह तो समाप्त हो गया।

एक माननीय सदस्य : वह तो चल रहा है।

श्री नत्थीसिंह : आपके जैसे मासूम मिनिस्टर को, जिनकी कोई चलती नहीं, घास-फूस की तरह बैठा दिया जाय जिनकी कोई ओकात नहीं, वक्त नहीं। गंगानगर में महिलाओं को पीटा गया। अमरशहीद भगतसिंह की बहिन को निर्ममता के साथ दो-दो बार मारा। समादी नाम की औरत जिसके पति का नाम हरनामसिंह है, के सिर में चोट आई और वह जान से मारी गई। इस जनतन्त्रीय राज्य में कोई एक्शन नहीं।

सत्याग्रहियों को पीटा और जेलों में डाल दिया। यह हालत है। सत्याग्रह आज भी चल रहा है। वसूली करने के लिए बिना पी. डी. आर. की कार्यवाही किए, डिमान्ड नोटिस दिए बगैर, दीवारें तोड़ कर पशुओं को लिया, घास-फूस लेकर रास्ते में गाड़ियां आरही थी उनको रोका, पकड़ा। आपका चेहरा इतना काला हो चुका है कि जनतंत्र का नाम लेने में आपको शर्म आनी चाहिए। जोशीजी मैं आपके उस जमाने को जानता हूं जब सुखाड़ियाजी-सुखाड़ियाजी कर बोलते थे। आज राज्य मंत्री बना दिए गए तो पलट गए। आज सुखाड़ियाजी गुरु हो गए। इतना जल्दी पलट गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की दिशा में बुनियादी

(श्री नत्थी सिंह)

चीजें नहीं करेंगे तो निश्चितरूप से खतरा पैदा हो गया है। कभी कम्युनिस्टों से हाथ मिलायें उनके साथ बात करें लेकिन किसान संघर्ष समिति को नहीं बुलायेंगे क्योंकि आन्दोलन चला रही है वह। आन्दोलन आज भी चल रहा है।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : समाप्त हो गया।

श्री नत्थीसिंह : 20 आदमियों ने बिना टिकिट यात्रा की है और आज ही सत्याग्रह करते हुए आये हैं और कलेक्टर के दरवाजे पर है। सत्याग्रहियों के रूप में रोजाना तहसीलों और कलेक्टोरेट में बैठते हैं। लोगों के झुंड के झुंड जाते हैं। सोलह हजार लोग जेलों में गये। केवल यही बात थी कि जो भी हो वह बातचीत से समाधान हो। लेकिन सरकार की केवल एक ही जिद्द थी कि किसान संघर्ष समिति से बात नहीं करेंगे। जनता लड़ाई लड़े उससे बात नहीं करेंगे। एक करोड़ रुपए का अपव्यय किया। जनतन्त्र का खून करने के लिए व्यय करना चाहते हैं। एक तरफ आप जनतन्त्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार से जनतन्त्र की हत्या करते हैं क्या इससे आपका लोकतन्त्र बचेगा ?

समाजवाद की बात करते हैं। खुद वित्त मंत्री मान गये हैं कि समाजवाद नहीं ला पाये। हां, आपने कुछ कन्सेशन्स दिये हैं। मैं मानता हूं वह अच्छी बात है। बुरी बात नहीं है। हरिजन बच्चों के लिये कहा कि जो ग्रेज्यूएट और पोस्ट ग्रेज्यूएट है और जो फर्स्ट और सैकिन्ड क्लास हैं उनको सौ और डेढ़सौ रुपया वजीफा देंगे। अच्छी बात है। लेकिन वित्त मंत्री माहिर हैं उन बातों में। दस दस साल तक तो नौकरी नहीं मिलती, छः छः साल तक नौकरी नहीं मिलती। एक साल बाद वजीफा बन्द। हरिजन छात्र फर्स्ट और सैकिन्ड तो बहुत कम होंगे। अधिक संख्या में तो थर्ड क्लास ही होंगे। पब्लिक स्कूल्स में जा नहीं सकते। शिक्षा जो उनको और दूसरों को मिलती है उसको भी आप नहीं बदल सकते। मम्मी और डेडी आता नहीं। जोशीजी आप पुराने हो। क्यों इसके चक्कर में पड़े हो। डेडी और मम्मी बोलने लग जाते हो और महारावल साहब के चक्कर में पड़ जाते हो। छोड़ो इससे वास्ता। अंग्रेजी नहीं हटा सके आप दफ्तरों से। हाईकोर्ट से नहीं हटा सके। देश कैसे तरक्की करेगा? देश की वाणी का अनुकरण नहीं करते तो क्या तरक्की करेंगे ? दकियानूसी और अधकचरे हैं आपके दिमाग। कैसे देश तरक्की करेगा ? इन्जीनियर्स को वजीफा देंगे। आप में हिम्मत है ? आप कहते हैं कि यूथबोर्ड बनायेंगे। मुख्य मंत्रीजी उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। शुरू 2 में यह बढ़िया बात लगी। नौजवानों में बेरोजगारी है, बेचैनी है, उनकी बेरोजगारी और बेचैनी को मिटाना है। दोनों बातें अच्छी लगी। लेकिन कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष होंगे यूथ बोर्ड के। हो गया कल्याण ? यदि बेरोजगारी देश से जानी है तो शिक्षा की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा और यह भी तय करना पड़ेगा कि तब तक बेरोजगारों को भत्ता देंगे जब तक उनको रोजगार न मिल जाय। यह राज्य का कर्त्तव्य है कि पढ़े-लिखे लोगों को और बेरोजगारों को रोजगार दें।

आप जमाने को बदलना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति में संशोधन लाना चाहते, हैं

(श्री नत्थी सिंह)

मैं सोचता था कि वित्त मंत्रीजी संपत्ति के मौलिक अधिकारों की जहां बात आती है गरीबी मिटाने के लिये तो कहते हैं आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश में जब तक सम्पत्ति का मौलिक अधिकार दे रखा है तब तक बेरोजगारी और असमानता की बीमारी दूर नहीं हो सकती। यह समानता की ओर बढ़ते चरणों को रोकने की बीमारी है। इसलिये चाहिये कि नई संविधान सभा का गठन किया जाय जिसके अन्दर सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाना चाहिये और इसके साथ साथ 18 वर्ष के हर युवक को मत देने का अधिकार मिले। 21 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार आया तो आप 1967 में काफी स्टेट्स से उड़ गये आपकी सेन्टर में भी मेजोरिटी नहीं रही। यदि अठारह वर्ष वाले को मताधिकार दे दिया तो इस दफा न मालूम कहां जाकर टिकोगे।

सभापति महोदय, कल एक बात आयी जमीन के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय आप तो 500 बीघा जमीन खरीद सकते हैं और उसमें बढ़िया बीज भी डलवा सकते हैं। हमने तो पन्द्रह रुपये प्रति किलो बीज खरीदा है। बीजों की बिक्री तो पहले ही खत्म हो जाती है बढ़िया बढ़िया बीज आप लोग अपने फार्मों में डलवा लेते हैं, गरीब किसान को मिलता कहां है? हरित क्रान्ति की बात करते हैं निर्धन किसान के नाम पर आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आप अपने पांच बच्चों के लिये 100 बीघा जमीन रख सकते हैं लेकिन एक गरीब हरिजन के पास एक बीघा भी जमीन नहीं हो, इस तरह की जो असमानता आप क्रिएट करने जा रहे हो वह अब नहीं चलेगी। आप मंत्री है, आपने वकालात में भी मेरे से ज्यादा पैसा कमाया है और कुछ जरूरत पड़ी तो ऊपर से मिल गया और इस तरह से पांचों बच्चों के लिये अलग 100 सौ बीघा जमीन खरीद ली आपके रिश्तेदारों ने 440 बीघा जमीन ले ली लेकिन क्या हरिजन को आपने पांच बीघा भी जमीन दी है आप उसको पांच या पन्द्रह बीघा देना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। आज होना तो यह चाहिये कि 150 रुपये से कम किसी को नहीं मिले और डेढ़ लाख से ज्यादा खर्चा किसी को नहीं करने दिया जाना चाहिये तभी जाकर समाजवाद आ सकता है। आपका जो समाजवाद का नारा है; जलती हुई चिनगारी के माफिक है।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने कर लगाये हैं जो करों के प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता जिसका मैं ज्यादा जोर से विरोध करूं। आखिर है क्या 32 करोड़ का जहां घाटा है उसके लिये 3 करोड़, 22 लाख की आमदनी के लिये दिमागी कसरत की है। इतनी कसरत करके भी 3 करोड़ 62 लाख की आमदनी का जरिया निकाला गया। कहीं पापड़ जो छोड़ा तो चॉकलेट पर नजर चली गई। कहीं चावल पर फिसल गये। हमारे वित्त मंत्री महोदय की सोशलिज्म का चित्र खींचते हुए कोमलांगियों पर भी नजर पड़ गई। नजर पड़ी तो वह आखिर मध्यम और निम्न श्रेणी की कोमलांगियों पर पड़ी। सलमे सितारों पर कर बढ़ा दिया और ऊंचे घरानों की कोमलांगियों के पहनने

(श्री नत्थी सिंह)

के जो वस्त्र हैं टेरीकॉट, टेरीलिन, नायलोन आदि पर आपकी नजर नहीं गई। आज होना यह चाहिये कि किसी की आमदनी डेढ़ हजार से ज्यादा मासिक नहीं होनी चाहिये। आपके कदम इस तरफ हिम्मत के साथ नहीं बढ़ने। आप आमदनी और खर्च की सीमा बान्धेंगे नहीं। जब तक आप खर्च और आमदनी की सीमा नहीं बान्धेंगे तब तक देश से बेरोजगारी नहीं मिट सकती।

वित्त मंत्रीजी के भाषण को सुनने से ऐसा पता चला कि तमाम भाषण के समय वे मजबूर दिखाई दिये कई जगह समाजवाद की बखानात भी की गई केवल इस तरह से बातें बघारने से समाजवाद आने वाला नहीं है इसके लिए तो दृढ़ कदम उठाने की जरूरत है। यह जो सामने चालीस की फौज बैठी है इससे शिवचरणसिंहजी पर इससे असर पड़ा है। डिप्टी मिनिस्टर हैं उनकी कौन सुने ? शराब पर थोड़ा कर बढ़ गया तो कोई बात नहीं। आज आप जुए और शराब से समाजवाद लाना चाहते हैं। इससे होने वाली आमदनी से देश का भला करना चाहते है जो होने वाला नहीं है। गांधीजी के नाम को जो एक मसीहा हुआ है जिसने हमारे देश को एक रास्ता दिखाया क्यों इस तरह से बदनाम करते हो। अगर आप में दम है तो हिम्मत के साथ कहिये, आप इस तरह के कानून बनाइये जिससे समाज की सारी असमानतायें दूर हों।

सभापति महोदय, हमारी सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ाती जाती है आपको इसकी बड़ी कीमत देनी होगी। गंगानगर का आन्दोलन चलता है तो कहा जाता है सारे राजस्थान का पैसा उधर लग गया और टैक्स का नाम आते ही उसको देना नहीं चाहते। सारे राजस्थान की कमाई गंगानगर का इलाका खा जाना चाहता है। आपने कभी सोचा उदयपुर पर जो पैसा लगता है और इतना लगाया है क्या आपने उस इलाके के लोगों से खुशहाली कर वसूल किया है। नहीं वहां से तो नहीं करेंगे क्योंकि यह तो उनका खुद का क्षेत्र है आज देश के 75 लोगों के पास सारे देश का धन एकत्र हुआ है क्या कभी आपने उन पर खुशहाली कर लगाया है ?

वित्त मंत्रीजी ने शहरी सम्पत्ति का जिक्र किया है। उनका कहना है कि शहरी सम्पत्ति पर राज्य सरकार सीमा नहीं लगा सकती यह केन्द्र के अधिकार में है। और केन्द्र वाले कहते हैं कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक आप शहरी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आर्थिक इम्बेलेन्स कायम रहेगा। आपने अपने बजट भाषण में शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने का कहा है। पांच लाख की प्रॉपर्टी से जिसके पास अधिक है उस पर कर लगाया है आप यह सोचते हैं कि इससे क्या गांवों और शहरों में इम्बेलेन्स दूर हो सकेगा यह कतई नहीं हो सकता। गांवों के अन्दर किसानों के लिए अपने खेत के काम के अलावा अन्य उद्योग धन्धे जब तक चालू नहीं होंगे तब तक गांवों की बेकारी नहीं मिट सकेगी, इसके बिना उनका गुजारा हो नहीं सकता।

कल सभापति महोदय, उधर के प्रगतिशील गुट के एक माननीय सदस्य बाड़मेर से

(श्री नत्थी सिंह)

आने वाले बोल रहे थे उन्होंने कहा कि धनी और निर्धन किसान की परिभाषा क्या है ? दस लाख की जिसके आमदनी न हो तब तक धनी किसान नहीं माना जाना चाहिये । मैं नहीं समझ सका उनकी परिभाषा से उनकी पार्टी के लोग कहां तक सहमत हैं ? यदि प्रगतिशील कहलाने वालों की किसान की परिभाषा यही मानी जाय तो किसी भी हालत में प्रगतिशील नहीं कहला सकते । मेरा यह निवेदन है कि चाहे शहरों में रहें चाहे गांवों में रहें या राष्ट्रपति भवन में रहें किसी को भी डेढ़ हजार से अधिक नहीं दिया जायेगा और एक लाख से अधिक किसी को खर्च नहीं करने दिया जाएगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह करें यदि समाजवाद की दिशा में सही तौर से बढ़ाना चाहते हैं तो । आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इनके रहते राजस्थान में किसी भी हालत में समाजवाद आ नहीं सकता क्योंकि गरीब की तरक्की हो इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है ।

सभापति महोदय, आपने पाया क्या है ? 1967 में जब आपकी हुकूमत बनी जौहरी बाजार में गोली चली 7 मार्च को, लोकसभा में समस्त विरोधी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया । उस दिन दुर्भाग्य से स्वतन्त्र पार्टी ने अभिभाषण में भाग लिया । जौहरी बाजार की गोली से आपने यह अचीवमेण्ट किया । चूरू, गंगानगर, भादरा और संगरिया में जब गोली चली तो विरोधी दलों की ओर से राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी विरोधी दलों ने मिलकर संशोधन प्रस्ताव रखा था, उस पर जब मतदान हुआ तो समस्त विरोधी दलों ने उस संशोधन के पक्ष में मत दिया जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस संशोधन के विपक्ष में मत दिया । आपको यह मिला । जौहरी बाजार के क्षेत्र में गोली चली तो स्वतन्त्र पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार का साथ दिया । गंगानगर के गोलीकाण्ड पर रामानन्दजी की पार्टी वाले जिनको हमारे होम मिनिस्टर साहब नक्सलवादी कहते हैं आज उनके साथ हैं । आज उनसे सरकार हाथ मिलाकर गंगानगर आंदोलन का फैसला करवा रही है जिसको नक्सल पंथी कहते हुए आप थकते नहीं हैं उनसे आज आप हाथ मिलाने जा रहे हैं । आपके ये झूठ और फरेब जनता को ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते । इसकी जनता पर प्रतिक्रिया हो रही है जो गृह मन्त्री कहते हैं कि गंगानगर में नक्सलवादी आगये और उन्हीं से हमारे होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हाथ मिलाकर समझौता वार्ता कर रहे हैं । भाक्रान्द सोशलिस्ट पार्टी जिनका इस आन्दोलन में प्रमुख पार्ट है उनसे आप बात नहीं करना चाहते । यह आपकी मानसिक धृष्टता का परिचायक है यह आपका जो मानस है वह बताता है कि आप कहां खड़े हैं ?

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आप देश की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो जितनी भी जमीन सरकार के पास पड़ी है वह सब भूमिहीनों को बांटी जाय । आज भूमिहीन उनको माना जाता है जिनके बाप कलेक्टर है उनका बेटा भूमिहीन होगया उसने जमीन ले ली या जिसका बाप मिनिस्टर है उसका बेटा भूमिहीन होकर जमीन प्राप्त कर लेता है ।

(श्री नत्थी सिंह)

मैं ऐसा भी बता दूंगा जिन्होंने जमीन एलॉटमेंट कराई है मन्त्री, उपमन्त्री और उनके रिश्तेदारों ने। सदन में यह प्रस्ताव भी आया था कि सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जावे जो जांच करे कि कितने मिनिस्टरों ने, एम.एल.ए. ने प्रधान, सरपंच और कितने सरकारी अफसरों ने अपने या अपने परिवार वालों के अथवा रिश्तेदारों के नाम पर भूमिहीन के नाम पर जमीनें एलॉट कराई है। क्या वह कमेटी बनी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोमेशन, सर ! अभी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है इस बारे में और सभी कलेक्टरों को वायरलैस से मैसेज भेजा है कि इस तरह के जितने गलत अलॉटमेन्ट हो चुके हों कहीं, तो उनको बिना किसी निगरानी के मियाद का ख्याल किये बगैर सारों की फाइल मांगकर कैंसिल कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : विराजिये। वकील आप भी रहे हैं और मैं भी हूं। आपके इन वायरलैस मैसेजों को और आपकी सरकार के निर्णयों को हम खूब समझते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत की डेफीनेशन क्या है ?

श्री नत्थीसिंह : इसकी डेफीनेशन की आड़ में ही आप अपना खेल खेलेंगे। हम सब जानते हैं कि उन कलेक्टरों को सुनने की फुर्सत नहीं। ए. डी. एम, एस. डी. एम. फैसले करेंगे और उनसे किस तरह के फैसले कराये जाते हैं आप हम सब जानते हैं। आप डिनाई नहीं कर सकते। किसी तरह का अलॉटमेन्ट सही कराके उनसे लाया जा सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसी कोई फहरिस्त आपके पास हो तो जिलेवार मुझे दीजिये। कलेक्टर से जांच करवाकर पूरी कार्यवाही कराने का जिम्मा सरकार लेती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप चैलेन्ज स्वीकार कर लीजिये। आपके मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर से लेकर तहसीलदार तक रेगुलेराइज के नाम पर 200) रुपया बीघा लेकर, रेगुलेराइज करते हैं। आप कहें तो आपका मैं करा दूं। आप चाहें जिस डिप्टी मिनिस्टर को ठेकेदार को नियुक्त कर दें 200) रुपये में आपका रेगुलेराइजेशन हो जायेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एन्टी करप्शन और विजिलेन्स विभाग खुले हुए हैं। आप वकील है, पकड़ाइये।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रीजी, आप तो विराजिये। आपके बूते का यह रोग नहीं है। आपके एन्टीकरप्शन को भी हम जानते हैं और विजिलेन्स कमीशन को भी हम जानते हैं और आपको भी हम जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इससे यह समझा जावे कि आपके इस ऑर्डर से जो पिछले सदन में इस तरह की जांच कमेटी मुकर्रर करने की जो बात तै की गई थी, वह रद्द कर दी गई है। सदन में पिछले सत्र में मन्त्रियों के नाम उपमन्त्रियों

Page No 125

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं आदि के नाम गलत और अनियमित और इल्लीगल अलॉटमेन्ट की काफी चर्चा हो गई थी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने तो सूचना दी है।

श्री सभापति : इस प्रश्न का भी उत्तर जब आप बाद में उत्तर दें तो उसके साथ दे दें।

श्री नत्थीसिंह : तो मैं कह रहा था। लोकपाल की नियुक्ति करने से आप क्यों घबराते हैं। आप जांच करें हमारी भी करें और चुने हुए अन्य सभी लोगों की भी करें।

समाजवाद आप लाना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। समाजवाद का कदम आपने उठाया और भ्रष्टाचार बरकरार रहा तो पहले से भी अधिक खराबी होगी। यह आप निश्चितरूप से समझ लें। देश में सही दिशा में समाजवाद इस तरह नहीं आवेगा। सही रूप से लाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। अपनी पार्टी में से मैं अकेला ही तो बोल रहा हूं।

श्री सभापति : पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री नत्थीसिंह : सभापतिजी, यह तो मुश्किल है। मैं वैसे समअप कर रहा हूं। आप तैयार होइये भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये। लोकपाल की नियुक्त करें। वह बतावें कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जन-प्रतिनिधि, प्रधान प्रमुख आदि ने भूमिहीन बनकर कितनी जमीन संग्रह की है।

और साथ ही एक बात कहना चाहता हूं। कई बार चर्चा हुई है। एक अरब 70 करोड़ 66 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों में खर्च हुए हैं। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य रोज कहते हैं कि किस तरह से अकाल राहत में पक्षपात किया जाता है। दूसरे जोशीजी आपसे अधिक सक्षम है। वे चार में से एक हैं। मुख्य मन्त्री तक उनकी रोज पहुंच है। आपको तो 15 दिन में भी मिलने के लिये टाइम मांगे तो नहीं मिल सकता। पन्द्रह दिन तक लगातार स्लिप भेजे तो कहीं जाकर मिलने का आपको अवसर आवेगा सी. एम. से। मुख्य मन्त्री मिलने का आपको टाइम देते हैं तब मिलने का अवसर आपके लिये आवेगा। उनके लिये ऐसा कुछ नहीं है। बांसवाड़ा में अकाल राहत काम खुलेंगे तो जोशीजी के क्षेत्र में जल्दी खुलेंगे। आपके तो अधूरे काम भी पूरे नहीं होंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वे नहीं कहेंगे।

श्री नत्थीसिंह : जोशीजी महाराज, सब कह रहें हे ठीक ठीक। आज जब कॉलेज की घोषणा करते हैं तो भीलवाड़ा भरतपुर को एक साथ रखते हैं। उपर भरतपुर में कॉमर्स की क्लासें खोलेंगे साइन्स की नहीं।

और किसी की बात मानूं या न मानूं मुख्य मन्त्रीजी की बात जरूर मानता हूं। अभी वे आये थे। डालमिया जी के दूध के

(श्री नत्थीसिंह)

कारखाने का उद्घाटन करने (शिलान्यास करने) कह दिया बजट आ रहा है कॉमर्स की घोषणा कर देंगे। यह सौतिया डाह क्यों ? दो और आये और दो हम आये। धौलपुर की बात छोड़ दीजिये। मौलाना साहब की गलती से वह फिजूल मिलगई। याद रखना हम राजाओं से लड़े हैं, जागीरदारों से भी लड़े हैं। अन्याय के विरुद्ध आप से भी लड़ लेंगे। आपने वचन भंग किया है। आपने कहा था कि पुरानी राजधानियों में हैड क्वार्टर्स किसी न किसी विभाग का रखेंगे। डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस आपने भरतपुर में रखा था। उसको भी हटाया। डिप्टी डाइरेक्टर का रखा, उसको भी खिसका कर ले गये। नहर बनाने की बात की थी और न जाने क्या क्या बातें की थीं। वह नहर बनेगी नहीं चाहे सारी बरबादी हो जावे किनारे गिर जावें। हमने कहा अच्छी बात है जब हमें यह कहा गया कि आप काले झण्डे दिखाते हो, इसलिये आपके यहां ये काम नहीं होंगे इस पर हमने कहा कि अच्छी बात है। अब नहीं दिखावेंगे। इस मुख्य मन्त्री को यहां आने जाने दो। काले झण्डे नहीं दिखावेंगे। हमने भी देखा कि फिर भी ये सुनते हैं कि नहीं। पर वहां आकर कहकर भी बदल गये। अब के तो घिस्सा देकर आये थे पूछा तो कहा कि वह सब काम तो राव बहादुर के जमाने की बात थी। तब सेन्टर से पैसा आता था। हम पैसा कहां से लावें अब। तब बहुत घिस्से दिये गये थे कि जापानी टाइप, किश्तीनुमा नहर और खाई बनेगी। अब तो नहर के टूटे हुए किनारे और सड़कों की बात कहते हैं तो वह भी नहीं। यह आप सौतेला बरताव हमारे साथ करते हैं तो ध्यान रखें हम हरियाना के किनारे पर रह रहे हैं और बांसवाड़ा, मध्यप्रदेश के किनारे रहता है। अब उन जोशीजी की तो क्या कहूं। राजस्थान को इनटेक्ट रखने के लिये आपको इस क्षेत्रीय भेदभाव को छोड़ना होगा। सारे राजस्थान को एक मानें। एक स्प्रिट कायम करें। जिस इलाके को जो मिलना चाहिये जो वाजिब है वह वाजिब चीज उसको मिलनी चाहियें। उसकी आवश्यक जरूरतें पूरी होनी चाहिये नहीं तो आपकी सत्ता तो एक बार हिल गई थी पर अब 72 में वह वापिस आने वाली नहीं है। यह याद रखें।

मैं अकाल की बात कह रहा था। अकाल को लेकर जो दुर्दशा आप बांसवाड़े में आदिवासी लोगों के क्षेत्र की कर रहे हैं जिसके लिये हीराभाई ने आपको काफी कहा है उसे आप ठीक करें। लाल टोपी उतार कर धोली टोपी पहन लो तब काम होगा यह बात अब चल नहीं सकेगी। इसलिये नहीं कि आपने सहीतौर से काम करना सीखा ही नहीं। अब भी अगर सही तौर से काम करना नहीं सीखा और समस्याओं के समाधान ईमानदारी से किये नहीं तो जमाना तेजी से बदल रहा है। बड़ी तेजी से बदल रहा है। आप देखें लाल चिनगारी उठ खड़ी हुई है। औरों को भी खतरा है। आपको भी है। अभी से जनरल करिअप्पा सरीखे जनरल धमकी देने लगे हैं उससे देश को बचाने के लिये आपको अपने अन्दर ईमानदारी लानी पड़ेगा।

आपने अकाल राहत कामों के लिये 1 अरब, 70 करोड़, 66 लाख खर्च किया है। आपने इसमें जो जो जिस जिस तरीके के

(श्री नत्थीसिंह)

हथकण्डे अपनाये हैं, जो जो भ्रष्टाचार और काले कारनामे इसमें किये हैं उसकी राजस्थान में कोने कोने में चर्चा है। इसमें बेहद भ्रष्टाचार हुआ है। लाखों रुपया हराम में लोगों की जेबों में चला गया है। इसके लिये आप जांच करने के लिये एक स्वतंत्र आयोग बनावें। एक एक किस्से की जांच करवाइये।

कहां कहां जरूरत थी इसलिये खोले गये, कहां कहां केवल राजनैतिक कारणों से खोले गये। अकाल न होते हुए भी खोले गये। कहां-कहां, कितनी-कितनी, किस किस पैमाने पर भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई। इन सारे मामलों की एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा जांच करवाइये। फिर इस सदन में उसकी रिपोर्ट आने पर बहस करिये तब हम लोग मानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है।

हमारे वित्त मन्त्री ने एक बात अपने भाषण में कही कि उनकी मजबूरी थी समाजवाद की बीमारी से, अय्याशी से बाहर निकले हैं। अन्तिम लाइन कही एक शेर के साथ कि—

जिस तरफ देखा न अब तक,
उस तरफ देखा तो है।

ये वे स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तो देखा भर है। यह इस सरकार के वित्त मन्त्री कहते हैं। अबतक देखा नहीं था। अब देखा है। और फिर कहते हैं कि अब तलक गरीबों की तरफ नहीं देख पाये। उनकी सुनवाई नहीं कर पाये। अब देखा है। पर, माथुर साहब, अब देखने मात्र से काम नहीं चल सकता। अब अधिक दिनों तक लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अब तो समाज के शोषित वर्ग का सारा जी भर गया है। अब परिस्थिति जल्दी नहीं बदली तो निश्चितरूप से जो हालत बंगाल में हो रही है, वह राजस्थान में नहीं पैदा हो जावे यह आप देखें। इस स्थिति को आप और हम दोनों दूर रखना चाहते हैं। आप भी अगर दूर रखना चाहते हों तो नकाबपोश समाजवादी मत बनो। ये नकाबें दूर करो। इनको उतार फेंको। समाजवाद की सही व्याख्या को समझो। यह नहीं दिल्ली-बम्बई में समाजवाद का नारा लगाओ और गोआ में 'जय बिड़लाजी' कहो। सब लोग आपकी इस धोखाधड़ी को समझने लग गये हैं। चाहे भाषा कोई हो। भाषा के भुलावे में लोग अब नहीं आवेंगे। जो हिचकते हुये कदम बढ़ाये हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति को वजीफे की बात, बेरोजगार इंजीनियरों की बात, बुढ़ियाओं के पेन्शन बढ़ाने की बात — यह बिलकुल ठीक है। आपने कदम उठाये हैं हम सही मानते हैं लेकिन इन्च भर। इनसे काम नहीं चलेगा, पूरे कदम उठाने पड़ेंगे। राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स को बन्द करेंगे और उनके लिये कोई विशेष सुविधायें नहीं रखेंगे। अभी यह बात हमारे नवाब साहब से तो ऐलान करवा लीजिये। उदाहरण रखें तो ठीक रखें। इधर बैठने वाले हैं उनकी बन्द करेंगे और उधर बैठने वालों को खुली छूट क्योंकि वहां तो दम नहीं है। आपके बीच में बैठे हैं तो घी खावें और इधर बैठने वाले हैं वे पत्थर खायें। पहले अपने गिरेबान में निगाह डालकर देखो तभी सही हो सकता है वरना नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, और वह बात यह है कि

(श्री नत्थीसिंह)

अगर यह असन्तोष बढ़ता रहा, यह बेरोजगारी बढ़ती रही तो मुख्य मंत्री जी, आपका यूथ बोर्ड उसे देखने वाला नहीं है। इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। निश्चितरूप से इस देश में असन्तोष की जो आग भड़क रही है उसमें आप तो भस्म होंगे ही होंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सारा राष्ट्र आपके इन कारनामों से भस्म हो जायगा। जो नई शक्ति आने वाली है उसमें छोटी जोत बड़ी जोत की बात नहीं रहेगी अब वह बात नहीं रहने वाली है कि राहत कार्य खोल दिये बांसवाड़ा और सागवाड़ा में और छोड़ दिया कुशलगढ़ पीपल खूंट को।

मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, आपने वह जमाना देखा है लेकिन अब तक आपसे डटकर लड़ रहे थे और अब इनसे भी लड़ रहे हैं। इनके साथ होकर भी इनसे लड़ रहे हैं। हम दो पाटों के बीच में

श्री हरिदेव जोशी : आप इनसे मिल गये हैं यही बात है।

श्री नत्थीसिंह : आप समाजवाद और छुआछूत मिटाने में विश्वास दिलावेमात्र का रखते हैं लेकिन हम तो न जनसंघ से, न स्वतन्त्र से और न किसी पार्टी से कोई बात रखते हैं, हम तो रखते हैं, देश की प्रगति में विश्वास। कांग्रेस जो यथास्थिति वाद की द्योतक है, जिसने यथास्थिति को कायम किया, यह बिलकुल सही है लेकिन वह आज टूट गई है, खण्ड खण्ड हो गई है

(व्यवधान, अश्रव्य)

जोशी जी तो कह ही नहीं सकते, लेकिन, सभापति महोदय, आपको याद है अन्तिम दम तक हमने कहा था इन्डीकेट में मत जावो, सिन्डीकेट में ही रहो लेकिन क्या करें बेचारे, मजबूरी आ गई सिन्डीकेट को छोड़कर इन्डीकेट में घुस गये। ये भी क्या करते बेचारे? सुखाड़िया साहब ने दामन पकड़ा इन्दिराजी का और आपका दामन है सुखाड़िया जी के हाथों में इसलिये करते भी क्या? इसलिये मैं कहना चाहता हूं सिन्डीकेट, इन्डीकेट को छोड़ दो और इस देश की भलाई करनी है, इस देश की सेवा करनी है तो

श्री हरिदेव जोशी : राज नारायण जी के साथ हो जावो।

श्री नत्थीसिंह : हम तो राजनारायण जी के साथ जायें या किसी के साथ जायें हम सब एक हैं। हमारी नीयत तो बिलकुल साफ है। यथा स्थितिवाद कांग्रेस आज टूट चुकी है, खण्ड खण्ड हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है, देश की प्रगति में जो रोड़ा बनकर खड़ी है। आपके कोई सिद्धान्त नहीं हैं। आपकी तो सत्ता ही सर्वोपरि सिद्धान्त है इसको देश से हटावो, च्युत करो और देश में परिवर्तन की स्थिति लावो देश में सच्चा समाजवाद आ सके और नहीं तो वित्त मंत्रीजी की बात से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है निश्चितरूप से इस देश में समाजवाद लाने की...

(श्री बी० एन० जोशी के बीच में बोलने पर व्यवधान)

जोशी जी दिल पर हाथ रखना चाहिये- रखो दिल पर हाथ। उस कहानी को मैं नहीं कहना चाहता हूं जो आदिवासी

(श्री नत्थीसिंह)

कल्याण केन्द्र में हुई है। आप खुद सोचिये। आपने अब सुखाड़िया जी का दामन पकड़ा हैं, जमीनों के घोटाले किये हैं···

श्री हरिदेव जोशी : अब आप बैठ जाइये।

श्री नत्थीसिंह : अब सुखाड़िया जी का जमाना जा रहा है, नई पीढ़ी का जमाना आ रहा है जो देश में नई परिवर्तन की स्थिति लायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सुखाड़ियाजी के उत्तराधिकारी जोशी जी बैठे हैं।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री नत्थीसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं दो मिनिट में। मैं कह रहा था। निश्चितरूप से परिवर्तन की स्थिति आने वाली है। नकाबपोशी की इस नीति से काम नहीं चलेगा। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, पुरानी दकियानूसी को छोड़ो, ऐसी नीतियों को छोड़ दो जो परिवर्तन की दशा में रोड़े बन रही हैं। यह सरकार परिवर्तन में रोड़े डालती है, इनको छोड़ो।

श्री हरिदेव जोशी : क्या कहना, क्या कहना।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो इस प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1970 को हुई। समिति अपने 24 वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि-

(1) रविवार, दिनांक 15 मार्च, 1970 को सदन की बैठक नहीं रखी जाय तथा आय-व्ययक, 1970-71 पर सामान्य वाद-विवाद का उत्तर राज्य सरकार की ओर से सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1970 को दिया जाय। सोमवार को प्रश्न-काल नहीं रखा जाय तथा उस दिन ली जाने वाली अनुदानों की मांगों पर विचार राज्य सरकार के उत्तर के पश्चात् प्रारम्भ किया जाय।

(2) शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 1970 को सदन की बैठक का समय प्रातः 8-00 बजे से मध्यान्होत्तर 1-00 बजे तक का रखा जाय।

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1970 तक के अन्य दिनों के कार्यों के सम्बन्ध में समिति पहिले से ही अपने 24 वें प्रतिवेदन में सिफारिश कर चुकी है और वे कार्य यथावत लिये जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : बहुत ठीक है साहब, सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं पहले जो एक नोट था कि विधान सभा 10 अप्रेल तक जरूर चलेगी उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 25 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 25 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सभापति महोदय,

श्री नत्थीसिंह : इनका समय तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बढ़ा दिया है।

आय व्ययक पर अग्रेतर वाद्-विवाद

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, 66 पृष्ठों के अपने बजट भाषण के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने 1970-71 का ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके बारे में मेरे से पहले भाग लेने वाले कई सदस्यगणों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं जिनका अपने आप में एक महत्व है। मैं बजट के कुछ मौलिक सिद्धान्तों को लेकर अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।

आजादी के बाद हमारे बड़े बड़े नेताओं ने इस देश के चहुंमुखी विकास के लिए मिक्स्ड इकोनोमी याने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। उन्होंने उस मिश्रित इकोनॉमी से अपने आर्थिक विकास में कभी कभी कुछ कठिनाइयां भी पाईं और उन कठिनाइयों को हल करने के लिए उन्होंने रास्ते भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रकार की प्रगति नहीं हो सकी, जो पांच साला योजना के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से होने की आशा बांधी गई थी इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से विकास योजनाओं को लागू करके उसको हमने अपनाया। उसके बाद में समाजवाद का नारा भी बुलन्द किया और उसके साथ ही साथ कई बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। उसके साथ साथ कई पब्लिक सेक्टर का भी केन्द्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर विकास हुआ और उसके बावजूद भी हमने देखा कि हम सही राह पर प्रगति नहीं कर सके हैं। इसलिए हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि जो मौलिक सिद्धान्त है और इस बजट में भी उन मौलिक सिद्धान्तों को देखते हुए व्यवहारिक मापदण्ड से, हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा अपनी अर्थव्यवस्था का। इसलिए हमें आज सोचना पड़ेगा कि आया हमारे राज्य की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी सम्पन्न हो चुकी है कि हम अपने राज्य का कारोबार सुचारुरूप से चला सकें ? दूसरी बात हमको यह भी देखनी पड़ेगी कि हम आर्थिक स्थिति को क्या विकसित कर सके हैं और उसको विकसित करने के साथ ही साथ सेल्फ जेनेरेटिंग बना सके हैं या नहीं ? अगर इन दोनों बातों को हासिल नहीं कर सके हैं तो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ा है। यह बातें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम ऋण लेकर अधिक दिन तक अपने राज्य को जिंदा रख सकेंगे। यदि हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने इन मूल सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट का अध्ययन किया है और

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उस तस्वीर का भी अध्ययन किया है जो कि माननीय वित्तमंत्री जी ने सदन के समक्ष पेश की है । मैं मानती हूं कि हमारा राज्य बुरी तरह से आर्थिक विषमताओं का शिकार हो चुका है और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बिलकुल छिन्न भिन्न हो चुकी है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक तरफ तो बढ़ता हुआ ऋण दूसरी तरफ आम नागरिक पर बढ़ता हुआ करों का भार और वर्तमान कर जो लगे हुए हैं उनकी दरों में बढ़ोत्तरी है, उसके लिए मैं कहूंगी कि आम नागरिक की हिम्मत नहीं है कि यह बर्दाश्त कर सके। उसकी कमर टूटने की स्थिति आ चुकी है । इसके बावजूद भी मुझे खेद है कि वित्त मंत्री जी ने अपना ध्यान इस तरफ नहीं देकर एक बात कही है कि यह बजट 29 करोड़ 68 लाख के घाटे का है इसको संतुलित बजट मान लेना चाहिए । वह क्यों मान लेना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय सरकार से हमें इतना ऋण रुपया मिल जायेगा। क्यों मिल जायेगा इसकी कोई बात माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं कही है कि केन्द्रीय सरकार क्यों दे देगी और क्या कारण है जिसके लिए दे देगी—यह बात उन्होंने नहीं कही । 29 करोड़, 68 लाख का फिगर जो उनके ही आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं है बल्कि यह आंकड़े 29 करोड़, 93 लाख का बनता है उनके आंकड़ों के मुताबिक । उसको उन्होंने संतुलित मानने के लिए कहा है । मिश्रित इकोनोमी का खास सिद्धान्त यह है कि जनता के ऊपर कम से कम कर लगे और राज्य सरकार अपने ही साधनों को इस तरह विकसित करे कि उनसे सेल्फ जनरेटिंग साधन बन सकें और कम से कम राज्य सरकार जो खर्च करती है उसका 50 प्रतिशत वह अपने साधन जुटाकर उससे वसूल कर सके । हमने इस बात को देखा कि आज भी जो हम खर्च करते हैं वह सिर्फ ऋण लेकर ही करते हैं और ऋण की स्थिति हम देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यह दिन-दूनी और रात-चौगुनी हो रही है । मैं आपको इस समय बताना चाहूंगा कि आज भी राज्य की ऋण-स्थिति की हालत किस तरह की है । इसके बारे में मैं मुख्यतः, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि आज भी इस राज्य सरकार को 31 करोड़, 31 लाख, 84 हजार रुपया ऋण के ब्याज की हैसियत से प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है, और नये करों की बात करते हैं 3 करोड़ 62 लाख को तो यह उसके सामने कुछ भी नहीं है जिससे कि ब्याज चुका सकें । इसलिए यह बढ़ता हुआ ऋण दिन प्रतिदिन हमारे राज्य को कब तक चला सकेगा ? अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, हम यह कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमने समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें बजट के बनाने के घिसेपिटे तरीके को भी बदलना पड़ेगा । यह जो तरीका बनाया हुआ है इस बजट को बनाने का तरीका इससे समाजवाद को हासिल नहीं किया जा सकता ।

हमने कितनी हद तक प्रगति की है उसको भी मैं निवेदन करूंगी कि जब देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ था 49 से 52 तक 3 साल के अरसे में जो देशी रियासतों की तरफ से धन मिला था उसको हमने खर्च कर दिया और उसके बाद में जो अचल सम्पत्ति मिली उसको गिरवी नहीं तो गिरवी के तरीके से उस पर लोन लेने की व्यवस्था

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

शुरू कर दी है और जिस दिन से इस विधान सभा का जन्म हुआ है तो उसके बाद में तो कोई अंत ही नहीं रहा है और आज करोड़ों रुपयों का ऋण लेते चले जा रहे हैं और वह विकास का ऋण न जाने किस विकास में खर्च होता है आया यहां की तनख्वाहें चुकाने में होता है या इन्टरेस्ट चुकाने में होता है। इसकी भी स्थिति राज्य सरकार स्वयं बताये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिक्स्ड इकोनामी के यह दोष तो हैं ही और इसका हल कुछ ही हाथों में रह जाता है। साथ ही साथ में सरकार अपने साधन सेल्फ जनेरेटिंग नहीं बना सके तो यह प्रणाली बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेज 55 पर अपनी आय का ब्यौरा बताया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारी इस साल की जो प्लान है 316 करोड़ रुपये की उसमें 50 करोड़ रुपयों का जो योगदान राज्य सरकार को देना है उसमें से 8.51 करोड़ इस सरकार को देना होगा। उसमें बताया है :

Surcharge on Land Revenue 35 lacs.

Fee for conversion of Agricultural Lands into Abadi-50 lacs.

Change in Electricity Tariff-86 lacs rupees.

State Lottery.... 38 lacs.

Rock Phosphate Mining 118 lacs Total--489 Lacs.

यह 4.89 का जोड़ बताया है और 3.62 करोड़ का कर लगाकर के बताया है कि इस तरह से 8.51 बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह आंकड़े धोखा देने वाले आंकड़े हैं। यह सेल ओन कमर्शियल क्राप्स पैरा 79 में कहा है और पैरा 81 में फिर मिनिस्टर साहब ने इस बात को कहा है :

"That a cess on Commercial Crops was imposed during the current financial year. The Government have now decided to abolish this Cess. This will result in loss of revenue to the extent of Rs. 25.20 lacs."

तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम 25 लाख की वसूली नहीं करेंगे और दूसरी तरफ यह आय आपने 25 लाख की जोड़ी है, तो माननीय वित्त मंत्रीजी, आपका बहुत बड़ा वित्त विभाग है मैं यह नहीं कहती की जानबूझकर उन्होंने सदन के सम्मुख गलत फिगर देने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए वित्त मंत्रीजी उत्तरदायी हैं, वे स्पष्टीकरण करेंगे कि इतना बड़ा विभाग होते हुए भी गलत फिगर्स कैसे पेश हुए सदन के सम्मुख ?

श्री विजयसिंह : बड़े अयोग्य हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह आप लोग जानें। मैंने अपने विचार रखे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं गिरधारीलालजी से कहना चाहता हूं कि घर का भेदी लंका ढाये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह तो आप लोग करते हैं। आप में ऐसे लक्षण हैं तो आप ऐसी बात करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी तो घर के हैं पराये थोड़े ही हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : दूसरी बात मैं यह अर्ज करती हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कृषि को ही आर्थिक विकास का आधार माना है और कृषि के विकास के लिए इस राज्य में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सा इलाका अकालग्रस्त रहता है और वर्षा के अभाव में कोई कृषि कार्य नहीं हो सकता है उस इलाके में। इसलिए जब कोई बात आर्थिक विकास के बारे में सोची जाय तो सारे इलाके को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के इलाके जो अकाल से पीड़ित हैं, जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां पर इस तरह के उद्योग होने चाहिएं, जैसे कि मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज हैं, क्योंकि मिनरल्स उस सूखे इलाके में ज्यादा तादाद में उपलब्ध हैं। मेरे क्षेत्र का मैं कह सकती हूं कि वहां पर बहुत से मिनरल्स हैं, जैसे सिलिका सैण्ड है, जिप्सम है, चाइना क्ले है, लाइम स्टोन है, कंकर और बजरी हैं। ये सारी चीजें हैं। वे बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध हैं। इसी तरह से जैसलमेर में है, इसी तरह बाड़मेर में है। जब लोग मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री की बात कहते हैं तो समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार के सम्मुख वे ही इलाके रहते हैं जहां पर कृषि अच्छी होती है और यह इलाका उनकी नजर से चूक जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कल ही सदन में एक प्रश्न आया था पलाना के कोयले के बारे में तो इसके बारे में यह कहा गया कि वहां पर आग लग गई इसलिए उसको बन्द कर दिया और इसलिए भी बन्द कर दिया कि वह प्राफिटियरिंग नहीं है। वहां पर थर्मल पावर स्टेशन बनना था और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए लगाना नहीं चाहते।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सूखे के इलाके में जहां पर ज्यादा आवश्यकता है इस तरह का धन्धा देना चाहिए जो सेल्फ-जेनेरेटिंग हो और बेकारी को दूर कर सके ताकि लोगों को अकाल के लिए उसके हल के लिए कोई मार्ग न ढूंढना पड़े। यह उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो वहां पर उपलब्ध चीज है उसका सही उपयोग किया जाय। आप कहते हैं कि कोयले में आग लग गई, तो मैं पूछना चाहती हूं कि जब वह यू० पी० और मेरठ वगैरह में जाता था तो कभी भी आग नहीं लगी, लेकिन इस बार कैसे आग लग गई? जब पचासों बार बाहर भेजा गया तब कोयले में आग नहीं लगी। मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने बारबार राजस्थान सरकार के मंत्रियों को ले जाकर बताया है कि यह इलाका सूखाग्रस्त इलाका है और यहां पर यह स्कोप है, रिपोर्ट आपके पास आगई है, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर राज्य की आर्थिक व्यवस्था की दुहाई देकर वहां पर आप बड़ा प्लान्ट नहीं लगाते हैं तो ब्रिकेटिंग प्लान्ट तो छोटा होता है उसमें तो 12-13 लाख का ही खर्चा है वह लगा दें तो डोमेस्टिक फ्यूअल की हैसियत से वह सारे राजस्थान में काम आ सकता है। इसलिए मैं

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनमें कोई उपयोगी धन्धा हो सकता है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए उदयपुर में फास्फेट मिलता है तो उदयपुर में काम होगा लेकिन फास्फेट प्लान्ट के नाम से दूसरों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए ।

श्री विजयसिंह : हमको तो आपने कहा ही नहीं, नहीं तो हम आपके साथ चलने को तैयार थे ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आपको टाइम नहीं था आपने खुद ने कहा था ।

श्री विजयसिंह : आपने नहीं कहा ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आपने कहा था कि नैक्स्ट टाइम आयेंगे तो आपके यहां खाना भी खायेंगे । अभी समय नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं आगया हूं फास्फेट कहां मिलता है, मैं भी तो सुनूं ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आप भी सुन लें । पलाना में नहीं लगा सके हैं । थर्मल पावर प्रोजेक्ट । आप यह दुहाई देते हैं कि आपकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, दूसरी स्थिति में आप नहीं हैं कि वहां पर वह प्लान्ट लगा सकें, तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर ब्रिकेटिंग प्लान्ट लगाया जा सकता है । कोयले में आग लग जाने की जो बात कही जाती है वह सरासर गलत है । आग किस तरह से लगी उसमें सच्चाई यह है कि उसमें गलत ढंग से काम करते हैं । उसमें जांच कराकर मालूम किया जाना चाहिए । आज से पहले तो कोयला बराबर बाहर जाता रहा है मेरठ और यू०पी० में कई जगह और कभी भी उसमें आग नहीं लगी । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि पलाना की जो खान है उसको आपने बन्द कर रखा है उसको वापस जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए । वहां के लोग कुदरत से पहले ही मारे हुए हैं । परमात्मा ने उस इलाके को सूखा रखकर वहां की गरीब जनता को वैसे ही परेशान कर रखा है इसलिए राजस्थान सरकार का फर्ज है कि इस सूखे की स्थिति में वहां की जनता को इस स्थिति से निकाल कर अपने उत्तरदायित्व को निभाये । मैं यह मन्जूर करती हूं कि पिछले साल अकालग्रस्त क्षेत्र में बराबर काम शुरू है पशुधन के लिए. मैं उसका स्वागत करती हूं और उसकी सराहना करती हूं, लेकिन उसके बाद भी पशुधन की जो हानि उस इलाके में हुई है, वह पीढ़ियों तक पूरा नहीं होगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उद्योग मंत्रीजी तो नहीं चाहते थे लेकिन वित्त मंत्रीजी ने तो किया है उनकी तो तारीफ करें ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: यह गलत है ।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया एक यह....

एक माननीय सदस्य : आपके किस किस क्षेत्र में क्या क्या मिनरल मिलते हैं वह जोशीजी को बता दें ।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: मैं करों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि करों के माध्यम से हमारे राज्य की आर्थिक अवस्था को जिस

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

तरह से आज तक हाँका गया है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि वह उस गाय की तरह है जो चारा खाने में ज्यादा विश्वास रखती है और दूध देने में कम। हमने कर लगाकर भी क्या हाँसिल किया है ? आज कर भी लगाये जायं तो जनता को उससे क्या हासिल होगया ? मैं निवेदन करूंगी कि यदि बजट के आंकड़ों की तरफ देखा जाय तो हमेशा हमारा व्यय हमारी आय से बढ़ता ही रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम, शेम।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : इस साल में 3-62 करोड़ की अतिरिक्त आय बताई गई हैं करों के माध्यम से तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो राज्य सरकार ने लोन पर इन्टरेस्ट दिया है वह अपने आप में 31 करोड़, 31 लाख, 81 हजार है और पिछले साल जो इन्टरेस्ट की रकम पे की है वह है 28 करोड़, 21 लाख, 67 हजार, उससे पिछले साल 22 करोड़, 8 लाख, 84 हजार 225 थी। अगर इन्टरेस्ट की प्रगति को देखें तो हर वर्ष वह बढ़ रहा है। 68 के बजट के बारे में मैं कह सकती हूं कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में यह बताया था कि 18 करोड़ का जो इन्टरेस्ट देना है उसका चुकारा इस वर्ष किया जायेगा, लेकिन आगे जाकर उस इन्टरेस्ट के चुकारे के लिए 21 करोड़ का लोन और ले लिया गया इस तरह से निरन्तर एक लोन लेकर ब्याज का चुकारा किया गया और फिर लोन लेकर उसका चुकारा किया गया तो कब तक इस अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखा जा सकेगा ?

दूसरी बात जो अभी नये कर लगा रहे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ इस प्रकार के हैं कि जिनको एन्फोर्स करेंगे तो जनता में आन्दोलन होगा या कुछ ऐसी समस्याएं पैदा करेंगे तब जाकर सरकार उनको वापस लेगी। जिन करों को वापस लेने की सम्भावना है मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनको वापस ले लेना चाहिए। आन्दोलन कराना कोई शोभाजनक नहीं है।

सिंचाई की दरों में हेरफेर करके माननीय वित्त मंत्री जी ने 25 लाख की वसूली की बात कही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हेराफेरी की तो उनकी आदत है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उन्होंने कहा कि भाखरा, राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें बढ़ावा करके एक युनिफार्म रेट मुकर्रर करेंगे, और उसमें उन्होंने बताया है कि 24 रुपये की दरें तो गन्ने के लिए और 8 रुपये की दर गेहूं के ऊपर लगानी है। बाकी चम्बल वगैरह का ऊपर ऊपर ही नाम लिया है तो वह सिर्फ आँख-मिचौनी वाली बात है। दरों की हेर फेर का असर गंग कैनाल, राजस्थान और भाखरा पर पड़ने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार यह उम्मीद करे कि गंगानगर का आन्दोलन बन्द हो जायेगा तो वह सपना ही होगा। एक तरफ तो यह कहें कि कामर्शियल क्रॉप्स पर से सेस हटा लिया है और फिर हाथ घुमाकर कान पकड़ लिया और 25 लाख सिंचाई की दरें बढ़ाकर वसूल करेंगे तो गंगानगर में आन्दोलन कभी भी बन्द नहीं होगा। (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) ...

श्री रामसिंह कुड़ी : आप पहली सदस्या हैं जो यह बात कह रही हैं।

एक माननीय सदस्य : यह अन्तरात्मा की आवाज है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं अरबन लैण्ड टैक्स के बारे में जिक्र करूंगी कि 64 में वह लगाया और 64 से आज 70 की परिस्थितियों में बहुत अन्तर हो चुका है। छः साल का फर्क पड़ गया। छः साल में जमीन की कीमत बढ़ गई और सारी सरकम्सटान्सेज मे चैंजेज आ गई। जमीन की कीमत 1964 में जो थी तीन हजार रुपये तक की जमीन पर उस समय छूट दी गई थी, वह जमीन की तीन हजार रुपये की कीमत अब पन्द्रह हजार रुपये हो गई है, इसलिए 1964 में जो कानून बना था उस समय की जमीन की कीमत को बेस बना कर उसी हिसाब से अब कहें कि अर्बन लैंड पर टैक्स वसूल करेंगे तो यह अनुचित है। यह जो टैक्स रखा है उसके लिए मैं सुझाव रखती हूं इस सदन के माध्यम से मैं राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि इस छूट की दर को तीन हजार से बढ़ा कर अब पन्द्रह हजार कर दिया जाय और मेरा विचार है कि एक हजार पर दो पर्सेन्ट कर लगाना भी ज्यादा है।

तीसरी बात जो पैरा 86 में कहीं गई है वह यह है कि जो इन्कम टैक्स पे करते हैं उनके बच्चों की फीस देनी होगी। खैर ! इन्कम टैक्स पे करने वाले लोगों के बच्चों की फीस बढ़ाई है वह तो वह किसी तरह बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जो पैरा 106 के अन्दर एक्सरसाइज नोटबुक्स पर कर लगाया है सात प्रतिशत—उसके सम्बन्ध में मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जो स्टूडेंट क्लास है, जो छात्रवर्ग है उसमें इससे नाराजगी होगी, उनमें गुस्सा आयेगा और वह इसके लिए आन्दोलन करेंगे और फिर सरकार को मजबूर होकर एक्सरसाइज बुक पर से कर हटाना पड़ेगा। आज आप कहते हैं कि जो एक्सरसाइज बुक बच्चों को स्कूल के माध्यम से दी जायेगी उन पर कर नहीं लगेगा और इससे गरीब लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि स्कूलों में जो यह सहूलियत देते हैं वह केवल पब्लिक स्कूल में देते हैं, पब्लिक स्कूल में ही बच्चों को एक्सरसाइज बुक दी जाती है। आप समाजवाद की बात करते हैं उस आधार पर जो छोटे स्कूल हैं उनके बच्चों को तो बाजार से ही एक्सरसाइज बुक खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए यह कर वापिस लिया जाय—यह मैं निवेदन करती हूं।

आपने जो पैरा 88 में एक्साइज ड्यूटी का जिक्र किया है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन पैरा 89 में जो पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स का जिक्र किया है इसके लिए मेरा निवेदन है कि अल्टीमेटली इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। आप कहें कि इसका बोझ ठेकेदारों पर पड़ता है, उन पर पड़ता है जो कि ट्रक और बसेज चलाते हैं तो यह गलत है क्योंकि बसेज के अन्दर टिकट की दर बढ़ा देते हैं तो उसका बोझ जनता पर पड़ता है। इसलिए यह जो पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स बढ़ाया है– यह भी अनुचित है।

जो पैरा 90 में पावर ड्यूटी का सवाल है उसके लिए आपने कहा है कि टेम्परेरी कनेक्शन पर पावर ड्यूटी लगायेंगे। उस पर पावर ड्यूटी लगायेंगे जो कि शादियों में व खास मौकों पर। अमीर लोग इलूमिनेशन करते हैं और उसके लिए जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। मैंने देखा है कि जो गरीब लोग हैं जिनके मकान में टेम्परेरी कनेक्शन मिले हुए हैं उनको कोशिश करने के बावजूद भी आज तक

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

परमानेन्ट कनेक्शन नहीं मिल सका है। तो ऐसे व्यक्तियों, जिनके घर में टेम्परेरी कनेक्शन लगे हुए हैं, के ऊपर भी इस पॉवर ड्यूटी का भार पड़ सकता है। इसलिए यह भी विशेष ध्यान देने की बात है।

दूसरी बात पैरा 91 में गोटा किनारी पर टैक्स लगाने की है। मैं माननीय नत्थीसिंह से सहमत हूं कि इस सदन की महिला सदस्यायें, मेरे सहित व अन्य महिलाएं जो गोटा किनारी के युग से काफी आगे बढ़ चुकी हैं, उन पर तो इस कर का भार नहीं पड़ता है। लेकिन मैं राजस्थान की लाखों महिलाओं की बात करती हूं जो कि साधारण घरों की हैं और जो कि साधारण कपड़े पर गोटा किनारी लगा कर अपना आकर्षण व मान और परम्परा को कायम रखना चाहती हैं, उनके ऊपर इस कर का भार पड़ेगा। इसलिए इस गोटा किनारी पर खास तौर से कर माफ कर देना चाहिए।

पैरा 92 में जो एरियेटेड वाटर पर कर की बात कही है, जो इस पर कर लगाया— उससे मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां तक सोडा वाटर का प्रश्न है वह दवाई के तौर पर भी काम में आता है, लोगों को जब बदहजमी हो जाती है...

एक माननीय सदस्य : बदहजमी दूर करने के लिए पापड़ और सोडा वाटर पर कर छोड़ दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह छोड़ दिया है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: रही पेट्रोल की बात। इसके लिए मैं कहूंगी कि पेट्रोल बड़े आदमियों के द्वारा काम में लाया जाता है, इसलिए इस पर कर लगाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हरएक आदमी के लिए पेट्रोल आजकल एक आवश्यक चीज हो गई है। इसी सदन में बैठने वाले जितने सदस्य हैं, चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, जिनके इलाके में जाने के लिए जीप के अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता है उनको पेट्रोल मजबूरी से काम में लेना पड़ता है और मजबूरी से उनको जीप रखनी पड़ती है। ऐसे लोग हैं जिनको पेट्रोल का यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं है और क्योंकि उनकी जरूरत है इसलिए उनको काम में लेना पड़ता है उन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट पहले ही कर लगा चुकी है। खास तौर से राज्य सरकार में बैठने वाले माननीय सदस्यों को तो पेट्रोल के पैसे देने नहीं पड़ते हैं इसलिए इन्हें महसूस नहीं होता है। लेकिन पेट्रोल को काम में लेने वाले सब इस श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए मैं सोचती हूं कि मेरे इस दृष्टिकोण के आधार पर जो पेट्रोल के ऊपर ढाई प्रतिशत कर बढ़ाया है वह विचारणीय है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पैट्रोल पर बढ़ा देना चाहिए।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : वह हमें हमारी जेब से देना पड़ेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह बर्दाश्त करेंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ठीक है पहले 21 से 31 होगये और अब 31 के 41 हो जायेंगे। यह समाजवादी व्यवस्था हो रही है।

Page No 138

श्री विजयसिंह : वृद्धिचन्द्रजी तो ऊंट पर अपने इलाके में जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वृद्धिचन्द्रजी तो मिनिस्टर साहब के साथ जाते हैं उनको क्या है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो कलेक्टर साहब की जीप ले लेंगे।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : काटन वेस्ट पर जो कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है, उसके लिए, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि काटन और काटन वेस्ट में बहुत फर्क है। जो मिल मालिकों के द्वारा कपड़ा बनाने के काम में आता है उसमें और इसमें बहुत बड़ा अन्तर है– जिसका माननीय वित्त मंत्री जी को पता नहीं है। राजस्थान के मिल मालिकों की सिफारिश से यह फर्क मिटाने की बात कही है।

बजट भाषण के जो पैरा 109 और 110 में प्रस्ताव है उनका मैं स्वागत करती है। यह वित्त मंत्रीजी ने एक प्रगतिशील काम किया है। यह जो सूवा पर टैक्स कम किया है, यह काश्तकारों के काम में आता है—इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं।

अब मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं। जो पापड़ की बात कही है, जैसा कि श्री गोरधन सोनी ने कहा, पापड़ के बजाय यदि अनाज पर सेल्स टैक्स कम करते तो अच्छा होता। वैसे पापड़ एक अच्छी चीज है और खाने को हजम करने में इससे मदद मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि पापड़ का एक बहुत बड़ा ट्रेड है, हमारे यहां बीकानेर से अकेले करोड़ों रुपयों का कम से कम, जैसा कि मुझे ज्ञान है, पापड़ केरल, कलकत्ता और दूसरी जगह बाहर जाता है। यह एक बहुत बड़ा ट्रेड है और इस पर कर हटाकर राज्य की कमाई में भी घाटा किया है। इससे तो मूंग पर टैक्स माफ कर दिया जाता तो गरीबों को फायदा होता। पापड़ को गरीब सब्जी बना कर तो खा सकते हैं लेकिन हाजमे के दृष्टिकोण से गरीब इसको एफोर्ड नहीं कर सकते ....

श्री रामसिंह कुड़ी : यह तो बीकानेर वाली बात कह दी।

श्रीमती कांता कथूरिया : अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बजट में जो घाटे का अनुमान बताया गया है ....

श्री श्रवणलाल : विद्यार्थियों पर फीस के सम्बन्ध में नहीं कहा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कह दिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उसके लिए कह दिया कि इन्कम टैक्स पे करने वाले इसको बर्दाश्त कर लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पांच लाख रुपये की केवल आमदनी की बात है लेकिन यह भेदभाव उत्पन्न करने वाली बात है-यह अखरता है और कोई बात नहीं है। बड़े आदमियों के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में यह बात आयेगी कि मैं तो बड़े आदमी का लड़का हूं, बड़े बाप का बेटा हूं क्योंकि मैं ज्यादा फीस देता हूं। इसमें केवल पांच लाख की आमदनी का प्रश्न है।

श्री सभापति : यह सब वित्त मंत्री जी जवाब दें तब आप फर्माइये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह तो उन्हीं से पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : यह दिक्कत आयेगी कि जगह जगह के एम. एल. एज. को यह सर्टीफिकेट देना पड़ेगा कि यह इन्कम टैक्स देता है या नहीं देता है ।

श्री नत्थीसिंह : एम. एल. ए. से इन्कम टैक्स का सर्टीफिकेट लिया गया तो किसी की भी दस हजार की इन्कम नहीं होगी । इसलिये इन्कम टैक्स अधिकारी से लिया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पांच सात दर्जे के बच्चे हैं उनको इससे बड़ी असुविधा होगी ।

गिरधारीलाल व्यास : आठवीं तक नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चलो नवें से ही सहा, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं समझदार नहीं हैं उनको दिक्कत हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : आप इसका कोई रास्ता निकालें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बड़े आदमियों के बच्चे तो कार में बैठ कर जाकर ले आते हैं लेकिन गांव के बच्चों को कितनी परेशानी होगी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों को दे देना ।

श्री नत्थीसिंह : इन्कम टैक्स अधिकारी से ले लें तो ठीक है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माथुर साहब को तो –श्री शिवचरण माथुर– को अनपापूलर करना है इसलिये फीस लगा रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ताकि विद्यार्थियों के द्वारा हूटिंग हो ।

श्री सभापति : आप इसको मंत्री महोदय से पूछें ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आप इसको डिस्कस कर लें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप कर लेतीं तो बेहतर होता ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया, अब आपका जो भी दृष्टिकोण हो सकता है ...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हम एग्री करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपसे पूछा किसने था ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : 1970-71 में जो आठ करोड़ विकास ऋण लेने की बात कही है, मैं नहीं जानती कि यह जो आठ करोड़ विकास ऋण के नाम से लिये जायेंगे यह राशि राज्य के विकास के काम में आयेगी या राज्य के कर्मचारियों की सैलेरी चुकाने के काम में आयेगी, या इन्ट्रेस्ट चुकाने के काम में आयेगी । इसलिये सरकार ने जो बजट में घाटा बताया है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पच्चीस लाख का तो पहले फर्क मिला और दूसरे आठ करोड़ की यह आय नहीं हो सकती है । आय वह होती है जो लौटानी नहीं पड़े, इसलिये जो ऋण लेती है राज्य सरकार उसको आय में कैसे शामिल किया जा सकता है ? इसलिये पच्चीस लाख और आठ करोड़–इसको भी शामिल किया जाय तो राज्य का घाटा करीब, सैंतीस करोड़ के आता है न कि 29 करोड़ 68 लाख । इसके साथ-साथ मैं यह और निवेदन करना चाहूंगी कि खर्चा बढ़ाने की स्थिति हमने निरन्तर देखी

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

है और जब हम इस राज्य को खाली लोन लेकर चलाने की अपनी अर्थ व्यवस्था बनाये नहीं रखना चाहते हैं तो हमें खर्च को घटाने के साधन एस्टीमेट कमेटी के माध्यम से या सदन के माध्यम से कोई कमेटी बना कर इसका हल निकालने की व्यवस्था करनी होगी ताकि हम खर्च को घटा सकें। और खर्च में जो निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है, उसको रोक सकें।

वित्त मंत्रीजी ने एक और बात गांधी सेन्टीनरी ईयर के लिये पैरा 60 में कही है। खास-तौर से गांधीजी जिस क्लास से प्रेम, मोहब्बत रखते थे, उस क्लास को ऊपर उठाने की बात कही है व इस कार्य के लिये 1 करोड़ रुपया अलग तौर पर रखा है। उसमें 10 लाख सिर्फ गांधीजी का लिटरेचर खरीदने के लिये डायरेक्टर सोशियल एज्यूकेशन को पांच पांच लाख की दो किश्तों में दिये गये हैं। गांधीजी के ऊपर लिखा हुआ लिटरेचर बच्चों को उपलब्ध हो, मैं इसके पक्ष में हूं पर आज गांधीजी पर लिटरेचर स्कूलों में उपलब्ध है। इस लिटरेचर की खरीद के सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि अधिकारीवर्ग को कहा गया कि इस लिटरेचर पर कमीशन मिलता है वह कमीशन नहीं काटा जायगा यह लिटरेचर यदि छोटे छोटे बुकसेलर्स से खरीदते तो कोई बात नहीं पर यह बड़े-बड़े पब्लिशर्स से खरीदा गया और कहा गया कि कमीशन नहीं काटेंगे। अधिकारियों ने कहा कि Rules के मुताबिक हम तो कमीशन काटेंगे, वह 60 हजार रुपये का कमीशन बना, उसकी वसूली हुई, उसको वापिस उस लिटरेचर में लगाने को कहा गया? मुझे समझ में नहीं आया कि छोटे दुकानदारों से वह लिटरेचर नहीं खरीदा गया, बड़े पब्लिशर्स से खरीदा गया फिर कमीशन नहीं काटने का कहां तक औचित्य था?

मैं खास-तौर से सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि यह 5 लाख तो इसमें खर्च हो चुका है, यदि गांधीजी जिन्दा होते तो वे भी कहते कि रुपये का अपव्यय नहीं होना चाहिये। सद्व्यय होना चाहिये। बाकी 5 लाख रुपया इस लिटरेचर को खरीदने में खर्च होने वाला है, इसको इस लिटरेचर के खरीदने में खर्च नहीं किया जाय, क्योंकि गांधीजी पर लिटरेचर पहले से ही प्रचुर मात्रा में स्कूलों में उपलब्ध है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर खरीदा गया तो उसे दीमक ही खायेंगे। तो इस प्रकार यह 5 लाख रुपया बचाया जा सकता है। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि गांधीजी पर लिटरेचर आज स्कूलों में जितना उपलब्ध है इससे ज्यादा की आज आवश्यकता नहीं है, उन पैसों से हरिजनों के बच्चों को स्कालरशिप दी जाय . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : पूछा होगा?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बडे बूढ़े क्यों बोलते है?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं और बातों में तो जाना नहीं चाहती, क्योंकि समय का अभाव रहेगा पर क्योंकि यह मामला राज्य के धनागार से संबंध रखता है इसलिए पिछले तीन चार महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, मैं गंगानगर आन्दोलन की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। गंगानगर आन्दोलन ऐसा है जिसके आगे सरकार झुकी है। यह आन्दोलन इस बात

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

तक ही महदूद नहीं है कि यह एक शतरंज की सी चाल थी उसमें कौन जीता, कौन हारा। इसमें राज्य का दस, बीस लाख रुपया खर्च हुआ है। राज्य का खर्चा इसमें हुआ, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि नत्थीसिंहजी इसकी डिटेल्स में जा चुके हैं, चाहे वे बढ़ा चढ़ा कर गये होंगे।

तो हमने इस बात को देखा कि इस आन्दोलन में मुख्य मंत्री ने खुद ने कहा कि जनमत के आगे झुकने में मुझे शर्म नहीं आती और वे झुके हैं। अगर झुकना था तो शान्त जनमत के आगे झुका जा सकता था। शान्त जनमत के सामने झुकने की परम्परा मानते हैं तो उत्तेजित जनमत के सामने झुकने की क्या आवश्यकता थी ? पर राजस्थान सरकार ने एक तरफ सारे राजस्थान की गरीब जनता का धन और दूसरी तरफ राजस्थान का शासन इस शतरंज की चाल पर रख दिया। मगर इस सब का हल तो टेबल पर आमने सामने बैठ कर ही कर सकते थे। इस सब खून खराबे की क्या आवश्यकता थी ? मैं मानती हूं कि या तो सरकार की कोई नीति इस मामले में नहीं थी और यदि कोई नीति थी तो वह गलत नीति थी, जिसके कारण राजस्थान की जनता को इतना खमियाजा भुगतना पड़ा। वैसे कहने के लिये सामने बैठने वाले यह कह सकते हैं कि तुमने उनको प्रोत्साहन दिया। विरोधी पक्ष में बैठने वाले दोषी हो सकते हैं पर राज्य सरकार अपना दोष यह कह कर नहीं छुपा सकती। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि सोच समझ कर अध्यादेश जारी करती। अध्यादेश जारी कर के वापिस लेना इस बात का प्रमाण है कि आन्दोलन सही था। यह साबित हो चुका है कि आन्दोलन सही था। फालतू राजस्थान की गरीब जनता का धन क्यों इस तरह से खर्च किया गया ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि समाजवादी समाज लाना चाहते हैं तो इस तरह आन्दोलनों से समाजवादी समाज लाया नहीं जा रहा है।

विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य : बहुत अच्छे।

श्री विजयसिंह : एक घंटा और दिलायेंगे।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह तो कोई बात नहीं।

श्री विजयसिंह : हम तो आपको एप्रिशियट कर रहे हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आपके पक्ष में बात है इसलिये एप्रिसियेशन कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके लिये दोनों तरफ तालियां बज रही है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : एक बात वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कही है कि हम एक हाउसिंग बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है, मैं इसका स्वागत करती हूं। आज जहां तक शहरों का सवाल है, आवासों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये हाउसिंग बोर्ड बनायेंगे इससे इस समस्या का समाधान होगा, इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं।

वित्त मंत्रीजी ने कुछ और बातें अपने भाषण में कहीं कि बैकवर्ड क्लासेज को ऊंचा उठाने के काम करेंगे। यह काम हमें

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

करना चाहिये मैं इसका स्वागत करती हूं। यह कहा कि हम बेकारी को दूर करेंगे इन्जीनियर्स को स्कॉलरशिप देकर काम सिखायेंगे और काम पर लगायेंगे मैं इन बातों का भी स्वागत करती हूं। पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 18 वर्ष से यह बजट रखे जाते रहे हैं और उनमें ऐसी बातें कही जाती हैं पर उनका इम्प्लीमेंन्टेशन कैसा होता है, यह हमारे सामने है। पिछले वर्ष में मैं यहां नहीं थी पर मैं यह कह सकती हूं कि बजट में जो बातें कही गईं, उनका इम्प्लीमेंन्टेशन पूरा नहीं हुआ। इसलिए इसका पूरा इफैक्ट तो सारी बातें क्रियान्वित होने पर होगा, इनमें जो बातें सही उतरती हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं।

वित्त मंत्रीजी ने पैरा 69 में 25 प्रतिशत बिजली की दर में छूट छोटे उद्योगों के लिये दी है, मैं इसका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस प्रकार की रियायत से छोटे उद्योगों में प्रगति होगी।

हमारा राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए विकास की समस्याएँ भी जटिल हैं। इसके बावजूद भी हमें क्षेत्रीय भावना से ऊंचा उठ कर राज्य के चौमुखी विकास के बारे में सोचना चाहिए। इस सिलसिले में बीकानेर में लगी हुई वुलन मिल के बारे में कहना चाहूंगी। बीकानेर के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से 6 हजार स्पिंडल्स का लाइसेंस मिला और वह सारा लाइसेंस बीकानेर के लिये मिला, लेकिन उस मिल में सिर्फ 1200 स्पिंडल्स लगाए गये और एक करोड़ रुपए बिल्डिंग पर खर्च हुआ है। उस मिल को हमने अनइकोनोमिकल बना रखा है 6000 स्पिंडल्स से भाग करके आज जोधपुर व सांभर में वुलन मिल के लगाने की बात कर रहे हैं पब्लिक सैक्टर में। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पूरा लाइसेंस, जो बीकानेर को मिला, बिल्डिंग बनी हुई है, वह इकोनोमीकल बन सकती है। लेकिन उसमें क्षेत्रीय भावना लगा कर अलग अलग हिस्से बांट कर हम उसका उपयोग करना चाहते हैं।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर की जनता जो आज तक सब बातें बरदाश्त करती चली आरही है, वह इन 6 हजार स्पिंडल्स का उपयोग चाहती है, अगर यह 6 हजार स्पिंडल्स वहां नहीं लगाये गये तो मुझे डर है कि वहां की जनता और कोई उग्र रूप धारण करे तो आश्चर्यजनक बात नहीं होगी ...

श्री विजयसिंह : हम साथ देंगे।

श्रीमती कांता कथूरिया : आप देंगे या नहीं, हमारी जनता साथ देगी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हमारे साथ मिलकर करेंगी ?

श्रीमती कांता कथूरिया : हम हमारी जनता के साथ मिलकर करेंगे।

श्रीमती कांता कथूरिया : आज बाहर से इस बात को कहा जाता है कि लाभ है। बजट के आंकड़ों को मैंने देखा है। इसमें कहा गया है कि (50,200) पिछले साल लाभ हुआ, एक लाख का एस्टीमेट इस साल है, यह सही नहीं है। वहां रद्दी सूत निकला। गोदाम भरा हुआ पड़ा है। उसका भाव बड़ा चढ़ा कर लगाया गया है। यह सदन को भ्रम में डालने वाली बात होगी।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कुछ अस्पतालों की चिकित्सा सुविधा के बारे में भी बजट में कहा गया है। मैं बीकानेर के लिए विशेषतौर से कहना चाहती हूं। बीकानेर अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है और उन तीन अस्पतालों में से है जो भारत में एफ. आर. सी. एस. के लिए रिकोग्नाइज्ड हुआ। आज वहां मेडिकल कालेज और बढ़िया अस्पताल के बावजूद भी हालत दर्दनाक है। वहां जो स्टाफ बैठता है, लेडी नर्सेज हैं, जेन्ट्स कम्पाउंडर्स हैं, उनके लिए बाथरूम का साधन नहीं है, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं लेकिन उनके लिए बाथरूम नहीं बन सकते है। इसके अलावा मरीजों के लिए भी बाथरूम्स काफी नहीं हैं। तो जहां चिकित्सा सुविधाओं के देने की बात कहते हैं, जहां पर पुरानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, उनको हम अच्छी तरह से चला सकें, इसे भी देखने की बात है। मैं आशा करती हूं कि चिकित्सा मंत्री और वित्त मंत्रीजी ध्यान देंगे और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर के अस्पताल में आज करीब 1200 बेड्स हैं और उनके लिए स्टाफ कितना है, उसको देखना पड़ेगा। आज वहां पर नर्सिंग ट्रेनिंग सैंटर है, जिसमें नर्सेज ट्रेनिंग लेती थीं और अस्पताल में जाकर ड्यूटी देती थीं। ट्रेनीज अगर वहां पर नहीं हों तो तीन मरीजों के पीछे एक नर्स होनी चाहिए, वहां 8 मरीजों के पीछे एक नर्स नहीं होगी। कम से कम 100 नर्सेज लगाई जायं।

उसके बाद मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार पर वजन नहीं पड़ता, ट्रेनीज दूसरे स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग लेगीं, उनको स्टाइपेंड मिलती होगी लेकिन 2-4 ट्यूटर्स की बचत करने के लिए नर्सिंग सैंटर हटाने की बात कह सकते हैं। मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर में नर्सिंग ट्रेनिंग सैंटर वैसे ही रहना चाहिए और उसको हटाने की जो बात है, उससे आंदोलन होंगे, यह अच्छी परंपरा नहीं रहेगी। वहां पर सारे राजस्थान में बीकानेर का अस्पताल ही है जहां रेडियम का ट्रीटमेंट होता है। वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड कम्पाउंडर्स रहा करते थे जो रेडियम का काम जानते थे लेकिन रेडियोलाजी को हटाकर जयपुर में लगा दिया इसलिए वह ट्रेन्ड कम्पाउंडर्स हमारे वहां नहीं रह सकते और रेडियम काउंटिंग सहीतौर से नहीं हो सकेगा। 900) रुपए डाक्टर को देते थे, वह बंद कर दो, वह फ्री पढाएगा लेकिन रेडियोलॉजी सैंटर बीकानेर में होना जरूरी है। सारे राजस्थान में एक जगह इलाज होने वाला वह सेंटर वहां से हटाकर जयपुर में लाने की बात क्यों की ?

श्री विजयसिंह : नवाब साहब आंदोलन में साथ देंगे।

श्रीमती कांता कथूरिया : वित्तमंत्री ने नगरपालिकाओं में कुछ पैसा देने की बात कही है ताकि शहरों में सड़कों और नालियों की मरम्मत हो सके। मैं बीकानेर नगरपालिका के बारे में निवेदन करूंगी क्योंकि वहां की नालियां व सड़कें बहुत समय से किसी ने देखी नहीं और बरसों से टूटी हुई हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कोटा, उदयपुर व बीकानेर तीन जगहों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, मैंने इनको देखा है,

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

मैं खुद वहां गई हूं। गरीब लोग जो फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाकर बैठे है और जब उस जगह का महत्व बढ़ता है तो उनको वहां से फेंक देते हैं। वह फैक्ट्री नहीं मांगते हैं, इंडस्ट्री नहीं मांगते हैं, लाइसेंस नहीं। सिर्फ रोटी रोजी मेहनत करके कमाना चाहते हैं। उनकी थड़ियों को उठा कर फेंका जाता है और दूसरी जगह रखा जाता है। जब उस स्थान को अहमियत मिलती है तो फिर उनको उठाकर फेंक देते हैं। उदयपुर में हाथीपोल के थड़ी वालों को फेंक दिया। यदि हटा भी दिया जाय तो जहां उनको रखते हैं, तो वहां से फिर उनको नहीं उठाया जाय।

कोटा में इसी तरह गरीबों ने मार्केट बना रखा है, उस मार्केट में उनको जमीन, ऐग्रीमेंट करके दिया गया, लेकिन क्योंकि बेचारों की कोई आवाज नहीं है, आज वहां बत्ती नहीं लगती, नाली नहीं निकलती, पानी की व्यवस्था नहीं होती। यह महत्वपूर्ण मुद्दा आम नागरिक से ताल्लुक रखता है। जो अपने पांवों पर खड़े होकर मजदूरी कमाना चाहते है, उनके साथ अन्याय होता है। नगरपालिकाओं से ऐसी व्यवस्था की जाय कि वह थड़ियां कायम की जा सकें।

इसके साथ साथ बीकानेर क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मोहल्ला है, वह बिनानी मोहल्ला है, जहां सारा गंदा पानी इकट्ठा होता है शहर का, लो लाइंग एरिया है जहां गंदा पानी इकट्ठा होता है। चारों तरफ से बस्तियां बसी हुई हैं, कोई नाला नहीं। जब शहर का पानी इकट्ठा हो जाता है तो तालाब की तरह घरों में पानी घुस जाता है, नीवें टूट जाती है। जब मैं बीकानेर नगरपालिका की चेयरमैन थीं, तो नाव चलाकर हमें निवासियों को पार करना पड़ता था। इसी तरह से राज्य सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि उसने मेरी इस बात को सुनकर 19 लाख की एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को सैंक्शन किया लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गरीब जनता के लिए जिनके लिए 20 वर्ष बीतने के बाद सुख लेने का समय आया तो जो इंजीनियर हैं, उसने व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, नीचे लेवल को ऊंचा और मकान के लेवल को नीचा कर दिया ताकि नाले का पानी वापस घरों में जाय। पहले पानी चारों तरफ फैल जाता था अब बीच के एरिया में रुकेगा। इंजीनियर के लिए परमात्मा ने पिछले साल जो वर्षा नहीं की उनके लिए बहुत फायदे की बात की। कई अखबारों में निकला। इंजीनियर मान चुके हैं कि योजना दोषपूर्ण है। आज कार्य चालू है। आज बीकानेर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि लोगों के मकानों की नींव में पानी घुस गया है। एक बार किसी का बच्चा गिर गया। आज वही नक्शा दिखा सकती हूं। मैंने इसके लिए पुरजोर शब्दों में चिल्लाना शुरू कर दिया तो इंजीनियर कहने लगे कि चुनाव लड़ना भूला दूंगा। मैंने कोई इंजीनियर के बूते पर चुनाव नहीं लड़ा था। मुझे खेद है कि राज्य सरकार से बार बार कहने के बावजूद भी इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती जो एक माननीय सदस्या को चेलेंज देता है कि चुनाव लड़ना भुला दूंगा। हजारों अखबार इसके प्रमाण हैं। इसके लिए मैं सदन में अलग से ध्यानाकर्षण

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

प्रस्ताव के रूप में इस मामले को रखूंगी जिसमें बताऊंगी कि बार बार अखबारों में यह बात आई हुई है, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती ··

श्री नत्थीसिंह : नवाब साहब ?

श्रीमती कांता कथूरिया : नवाब साहब नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : लड्ढा साहब हैं।

एक माननीय सदस्य : भीखा भाई।

श्रीमती कांता कथूरिया : पश्चिमी राजस्थान में अकाल क्षेत्रों में और मेरे इलाके में भी जो कुछ सरकार ने किया है उसका मैं स्वागत करती हूं। उन्होंने 12½ रुपये सब्सिडी अकालग्रस्त क्षेत्र में जहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले जा सके, वितरित करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूंगी कि हालांकि 12 रुपये की राहत मिली है उसके बावजूद कम से कम मेरे इलाके के लिए वहां पर हराम के पैसे की आदत नहीं पड़े, कुछ कार्य करें ताकि उनको मालूम पड़े कि मजदूरी का पैसा है। तो जब तक वह व्यवस्था नहीं थी, यह व्यवस्था नहीं थी तो उनको कुछ हद राहत मिली। लेकिन अकाल राहत का जो पैसा दिया गया है वह पंचायतों के क्षेत्रों में होने वाले कामों पर दिया गया है। मेरे इलाके की स्थिति जरा दूसरी है। मेरे इलाके में तीन म्युनिसिपल टाउन हैं देशनोक म्युनिसिपैलिटी है लेकिन है गांव का गांव। मेघवाल हैं जिनके लिये दूसरे कोई जीवन-यापन के साधन नहीं है। पन्द्रह सौ मजदूर लगे हुए थे। पांच हजार वोटर्स की म्युनिसिपैलिटी बनी हुई है, ऐसे क्षेत्रों में जहां की जीवन के कोई साधन नहीं है, मजदूरी भी उद्योग वगैरा नहीं होने से नहीं है, ऐसे शहरों में जो गाँवों से चिपटे हुए हैं उनके लिये भी कोई राहत कार्य खोल दिये जायं या अकाल पीड़ित क्षेत्रों को जिस प्रकार 12½ रुपये की सब्सिडी दी गई है उसी प्रकार यहां पर भी सब्सिडी दी जाय।

ऐसे गांव भी हैं जो जमाने में नहीं हैं लेकिन उनको लिख दिया कि जमाने में हैं। कारण यह था कि गिरदावरी एक महीने पहले हो गयी थी। उन्होंने देखा ही नहीं कि आगे वर्षा होगी या नहीं और जमाना होगा या नहीं लेकिन उनको जमाने में लिख दिया गया जबकि वास्तव में वे अकाल में हैं क्योंकि वर्षा हुई ही नहीं। कलेक्टर की ऐसी रिपोर्ट भी है कि ये गांव जमाने में नहीं हैं। गिरदावरी पहले हो गई। इसलिये ऐसे गांवों के लिए मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे गांवों को जमाना न मान कर अकाल में माना जाय। कलेक्टर ने भी कहा है कि यह अकाल में आ गये हैं एक महीने पहले गिरदावरी हो जाने से इसलिये उनको भी अकाल राहत की व्यवस्था में ले लिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शराबबन्दी के बारे मे आप कहेंगी कुछ ?

श्रीमती कांता कथूरिया : राज्य के उद्योग और वाणिज्य में लगी हुई पूंजी की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगी। स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र आय व्ययक अनुमान 1970, 71 के पृष्ठ संख्या 125 पर राजकीय उद्योगों का विवरण दिया गया है। एक सुझाव देना चाहूंगी। यदि केपिटल

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

एकाउन्ट के भी आंकड़े दे देते तो राज्य सरकार कह सकती थी कि फलां उद्योग में इतना रुपया लगाया और इतना रुपया वसूल होगया और इससे इतना फायदा उठाया। लेकिन केपिटल एकाउन्ट के आंकड़े न देने से ज्यादा कह भी नहीं सकती लेकिन यह सुझाव दे सकती हूं कि इस तरह के वाणिज्य और उद्योग में जो रकम सरकार की लगी हुई है उसके केपिटल एकाउन्ट के आंकड़े अवश्य ही दिये जाने चाहियें।

इसी प्रकार स्पष्टीकारक स्मृति पत्र आय-व्ययक अनुमान, 1970-71 के पृष्ठ संख्या 141 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। राज्य का इंश्योरेन्स डिपार्टमेंट। हर साल उनके फन्ड में बढ़ोत्तरी हुई है। सन् 1968-69 में 14,60,53,291 रु० थे तो 1969-70 में यह रकम बढ़कर 17,14,50,000 रु० हो गयीं। और सन् 1970-71 में 19,70,00,000 रु० का अनुमान किया गया है। 1, 37 लाख रुपयों को छोड़ कर सारा फण्ड गवर्नमेंट ने अपने काम में ले रखा है। इतना बड़ा फन्ड! उसमें से 1, 37 लाख को छोड़ कर लोन में ले रखा है। राज्य के चाहे बड़े कर्मचारी हों या छोटे कर्मचारी, उनका जो रुपया कटता है उसको राज्य सरकार ने सिक्योरिटीज में न लगा कर अपने पास रखा है। पहले तो 64 हजार की सिक्योरिटीज रखी थी उसको भी घटा कर 20 हजार कर दिया। राज्य कर्मचारियों को सिक्योर्ड फण्ड कहा जा सकता है। प्रतिशत बनता है एक रुपये का एक नया पैसा। सौ रुपये में एक रुपया अनसिक्योर्ड होता है और एक पैसा सिक्योर्ड होता है। सिक्योरिटीज में लगायें तो 6½ प्रतिशत ब्याज का फायदा हो सकता है। राज्य सरकार ने अपने पास ले रखा है यह रुपया इसलिये इसको सिक्योरिटीज में लगाने की आवश्यकता है और यदि नहीं लगाया जाता है तो यह सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय करने की बात होगी।

दूसरा उद्योग बताया पचभद्रा और डीडवाना। 35 हजार की आय बतायी और 17 लाख, 14 हजार का इन्वेस्टमेंट। इसको मैंने कैलकुलेट करके देखा है दो रुपया साढ़े चार नया पैसा। 14 लाख रुपया लगा रखा है और दो रुपया और 4½ नये पैसे का फायदा करते हैं। तो कोई बड़ी बात महसूस होती हो तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है। उस बनिये को देखिये जो एक रुपया लगा कर एक रुपये का फायदा करता है। उसकी बात मैं नहीं करती। लेकिन राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि जो ब्याज लगता है रुपयों पर उस तक तो फायदा दें।

श्री सभापति : दो मिनट और शेष हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : वूलन मिल के लिये भी यही स्थिति है।

एक खास तवज्जह दिलाना चाहूंगी, खासतौर से ध्यान दिलाने की बात है। ऋण का विवरण दिया है। आंकड़े देने चाहिये जिस दिन बजट पेश होना चाहिये उसी दिन तक के। 9 फरवरी को बजट पेश हुआ। साल भर निकल गया लेकिन कोई देख सकता है लोन के बारे में 31 मार्च, 1969 का बताया गया है। यह सह

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

नहीं कहा जा सकता कि 53 करोड़ खर्च हो चुके हैं और कितना ऋण आया है यह कोई आंकड़ा इसमें नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जो खासतौर से बतायें कि 31 मार्च 1969 तक आंकड़े किस प्रकार से दिये और अभी के नहीं दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर समाप्त करना चाहूंगी। राज्य सरकार ने गारन्टी दे रखी है। 46 की दी हुई है। उसमें से 6 की सिक्योरिटी की गारन्टी है। बाकी की बिना सिक्योरिटी के गारन्टी है। उनकी किस प्रकार की गारन्टी दी है? मैं निवेदन करूंगी कि सदन की समिति बना कर विशेषतौर से ध्यान देना चाहिए जो गारन्टी बिना सिक्योरिटीज के दी हुई है उसका कोई हल निकालें। वरना मुसीबत खड़ी होगी। राज्य सरकार को समय रहते सोच लेना चाहिये वरना यही हालत होगी :—

"बेलचे से रस्ताए चश्मा रोक,
दीगर तो देगा हाथी को डुबो।

एक बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगी। इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि एक बात और बता दें। 31,84 लाख रुपया वसूल करना है और उसमें से 14 करोड़ 17 लाख वसूल किया है 17 करोड़ का अमाउन्ट है। केन्द्र को तो डबल अमाउन्ट का ऋण चुकायें और पैसा चुकायें और यहां पर डूबत खाते की बात है तो वसूली के सम्बन्ध में समय रहते विचार करना चाहिये। इन मुद्दों के साथ सदन के माध्यम से निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 13-3-70 के 11.00 म. पू. के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजे दिनांक 13-3-70 के 11 म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची)

किरायेनामे की प्रतिलिपि

एक रुपया पचास नये पैसे एक रुपया पचास नये पैसे

भारत

मैं कृष्ण कन्हैया पुत्र श्री जगन्नाथ जी जो कि मुझे एक भूखण्ड झोटवाड़ा रोड पर नगर विकास न्यास से किराये पर एक वर्ष के लिये दिनांक 3-1-70 से 2-1-71 तक 37 पैसा प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष की दर से 888.88 वर्ग गज के लगभग 328.56 रु० वार्षिक किराये पर दी गई है। इस सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित शर्तों का पालन करने में पूर्ण रूप से सहमत हूं :—

1. कि मैं 1.50 रु० के स्टाम्प पर किराये नामे के दस्तावेजात लिख रहा हूं तथा एक वर्ष के किराये की धनराशि अग्रिम रूप से किरायानामा लिखने की तिथि से पन्द्रह दिवस के अन्दर जमा करा दूंगा अन्यथा यह प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जायगा।
2. कि न्यास किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर तीस दिन का नोटिस देकर उक्त भूमि को मुझसे खाली करा सकेगा तथा किरायानामा रद्द समझा जावेगा।
3. कि मैं उक्त भूमि में न्यास की पूर्व स्वीकृति से ही कच्ची तामीरात कराऊंगा और नोटिस दिये जाने पर मैं स्वयं अपने खर्चे से अन्दर मयाद नोटिस के उक्त तामीरात को हटा लूंगा तथा इस के लिये किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होऊंगा।
4. कि किराये की वार्षिक अवधि से पूर्व भूमि खाली कराये जाने की स्थिति में न्यास द्वारा बची हुई अवधि की किराये की राशि मुझे लौटा दी जावेगी।
5. कि भूमि को उसी उपयोग में लाऊंगा जिसके लिये प्रार्थना-पत्र में लिखा गया है अथवा जिस उपयोग में लाने के लिये उक्त भूमि किराये पर दी गई है।
6. कि वर्तमान अवधि की समाप्ति पर नया किरायानामा होने पर ही उक्त भूमि किराये पर चालू मानी जा सकेगी।
7. कि मैं उक्त भूमि की अन्य किसी व्यक्ति, किसी पार्टी को किराये पर नहीं दूंगा।

हस्ताक्षर कृष्ण कन्हैया
हस्ताक्षर किरायेदार

हस्ताक्षर राधेकान्त शर्मा
हस्ताक्षर सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।
हस्ताक्षर कुन्दनलाल

गवाह 1. हस्ताक्षर श्री अर्जुनलाल
गवाह 2. हस्ताक्षर जगन्नाथ

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 73 की सूची)

एफ/(98)जीए/सी/69

क्रम संख्या	विभाग	1-12-69 से सेवा मुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या
1.	बन्दोबस्त विभाग	5
2.	कर आयुक्त, जयपुर	35
3.	दुग्ध वितरण योजना, जयपुर	20
4.	प्रिन्सीपल, राजकीय कालेज, बांसवाड़ा	9
5.	प्रिन्सीपल, राजकीय पोलीटेक्निक, उदयपुर	3
6.	सचिव, सैनिक, नाविक एवं वैज्ञानिक मण्डल, जयपुर	3
7.	प्रिन्सीपल, मीरां गर्ल्स कालेज, उदयपुर	2
8.	आचार्य, महाविद्यालय, पाली	4
9.	निदेशक पशुपालन विभाग, उदयपुर	135
	योग	216

Page No 150

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

हिन्डौन-धमान-धोलेरा सड़क

80. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्डौन से धमान-धोलेरा रोड किस योजना के तहत है ?

(2) क्या इस रोड पर विभाग द्वारा कोई कार्य भी कराया गया था यदि हां, तो कब और किस किस मद से कितना कितना खर्चा हुआ है सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि इस रोड में आई जमीनों का किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं चुकाया गया है यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कच्ची फेयर वेदर रोड़ निर्माण की योजना थी।

(2) जी हां फेयर वेदर रोड निर्माण कार्य पर लगभग वर्ष 57-58 तक 57.400 रु० व 58-59 में 6000 रु० व्यय हुआ है।

(3) जी हां। सड़क के अन्तर्गत आई हुई भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही एस. डी. ओ. हिन्डौन के यहां विचाराधीन है।

नीम का थाना गोली काण्ड

81. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना गोली कांड में जनता पर गोली क्यों तथा कितने राउन्ड चलाई गई थी ? इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गये ?

(2) क्या यह सही है कि नीम का थाना में गोली कांड के दिन सब राजनैतिक दलों की ओर से एक आम सभा बुलाई गई थी जिसको धारा 144 लगा कर रोक दिया गया था यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इससे पहले वहां आम सभा बुलाई गई और उसको धारा 144 लगाकर रोक दिया गया था यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) इस अवसर पर कितने व्यक्तियों को किस किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया तथा उसमें वकील कौन थे ?

उत्तर

(1) दिनांक 23-11-69 को नीम का थाना कस्बे में धारा 144 जा. फौ. के प्रतिबन्धों को तोड़ कर एक बड़े मजमें नाजायज ने सभा करने की कोशिश की और पुलिस के मना करने पर खतरनाक रूप से पुलिस पर हमला किया। 19 पुलिस कर्मचारी घायल

(गृह मंत्री)

हुए अतः पुलिस को नाजायज मजमें को तितर-बितर करने व आत्म रक्षा में गोली ए. डी. एम. जिला सीकर के आदेश से चलानी पड़ी 12 राउन्ड फायर किये गये 7 व्यक्ति घायल हुए, कोई भी व्यक्ति नहीं मरा था।

(2) सुरक्षा समिति के सदस्यों ने यह सभा सदस्यों में अधिक हिंसात्मक रवैया फैलाने की गरज से बुलाई थी और इसी वजह से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 लगाना आवश्यक समझा गया था।

(3) जी हां। इससे पहले भी सुरक्षा समिति के इन्हीं सदस्यों ने विद्रोह फैलाने और शान्ति भंग करने की गरज से सभा बुलाई थी और उसे भी धारा 144 की निरोध आज्ञा द्वारा रोका गया था।

(4) फायरिंग के आदेश मौके की स्थिति को देखते हुए व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से ए.डी.एम. द्वारा दिये गये थे। अतः न्यायिक जांच कराने का कोई भी औचित्य नहीं समझा गया।

(5) ता० 23/11/69 की घटना के संबंध में नीम का थाना में अपराधियों के खिलाफ धारा 107/353/332/120 बी. 307/148 और 149 ता० हि० के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया जिसमें कुल 58 आदमियों की गिरफ्तारी की गई इनमें से 6 वकील भी थे।

बाड़मेर जिले के गांवों में पानी की समस्या

42. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर आगोर, शिवकी, कुड़ली, रावतसर चवा एवं भुरटीया गांवों में जल कष्ट की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो इन गांवों की जन संख्या क्या है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में राज्य सरकार ट्रकों द्वारा टंकियों से पानी पहुंचा रही है यदि हां, तो उक्त गांवों में कितना पानी प्रति सप्ताह पहुंचाया जाता है और उन पर कितना व्यय होता है कृपया प्रत्येक गांव का अलग अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त गांवों में स्थायीतौर से जल समस्या हल करने के लिये कोई योजना बना रही है यदि ? हां तो क्या और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, गावों की जन संख्या सन् 1961 की जन गणना के अनुसार निम्न प्रकार है

शिवकी 2,356, कुडली 1,379, रावतसर 3451, चवा 2,782, भुरटिया 2,213 बाड़मेर नागोर 2000

(2) जी हां, विवरण तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जी हां, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाई जा रही है। यदि अकाल सहायता विभाग इसके लिए राशि मंजूर कर दें तो कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

इन निम्नांकित गांवों में पानी ट्रकों द्वारा भेजा जा रहा है, साप्ताहिक संख्या टंकी व खर्च का विवरण प्रत्येक गांव के सामने अंकित हैं :—

	सं० टंकी	व्यय प्रति टंकी
1-शिवकर गांव	6	1200 गैलन प्रति सरकारी टंकी
गाला बेरी	1	800 ,, ,, ,, रु० 33 प्रति टंकी
2-कडला गांव	2	1200 ,, ,, सरकारी टंकी
मंगने की ढाणी	2	1200 ,, ,, ,, ,,
3-रावतसर गांव	6	1200 ,, ,, ,, ,,
राम्सर कुआ	2	800 ,, ,, रु० 43 प्रति टंकी
4-चवा गांव	4	1200 ,, ,, सरकारी टंकी
ओकलिया	1	1200 ,, ,, ,, ,,
5-खरोगा का ताला	1	1200 ,, ,, ,, ,,
6-भुरटिया	4	800 ,, ,, रु० 66 प्रति टंकी

अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के संबंध में आदेश

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें मुख्य मंत्री द्वारा राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में यह आश्वासन दिये जाने पर भी कि सन् 1968 से पहले के जो कर्मचारी राज्य सेवाओं में नियुक्त होगये हैं उन्हें विभाग में रिक्त स्थान होने पर स्थायी कर दिया जायेगा, अभी तक नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो किस किस विभाग में और इसके विरुद्ध सरकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से क्या कोई स्पष्टीकरण मांगेगी ?

(2) क्या यह सही है कि लिपिकों के पदोन्नति के विषय में सरकार द्वारा निर्धारित नियम अवैज्ञानिक है और इन नियमों के कारण समस्त लिपिक वर्ग विभागाध्यक्षों की दया पर निर्भर रहते हैं? यदि हां, तो पदोन्नति सम्बन्धी क्या नियम हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर लिपिकों को पदोन्नत करने में एक हायर सैकण्डरी तथा एम. ए. के साथ एकसा व्यवहार किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे कौन से नियम हैं तथा सरकार इस विषय में क्या सोच रही है ?

उत्तर

मंत्रिमण्डल ने केवल कनिष्ठ लिपिक के लिये यह निर्णय लिया था कि जो व्यक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर 1-9-68 के पूर्व नियुक्त हो गया हो, उसे स्थाई स्थान रिक्त

(श्री मुख्य मन्त्री)

होने तथा उसका कार्य संतोषजनक होने पर स्थाई कर दिया जावे । इस निर्णय के अनुसार मंत्रालय सेवा नियमों में 19-8-69 को संशोधन भी कर दिया गया । इस संशोधन के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों को स्थाई करने की प्रक्रिया भी सभी विभागों की जानकारी के लिये सूचित कर दी गई है। सभी विभागों में इस प्रकार की कार्यवाही हो रही होगी । ऐसी हमारी मान्यता है। इस निर्णय को किन विभागों ने कार्यान्वित अभी नहीं किया है इसकी सूचना विभागों से ही प्राप्त हो सकती है यदि ऐसे विभागों का नाम बताया जाय तो उनसे पूछ कर वस्तु-स्थिति मालूम की जा सकती है ।

(2) पदोन्नति संबंधी नियम वैधानिक है अतः पदोन्नति के लिये विभागाध्यक्षों की दया पर रहने का प्रश्न नहीं उठता । पदोन्नति संबंधी नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) राजस्थान सबार्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स, 1957 के नियम 15(1) के अनुसार कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये ग्रेजुएट कनिष्ठ लिपिक को तीन साल का अनुभव तथा अन्य कनिष्ठ लिपिकों को 7 साल का अनुभव आवश्यक है । इसी तरह राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक वर्ग सेवा नियम, 1956 के नियम 25(3) के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है । पदोन्नति सीनियोरिटी-कम-मेरिट तथा मेरिट के आधार पर की जाती है ।

(नियमों की प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जोधपुर डिविजन से घी-दूध की निकासी

84. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल के कारण जोधपुर डिवीजन के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर तथा सिरोही जिलों में अनेक मवेशी मर गये हैं अतः घी, दूध की पैदावार बहुत ही कम हो गई है ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं मानती कि जोधपुर डिविजन से घी, दूध की निकासी तत्काल रोक दी जाये ? यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।
(2) जी नहीं ।

अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ी और थानों में दर्ज मामले

45. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य के किस किस थाने में अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ी करने के संबंध में कब-कब किस-किस के विरुद्ध किस किस धारा के अन्तर्गत मुकद्दमे बनाये गये, और उनका प्रत्येक का अब तक क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

राज्य के 15 जिलों के 52 थानों में कुल 103 मुकद्दमात अकाल राहत कार्य में

(श्री गृह मन्त्री)

गड़बड़ी करने के संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किये गये हैं। जिनमें से 24 मुकद्दमात में चालान पेश किये गये, 14 मुकद्दमात अदम पता या अदम सबूत में समाप्त किये गये तथा 65 मुकद्दमात अभी जेर तफतीश हैं। चालानी मुकद्दमात में सभी मुकद्दमे जेरसमाअत अदालत हैं। विस्तृत विवरण देते हुए तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजलदेसर की जल प्रदाय योजना

86. **श्री रावतराम (छापर)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा राजलदेसर जिला चूरू की जल प्रदाय योजना प्रारम्भ करने के आदेश कब हुए? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) उक्त योजना पर कुल कितना खर्च होगा तथा किन किन कुओं से पानी लिया गया है?

(3) कस्बे के मोहल्लों में किस प्रकार पाईप लाईन बिछाई गई है? क्या हरिजन बस्तियों को इस योजना में शुमार कर लिया है? यदि हां तो योजना का चार्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक उक्त योजना में क्या क्या कार्य हो चुका है तथा उक्त योजना का कार्य किसके सुपरविजन में हो रहा है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त योजना के कार्य में बड़ी सुस्ती बरती जा रही है? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

उत्तर

(1) दिनांक 17 अक्टूबर 1968 को आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) योजना की अनुमानित लागत 6,58,300 रु० है। इस योजना के लिए पानी, 5 नये नल कूप कस्बे के पूर्वी भाग में खोदकर प्राप्त किया जावेगा।

(3) पाईप लाईन स्वीकृत योजनानुसार बिछाई गई है। जी हां। योजना का चार्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) अब तक इस योजना में निम्न कार्य किये जा चुके है।

(1) भवन निर्माण कार्य।

(2) पाईप लाईन डालने का कार्य।

(3) स्वच्छ जलाशय निर्माणाधीन है।

इस योजना का कार्य अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग, चुरू एवं सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग चुरू के सुपरविजन में हो रहा है।

(5) जी नहीं साधारण तथा एक योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने में धन व सामग्री की उपलब्धि पर इसे 4 वर्ष का समय लग जाता है। यह योजना अक्टूबर 68 में स्वीकृत हुई थी और वित्तीय वर्ष

(श्री जनस्वास्थ्य मन्त्री)

1971-72 तक धन व सामग्री की उपलब्धि होने पर पूर्ण की जाने की सम्भावना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव बिरलोका में भू-संरक्षण कार्य

87. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1966-67 में नागौर तहसील के गांव बिरलोका में भू-संरक्षण के अकाल राहत कार्य में किसानों के खेतों में सिणिये लगा दिये जो उन्हीं खेतों में काट कर लगाये व बिल बनाकर पाइपों के रुपये 26,000/- उठा लिये और खेतों में पाइयां नहीं लगाई ?

(2) क्या सरकार को विदित है कि जिला परिषद् नागौर ने तारीख 14, 15 अप्रेल, 1967 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 36 इस सम्बन्ध में पास किया तथा तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी नागौर ने जिला परिषद् नागौर की बैठक दिनांक 3-10-1967 में बताया कि विभागीय जांच हो रही है ? क्या अभी तक जांच पूरी नहीं हुई ? क्या काश्तकारों से वसूली चालू हो गई है ?

(3) यदि जांच पूरी हो गई है तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराई गई जिससे यह आरोप प्राइमा-फेसी सही पाया गया।

(2) जी हां। प्रारंभिक जांच पूर्ण हो चुकी है। एक राजपत्रित अधिकारी तथा दो अराजपत्रित कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, जिनके खिलाफ सी. सी. ए. रूल्स के नियम 16 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत विभागीय जांच पूरी होने तक दोषी व्यक्तियों को निलम्बित करने का निर्णय ले लिया गया है।

(3) ऐसा करना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।

सेकेण्डरी पास व्यक्तियों की नियुक्तियां

88. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सेकेण्डरी पास लोगों को मैट्रिक के समान मानकर एल. डी. सी. आदि पदों के लिये योग्य माना जाता था अब उनको योग्य नहीं माना जाता है जिससे हजारों सेकेण्डरी पास लोगों की परेशानी बढ़ गई है ? यदि, हां तो क्यों ?

(2) सरकार ने यह निर्णय कब और क्यों लिया ?

उत्तर

(1) मंत्रालय सेवा नियमों के अन्तर्गत सेकेण्डरी पास लोगों को हाई स्कूल के समकक्ष मानकर एल. डी. सी. आदि पदों के लिये योग्य दिनांक 3-3-69 से माना जाता था और अब भी माना जाता है। अतः लोगों की परेशानी का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

माउन्ट आबू नगरपालिका द्वारा प्लॉटों की नीलामी

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माउन्ट आबू के मौजूदा नगरपालिका के बोर्ड का चुनाव कब हुआ था और इसके सदस्य कौन कौन हैं और अध्यक्ष का क्या नाम है ?

(2) इस बोर्ड के कार्य काल में कितने मकानों के प्लॉट नीलाम किये गये ? क्या नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वयं व उनकी पत्नी के नाम से प्लॉट लिया है ? कृपया हर प्लॉट का क्षेत्रफल व कीमत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यह मकान जिसका प्लाट अध्यक्ष की पत्नी सूर्यदेवी के नाम से लिया गया था क्या उस पर मकान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नगरपालिका में प्रशासक कार्य कर रहे हैं, इसलिये शेष जानकारी दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के अनुसार सूचना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग (1) के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हैं।

पत्रकारों को सुविधाएं

90. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिले के पत्रकारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिये जाने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्या क्या ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने सम्बन्धित कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियमों में प्रावधान कर दिया है। इन नियमों के अन्तर्गत जो सुविधाएं अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जावेंगी उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां, नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'क'

अधिस्वीकृत प्रतिनिधि अथवा संवाददाताओं को सुविधाएं

(क) जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा संचालित पुस्तकालय तथा पत्रकार कक्ष का उपयोग ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनों एवं अन्य राजकीय समारोह में जहां के लिए उन्हें निमंत्रण भेजा जाय, उपस्थिति ।

(ग) भारत सरकार अथवा और किसी मान्य माध्यम यात्रा की नीति के अनुसार कन्सेशन सुविधा के लिए सिफारिश ।

(घ) अधिस्वीकृत पत्रकारों अथवा संवाददाताओं को टेलीफोन उपलब्ध कराने की यथा आवश्यक सिफारिश ।

(ङ) विभिन्न विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल को सुविधा ।

(च) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित सूचना सामग्री, फोटोज, प्रकाशन आदि उपलब्ध कराना ।

(छ) मंत्री एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं फोटोग्राफ आदि लेने की सुविधा ।

(ज) कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर घूमने की सुविधा की सिफारिश ।

(झ) विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर सुरक्षा-पत्र उपलब्ध कराने के लिये सिफारिश ।

नगरपालिका केकड़ी का प्रशासक

91. श्री देवीलाल बुराड़िया (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका केकड़ी का कार्यकाल दिनांक 20-6-1969 को समाप्त हो गया और प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था ?

(2) क्या प्रशासक ने उक्त बोर्ड का पूरा चार्ज नहीं सम्हाला था और महाविद्यालय निर्माण का कार्य अन्य किसी व्यक्ति के पास रहा ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्णरूपेण चार्ज न सम्हालने बाबत प्रशासक, स्वायत्त शासन विभाग एवं शिक्षा विभाग को जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र पेश किए गए ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य को सम्हालने हेतु प्रशासक केकड़ी को तुरन्त आदेश देकर दिनांक 20-6-1969 के पश्चात जो अवैध कार्यवाही की गई है उसकी जांच कर उचित कार्यवाही कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री मदनलाल बोहरा ने दिनांक 14-7-69 को प्रार्थना पत्र प्रशासक नगरपालिका को प्रस्तुत किया था।

प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय व मंत्री शिक्षा विभाग को भेजी जानी प्रतीत होती हैं। प्रशासक से कह दिया गया था कि कॉलेज कमेटी का कार्य भार ग्रहण करें।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जिला चित्तौड़गढ़ में कल्याण सोना बीज की खरीद

92. श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़ जिला कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों को कल्याण सोना बीज कितना दिया है ?

(2) क्या यह कल्याण सोना बीज चित्तौड़गढ़ जिले के बाहर से मंगवाया गया है। या चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत उन्नत किसानों से खरीदा गया है ? यदि खरीदा गया है तो वह कल्याण सोना गेहूं प्रोसेस किया हुआ ही खरीदा है या इसमें बिना प्रोसेस का बीज ही खरीदा है।

(3) क्या यह सही है कि तहसील कपासन में जो बीज भेजा था वह चलनी के नीचे का बारीक बारीक था ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में विभाग द्वारा गेहूं कल्याण सोना 306 क्विं० वितरण हेतु दिया गया है।

(2) यह बीज कोटा राजकीय कृषि फार्म (उम्मेदगंज) से भेजा गया था पंचायत समितियों द्वारा स्थानीय कृषकों से गेहूं कल्याण सोना का केवल प्रोसेस बीज ही खरीदा गया है।

(3) विभाग द्वारा तहसील कपासन में कोई बीज नहीं भेजा गया। जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

राजस्थान अवकाश प्राप्त सैनिक संघ जिला नागौर की कार्यकारिणी की बैठक, दिनांक 5-10-68 को श्री कानसिह काला की अध्यक्षता में नागौर में हुई तथा दो प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुए, की प्रतिलिपियां निम्न प्रकार हैं:—

प्रस्ताव सं० 1 :—भूतपूर्व रियासत जोधपुर के जाट सैनिकों को राजनैतिक पीड़ित घोषित किया जाय।

डीडवाना में भूतपूर्व रियासत जोधपुर के विद्रोही जाट सैनिकों के प्रतिनिधियों की दिनांक 29-1-68 को जो विशेष बैठक हुई, में पारित प्रस्ताव के सन्दर्भ में जिला नागौर के समस्त सैनिक परिवारों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यह सभा सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के महाराजा की सरकार द्वारा दिनांक 18-5-1947 को सेना से जाट सैनिक का जो अचानक निष्कासन किया गया था उसके प्रकट रूप में तब कारण चाहे जो भी बताए गए हों, पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि मूल में उस हरकत का सम्बन्ध राजनैतिक था। अतः यह सभा राजस्थान सरकार से अनुरोध करती है कि उन विद्रोही जाट सैनिकों को राजनैतिक पीड़ित घोषित किए जाने की मांग के औचित्य को बिना विलम्ब आंका जाए।

प्रस्ताव सं० 2 :—नागौर में सैनिक बस्ती निर्माण करवाने हेतु :-

राजस्थान सरकार की एक घोषित नीति के अनुसार नागौर में 100 सैनिक परिवारों को आवास हेतु भू-खण्डों का आवंटन किया जाना चाहिये, जिसके सम्बन्ध में प्रशासन ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं वे सफलता से दूर हैं। यह सभा सर्वसम्मति से जिलाधीश महोदय नागौर को अनुरोध करती है कि सैनिक बस्ती के निर्माण में अधिक-अनावश्यक विलम्ब न होने दें।

ह० (कानसिंह काला)
अध्यक्ष
राजस्थान अवकाश प्राप्त सैनिक संघ,
जिला कार्यालय, नागौर।

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :—

1- माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- माननीय श्रीमान जिलाधीश महोदय, नागौर।
3- श्रीमान सचिव महोदय, सैनिक मण्डल, नागौर।
4- माननीय श्री मथुरादास जी माथुर, वित्त मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(कान सिंह काला)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची)

Statement showing the quantity issued and balance of Agriculture quota of Iron and Steel during the year 1966-67.

.N.	Name of the Item	Issued Date	Issued Qty.	Balance Date	Balance Qty.
	C.R. sheet of different size	2-10-66	0.151 MT	2-10-66	23.639 MT
	—do—	3-11-66	0.572 MT	3-11-66	23.067 MT
	—do—	5-11-66	0.182 MT	5-11-66	22.884 MT
	—do—	7-11-66	0.183 MT	7-11-66	22.701 MT
	—do—	17-11-66	0.088 MT	17-11-66	22.594 MT
	—do—	2-12-66	0.077 MT	2-12-66	22.517 MT
	—do—	6-12-66	0.073 MT	6-12-66	22.444 MT
	—do—	7- 2-67	0.110 MT	7- 2-67	22.234 MT
	—do—	20- 3-67	0.830 MT	20- 3-67	42.505 MT
	—do—	23- 3-67	0.232 MT	23- 3-67	42.273 MT
	—do—	28- 3-67	0.063 MT	28- 3-67	42.210 MT

Statement showing the quantity issued and balance of Agriculture quota of Iron and Steel during the year 1967-68.

C.R. sheet of different size	6- 6-67	0.077 MT	6- 6-67	63.613 MT
—do—	21- 7-67	0.289 MT	21- 7-67	63.325 MT

Statement showing the quantity issued and balance of Agriculture quota of Iron and Steel during the year 1968-69.

Defective plate of various size	31-11-68	0.121 MT	30-11-68	5.114 MT
—do—	2-12-68	0.500 MT	2-12-68	22.614 MT
—do—	17-12-68	3.500 MT	17-12-68	19.114 MT

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 111 की सूची)

तहसीलवार सूची

क्रम सं०	नाम तहसील	कृषकों की सं०	ऋण राशि जो वितरण की गई
1-	झालरापाटन	181	4,49,840/-
2-	पचपहाड़	178	5,01,629/-
3-	नगवार	51	1,21,971/-
4-	अकलेरा	50	96,350/-
5-	पिड़ावा	58	1,30,355/-
6-	खानपुर	43	1,58,130/-
	योग	561	13,66,325/-

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

सहकारी कृषि समितियों के नाम तथा पदाधिकारियों सम्बन्धी सूचना

क्रम सं०	नाम सहकारी कृषि समिति	पद	नाम पदाधिकारी
1—	सतरगढ़ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	अध्यक्ष	श्री देसराज
		मंत्री	श्री रामकिसन
		कोषाध्यक्ष	श्री लादूराम
		सदस्य	सुदर्शन कुमारी
		सदस्य	श्री टीकम
2—	किसनीदेसर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	अध्यक्ष	श्री भंवरलाल
		मंत्री	,, छगनलाल
		कोषाध्यक्ष	,, शंकरलाल
		सदस्य	,, मोडाराम
		सदस्य	,, पूनाराम
		सदस्य	,, नरसिंह
		सदस्य	,, सीताराम
3—	बदरासर सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	अध्यक्ष	श्री लालचन्द
		मंत्री	,, जागीरसिंह
		कोषाध्यक्ष	,, प्रीतमसिंह
		सदस्य	,, रूपाराम
		सदस्य	,, करतारसिंह
4—	कालू सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	अध्यक्ष	श्री दुर्गादत्त
		मंत्री	,, बाबूलाल
		कोषाध्यक्ष	,, सीताराम
		सदस्य	कमला देवी
		सदस्य	श्री भैरूंपाल
5—	देसलसर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	(अवसायन में है)	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची)

होम्योपैथिक संस्थाओं को जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1968-69 में उनके सामने अंकित राशि स्वीकृत की गई उनके नाम

1.	होम्योपैथिक एसोसियेशन कड़क्का चौक, अजमेर	460 रुपये
2.	खत्री होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, बीकानेर	1600 रुपये
3.	संथालिया होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी मन्डाया, झुंझुनू	800 रुपये
4.	मोतीसिंह खिमसरा होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, उदयपुर	1360 रुपये
5.	होम्योपैथिक धर्मार्थ औषधालय, जयपुर	780 रुपये

इन संस्थाओं को अनुदान राशि संस्था व उनके व्यय एवं उनके द्वारा जनता को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अनुदान समिति के निर्णय के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक चिकित्सालयों की सूची।

बीकानेर

1. वेलासर
2. जांगलू
3. बीकमपुर
4. करमीसर

भीलवाड़ा

5. शाहपुरा

अजमेर

6. अजमेर
7. केकड़ी

झालावाड़

8. झालरापाटन

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

जयपुर दुग्ध वितरण योजना, जयपुर

सूची उधार बिक्री की बकाया राशि जो व्यक्तियों व विभागीय व्यक्तियों में बकाया रही है

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति	वर्ष 67–68 में बेचे गये माल की राशि	67–68 में जमा की राशि	वर्ष 68-69 में बेचे गये माल की राशि	68–69 में जमा राशि	वर्ष 69-70 में बेचे गये माल की बकाया राशि	जमा की राशि	वर्तमान बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री डॉ० व्यास	536-67	536-67	—	—	—	—	—
2.	सचिव राज्यपाल	158-46	158-46	—	—	—	—	—
3.	श्री प्रीतमसिंह	258-21	258-21	—	—	—	—	—
4.	श्री हांडा साहब	395-43	395-43	—	—	—	—	—
5.	श्री एस. पी. गुप्ता	17-67	17-67	—	—	—	—	—
6.	श्री डी. एन. हांडा	—	—	17-89	17-61	—	—	0-28
	योग:—	1366-44	1366-44	17-89	17-61	—	—	0-28

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7-8	शीर्षक	सारांकत प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
7	6	दिया गया	दिया गया ?
7	16	आमियांजिकी	अमियांत्रिकी
19	16	सरकम्स्टेन्शिल	सरकम्स्टेन्शियल
22	अन्तिम से 10	सरकम्स्टेन्शिल	सरकम्स्टेन्शियल
31	,, 2	देवेंगे	दबेंगे
31	,, 1	करने से,	करने से…………
32	,, 16	आर्डस	आर्डर्स
37	,, 2	सहो	सही
39	10	कार्यवही	कार्यवाही
40	अन्तिम से 7	जैहरी	जौहरी
44	,, 5	now	Know
49	,, 10	हेती	होती
49	,, 5	पाय ।	पाया
54	,, 14	अधिशाषी	अधिशासी
54	,, 8	अधिशाजी	अधिशासी
57	,, 13	पुसिस	पुलिस
64	अन्तिम से 15	को	की
66	,, 4	श्रणी	श्रेणी
73	,, 6	होम्यपैथिक	होम्योपैथिक
88	,, 7	ले .	से
96	अन्तिम से 4	शोरो	शोर
96	,, 2	शोरो	शोर
'04	,, 15	भी	की
04	,, 11	पुलट जवाब	पुलट कर जवाब
34	,, 8	उपयक्ष	उपाध्यक्ष

1	2	3	4
144	अन्तिम से 13	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
150	„ 20	नुकशान	नुकसान
153	„ 3	उपायध्क्ष	उपाध्यक्ष
157	„ 16	वि,	विभाग
165	„ 7	टक्सों	टैक्सों
167	„ 3	भख	भूख
171	„ 17	का	की
193	„ 11	धक्ल	अकल
238	अन्तिम से 11	दीवारे	दीवारें
275	„ 10	ओर	और
277	„ 12	गिरधारीलाल	श्री गिरधारीलाल